# लोक सभा वाद-विवाद

# का

# हिन्दी संस्करण

## ( ग्यारहवां सत्र )

7th Lok Sabha

(खंड 35 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

लोक सभा वाद विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार 16 मार्च, 1983/25 फाल्गुन, 1904 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ (1) पंक्ति 6, तारांकित प्रश्न संख्या "213" का लोप कीजिये ।

पृष्ठ (1) पंक्ति 8 में "2999" और पंक्ति 9 में " 3001 से" का लोप कीजिये ।

पृष्ठ (111) पंक्ति 5, "लाल" के स्थान पर "प्यारे"तथा पंक्ति 7, क्षीर सागर के स्थान पर क्षीर सागर ।

पृष्ठ 3, नीचे से पंक्ति 5,"उपाध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये ।

पृष्ठ 15, नीचे से पंक्ति 2, "श्रीमती विद्या चुन्नुपति" के स्थान पर "श्रीमती विद्या चेन्नुपति" पढ़िये ।

पृष्ठ 19, पंक्ति 18 व 28, पृष्ठ 158, पंक्ति 16, पृष्ठ 159, पंक्ति 16 तथा पृष्ठ 183, पंक्ति 16, "खाणी" के स्थान पर "रावणी" पढ़िये ।

पृष्ठ 26, पंक्ति 1, "लाकर" के स्थान पर "लास्कर"तथा पृष्ठ 73, पंक्ति 17, "लसकर" के स्थान पर "लास्कर" पढ़िये ।

पृष्ठ 41, पंक्ति 13, "हीरो" के स्थान पर "होरो" तथा "श्री लक्ष्मन मलिक" के स्थान पर "श्री लक्ष्मण मलिक" पढ़िये ।

पृष्ठ 48, पंक्ति 7, अ॰प्र॰सं॰ 2197 के स्थान पर "2797" पढ़िये ।

पृष्ठ 51, पंक्ति 8, "श्री योगेन्द्र झा" के स्थान पर "श्री भोगेन्द्र झा" पढ़िये ।

पृष्ठ 54, पंक्ति 14, "जाफर" के स्थान पर "जफर" और पंक्ति 20, "मन्त्रालय" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये ।

पृष्ठ 63, पंक्ति 9, "मन्त्रालय" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये ।

पृष्ठ 68, नीचे से पंक्ति 3, "राज्य" के बाद "मंत्री" पढ़िये ।

पृष्ठ 69, पंक्ति 7, "श्री आ॰प्रभु" के स्थान पर "श्री आर॰प्रभु" पढ़िये।

पृष्ठ 71, पंक्ति 7, "सुब्बैया" के स्थान पर "सुब्बया", "श्री एम॰एस॰ कृष्ण" के स्थान पर "श्री एस॰एम॰कृष्ण" पढ़िये।

पृष्ठ 84, पंक्ति 14, "श्री एस॰टी॰चौहान" के स्थान पर "श्री एस॰टी॰चव्हाण", और पंक्ति 22, "वैस्या" के स्थान पर "वैस्पा" पढ़िये।

पृष्ठ 106, पंक्ति 2, "श्री बी॰डी॰सिंह, के स्थान पर "श्री बी॰डी॰सिंह" पढ़िये।

पृष्ठ 107, पंक्ति 5, "श्री रेणू पदास" के स्थान पर "श्री रेणू पद दास" पढ़िये।

पृष्ठ 110, पंक्ति 20, "श्री चित्त महाटा" के स्थान पर "श्री चित्त महाटा" पढ़िये।

पृष्ठ 126, पंक्ति 13, श्री विददाराम फलवारिया" के स्थान पर "श्री विरदाराम" फुलवारिया" पढ़िये।

पृष्ठ 129, पंक्ति 9, "लालुक" के स्थान पर "तालुक" पढ़िये।

पृष्ठ 139, पंक्ति 12, "श्री नित्यनन्द मिश्र" के स्थान पर "श्री नित्यानन्द मिश्र" पढ़िये।

पृष्ठ 145, नीचे से पंक्ति 6, "श्री पीयूष" के स्थान पर "श्री पीयूष तिरकी" पढ़िये।

पृष्ठ 146, पंक्ति 11, "श्री के॰मालन्दा" के स्थान पर "श्री के॰मालन्ना" पढ़िये।

पृष्ठ 166, पंक्ति 6, सदस्य के नाम से पूर्व अ॰प्र॰सं॰ "2943" के स्थान पर अ॰प्र॰सं॰ "2948" पढ़िये।

पृष्ठ 186, पंक्ति 2, "श्री मोहम्मद इसरार" के स्थान पर "श्री मोहम्मद असरार अहमद" पढ़िये।

पृष्ठ 188, पंक्ति 5, "लास्कार" के स्थान पर "लास्कर" पढ़िये ।

पृष्ठ 189, पंक्ति 6, "सामान्य बातों" के स्थान पर "सामान्य पासों" पढ़िये ।

पृष्ठ 204, पंक्ति 2, "खाणी" के स्थान पर "रासणी" पढ़िये ।

पृष्ठ 218, नीचे से पंक्ति 14, "23·2·1988" के स्थान पर "23·2·1983" पढ़िये ।

पृष्ठ 234, पंक्ति 22, "एल·टी·, संख्या "6058" के स्थान पर "6057" पढ़िये ।

पृष्ठ 237, पंक्ति 6, "गर-सरकारी" के स्थान पर "गैर-सरकारी" पढ़िये

पृष्ठ 243, नीचे से पंक्ति 7, "त्रीचूर" के स्थान पर "त्रिचूर" पढ़िये ।

पृष्ठ 258, पंक्ति 3, "अजीत" के स्थान पर "अजित" पढ़िये ।

पृष्ठ 262, पंक्ति 4, "किया जाना" के स्थानपर "न किया जाना" पढ़िये

पृष्ठ 263, पंक्ति 9, "उपकरण" के स्थान पर "उपकरणों" पढ़िये ।

पृष्ठ 300, पंक्ति 1, "श्री एच·एच·मोहसिन" के स्थान पर "श्री एफ़·एच·मोहसिन" पढ़िये ।

# विषय-सूची

अंक 14. बुधवार, 16 मार्च, 1983/25 फाल्गुन, 1904 (शक)


| | |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | 1—23 |
| xतारांकित प्रश्न संख्या | 245,250 से 253,255 और 256 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | 23—219 |
| तारांकित प्रश्न संख्या | 218 246, 248, 249, 254 और 257 से, 264 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | 2780 से 2792, 2794 से 2799, 2801 से 2897 2899 से 2931 और 2934 से 2999 3001 से 3013 |
| दिनांक 23 2-1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 533 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण | 219—230 |
| सभा पटल पर रखे गए पत्र | 230—237 |
| गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति | 237 |
| 55 वां प्रतिवेदन | 237 |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना | 237—254 |
| केरल को चावल सप्लाई करने में कथित विफलता | 237 |
| श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार | 237 |
| श्री भागवत झा आजाद | 237 |
| श्री ए० के० बालन | 247 |
| श्री एम० एम० लारेंस | 253 |
| कार्य-मंत्रणा समिति | 254—260 |
| 41वां प्रतिवेदन | |
| नियम 377 के अधीन मामले | —260 |


xकिसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने पूछा था।

(एक) जूनागढ़, गुजरात में एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंस स्थापित करने की आवश्यकता 260

श्री मोहनलाल पटेल 260

(दो) उड़ीसा में तालचेर में एक सुपर ताप बिजली घर स्थापित करने की आवश्यकता 260

श्री लक्ष्मण मलिक 260

(तीन) केरल के पालघाट जिले में सूखा 261

श्री वी० एस० विजयराघवन 261

(चार) स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना संबंधी गैर-सरकारी सलाहकार समिति की सिफारिशों का लागू न किया जाना 262

श्री रामावतार शास्त्री 262

(पांच) बिहार के वैशाली जिले में राघोपुर का विकास 262

श्री राम विलास पासवान 262

(छः) पीलीभीत उत्तर प्रदेश में तेल की खोज का कार्य शुरू करने हेतु नवीनतम उपकरणों की आवश्यकता 263

श्री हरीश कुमार गंगवार 263

(सात) मद्रास में जल की अत्यधिक कमी 263

डा० ए० कलानिधि 263

(आठ) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस के सर सुन्दरलाल अस्पताल के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता 264

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री 264

(नौ) राजस्थान में गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य का भुगतान 265

श्री कृष्ण कुमार गोयल 265

**बजट (सामान्य), 1983-84-सामान्य चर्चा** 265—327

श्री रवीन्द्र वर्मा 265

आचार्य भगवान देव 278

श्री पट्टाभिराम राव 281

श्री इन्द्रजीत गुप्त 289

श्रीमती जयन्ती पटनायक 299
श्री ब्रजमोहन महन्ती 304
श्री चित्त बसु 308
श्री आर० आर० भोले 312
श्री राम लाल पनिका 314
श्री छीतूभाई गामित 322
श्रीमती केशरबाई क्षोरसागर 319
श्री उत्तम भाई एच० पटेल 325

# लोक सभा

**बुधवार, 16 मार्च, 1983/25 फाल्गुन, 1904 (शक)**

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए।**)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**उत्तर पूर्व में उच्च स्तर के कार्मिकों को आकर्षित करने के लिए कार्यकारी दल**

*245. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने उत्तर पूर्व में उच्च स्तरीय कार्मिकों को आकर्षित करने और प्रशासन के नियमों को सरल बनाने हेतु सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण)** : (क) जी, हां। 29 जनवरी, 1983 को एक कार्यकारी दल गठित किया गया है जिसका कार्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उच्च स्तरीय कार्मिकों जैसे वैज्ञानिक, शिल्प वैज्ञानिक, प्रशासक और शिक्षाविद से सम्बन्धित कार्मिक नीति में परिवर्तनों का अध्ययन करना है। कार्यकारी दल प्रशासनिक व्यवस्था और कार्यप्रणालियों में संशोधन के लिए सुझाव भी देगा और जांच भी करेगा।

(ख) कार्यकारी दल को गठित करने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत है जिसमें कार्यकारी दल के गठन और विचारार्थ विषय सम्बन्धी जानकारी है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-6108/83]

**श्री संतोष मोहन देव** : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि पांच पंचवर्षीय योजनाओं के बाद छठी योजना में सरकार ने पूर्वोत्तरक्षेत्र को कार्मिक सम्बन्धी हल करने के लिए एक नियुक्त करने की आवश्यकता महसूस की है।

**श्री चित्त बसु** : आप केवल कार्मिक सम्बन्धी कार्यकारी दल समस्या हल करना चाहते हैं, और समस्याओं को नहीं ?

**श्री संतोष मोहन देव** : कठिनाई यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कई सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं किन्तु उन्हें दुर्भाग्य वश ठीक से क्रियान्वित नहीं किया गया है। देश के अन्य भागों के लोग कई कारणों से असम नहीं जाना चाहते हैं जिसे मैं यहां नहीं बताना चाहता।

दूसरी बात यह है कि वहां स्थानीय योग्य व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं है, गठित किए गए कार्यकारी दल में पूर्वोत्तर परिषद के सचिव के अलावा असम से न तो कोई तकनीकी विज्ञ नियुक्त किया गया है और न ही कोई प्रशासक।

मैं मन्त्री जी को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में और अधिक लोगों को रोजगार देने हेतु सरकार अथवा योजना आयोग इन्जीनियरिंग, मेडिकल कालेजों और पॉलीटैकनिकों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठा रही है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट को समयबद्ध कार्यक्रम बनाने पर विचार करेगी क्योंकि कोई सीमा नहीं बताई गई है। हमने अपने अनुभवों से देखा है कि समितियों और उच्च शक्ति आयोगों की स्थापना भी जारी है परन्तु उनके द्वारा की गई रिपोर्टों पर अमल नहीं किया जाता है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के बाद उस पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया कब आरम्भ होगी।

**श्री एस० बी० चह्वाण** : जहां तक इस कार्यकारी दल का सम्बन्ध है, यह मुख्यतः अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के बारे में विचार करेगा और उसमें की जाने वाली कुछ सिफारिशें भर्ती नीति तथा राज्य सरकार से भी सम्बन्धित अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों से भी सम्बन्धित होंगी। जहां तक इसका केन्द्रीय सरकार की नीतियों से सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की कोई एसोसिएशन बुलाई जाएगी। यदि कार्यकारी दल राज्य सरकारों के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगा तो बाद में उनके प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जाएगा और मामले पर चर्चा की जाएगी। उन बातों में, जो वस्तुतः राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित हैं, मैं नहीं समझता कि जब तक हम उनकी स्वीकृति नहीं प्राप्त करते, तब तक हम आगे बढ़ने में समर्थ होंगे। मैं यह निर्धारित नहीं कर सकता कि कार्यकारी दल को कितने समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। लेकिन सरकार को यह देखना है कि मैं तेजी उस क्षेत्र में विकास कार्य के प्रयासों लाने की दृष्टि से कार्यकारी दल को अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करनी चाहिए।

**श्री संतोष मोहन देव** : असम बातचीत के दौरान एक स्थिति पर भारत सरकार ने असम के लोगों को नौकरियों और अन्य बातों में कुछ छूट और सुरक्षा देनी चाही थी क्योंकि योग्यता क्रम में हमारे यहां के बच्चे देश के अन्य आगे के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। क्या कार्य-

कारी दल इस पहलू पर विचार कर रहा है कि स्थानीय लोगों को केन्द्र सरकार के क्षेत्र में किस प्रकार रोजगार दिया जा सकता है ।

**श्री एस० बी० चह्वाण** : दोनों पहलुओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा । एक ओर वास्तविक योग्यता वाले लोगों को असम जाना चाहिए और वहां विकास कार्यों में सहायता करनी चाहिए साथ ही साथ स्थानीय लोगों की ओर भी उचित ध्यान दिया जाएगा । इसलिए इस पर उचित ध्यान रखा जाएगा । मुझे आशा है कि कार्यकारी दल इस प्रश्न के दोनों पहलुओं पर अवश्य ही विचार करेगा ।

**श्री तरुण गोगोई** : पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां अन्य सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए उन क्षेत्रों के प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करना योग्य नहीं है । क्योंकि प्रतिभाव व्यक्ति वहां जाना पसन्द नहीं करेंगे इसलिए क्या सरकार स्थानीय लड़कों को प्रशिक्षण देने हेतु वहां कोई संस्थान स्थापित करेगी ।

**श्री एस० बी० चह्वाण** : जहां तक स्थानीय लोगों और उनकी सेवाओं का सम्बन्ध है, एन० ई० सी० द्वारा एन० ई० सी० स्तर पर और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण सुविधाएं सुलभ कराई गई हैं । किन्तु इस कार्यकारी दल का समुचित कार्य यह पता लगाना है कि क्या हम अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में भेज सकते हैं ताकि वहां विकास प्रक्रिया को तेज किया जाए ।

**श्री भेरावदन के० गधावी** : पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रश्न के अतिरिक्त हमारी विकास नीति की भूल विशेषता यह है कि जहां भी विकास असंतुलन हो, उसे दूर किया जाना चाहिए । पहले केन्द्र औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की घोषणा करता था और उन जिलों को विकास के लिए राज सहायता और अन्य प्रोत्साहन मिला करते थे । बाद में, जैसे कि मुझे पता चला है नीति बदल गई थी । यह समझा गया कि योजना आयोग कतिपय ऐसे क्षेत्रों को चुन रहा था जहां विकास गतिविधियों के लिए भिन्न प्रकार का दृष्टिकोण आवश्यक था, इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों ने जहां कोई उद्योग नहीं है, वहां के जिलों की सूची प्रस्तुत की है । अतः मैं विशेष रूप से गुजरात के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि क्या असंतुलन के बारे में जो क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच विद्यमान है, योजना आयोग द्वारा किसी व्यावहारिक और संदर्शी प्रस्ताव पर विचार किया गया है ताकि जो प्रश्न पूर्वोत्तर क्षेत्र में उठ रहा है वह देश के अन्य भागों में न उठे ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एक काल्पनिक प्रश्न है ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : क्या कार्यकारी दल को यह अध्ययन करने हेतु कहा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेष रूप से असम में प्रशासकों और शिक्षाविदों में महसूस की जाने वाली अलगाव की भावना के क्या कारण हैं ? क्या उन्हें यह देखने के लिए ठोस कदम उठाने हेतु कहा गया है कि उनमें यह अलगाव की भावना समाप्त हो जाये ?

**श्री एस० बी० चह्वाण** : प्रश्न के उत्तर में निदेश पद दिए गए हैं और निदेश पदों से यह स्पष्ट है कि कार्यकारी दल को किन-किन बातों का अध्ययन करना है। आम तौर पर यदि कार्यकारी दल इसी ढंग से सोचता है तो प्रश्न के सभी पहलुओं का अध्ययन करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु मैं संभवतः यह नहीं कह सकता हूं कि कार्यकारी दल किस आधार पर कार्य करेगा।

**प्रो० मधु दण्डवते** : मेरा प्रश्न प्रतिबन्ध के बारे में नहीं है। मेरा प्रश्न है कि क्या आपने उनका ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया है कि विशेष रूप से मौजूदा हालातों में अलगाव की भावना बढ़ रही है और उसे समाप्त किया जाना है। इसलिए इसके लिए ठोस उपाय करने हेतु सुझाव दिए जाने चाहिए ?

**श्री एस० बी० चह्वाण** : यह केवल कार्मिक संबंधी नीति का सवाल है और यह कार्यकारी दल नीति के, जहां तक कार्मिक भरती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और अन्य मामलों का संबंध है, पहलुओं पर विचार करेगा। मैं नहीं समझता कि शेष मामले कार्यकारी दल के अन्तर्गत आते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या 246, श्री आर० एन० राकेश...अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 247, श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा...अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 248, श्री अरविन्द नेताम...अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 249, श्री इब्राहीम सुलेमान सेट...अनुपस्थित

सभी लोग अनुपस्थित हैं।

**बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा सहायक यूनिटों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन**

250. **श्री गुलशेर अहमद** :

**श्री के० लक्कप्पा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय की कोई योजना आरम्भ की है कि बड़े पैमाने के उद्योग को सहायता यूनिटों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) कौन सी एजेंसी योजना की निगरानी कर रही है और योजना को प्रोत्साहन देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ताकि औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया जा सके और छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने में सहायता मिल सकें ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल रखा जाता है।

**विवरण**

सरकार की नीति जहां कहीं संभव हो, बड़े उद्योगों के निकट सहायक एककों की स्थापना करने को प्रोत्साहित करने की रही है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित अभ्युपाय किए गए हैं :—

(1) देश में सहायक उद्योगों के विकास की देखरेख के लिए विकास आयुक्त, लघु उद्योग के कार्यालय में एक अलग सहायक उद्योग प्रभाग की स्थापना की गई है।

(2) परिभाषा के अंश के रूप में लघु सहायक एककों की पूंजीगत निवेश सीमा में वृद्धि करने के लिए विशेष रियायत दी गई है। सहायक उद्योगों के मामले में यह सीमा 25 लाख रु० है जबकि अन्य लघु एककों के बारे में यह सीमा 20 लाख रु० है।

(3) राज्य के उद्योग निदेशकों के अन्तर्गत 20 लाख से 25 लाख रु० निवेश के बीच सहायक एककों का पंजीकरण के लिए एक अलग प्रक्रिया शुरू की गई है।

(4) बड़े मझौले और लघु उद्योगों के बीच सम्पर्क बढ़ाने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत देश में 16 उप-संविदाकारी विनिमय केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(5) वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सहायक एककों विकसित किए जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं।

2. उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बढ़ावा दिए गए सहायक एककों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रगति निम्नलिखित सारणी में दी गई है :—

| वर्ष | सहायता प्राप्त सहायक उद्योगों/लघु उद्योगों की संख्या | सहायक/लघु एककों से की गई खरीद (करोड़ रु० में) |
|---|---|---|
| 1980-81 | 5324 | 152 |
| 1981-82 | 8221 | 233 |

3. सहायक उद्योगों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की संवीक्षा करने और उनकी विकास गति तेज करने के लिए आवश्यक समर्थन देने हेतु विकास आयुक्त लघु उद्योग का संगठन तथा सरकारी उद्यम ब्यूरो, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

**श्री गुलशेर अहमद** : आपने लघु उद्योगों की यूनिटों की संख्या और उनसे की गई खरीद का अलग-अलग ब्यौरा नहीं दिया है। जानना मैं चाहता हूं कि बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा कितने लघु उद्योगों को सहायता दी गई है और इस सबध में सहायक उद्योगों की सख्या क्या है ?

**श्री वीरभद्र सिंह** : जैसे कि माननीय सदस्य ने बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा सहायता प्राप्त उद्योगों की संख्या के बारे में पूछा है, हमारे पास ये आंकड़े केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में है और ये आंकड़े पहले ही विवरण में दिए गए हैं।

**श्री गुलशेर अहमद** : अपने उत्तर में आपने केवल यह किया है—बड़े पैमाने के उद्योगों से सहायता प्राप्त सहायक और लघु उद्योग। जवाब टालमटोल वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा कितने लघु उद्योगों और कितने सहायक उद्योग की यूनिटों को अलग अलग सहायता दी गई है ?

**श्री वीरभद्र सिंह** : हमने जो आंकड़े लिए हैं वे लघु उद्योगों के हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सहायक उद्योग हैं।

**श्री गुलशेर अहमद** : ये दो भिन्न-भिन्न बातें हैं, सहायक एक अलग चीज है और लघु उद्योग अलग उद्योग।

**उद्योग और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : वर्ष 1981-82 के लिए जिसका विवरण में उल्लेख किया गया है, लघु उद्योगों सहायक उद्योगों की संख्या 7,068 और बड़े पैमाने के सरकारी क्षेत्र के सहायक उद्योगों की 1,153 है। यह माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी का ब्यौरा है।

**श्री गुलशेर अहमद** : गैर सरकारी उद्योगों के बारे में आपके विवरण में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि गैर सरकारी क्षेत्र में सहायक यूनिटों की स्थापना करने के मामले में बड़े और मध्यम उद्योगों पर किस प्रकार से दबाव डाला जा रहा है ?

**श्री वीरभद्र सिंह** : इस समय कोई विशिष्ट मार्गनिर्देश नही है जोकि गैर सरकारी उद्योगों को सहायक यूनिट खोलने के संबंध में जारी किए गए हों किन्तु सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देश गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योग को भेज दिए गए हैं। हमारे पास ऐसे आंकड़े नहीं है कि गैर-सरकारी उद्योगों द्वारा कितनी सहायक यूनिटें स्थापित की गई हैं किन्तु मैं कह कह सकता हूं कि वे इस दिशा में कदम उठा रहे हैं।

**श्री गुलशेर अहमद** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गैर सरकारी क्षेत्र पर सहायक उद्योगों की स्थापना करने हेतु दबाव डालने के लिए किसी प्रकार के सामाजिक नियंत्रण अथवा किसी प्रकार के कानून पर विचार कर रही है ?

**श्री नारायण दत्त तिवारी** : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं कि गैर सरकारी क्षेत्र को सहायक उद्योगों की यूनिट स्थापित करने की दिशा में अधिक ध्यान देने की जरूरत है और इसके साथ-साथ हमारा अन्य बातों के साथ-साथ इस मामले पर चर्चा करने हेतु लघु उद्योग बोर्ड की बैठक बुलाने का विचार है।

साथ ही, मैं इस मामले पर उद्योगों सबंधी सलाहकार बोर्ड में भी चर्चा करूंगा जिसमें एक० ई० सी० सी० आई. एसो केरा तथा उद्योगों के अन्य मुख्य प्रतिनिधि संगठन प्रतिनिधित्व करते हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यद्यपि एक बहुत विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था तथापि, मुझे खेद है कि देश की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण हेक्टर के बारे में बिल्कुल अस्पष्ट उत्तर दिया गया है। लघु क्षेत्र को सभी तरह की सहायता तथा मार्ग निर्देशन की जरूरत है। यदि मेरे द्वारा दिए गए आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि यदि केवल केन्द्रीय सरकार के उद्योगों से कितने प्रतिशत खरीद की गई ? और लघु उद्योगों से दूसरे, प्रश्न का भाग (घ) बहुत महत्वपूर्ण है इस संबंध में क्या निगरानी रखी जाती है ? उत्तर यह दिया गया है कि विकास आयुक्त लघु उद्योग तथा सरकारी उद्यम ब्यूरो लघु उद्योगों के विकास के कार्यक्रम की पुनरीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई निगरानी नहीं रखी जाती। अतः मैं माननीय मंत्री यह जानना चाहता हूं कि लघु उद्योगों से कितने प्रतिशत खरीद की गई और क्या निगरानी रखी जा रही है ? अन्य महत्वपूर्ण पहलू वह सहायता है जो लघु उद्योग को कच्चा माल प्राप्त करने में दी जानी है। इन सभी पहलुओं के संबंध में सरकार क्या करने जा रही है और बड़े उद्योग लघु उद्योग की सहायता करने के लिए क्या कर रहे हैं ?

**श्री वीरभद्र सिंह** : जहां तक सरकारी क्षेत्र के उद्योग द्वारा सहायक उद्योग से की गई कुल खरीद का प्रश्न है, आंकड़े इस प्रकार हैं :

| वर्ष | इकाइयों की संख्या | कुल खरीद |
|---|---|---|
| 1977-78 | 550 | 80.57 करोड़ रुपये |
| 1978-79 | 5,072 | 96.44 करोड़ रुपये |
| 1979-80 | 4,729 | 119.96 ,, ,, |
| 1980-81 | 5,324 | 151.90 ,, ,, |

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैंने प्रतिशतता पूछी है।

**श्री वीरभद्र सिंह** : मैं उसी पर आ रहा हूं।

| | | |
|---|---|---|
| 1981-82 | 8,221 | 233·26 करोड़ रुपये |

यह खरीद है जो सरकारी क्षेत्र के उद्योगों ने सहायक उद्योगों से की है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : प्रतिशतता क्या है ? यह महत्वपूर्ण है।

**श्री वीरभद्र सिंह** : इस समय मेरे पास प्रतिशतता संबंधी आंकड़े नहीं हैं। मैं इन्हें सभा पटल पर रख दूंगा।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स छोटे उद्योगों को निगल रहा है और उन्हें कोई सहायता नहीं दी जा रही है। मैंने माननीय मंत्री को कई बार लिखा है। कृपया छोटे उद्योगों की सहायता करें।

**श्री वीरभद्र सिंह** : प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में, कि सहायक उद्योगों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, हमने अन्तर-विभागीय दल गठित किए हैं जो केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों का दौरा करते हैं और प्रबंधकों के साथ, सहायक उद्योगों के विकास के लिए उनके कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है, हमने लगभग सभी राज्यों में राज्य स्तर पर सहायक उद्योग सलाहकार समितियां भी गठित की हैं। वे समय-समय पर बठकें करती हैं और अपने-अपने राज्य में सहायक उद्योगों संबंधी प्रगति की पुनरीक्षा करती हैं।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : सरकारी तथा गैर-सरकारी, दोनों प्रकार के उद्योग हैं। जहां तक गैर-सरकारी उद्योगों का प्रश्न है, माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। क्या माननीय मंत्री को इस समस्या के एक अन्य पहलू का पता है कि गैर सरकारी उद्योगों के ये बड़े घराने वास्तविक छोटे उद्योगों की सहायता करने के बजाए स्वयं उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं ?

**श्री वीरभद्र सिंह** : संभव है कि अनेक बड़े घराने एम० आर० टी० पी० और 'फेरा' कम्पनियां, पिछले द्वार से लघु उद्योग क्षेत्र में प्रवेश कर रही हों। हम इस पर निरन्तर निगरानी रख रहे हैं। जैसे ही यह मामला हमारे ध्यान में आएगा, हम समुचित कार्यवाही करेंगे।

**अश्लील पुस्तकों सम्बन्धी "रैकेट"**

251. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 1983 के 'नेशनल हेरल्ड में प्रोनोबुक्स राकेट बस्टेंड' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई मशीनरी, दस्तावेजों, पुस्तकों आदि का ब्यौरा क्या है और अब तक गिरफ्तारी किए गए व्यक्तियों, तथा इस धोखाधड़ी में सम्मिलित और संभवतः गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोई मामला दर्ज किया गया है ; यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) देश में इस व्यापक बुराई और अनैतिक धंधे को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 'प्रिंट वैल' प्रिंटिंग प्रैस, बाड़ा हिन्दू राव के मालिक श्री मसूद अली नामक एक व्यक्ति के कब्जे से 8300 मुद्रित खुले कागज पकड़े गए थे। इस मामले में श्री मसूद अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने बताया है कि यह आपत्तिजनक सामग्री श्री शिव कुमार के लिए मुद्रित की गई थी, परन्तु अभी तक कोई अभिसंशी साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे इस मामले में श्री कुमार का हाथ होने का संकेत मिले।

(ग) थाना सदर बाजार, दिल्ली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78, दिनांक 8-2-83 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है।

(घ) पुलिस दल इस संबंध में सतर्क हैं। जब कभी कोई सूचना मिलती है, तो छापे मारे जाते हैं।

**श्री मोहम्मद असरार अहमद** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि लूज शीट्स के अलावा जो पिक्चर्स के ब्लाक्स थे वे भी कब्जे में लिए गए या नहीं ? यह मामला कब तक कोर्ट में चला जाएगा ?

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या** : पकड़ी गई मुद्रित लूज शीट्स के अलावा हमें किसी ब्लाक्स की जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, समुचित समय पर यह मामला दायर कर दिया जाएगा।

**श्री मोहम्मद असरार अहमद** : यह मामला कब तक कोर्ट में चला जाएगा; यह भी तो बता दीजिए ?

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या** : मैंने पहले ही बता दिया है कि इस मामले की जांच की रही है।

**श्री मोहम्मद असरार अहमद** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि दस हजार लूज शीट्स पकड़ी गई हैं और काफी और जगह भी दे दी गई हैं ताकि छापी जा सकें। क्या कोई इन्वेंट्री तैयार की गई थी ? यदि की गई थी तो किसके सामने ?

**गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है, 8,300 लूज शीट्स पाई गई थीं। वहां कोई ब्लाक्स नहीं पार गए थे। ये सभी कागज पुलिस द्वारा पकड़े गए थे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आपस में बांट लिए गए। (**व्यवधान**)।

**श्री प्रकाश चन्द्र सेठी** : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कोई भी व्यक्ति पुलिस को यह नहीं कह सकता कि वह शीघ्र जांच न करें और चालान न करें।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : अध्यक्ष महोदय, पिछले आठ-दस वर्षों से देखा जा रहा है कि दिल्ली के अन्दर किसी ट्रेडमार्क या जाली नामों से या काल्पनिक नामों से, जिसका दुनिया में कोई लेखक नहीं होता है, किताबें छपती हैं और बिक्री होती हैं। प्रकाशक लोग निरंतर ट्रेडमार्क रखकर लेखकों का शोषण करते जा रहे हैं। क्या मंत्री जी इस संबंध में प्रकाशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं, जो ट्रेडमार्क के नाम से पुस्तकों को उत्तरोत्तर छाप रहे हैं?

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या** : यह प्रश्न आपत्तिजनक सामग्री पकड़े जाने से संबंधित है। मनानीय सदस्य कुछ अन्य प्रश्न उठा रहे हैं।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान कानून इस सभी फोटोग्राफी तथा इससे संबंधित मामलों पर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त हैं? यदि नहीं तो क्या सरकार एक नया विधान लाने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है ताकि इस पर नियंत्रण किया जा सके क्यों कि मैं न केवल एक अध्यापक के नाते बल्कि एक नागरिक के नाते भी सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं? आप पुस्तक भण्डारों को देखें और उस कुप्रभाव के बारे में सोचें जो हमारे देश की युवा पीढ़ी के मस्तिष्क में फैलाया जा रहा है।

मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार यह नोट करे कि कतिपय फीमेल आग्रेनाइजेशन महिला संगठन हैं।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : बुमैन आग्रेनाईजेसन।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : सुधार के लिए धन्यवाद। कतिपय महिला संगठनों ने भी इन बातों का विरोध किया है। हमारी प्रधान मंत्री महिला हैं लेकिन भारतीय महिला की प्रतिष्ठ का अपमान किया जा रहा है। सरकार को अवैध ढंग से लाभ कमाने के इस व्यवसाय के विरुद्ध ठोस कदम उठाने चाहिए। इसका हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय स्वैये से कोई संबंध नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले में कोई कड़ा विधान बनाएगी अथवा नहीं?

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या** : मैं माननीय सदस्य की टिप्पणी से पूर्णतया सहमत हूं । मौजूदा भारती दण्ड संहिता के अधीन हम यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का प्रचार करने वाले लोगों को दण्ड दिया जाए । लेकिन यह मामला विषय परकता का है कि क्या कोई सामग्री असलील है अथवा नहीं । यह एक ऐसा मामला है जिसकी पूर्णतया जांच की जानी है । कुछेक व्यावसायिक संगठन भी विज्ञापनों के माध्यम से इस पहलू का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और कुछ ऐसी बातों का प्रचार करते हैं जो हमारी संस्कृति के प्रतिकूल है । सरकार द्वारा इन सभी बातों पर विचार किया जाएगा । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि वर्तमान कानून में कोई कमी है तो उस पर विचार किया जाएगा तथा कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे ।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मूल चन्द डागा ।

**श्री मूल चन्द डागा** : प्रश्न संख्या 252

**श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : (व्यवधान)*

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : मैं महिला सदस्य द्वारा की गई टिप्पणी का विरोध करना चाहती हूं ।

**श्री पी० वेंकट सुब्बय्या** : यह टिप्पणी अकारण है । (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : इस टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाना चाहिए ।

## पर्यावरण योजना संबंधी राष्ट्रीय समिति

*252. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण योजना संबंधी राष्ट्रीय समिति ने 15-सूत्री कार्यक्रम की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर संबंधित एजेंसियों द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

**पर्यावरण विभागों में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) विकासशील परियोजनाओं का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पुनरीक्षण करने के लिए तथा विभिन्न राज्यों में पर्यावरण विभागों की स्थापना करने, पर्यावरणीय संरक्षण हेतु पहले से चले आ रहे हैं और आयोजित कार्यक्रमों को तीव्र करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**श्री मूल चन्द डागा** : अध्यक्ष महोदय, आपने पर्यावरण पर काफी कहा था। प्रधान मन्त्री जी ने भी यह कहा था कि प्रकृति और धरती तभी तक हमारा साथ देंगे जब तक हम उनका साथ देंगे। आज 70 प्रतिशत नदिया प्रदूषित हो रही हैं, हिमालय नंगा हो रहा है, इन प्रदूषित पदार्थों के कारण हमारे शहरों में प्रदूषण फैल रहा है। आप कृपा कर उत्तर दीजिए 15 प्वायन्ट्स प्रोग्राम आपने कब से अख्तियार करने के बाद जो-जो प्वाइन्ट्स आपने लिए हैं उन पर क्या कार्यवाही हुई या केवल 'थिंकिंग-टैंक' चिन्तन करने का विषय बन गया है, उसको धरती पर लाकर धरती को साफ करने, हरा-भरा करने का विषय रहा है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अब तक कौन-कौन से कदम किस एजेन्सी द्वारा उठाये गए ? यदि नहीं उठाये गए ? तो क्यों नहीं उठाए गए।

**श्री दिग्विजय सिंह** : महोदय, यह प्रश्न समिति के काम-काज से संबंधित समिति एक 'थिंक टैंक' है, जो स्वायत्त निकाय है और यह उस विभाग के साथ मिलकर कार्यवाही करती है, कार्यान्वयन-निकाय है। 15 सूत्री कार्यक्रम, जो 19 दिसम्बर, 1981 को बनाया गया था, को 'थिंक टैंक आप्रेशन' के पांच विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है तथा पर्यावरण विभाग के काम-काज और इसके कार्यक्रम में इसका बड़ा योगदान रहा है। अतः, ये दो पृथक मुद्दे हैं—एक 'थिंक टैंक' तथा दूसरा विभाग।

जहां तक अन्तरकार्यवाही और इसके परिणामों का सम्बन्ध हैं, कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं जैसे कि विकास कार्यक्रम, जिसमें वन-रोपण और पेड़-पौधे लगाने हेतु भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे ही अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं।

**श्री मूल चंद डागा** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, इसलिए यह मेरा पहला प्रश्न ही है। मैं पहले कह चुका हूं कि 15 सूत्री कार्यक्रम आपने निर्धारित किया है। मैं जाना चाहता हूं कि किस एजेन्सी के द्वारा आपने इसको करवाया है और आज तक आपने कितनी उपलब्धियां कर ली हैं। व्हाट आर योर एचीवमेंट्स। मैं पढ़ रहा था कि संविधान में भी इस बारे में आर्टीकिल 48 हैं और 15-सूत्री कार्यक्रम आपने अपना लिया है और एजेन्सीज भी मुकर्रर कर ली हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केवल योजना बनाने का ही काम हुआ है। यह मेरा पहला क्वैश्चन है।

**श्री दिग्विजय सिंह** : वन लगाने का कार्यक्रम तथा वन और भू-संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधान मन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम में 5 सूत्र ऐसे हैं, जो पर्यावरण संबंधी विषय से सीधे ही जुड़े हुए हैं। अतः पर्यावरण संबंधी विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाली यह अत्याधिक महत्वपूर्ण एजेन्सी है।

मैं परिस्थितिक विकास कार्यक्रम के बारे में पहले ही बोल चुका हूं। गंगा बेसिन के बारे में, जो एक प्रदूषित क्षेत्र है, प्रदूषण की रोकथाम की निगरानी रखने के लिए एक एजेन्सी के सृजन करने की एक परियोजना है। इस वर्ष सम्भवतः हिमालय संस्थान की भी स्थापना हो जाएगी जिसके लिए फन्ड्स मौजूद हैं, यह संस्थान हिमाचल-क्षेत्र में भूमि प्रयोग के बारे में हिदायतें देगा। इस क्षेत्र का अत्याधिक सामरिक महत्व भी है।

इसी प्रकार पश्चिम घाटों तथा पूर्वी घाटों के लिए हमने कृतिक बलों का गठन भी किया तथा देश के अन्य भागों में ऐसे ही कृतिक-बलों का शीघ्र ही गठन कर दिया जाएगा।

जहां तक जल प्रदूषण निवारक अधिनियम के कार्यान्वयन का संबंध है, उड़ीसा को छोड़कर प्रत्येक राज्य में एक बोर्ड गठित है तथा उड़ीसा में भी शीघ्र ही ऐसे बोर्ड का गठन हो जाएगा। इन राज्य-बोर्डों को मजबूत किया जा रहा है। राज्य-बोर्डों द्वारा वायु-प्रदूषण की रोकथाम संबंधी कार्यवाही भी की जाएगी। केन्द्रीय बोर्ड विभिन्न राज्य-बोर्डों के बीच समन्वय का काम करेगा। इन बोर्डों को अब अधिक शक्तिशाली बनाया जा रहा है, ताकि विभिन्न राज्यों में जल वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वे कानून के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकें।

**श्री मूल चन्द डागा**: 15 सूत्री कार्यक्रम की सिफारिशों के बारे में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह प्रकाशित हुआ है—मैं पढ़कर सुनाता हूं :

> "15 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्वित के लिए परिषद ने यह सुझाव दिया है कि प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जो पर्यावरण मन्त्री भी हैं, की अध्यक्षता में पर्यावरण संबंधी मंत्रि-मण्डलीय उस समिति का गठन किया जाए। बाद में उस समिति को राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और इसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल किया जा सकता है।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सुझाव को कार्यान्वित किया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं।

**श्री दिग्विजय सिंह** : वह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। लेकिन जहां तक पर्यावरण आयोजना संबंधी राष्ट्रीय समिति का संबंध है, इस पर जरूर ध्यान दिया जा रहा है, जब इसका पुनर्गठन हो जाएगा, सम्भवतः अगले महीने तक, तब पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : उससे पहले कि ये सभी 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वित हों, क्या सरकार ने राजघाट के समीप आंखों को खटकने वाले बिजली घर द्वारा रोजाना फैलाए जा रहे प्रदूषण के बारे में कोई ध्यान दिया है ? टनों धुआं नगर में प्रदूषण फैलाता जा रहा है। और इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : प्रो० रंगा को मैं यह सादर यह बताना चाहती हूं कि मेरे विचार में उन्होंने यह नोट किया होगा कि धुएं का रंग अब काला नहीं है। यह अब सफेद है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : काले और सफेद का क्या मतलब है ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : वह गन्दा नहीं होता है। उसका बहुत फर्क पड़ता है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : वहां मशीन पड़ी हुई है, उसको कोई लगाने वाला नहीं है।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : एक में लग गई है, दूसरी में लग रही है। एक में लगी है, दूसरी में लगानी है। लेकिन इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि चिमनी से कोयले के कण बाहर निकल रहे हैं अथवा नहीं निकल रहे हैं। श्री वाजपेयी को दोनों को सूंघ कर ही देखना पड़ेगा कि सफेद और काले में क्या अन्तर है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : प्रधान मन्त्री जी सफेद का जोरदार पक्ष ले रही है।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : स्वाभाविक रूप से। यदि सफेद वस्तु साफ है, तो मैं इसके पक्ष में हूं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी वस्तु सफेद है और किसके बारे में क्या कहा जा रहा है।

**प्रो० मधु दंडवते** : यह रंग भेद है।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : जहां तक मनुष्यों के रंग का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई भेद-भाव नहीं है। लेकिन जहां सफाई और गन्दगी का प्रश्न है, वहां तो निश्चित रूप से फर्क है और हमेशा रहेगा।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : बिजली नहीं है। इसलिए काला सफेद नजर आता है। अन्यथा यह अब भी काला है।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : यदि बिजली नहीं होगी तो और भी अन्धेरा होगा। मेरे पास ऐसे सभी आंकड़े तो इस समय मौजूद नहीं हैं कि विभिन्न ग्रुपों को क्या-क्या उपलब्धि रही है। लेकिन इसमें हम अनेक स्वयं-सेवी ऐजेन्सियों को शामिल कर रहे हैं। रेह वाली जमीन को ठीक करने के लिए भारी प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में काफी काम हो चुका है। जहां तक वनरोपण का सवाल है, जैसा कि मेरे साथी ने बताया है, वनरोपण के मामले में हमें देश के विभिन्न भागों में निर्यात स्वयंसेवी आधार पर स्कूलों का, भूतपूर्व सैनिकों का तथा अन्य कई लोगों का सहयोग मिल रहा है।

मैं यह मानती हूं कि जल-प्रदूषण को रोकने के मामले में अभी हम पीछे हैं। यह राज्यों तथा विभिन्न नगरों की जिम्मेदारी है। जल प्रदूषण को मैंने हाल में सभी मुख्य-मन्त्रियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को इस बारे में पत्र लिखे हैं कि वे प्रयास करें और देखें कि क्या किया जा सकता है।

**श्री नीरेन घोष** : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है

कि गंगा के समुद्र में मिलने से पहले जब यह भागीरथी और हुगली के रूप में जानी जाती है, यह बिल्कुल प्रदूषित हो गई होती है और समुद्री स्रोत सूख गए हैं तथा इससे कलकत्ता महानगर को खतरा पैदा हो गया है। मेरे विचार में यह बात केवल राज्य सरकार पर ही नहीं छोड़ दी जानी चाहिए।

**श्री के० राम मूर्ति** : प्रशासनिक असफलता की यह एक अत्याधिक गम्भीर स्थिति है।

**श्री नीरेन घोष** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई विशिष्ट उपाय किए गए हैं। हमें लगातार बाढ़ों और सूखे का सामना करना पड़ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बड़े पैमाने पर पर्यावरण और परिस्थितिक परिवर्तनों के कारण नहीं है तथा क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई विशेष उपाय किए जाएंगे ताकि देश को बाढ़ और सूखे से होने वाले लगातार भारी नुकसान से बचाया जा सके।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : बाढ़ और सूखे का एक बड़ा कारण वनों की कटाई है। बाढ़ के पानी के साथ मिट्टी बहकर आ जाती है और नदियों का तल ऊंचा उठ जाता है। वर्षा के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है, जो उसे आकर्षित करते हैं, उनके न होने के कारण सूखा पड़ता है। अतः हम इस सम्बन्ध में रुचि ले रहे हैं। लेकिन सभी कुछ हमारे हाथ में नहीं है। कई बार अन्य पड़ौसी देशों के यहां कार्यवाही होनी आवश्यक होती है।

**श्री के० मायातेवर** : आपको प्रकृति के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : सम्भवतः माननीय सदस्य के पास ऐसा करने का कोई ढंग होगा। यदि हां, तो मुझे उनके सुझाव प्राप्त करने में खुशी होगी।

**श्री नीरेन घोष** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने, विशेष रूप से कलकत्ता महानगर के सम्बन्ध में कोई विशेष उपाय किए हैं।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : इस प्रश्न का संबंध केवल कलकत्ता से ही नहीं है। प्रदूषण का यह प्रश्न कलकत्ता तक ही समिति नहीं है। यही समस्या बना स नगर की तथा अनेक अन्य कई स्थानों की है और इन समस्याओं की ओर ध्यान दिए जाएगा। लेकिन इस संबंध में राज्य सरकारों की एक बड़ी जिम्मेदारी है।

**लघु एककों के लिए राज सहायता या ऋण**

253. **श्रीमती विद्या चुन्नुपति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु एककों को राज सहायता ऋण के रूप में कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) क्या ऋण अथवा राज सहायता की राशि उपयुक्त रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव है क्यों कि संयंत्रों और प्रचालन कार्यों की लागत बहुत बढ़ गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

(क) से (ग) वित्तीय संस्थानों द्वारा लघु एककों को मुख्यत: उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और वाणिज्यिक बैंक प्रमुखत: उनकी कार्यकारी पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । जून, 1981 के अन्त तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकृत लघु औद्योगिक एककों को देय राशि सीमा लगभग 4355 करोड़ रुपये थी । मार्च, 1982 तक राज्य वित्तीय निगमों द्वारा थी । मार्च, 1982 तक राज्य वित्तीय निगमों द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता की राशि लगभग 1602 करोड़ रु० थी । राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली राज सहायता के अलावा वे लघु एककों को केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन भी राज सहायता संवितरित करते हैं । राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता की निम्नलिखित राशि की प्रतिपूर्ति की गई है :—

| क्र० सं० | राज सहायता योजना | राशि | अन्तिम वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित एककों (लघु एककों सहित को केन्द्रीय निवेश राज-सहायता | 2,999.36 | 1982-83 2 मार्च, 1983 तक |
| 2. | परिवहन राज सहायता | | |
| 3. | ब्याज राज सहायता | 5.77 | 1981-82 |
| 4. | जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अधीन संवर्द्धन योजनाएं | 98.34 | 1981-82 |

ऋण सुविधाओं के बारे में या ऋण सीमा बढ़ाने के बारे में सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाता है । फलत: ऋण सीमा के बारे में चयनात्मक रूप से या सामान्यत: रूप से सांवधिक समीक्षा की जाती है ।

**श्रीमती चेन्नुपत्ति विद्या** : लघु एककों के लिए मैं यह जानना चाहती हूं कि राज्य और केन्द्रीय सरकारों ने क्या-क्या राज सहायता प्रदान की है, कितनी-कितनी धनराशि उन्हें दी गई है । और

किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत । दूसरी बात यह है कि ऐसे उद्योगों को शुरू करने की सीमा है। मुझे सूचना मिली है कि संयुक्त ऋण की राशि कुल मिलाकर 25,000 रुपये है तथा कम अवधि के ऋणों की राशि 2 लाख से 25 लाख रुपये तक की है। लघु एकक पिछड़े और उन्नत दोनों क्षेत्रों में हैं। इन्हें लघु अवधि ऋणों से बदलकर मध्यम अवधि के ऋण कर दिया जाना चाहिए।

**श्री वीरभद्र सिंह** : जहां तक लघु उद्योग क्षेत्र का सम्बन्ध है, सरकार ऋण और राज-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यदि माननीय सदस्य चाहती हैं, तो मैं पूरी सूची प्रस्तुत कर सकता हूं, यदि आप मुझे समय दें। तो मैं उसे यहां पढ़कर सुना सकता हूं अन्यथा मैं उसे सभा पटल पर रख सकता हूं। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, उन्होंने हवाला दिया है।

**श्रीमती चेन्नुपत्ति विद्या** : लघु एककों के लिए अधिकतम सीमा है। संयुक्त ऋण की राशि कुल मिलाकर 25,000 रुपये है। यह अपर्याप्त है। उन्हें और अधिक धन की आवश्यकता है।

**श्री वीरभद्र सिंह** : जहां तक वित्तीय सहायता की मात्रा का सम्बन्ध है, यह एक ऐसा मामला है, जिस पर सरकार लगातार ध्यान देती रही है और जब कभी हमने आवश्यक समझा है, हम सीमा बढ़ाते रहे हैं। यदि जरूरी हुआ, तो हम भविष्य में भी इसे बढ़ाएंगे।

**श्रीमती चेन्नुपत्ति विद्या** : उत्तर में पहले ही यह कहा जा चुका है।

"ऋण-सुविधाओं के बारे में अथवा ऋण सीमा बढ़ाने के बारे में सीमा संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए मामले की गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।"

हमें लघु-उद्योगों के लिए 25,000 रुपये से अधिक धनराशि नहीं मिल रही है। मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या लघु उद्योगों सम्बन्धी इस धनराशि में वृद्धि करने का कोई विचार है, क्योंकि आजकल सामान की लागत बढ़ गई है।

**श्री वीरभद्र सिंह** : यदि माननीय सदस्य लघु उद्योग सम्बन्धी सीमा का हवाला दे रही हूं, तो मैं बताना चाहूंगा कि उघु उद्योग ऐसे उद्योग हैं, जिनमें 20 लाख रुपये तक की पूंजी लगी हुई है। यदि प्रश्न यह है कि क्या इस सीमा में वृद्धि की जा रही है, तो इस सम्बन्ध में सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

**श्री हीरालाल आर० परमार** : पिछले तीन सालों में जो लघु उद्योग स्थापित हुए हैं उनके बारे में क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि उनमें से 70 प्रतिशत सिक हो गए हैं ? इनके सिक होने के क्या कारण हैं और इससे बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : मैं क्षमा चाहूंगा कि यह यह जानकारी हमारे पास नहीं है कि 70 फीसदी उद्योग बीमार पड़े हैं। रजिस्टर्ड और वन रजिस्टर्ड 9 लाख लघु उद्योग हैं और हमारे पास जो जानकारी है उसमें कहीं इतना प्रतिशत सिक उद्योगों का नहीं है। यह बात सही है कि कुछ उद्योग बीमार हैं और उनको सुधारने का एक पूरा का पूरा ढांचा बनाया गया है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से लेकमरस्टेट फाइनांस कारपोरेशन तक उनकी सहायता के लिए पूरा ढांचा बनाया गया है। पहले भी मुझे यह जानकारी देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको फिर से पूरा ब्यौरा दे सकता हूं।

**श्री भोकू राम जैन** : अभी माननीय मन्त्री महोदय बीमार लघु उद्योगों के बारे में बतला रहे थे। क्या उनको इल्म है कि लघु उद्योगों को जो फाइनेंशियल हैल्प मिलती है उसमें दो-तीन साल लग जाते हैं तब तक ये और ज्यादा बीमार हो जाते हैं ?

**श्री वीरभद्र सिंह** : श्रीमान् हमारी यह निरन्तर कोशिश रहती है कि लघु उद्योगों को जो भी आर्थिक सहायता दी जाए, चाहे बैंकों या दूसरे फारनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स के द्वारा वह समय पर उनको उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा संभव है कि कई मामलों में इसमें देर होती होगी और हमारे ध्यान में भी यह बात लाई गई है। हम हमेशा बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स का इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि ऐसे मामलों में उन्हें तेजी के साथ काम करना चाहिए।

## छोटे सीमेंट कारखानों की समस्यायें

*255. **श्री नवीन रावणी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर में आयोजित मिनी सीमेंट संयंत्रों संबंधी गोष्ठी में भाग लेने वाले अधिकांश लोगों ने यह शिकायत की थी कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम उनकी परियोजनाओं के वित्त पोषण में अरुचि दिखा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो छोटे सीमेंट कारखानों में सुधार करने और उत्पादन वृद्धि हेतु उन लोगों द्वारा किये गए अनुरोधों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) छोटे सीमेंट कारखानों की समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) से (ग) मिनी सीमेंट संयंत्रों का वित्तीयन करने संबंधी मामले में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आ० डी० बी० आई०) द्वारा बरती जाने वाली अभिकथित उपेक्षा के बारे में 31-3-1983 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे एक समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार मिनी सीमेंट संयंत्रों के संबंध में इस प्रकार की किसी भी संगोष्ठी का आयोजन नहीं किया गया है।

हां, सीमेंट अनुसंधान संस्थान (सी० आर० आई०) के महानिदेशक के साथ बंगलौर में हुई एक बैठक में कुछ उद्यमियों ने यह विचार व्यक्त किया था कि सीमेंट अनुसंधान संस्थान से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई नहीं हो रही है, किन्तु सी० आर० आई० की वी० एस० के० प्रौद्योगिकी से मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सभी ऋणदाता संस्थानों को अब यह सलाह दी है कि सी० आर० आई० की बी० एस० के प्रौद्योगिकी पर आधारित परियोजनाओं के मामले में यदि प्रस्ताव अन्यथा उनके द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पूर्णतया अनुरूप हो तो उन्हें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है ।

**श्री नवीन रावणी** : मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहुंगा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास लघु सीमेंट संयंत्रों के लिए राज्य-वार कितने आवेदन पत्र-लंबित पड़े हैं । 1982 के दौरान कितने आवेदनों को मंजूरी प्रदान की गई, कितने रद्द किए और रद्द किए जाने के क्या कारण हैं ।

**श्री वीरभद्र सिंह** : लघु सीमेंट संयंत्रों के संबंध में आठ यूनिट पहले ही चल रहे हैं, छः संयंत्रों को लाइसेंस दिए गए हैं और हमने 63 आशय पत्र जारी किए हैं·····

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या आपको सूचना की आवश्यकता है ।

**श्री वीरभद्र सिंह** : और अन्य संयंत्रों के लिए आवेदनों पर विचार किया जा रहा है।

**श्री नवीन रवाणी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । यह एक स्पष्ट प्रश्न का— 1982 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास कितने आवेदन लंबित पड़े थे, कितने आवेदन मंजूर किए गए और यदि कोई आवेदन रद्द किए गए तो रद्द किए जाने के क्या कारण हैं ?

**श्री वीरभद्र सिंह** : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सीधी वित्तीय सहायता के संबंध में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि 1-2-83 को वित्तीय संस्थाओं को लघु सीमेंट संयंत्रों से सीधी सहायता के लिए 41 आवेदन प्राप्त हुए । इसमें से वित्तीय संस्थाओं ने 15 परियोजनाओं के संबंध में 75-9 करोड़ रुपये की सीधी सहायता मंजूर की । 4 परियोजनायें रद्द कर दी गई । एक परियोजना प्रस्ताव वापस ले लिया गया और एक अन्य परियोजना प्रस्ताव समाप्त किया गया था । शेष 19 आवेदनों में से उन्होंने 5 हाथ में लिए जो कि लंबित पड़े हैं और 14 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास लंबित पड़े बताए गए हैं ।

**श्री नवीन रवाणी** : अध्य, महोदय, मेरा अन्य अनुपूरक प्रश्न है ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान बंगलौर से दिनांक 29 के **हिन्दुस्तान टाइम्स** में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाता हूं जिसमें यह कहा गया है कि :

"चार वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गई संकल्पना पर तुरन्त ध्यान दिया गया और उसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा तकनीकी विकास के निदेशक क्षेत्रों से सहयोग प्राप्त हुआ। पहले उन्होंने यह काहा था कि औपचारिकताएं केवल 5 दिन में ही पूरी कर ली गई थी परन्तु अब आवेदकों की संख्या बढ़कर 100 हो जाने पर, इसमें छः महीने का समय लगा और भाग्यशालियों को ही मंजूरी प्राप्त हुई··· उद्यमियों ने आरोप लगाया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कोई मानदण्ड नहीं थे और यह एक सामानान्तर सरकार के रूप में कार्य कर रहा था।

मैं जानना चाहता हूं यह आरोप किस सीमा तक सच है ?

क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास 100 आवेदन लंबित पड़े थे और भारतीय औद्योगिक बैंक एक सामानान्तर सरकार के रूप में कार्य कर रहा है ?

**श्री वीर भद्र सिंह** : मैंने भारतीय औद्योगिक बैंक को प्राप्त आवेदनों के आंकड़े पहले ही दिए हैं जिन्हें देखकर स्वीकार भी रद्द किया गया है। इससे आप इसकी प्रशंसा करेंगे कि भारतीय औद्योगिक बैंक तुरन्त कार्यवाही करके इन मामलों को निपटा रहा है।

**श्री कमल मिश्र मधुकर** : अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि लघु सीमेंट उद्योग के लिए बिहार से कितनी ऐप्लीकेशन लायीं हैं और कितनों का निष्पादन किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक हो जाएगा ?

**श्री वीरभद्र सिंह** : मेरे पास बिहार के सम्बन्ध में ऐसी कोई सूचना नहीं है। परन्तु, यदि माननीय सदस्य इसे चाहत हैं तो मैं सूचना उनके पास भिजवा दूंगा।

**श्री के० राममूर्ति** : लघु सीमेंट संयंत्रों की औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करते समय, या मंत्रालय ने यह देखने के लिए सावधानी बरती है कि सीमित चूनापत्थर भण्डार के होने पर, जब बड़े पैमाने पर सीमेंट उद्योग चल रहे हैं तो 10 मील की परिधि के भीतर, कम से कम 10 मी० 20 वर्गमील परिधि के भीतर जहां बड़े या मध्यम सीमेंट संयंम चल रहे हों तो उसकी लाभप्रद और लंबी अवधि तक चलने को ध्यान में रखते हुए लघु सीमेंट संयंत्र नहीं चल सकता।

इस संबंध में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री वीरभद्र सिंह** : जहां तक सीमेंट संयंत्र की स्थापना के संबंध है, यह बताना गया है कि इसके बाद लघु सीमेंट संयंत्र केवल कमी वाले राज्यों—दूरदराज के क्षेत्रों और उद्योग रहित जिलों में स्थापित किए जाएंगे—इस शर्त के साथ कि इस प्रकार के आवेदन, इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को पूरा करते हों।

**श्री के० राममूर्ति** : महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल अलग है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रा-

लय जहां पहले से बड़े सीमेंट संयंत्र चल रहे हैं वहां सीमित चूना पत्थर भण्डार की दृष्टि से नए औद्योगिक लाइसेंस मंजूर न किए जाने के प्रश्न पर विचार करेगा।

**श्री वीरभद्र सिंह** : मैंने पहले ही कहा है कि जहां तक लघु सीमेंट संयंत्रों का सम्बन्ध है, वे केवल दूरदराज और उद्योग रहित जिलों, जहां मध्यम या बड़े पैमाने के उद्योग नहीं हैं, स्थापित किए जाएंगे।

**सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व औसत से नीचे होना**

*256. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट उत्पादन के मामले में भारत विश्व औसत से काफी नीचे है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सीमेंट की मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ग) क्या ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि किस समय तक भारत सीमेंट उत्पादन में आत्म निर्भर हो जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1981 में भारत में प्रतिव्यक्ति सीमेंट का औसत उत्पादन 29.5 कि० ग्रा० था जबकि विश्व में इसका प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन 185 कि.ग्रा. था। देश में सीमेंट की मांग (1981 में प्रति व्यक्ति 41 कि०ग्रा० अनुमानित) को पूरा करने के लिए किए गए अभ्युपायों में 326.50 लाख मी० टन की विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करना, (423.50 लाख मी० टन) की अतिरिक्त क्षमता का अधिष्ठापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान करना तथा कुछ सीमा तक आयात) 136 लाख मी० टन) करना शामिल है। यद्यपि सीमेंट में आत्मनिर्भरता के लिए कोई विशिष्ट तिथि निश्चित नहीं की गई है तथापि छठी पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक सीमेंट की उपलब्धता की स्थिति काफी अच्छी हो जाने की आशा है।

**श्री मोहन लाल पटेल** : अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि : क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारत सीमेंट के उत्पादन में कब तक आत्म निर्भर हो जाएगा।

मन्त्री जी ने, बताया है कि : सीमेंट में आत्मनिर्भरता के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

आज हमारे यहां आम लोगों को सीमेंट नहीं मिल रहा है और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भी सैल्फ सभी शियेंसी नहीं होने वाली हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारा जो आज प्रोडक्शन है, उसमें कितनी शार्ट-काल है ?

**श्री वीरभद्र सिंह :** महोदय, पिछले वर्षों में देश में सीमेंट के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। मैं ध्यान दिला दूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश में सीमेंट की स्थापित क्षमता 23.29 मिलियन टन थी और छठी पंचवर्षीय योजना के अगले तीन वर्षों में 8.36 मिलियन टन और जोड़ी गई, अतः आज देश में सीमेंट की स्थापित क्षमता 32.55 मिलियन टन है। छठी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान, अर्थात 1983-84 और 1984-85 में सीमेंट की 11 से 12 मिलियन टन तक की सीमा की अतिरिक्त क्षमता स्थापित किए जाने की आशा है। इसलिए, 1985 के अन्त तक स्थापित क्षमत 43.5 मिलियन टन हो जाएगी और फिर हम आशा करते हैं कि एक बड़ी सीमा तक हम...

**श्री मोहन लाल पटेल** : मैं क्षमता नहीं चाहता। मैं जानना चाहता हूं कि उत्पादन कितना है, देश की जरूरत कितनी है और कितनी कमी है ?

**श्री वीरभद्र सिंह :** महोदय, स्थापित क्षमता जिसके बारे में मैंने कहा है और सभी आशय पत्रों जो हमने किए हैं उनके अनुसार यदि यह सभी फैक्ट्रियां उत्पादन आरम्भ कर दें तो हम एक आरामदायक स्थिति में होंगे और भविष्य में सीमेंट आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन यह सब अन्य अनेक बातों पर निर्भर करता है।

**श्री मोहन लाल पटेल** : कृपया सदन को बताइए कि इस समय भारत में कितनी कमी है और अभी हमें कितना आयात कराना पड़ता है।

**श्री वीरभद्र सिंह** : 1982-83 में, 32.64 मिलियन टन की मांग और 23 मिलियन टन धरेलू उत्पादन की तुलना में ताजी सूचना के अनुसार हमने राज्य सरकारों और राज्य व्यापार निगम को 26.89 लाख टन सीमेंट के आयात या ठेका दिए जाने या अनुमति दी और उसमें रु० अब तक 13.6 लाख टन वास्तव में आयात कर लिया गया है। अतः आपको पता है कि कमी 8.28 मिलियन टन की है।

**श्री के० मायातेवर** : महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है। इस सरकार द्वारा घोषित दोषपूर्ण सीमेंट नीति के कारण सारे देश में लोगों पर प्रभाव पड़ा है न केवल तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य में वरन सारे भारत में। पहले हम सीमेंट की एक बोरी 25 रु० से 30 रुपये में प्राप्त कर सकते थे परन्तु अब इस दोषपूर्ण सीमेंट नीति की घोषणा सरकार ने सीमेंट का मूल्य 65 करोड रुपये प्रति बोरी कर दिया है। माननीय प्रधान मन्त्री कृपा कर भारत के लोगों को बचाएं। मैं भी इससे प्रभावित हुआ हूं। सभी लोगों पर असर पड़ा है। जानबूझकर या अनजाने में आपने 65 रुपये प्रति बोरी मूल्य निर्धारित किया है। आप जानते हैं इसकी कीमत क्या

होगी । मैं 125 रुपये प्रति बोरी पर भी सीमेंट नही खरीद सका । इसलिए सीमेंट की कीमतें घटाने की सरकार की नीति क्या है ? कोई भी मकान का निर्माण करने योग्य नहीं रहा ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप कोई उत्तर नहीं चाहते ?

**श्री के० मायातेवर** : सरकार की इस दोषपूर्ण नीति का लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है । यह 125 रुपये प्रति बोरी बेचा जाता है । भारत में कोई भी व्यक्ति इसे खरीदने में समर्थ नहीं है ; यह सोने और चांदी की कीमत से भी ज्यादा हो गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### बजाज स्कूटरों की प्रतीक्षा-सूची

*246. **श्री आर० एन० [illegible]केश** :

**श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी शहरों में दुपहिया बजाज स्कूटरों की प्रतीक्षा सूची में 1 जनवरी, 1983 को कितने व्यक्ति थे ;

(ख) कितने व्यक्ति तीन वर्ष से अधिक अवधि से प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ग) क्या बजाज स्कूटर्स ने भारत के विभिन्न शहरों में नई बुकिंग के लिए फिर विज्ञापन दिया है तथा यह आश्वासन दिया है कि इन आवेदनों को उन व्यक्तियों से प्राथमिकता दी जाएगी जो कई वर्षों से प्रतीक्षा सूची में है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कम्पनी के लिए यह उचित है कि वह पहले ही कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों को छोड़कर, नए आवेदकों को स्कूटर आवंटित कर दे ;

(ङ) क्या सरकार कम्पनी को तत्काल यह निदेश जारी करेगी कि पुरानी सूची पूर्णतया समाप्त होने से पहले नए आवेदकों को स्कूटर सप्लाई नहीं किए जाएगे ; और

(च) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) तथा (ख) जैसा कम्पनी द्वारा बताया गया है, 1-1-1983 को बजाज सुपर स्कूटर के लिए लगभग 6.25 लाख व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे । इनमें से अधिकांश क्रयादेश तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं ।

(ग) "यद्यपि कम्पनी द्वारा जारी किए गए एक विज्ञापन में यह बताया गया था कि नई बुकिंग पर डिलीवरियां के जुलाई, 1983 से प्रारम्भ होने की आशा है, लेकिन बाद के विज्ञापन में यह कहा गया है कि डिलीवरियां जुलाई, 1983 से प्रारंभ होंगी"।

(घ) से (च) सरकार द्वारा कंपनी के प्रबन्धकों के परामर्श से मामले की जांच की जा रही है।

**नरौरा रिएक्टर का पूरा होना**

*248. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरौरा रिएक्टर का निर्माण कार्य किस चरण में हैं ; और

(ख) रिएक्टर में प्रयुक्त कितने उपकरण देश में बने हैं ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना के कुल काम का 69.86% भाग पूरा किया जा चुका है।

(ख) लागत की दृष्टि से नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना का लगभग 90% भाग स्वदेशी है।

**भारतीय वन सेवा अधिकारियों की सेवा शर्तें**

*249. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की सेवा शर्तें भारतीय प्रशासनिक सेवा के समान नहीं हैं ;

(ख) क्या भारतीय वन सेवा के अधिकारियों में बहुत असंतोष व्याप्त है और वे इस सेवा को छोड़ रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संगठन के हित में भारतीय वन अधिकारियों का इस प्रकार सेवा छोड़ना रोकने के लिए सेवा शर्तों में सुधार करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) भारतीय वन सेवा के अधिकारी तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आचरण, अनुशासन तथा अपील, सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं, छुट्टी तथा भत्ते आदि जैसी अनेक सेवा शर्तों के लिए समान नियमों द्वारा शासित होते हैं तथा वेतन, प्रशिक्षण आदि जैसी कतिपय अन्य बातों में अलग नियमों द्वारा शासित होते हैं।

(ख) सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है जिसमें भारतीय वन सेवा के किसी अधिकारी ने अत्यधिक असंतोष के कारण संवर्ग छोड़ा है ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

**सेल द्वारा आयात लाइसेंसों पर इस्पात की चीजें दिया जाना**

*254. **श्री हरीश रावत** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने आयात लाइसेंस सौंप देने वाले उपभोक्ताओं को कुछ श्रेणी की इस्पात की वस्तुएं देने की एक नीति तैयार की है ;

(ख) क्या ऐसे उपभोक्ताओं से जो कीमत ली जाती है वह, यदि सीधा आयात किया जाए तो उस की वास्तविक लागत से कहीं अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार विदेशी मुद्रा बचाने के व्यापक हित में तथा सरकारी क्षेत्र क उपक्रमों के पास जमा हुए भारी भंडार के निपटान के लिए "सेल" की कीमतों में कमी करने की सलाह देगी ?

**इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) "सेल" द्वारा इन मदों के लिए निर्धारित किए गए मूल्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी है और इन मूल्यों की सावधिक आधार पर समीक्षा की जाती है ।

**अल्प-संख्यकों की शिकायतों संबंधी समिति**

*257. **श्री भीम सिंह** :

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में अल्प-संख्यकों की शिकायतों की जांच करने के लिए कोई समिति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम और निर्देश पद क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सभी अल्प-संख्यकों के प्रतिनिधियों को इस समिति में शामिल किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन अल्पसंख्य समुदायों के नाम क्या है । जिसके प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लाकर)** : (क) सरकार ने मुसलमान समुदाय के कुछ वर्गों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने के लिए हाल में एक समिति का गठन किया है।

(ख) से (घ) सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. श्री पी० सी० सेठी
2. श्री बूटा सिंह
3. श्री एन० डी० तिवारी
4. श्री सी० के० जफरशरीफ
5. बेगम आबिदा अहमद, संसद सदस्य,

यह समिति मुसलमान समुदाय के कुछ वर्गों द्वारा की गई शिकायतों की जांच करेगी ।

**केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संयुक्त परामर्शदाता तंत्र को उनकी मांगों के समर्थन में चेतावनी**

*258. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संयुक्त परामर्शदाता तंत्र ने सरकार को उनकी मांगों के समर्थन में चेतावनी दी हैं ;

(क) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत द्वारा इस मुद्द को हल करने हेतु कोई पहल की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ; और

(ङ) यदि सरकार उनकी मांगों को मान लेती है तो कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संयुक्त परामर्श तन्त्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष से एक संकल्प प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ मांगें दी गई हैं।

(ख) उपर्युक्त संकल्प के माध्यम से कर्मचारी पक्ष द्वारा भेजी गई मांगों की एक सूची विवरण 1 में दी गई है।

(ग) तथा (घ) विवादों को निपटाने के प्रयास के तौर पर राष्ट्रीय परिषद और इसकी उप-समितियों तथा राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारयों पक्ष की स्थायी समिति की बैठकें आवश्य अन्तरालों पर लगातार होती रहती हैं। इसके अलावा कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ समय समय पर अनौपचारिक परामर्श भी किए जाते हैं। ऐसी अभी आपसी बातचीत के माध्यम से कई मदें निपटा ली जाती हैं, जिनमें से कुछ विवरण 2 में दी गई है।

(ङ) कर्मचारी पक्ष को सभी मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त राशि का अनुमान नहीं लगाया गया है। किन्तु वित्त मंत्रालय के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 150 रुपए प्रति माह अन्तिम सहायता के रूप में दिए जाने की मांग स्वीकार करने की लागत कई अरब रुपये बैठगी।

**विवरण-1**

**कर्मचारी पक्ष द्वारा हाल ही में भेजे गए संकल्पों में उल्लिखित विभिन्न मांगें**

1. गतिरोध वेतन वृद्धि।
2. मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते को बढ़ाया जाना।
3. उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का भुगतान करना, जिन्हें इस समय यह बोनस नहीं दिया जा रहा है।
4. सेवा में छुट्टी का नकदीकरण।
5. अधिवार्षिता पर अर्द्ध वेतन छुट्टियों का नकदीकरण।
6. समूह "ग" और "घ" में चयन ग्रेड का लागू किया जाना।
7. 15 वर्षों के बाद पदोन्नति।
8. सेवा-निवृत्ति के प्रयोजना के लिए प्रशिक्षण की अवधि की संगणना।
9. उपदान अधिनियम के अनुसार उपदान का भुगतान।
10. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के समान वेतन मांग-अन्तरिम सहायता के रूप में 150 रुपए प्रतिमाह दिया जाना।
11. शिक्षा अग्रिम की मंजूरी।
12. ऐसी स्व उत्पोषण योजना जिससे पेंशन को बढ़ाकर अन्तिम वेतन के बराबर लाया जा सके।

13. पेंशन और सेवा निवृत्ति से पहले स्थायीकरण की शर्तें ।

14. भविष्य निधि से अग्रिम की मंजूरी उदार बनाया जाना

15. यूनियनों/एसोसिएशनों के कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि का आबंटन ।

16. सीधी भर्ती वाले तथा पदोन्नत कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता ।

**विवरण-2**

(1) वेतन वृद्धि रोकी जाने के दण्ड की समाप्ति के बाद दक्षता रोध पार करना ।

(2) निलम्बित कर्मचारियों को निलम्बन के विरुद्ध अपील करने के अवसर ।

(3) दौरे के समय दैनिक भत्ते की दरों में संशोधन ।

(4) छुट्टी यात्रा रियायत नियमावली का उदारीकरण ।

(5) कुछेक प्रयोजनों के लिए वेतन के साथ महंगाई भत्ते के एक भाग का मिलाया जाना ।

(6) नगरों का वर्गीकरण ।

**अंतर्राष्ट्रीय सारस कार्यशाला**

*259. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इस वर्ष फरवरी में भरतपुर में एक अन्तर्राष्ट्रीय सारस कार्यशाला आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कार्यशाला के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) यदि हां तो क्या गत दस वर्षों की अवधि में बाहर से आने वाले सारसों की कमी हो जाने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ;

(घ) सारसों की कम हो रही संख्या का अनुरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां,

(ख) से (ङ) एक **विवरण** सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

**विवरण**

एक अन्तर्राष्ट्रीय सारस कार्यशाला कि ओलेडियो राष्ट्रीय पार्क, भरतपुर में, 7 से 11 फरवरी 1983 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सारस संस्था द्वारा राजस्थान सरकार के सहयोग से तथा भारत सरकार की अनुमति से आयोजित की गई थी। 24 देशों से (भारत सहित) संरक्षकों, वैज्ञानिकों, सारस विशेषज्ञों और क्षेत्रीय प्रबन्धकों ने कार्यशाला में भाग लिया था।

2. कार्यशाला ने मुख्यतः विश्व के सारसों के संरक्षण सम्बन्धी विषय पर ध्यान केन्द्रित किया। कार्यशाला की सिफारिशें निम्नलिखित के सम्बन्ध में कार्यान्वयन से सम्बन्धित थीं :—

1. कि ओलेडिये राष्ट्रीय पार्क भरतपुर (राजस्थान) में एक आर्द्रभूमि अनुसंधान संस्थान की स्थापना।

2. लवण झील, कलकत्ता में एक पक्षी अभयारण्य की स्थापना।

3. सारस क्रेन को उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित करना।

4. गुजरात राज्य में एक सारस गणना की आवश्यकता।

5. उत्तर केन्द्रीय भारत में झीलों का संरक्षण।

6. भरतपुर में उद्योगों के वायु प्रदूषण को कम करना।

7. काली गर्दन वाले सरसों के लिए बन्दी-स्थिति में प्रजनन कार्यक्रम।

8. साइबेरिया के सारस के संरक्षण पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौता।

9. ईरान में साइबेरिया के सारसों का संरक्षण।

10. ईरान में सामान्य सारस के प्रजनन कार्यक्रम को जारी रखना।

11. दक्षिण पूर्व ईरान में ताजा पानी आर्द्रभूमि का संरक्षण।

12. स्पेन में सर्दियों के दौरान आने वाले सामान्य सारसों का संरक्षण।

13. पश्चिम यूरोप में सर्दियों के दौरान आने वाले सामान्य सारसों का संरक्षण।

14. चीन रूस और जापान में लाल किरीट सारसों के लिए आवश्यक आर्द्रभूमियों का संरक्षण।

15. बन्दी-प्रजनन केन्द्रों की स्थापना।

16. नाईजीरिया में किरीट सारसों का संरक्षण।

17. डथियोपिया में मांसलपालि सारसों का संरक्षण।

18. जाम्बिया में केफ्यू फ्लेटस का संरक्षण।

19. जापान में लजूमे में एक राष्ट्रीय सारस अभियारण्य की स्थापना।

20. पाकिस्तान में सारसों के शिकार की समस्या का अन्वेषण।

(3) भारत में निम्नलिखित सारस स्पीशीस पाए जाते हैं :—

1. सारस क्रेन (ग्रस एंटीगोन)

2. सामान्य क्रेन (ग्रस ग्रस)

3. काली गर्दन वाले क्रेन (ग्रस निगरीकोलिस)

4. साइबेरियाई क्रेन (ग्रस लियूकोजिरेनस)

5. डिमोएसेल क्रेन (एनथ्रपोअड्स विर्गो)

इनमें से, सामान्य क्रेन, साइबेरियाई क्रेन और डिमोएसेल और डिमोएसेल क्रेन या यावर हैं और सर्दियों के महीनों के दौरान भारत में भ्रमण करते हैं। साइबेरियाई क्रेन और काली गर्दन वाले क्रेन की स्थिति विशेष रूप से चिन्तापूर्ण है। उनकी जनसंख्या का सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहायता से निकट रूप से प्रबोधन किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय सारस संस्था विश्व के या यावर क्रेनों पर अध्ययन और अनुसंधान कर रही है। भारत में पाई जाने वाली, ऊपर बताई गई क्रेन की पांचों स्पीशीस को वन्य-जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत नूकानी संरक्षण दिया जा रहा है। साइबेरियाई क्रेन और काली गर्दन वाले क्रेन अधिनियम की अनुसूची 1 और अन्य तीन स्पीशीस अनुसूची 4 के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए हैं।

देश में अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों का जाल पक्षियों के आवास को संरक्षण प्रदान करता है। अन्तर्राष्ट्रीय सारस कार्यशाला में जैसे सिफारिश की गई थी, ऐसे संरक्षित आवासों के जाल का अधिक विस्तार करने का प्रस्ताव है, इसके अतिरिक्त, साइबेरियाई क्रेन के संरक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय सारस संस्था के सहयोग से काली गर्दन वाले क्रेन का बन्दी स्थिति में प्रजनन करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय सारस कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशे सम्बन्धित राज्यों और संगठनों को उपर्युक्त कार्यान्यवन के लिए भेज दी गई हैं।

## राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा

*260. **श्री पोयूष तिरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के काम में लगे स्वतंत्र

राष्ट्रीय संगठनों से सुझाव आमंत्रित करने का है ताकि देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने और भविष्य में दंगों को रोकने के लिए एक बेहतर मंच बन सके ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (ग) देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य की राष्ट्रीय एकता परिषद और इसकी तीन समितियों द्वारा देखभाल की जा रही है । अपनी नीतियां निर्धारित करते समय परिषद और इसकी समितियां विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझावों पर विचार करती हैं । स्वतंत्र राष्ट्रीय संगठनों के पास इस संबंध में यदि कोई सुझाव हो तो वे भेज सकते हैं।

**विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की प्रगति**

261. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस्पात संयंत्र के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी ; और

(घ) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे** : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठाता ।

(ग) और (घ) वर्ष 1983-84 के बजट में 187 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जाएगा ।

**कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना**

*262. **श्री एच०एन० नन्जे गौडा : श्री बी०वी० देसाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार छठी योजना अवधि में कर्नाटक राज्य में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए उपर्युक्त स्थल का चयन कर लिया गया है जहां उक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) सरकार इस बारे में अन्तिम निर्णय कब करेगी ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) से (ग) सरकार ने परमाणु बिजली घरों की स्थापना के उपयुक्त स्थलों का चुनाव करने के लिए एक स्थल चयन समिति नियुक्त की है। दक्षिणी क्षेत्र में ऐसा बिजलीघर लगाने के बारे में निर्णय समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार कर लिया जाने के बाद लिया जा सकता है।

**वार्षिक योजना में प्रतिशतता वृद्धि का राष्ट्रीय औसत**

*263. **श्री नीरेन घोष** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वार्षिक योजना में प्रतिशतता वृद्धि का राष्ट्रीय औसत क्या है;

(ख) क्या यह राज्यों पर लागू होता है ;

(ग) क्या यह पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों पर भी लागू होगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) राष्ट्रीय योजना की कोई पूर्व निर्धारित औसत शत प्रतिशत वृद्धि नहीं है। संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए 1983-84 के परिव्ययों के आधार पर केन्द्र राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाकर उनके योजना परिव्यय में वृद्धि 1982-83 के परिव्यय की तुलना में 21.65 प्रतिशत है। असम के मामले में वर्ष 1983-84 के लिए परिव्यय अनंतिम है।

(ख) से (घ) तक एक ओर केन्द्र और राज्यों के बीच प्रतिशत वृद्धि में भिन्नता है और दूसरी ओर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच भिन्नता है। सब राज्यों को मिलाकर योजना परिव्यय के मामले में वृद्धि 16.1 प्रतिशत है। अलग-अलग राज्यों के मामले में प्रतिशत वृद्धि 10 और 36 प्रतिशत के बीच है। उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में यह 10 और 20 प्रतिशत के बीच है। उत्तर-पूर्वी राज्यों समेत सभी राज्यों की वर्ष 1983-84 के लिए वार्षिक योजनाओं का निर्धारण किसी पूर्व निर्धारित समान प्रतिशत वृद्धि के आधार पर नहीं किया गया है बल्कि इनकी निर्धारण राज्य के अपने संसाधनों के अनुमानों और समान तथा वस्तुपरक मापदंड के आधार पर

आंकी गई केन्द्रीय सहायता के संदर्भ में निर्धारित किया गया है। कुछ राज्यों के मामले में अग्रिम योजना सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमति दी गई है ताकि वे अपनी वार्षिक योजना का उपर्युक्त आकार रख सकें।

**योजना की राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का मानदंड**

*264. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों संघ शासित प्रदेशों की पंच वर्षीय योजनाओं वार्षिक योजनाओं के लिए राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए फार्मूला या मानदंड क्या है तथा किस तारीख से इस पर अमल किया जा रहा है ;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने इसे कड़ाई से लागू करने का विरोध किया है तथा उसके आरम्भ से ही इसमें संशोधन करने के लिए कहा है ;

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा क्या संशोधन और किस तारीख से स्वीकार किए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या सुझाए गए किसी संशोधन पर सरकार योजना आयोग द्वारा विचार किया जाएगा ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण** : (क) राज्यों की छठी पंचवर्षीय योजना-1980-85 का आकार उनके (राज्यों के) परामर्श से उनके (राज्यों के) अपने संसाधनों का मूल्यांकन करने के पश्चात् और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित समान मापदंड के आधार पर उपलब्ध होने वाली संभावित केन्द्रीय सहायता को ध्यान में रख कर वर्ष 1980-81 में निर्धारित किया गया था। प्रत्येक राज्य की वार्षिक योजना का निर्धारण भी राज्य के अपने संसाधनों के अनुमानों और 6 वर्ष की अवधि के लिए कुछ केन्द्रीय सहायता के भीतर उपलब्ध केन्द्रीय सहायता के आधार पर किया जाता है। कुछ राज्यों के मामले में अग्रिम योजना सहायता भी उपयुक्त आकार रख सकें।

संघ राज्य क्षेत्रों कों योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था सामान्यत: केन्द्रीय सहायता के जरिए की जाती है।

(ख) से (घ) तक छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के समय से लेकर कुछ राज्यों ने अपनी वार्षिक योजनाओं के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता तथा बाजार ऋण की समय-समय पर मांग की है। छठी योजना अवधि के लिए पहले परिकल्पित 15,350 करोड़ रु० के अलावा वर्ष 1983-84 और वर्ष 1984-85 की 2 वर्ष की अवधि में 1650 करोड़ रु० की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। राज्य

योजना के लिए वित्त व्यवस्था करने की मूल स्कीम में परिकल्पित 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के बजाय वर्ष 1982-83 की तुलना में वर्ष 1983-84 में सभी राज्यों को बाजार ऋण कार्यक्रम में 20 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है।

**संवाददाताओं द्वारा प्रदर्शन**

2780. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवाददाताओं ने 4 जनवरी, 1983 को पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली के सामने प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उनकी मांगे पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पत्रकारों/संवाददाताओं ने उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाही करने की मांग की जिन्होंने थाना निजामुद्दीन में पत्रकारों की कथित पीटाई की थी।

(ग) और (घ) ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी घटना को ध्यान में रखते हुए थाना निजामुद्दीन के अधिकारियों द्वारा कथित दुर्व्यवहार की जांच एक अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है। कुछ चूकों के लिए पुलिस अधिकारियों विशेष रूप से उप निरीक्षक को उत्तरदायी ठहराते हुए उन्होंने पत्रकार श्री सूरी की पीटाई और उनको गलत रूप से रोके रखने के आरोप को सिद्ध नहीं पाया। सम्बद्ध उप निरीक्षक को जिले से स्थानान्तरित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। पर्यवेक्षण संबंधी कुछ गलतियों के लिए थाना अध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाही करने पर भी विचार किया गया है।

**तमिलनाडु सरकार का सीमेंट का आयात करने हेतु अनुरोध**

2781. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने विदेशों से सीमेंट का आयात करने की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो दी गई मंजूरी की तुलना में कितना सीमेंट आयात करने की अनुमति मांगी गई थी और तमिलनाडु ने अब तक कितने सीमेंट का आयात कर लिया है ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) तथा (ख) जी नहीं । आयात तथा निर्यात नीति, 1982-83 के अनुसार राज्य सरकारों के नामित अभिकरणों को केन्द्र सरकार से अनुमति लेने की आकश्यकता नहीं है क्योंकि नीति के अधीन सीमेंट के आयात की अनुमति चुने हुए सामान्य खुले लाइसेंसों के आधार पर दी जाती है । 2 लाख मी० टन की मात्रा के लिए करार किए गए हैं जिसमें से अब तक लगभग 84170 मी० टन सीमेंट का आयात राज्य निगम द्वारा किया जा चुका है ।

**पूर्वोत्तर राज्यों के लिए धन राशि की व्यवस्था**

2782. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी योजना अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को इस क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सिद्धान्त रूप से निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो छठी योजना की वार्षिक योजना के आरम्भ से सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और उन वर्षों में भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) और (ख) संतुलित क्षेत्रीय विकास सरकार की एक स्वीकृत नीति है। केन्द्रीय क्षेत्रीय में निवेशों के माप तथा अवस्थिति का निर्णय मुख्यरूप से तकनीकी-आर्थिक विचारों से किया जाता है । इसके अनुसार, यथासंभव समान तरीके से केन्द्रीय निवेश का विस्तार किया जाता है । यहां भी कुछ मामलों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे क्षेत्रों के मामले में अपवाद किया जाता है जहां इन मानदंडों में ढील दी जाती है ।

केन्द्रीय क्षेत्रक के अधीन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए वर्ष 1980-85 के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत 1708 करोड़ रु० है जिसमें से लगभग 1000 करोड़ रु० छठी योजना में व्यय किए जाएंगे । उत्तर पूर्वी क्षेत्र में छठी योजना में केन्द्रीय क्षेत्रक की जारी/आरंभ की गई परियोजनाओं का विवरण सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6109/83]

**भारतीय इस्पात और ट्यूब निर्माता एककों को प्रतिस्पर्धा से बाहर करना**

2783. **श्री के० मालन्ना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषकर अमरीका, पश्चिम जर्मनी और जापान की विदेश फर्में इस देश में सरकार क्षेत्र की परियोजना के लिए टेंडरों के उत्तर में बहुत ही कम दरें बताकर भारतीय इस्पात और ट्यूब निर्माताओं एककों को व्यवस्थित ढंग से प्रतिस्पर्धा से बाहर कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस्पात पाईप और ट्यूब उद्योग घरेलू बाजार में मांग में भारी गिरावट के कारण गम्भीर संकट में फंस गई है और अब इन्हें केन्द्रीय परियोजनाओं के खरीद के कार्यक्रम में उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है क्योंकि विदेशी सप्लायरों ने अपने मूल्य 30 से 50 प्रतिशत कम कर दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्वदेश एककों के हित में विदेशी सप्लायरों की यहा माल भेजने से रोकने के लिए कुछ देने का प्रस्ताव है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण)** : (क) तथा (ख) भारतीय इस्पाती पाइप और ट्यूब उद्योग सामान्य श्रेणियों की ट्यूबों की घरेलू मांग को पूर्णतः से पूरी कर रहा है और आयात की अनुमति नहीं दी जा रही है ; 1982 में इस्पात पाइपों और ट्यूबों का उत्पादन लगभग 1981 के उत्पादन के बराबर हुआ है। केवल विशेष ट्यूबों के मामले में जिन्हें केसिंग पाइपें कहा जाता है, विदेश पार्टियों से निविदाओं के उत्तर के सम्भावित कम मूल्य का एक मामला हाल ही में प्रकाश में आया है। इस आधार पर भारतीय उद्योग को बाहर करने के किसी भी व्यवस्थित प्रयास के बारे में निष्कर्ष निकालना समय पूर्व होगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**असम से सम्बन्धित फाइल गुम होना**

2784. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के सम्बन्ध में मंत्रालय की फाइल गायब है ;

(ख) यदि हां, तो यह कैसे गायब है और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ; और

(ग) अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (ग) फाइल सं० 1101/28/81-एन० ई०-4 (खण्ड-11) अप्रैल, 1982 से नहीं मिल रही है। फाइल का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

**खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सुन्दरबन में उद्योगों की स्थापना**

2785. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सुन्दरवन क्षेत्र में स्थापित किए गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) निर्धन ग्रामीण लोगों को रोजगार और प्रशिक्षण देने के लिए क्षेत्र में उनकी क्या उपलब्धियां हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**गरीबों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सबसे आगे रहने वाले राज्य**

2786. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में प्रगति की है अथवा सबसे आगे रहे हैं जिनका निर्धन लोगों से सीधे संबंध था और उन्हें इनमें लाभ पहुंचा ; और

(ख) क्या सरकार ने आदिवासियों/हरिजनों की स्थिति में सुधार करने, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की ओर विशेष ध्यान दिया है ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) परिशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न सूत्रों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों के निष्पादन में भिन्नता है और यह एक सा तथा एक समान नहीं है । गरीबों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने वाले सूत्रों के अन्तर्गत अप्रैल, 1982-जनवरी, 1983 की अवधि में 75 प्रतिशत से अधिक वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम का विवरण संलग्न है ।

(ख) यद्यपि परिशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई पृथक स्कीम आरंभ नहीं की गई है, कुछ राज्य सरकारों द्वारा उद्योग आदि स्थापित करने में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य गरीब लोगों की सहायता करने के लिए (1) ब्याज की विभेदीय दर, (2) खादी और ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सहा-यता का उदार स्वरूप,

(3) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किराया-खरीद की उदार शर्तें,

(4) हथ करघों की खरीद/नवीनकरण (जीणोद्धार) के लिए राज सहायता,

(5) शिक्षण संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण,

(6) विशेष सुविधाएं देने संबंधी जैसी सामान्य स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

विवरण

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले सूत्रों के अन्तर्गत वे राज्य जिन्होंने अप्रैल, 82 से जनवरी, 83 तक की अवधि में कुल मूल्यों के 75 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए हैं ।**

| सूत्र/राज्य | सूत्र/राज्य |
|---|---|
| 1. विषय सं० 3 (क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम<br>कर्नाटक<br>आन्ध्र प्रदेश<br>हिमाचल प्रदेश<br>केरल<br>तमिलनाडु<br>राजस्थान<br>गुजरात<br>पंजाब | 2. सूत्र स० 3 (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम<br>तमिलनाडु<br>राजस्थान<br>गुजरात<br>पश्चिम बंगाल<br>सिक्किम<br>आन्ध्र प्रदेश<br>कर्नाटक<br>उड़ीसा<br>त्रिपुरा |
| 3. सूत्र सं० 4-अधिकतम सीमा से बेशी भूमि का आवंटन<br>आन्ध्र प्रदेश<br>त्रिपुरा<br>तमिलनाडु<br>राजस्थान<br>कर्नाटक | 4. सूत्र स० 6 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास<br>उड़ीसा<br>तमिलनाडु<br>कर्नाटक |
| 5. सूत्र सं० 7 (क) सहायता करने वाले अनुसूचित जाति परिवार<br>हिमाचल प्रदेश<br>सिक्किम | 6. सूत्र सं० 7 (ख) सहायता प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवार<br>गुजरात<br>सिक्किक |

| 1 | 2 |
|---|---|
| पश्चिम बंगाल | आन्ध्र प्रदेश |
| गुजरात | हिमाचल प्रदेश |
| राजस्थान | पश्चिम बंगाल |
| | बिहार |
| | कर्नाटक |
| | राजस्थान |
| | तमिलनाडु |
| | मणिपुर |
| 7. सूत्र सं० 8-पीने का पानी | 8, सूत्र सं० 9 (क) मकान बनाने की जगह का आवंटन |
| उत्तर प्रदेश | गुजरात |
| कर्नाटक | राजस्थान |
| आन्ध्र प्रदेश | मध्य प्रदेश |
| सिक्किम | तमिलनाडु |
| राजस्थान | हिमाचल प्रदेश |
| पंजाब | उत्तर प्रदेश |
| उड़ीसा | कर्नाटक |
| मध्य प्रदेश | |
| तमिलनाडु | |
| 9. सूत्र सं० 9 (ख) ग्रामीण आवास के लिए निर्माण सहायता | 10. सूत्र सं० 10 (क) गंदी बस्तियों का सुधार |
| पश्चिम बंगाल | गुजरात |
| 11. सूत्र सं० 10 (ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान | उड़ीसा |
| उत्तर प्रदेश | पंजाब |
| राजस्थान | राजस्थान |
| आंध्र प्रदेश | उत्तर प्रदेश |
| | आन्ध्र प्रदेश |

| 1 | 2 |
|---|---|
| मध्य प्रदेश | हरियाणा |
| कर्नाटक | हिमाचल प्रदेश |
| जम्मू तथा कश्मीर | |
| केरल | |

**कृषि अपशिष्ट पदार्थों से एक्टिवेटिड कार्बन**

2787. **श्री ए० के० राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोयले से बनाये जाने वाले कार्बन रसायन को तेजी से बढ़ती हुई मांग के बारे में जनवरी 1983 के साइंस रिपोर्टर में "एक्टिवटिड कार्बन दी प्यूरिफायर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित पत्र की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो देश में प्रति वर्ष इसकी अनुमानित मांग क्या है ;

(ख) क्या कृषि अवशिष्ट पदार्थों से सक्रिय कार्बन बनाने के कुछ भारतीय पेटेंटों का वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया है, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे पेटेंटों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए कदम उठायेगी ;

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) जनवरी, 1983 के "साइंस रिपोर्टर" में साइंस स्पैक्ट्रम" स्तंभ के अंतर्गत एक छोटा सा लेख था "एक्टिवेटिड कार्बन – दि प्योरीफाइर" जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपचार्य और अनुसंधान अध्येता (प्राज्ञ) द्वारा भेजा गया था इस लेख में एक्टिवेटिड कार्बन के निर्माण, सक्रियकरण की क्रियाविधि और भारत में पूर्ण किये गए कार्यों के विस्तृत वर्णन सहित गैस प्रावस्था अनुप्रयोग का विवेचन करते हुए सक्रियत कार्बन के उपयोगों का वर्णन किया है देश के लिए इसकी कुल आवश्यकता कितनी होगी इसके बारे में सुनिश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) "सक्रिय कार्बन" के विनिर्माण के लिए कुछ पेटेन्ट्स फाइल किए गए हैं, जो उदाहरण के लिए नीचे गए हैं :—

(1) भारतीय पेटेन्ट सं० 12065 चावल की भूसी से सक्रिय कार्बन के निर्माण में अथवा के बिषय में सुधार ।

(2) भारतीय पेटेन्ट सं० 10082 नारियल की खोपड़ी से सक्रिय कार्बन ।

(3) भारतीय पेटेन्ट अनुप्रयोग सं० 773/डी० ई० एल० /79—ठोस पदर्थों और तरल

पदार्थों तथा तरल पदार्थों और तरल पदार्थों के बीच रसायानक प्रतिक्रियाओं के लिए एक परिष्कृत घूर्णी भट्टा।

(4) भारतीय पेटेन्ट अनुप्रयोग सं० 733/डी० ई० एल० /81—तरल पदार्थों के उपचार द्वारा घूर्णी भट्ठे में कणयुक्त कार्बन सक्रिय करने के लिए एक प्रक्रिया।

विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम—नेशनल रिसर्च डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन ने, उपयुक्त (1) और (2) पर निर्दिष्ट पेटेन्टों के व्यापारिक दोहन को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए हैं। एक औधोगिक एकक के सहयोग से नेशनल रिसर्च डिवेल्मेंट कार्पोरेशन ने, सक्रियित कार्बन के उत्पादन के लिए एक प्रदर्शन एकक स्थापना के लिए एकक सहयोगी परियोजना को आरंभ किया है। नेशनल रिसर्च डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन ने प्रायोगिक संयंत्र लगाने के लिए भी कदम उठाए हैं। देश में ऐसी कंपनियां भी हैं जो पहले से ही, लकड़ी के कोयले पर आधारित सक्रिय कार्बन का निर्माण कर रही हैं।

**बिना लाइसेंस वाले हथियारों का पता लगाने के निदेश**

2788. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंभीर अपराधों को रोकने के विचार से बिना लाइसेंस वाले सभी हथियारों का पता लगाने और गैर-कानूनी रूप से बनाये जाने को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों को कुछ निदेश दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को प्राप्त सफलता के बारे में ब्यौरे क्या हैं और किन क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां विशेष रूप से देखी गई हैं ?

**(गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ) (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। केन्द्रीय सरकार ने अवैध हथियारों की समस्या को काबू में करने और बिना लाइसेंस वाले हथियारों का पता लगाने हेतु विशेष अभियान शुरू करने के लिए विभिन्न उपायों का समय-समय पर सुझाव देते हुए सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए हैं। अक्तूबर 1980 में जारी किए गये निदेशों के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने इस संबंध में विशेष अभियान शुरू किए थे और इस दिशा में प्रयास अभी जारी हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के विभिन्न भागों से 1982 में कुल 2,989 अवैध हथियार पकड़े गये अधिकतम अवैध हथियार उत्तर प्रदेश में और उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश राजस्थान और हरियाणा में पकड़े गए

**इलेक्ट्रोनिक पुर्जोउद्योग का आधुनिकीकरण**

2789. **श्री लक्ष्मन मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक पुर्जे उद्योग के आधुनिकीकरण का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो आधुनिकीकरण के इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार किया है ; और

(ग) यह प्रस्ताव कब कार्यान्वित होगा ?

**इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव)** : (क) से (ग) यद्यपि सरकार इलेक्ट्रानिक पुर्जे उद्योग के विकास तथा उसके आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न उपाय कर रही है तथापि, इसके लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है ।

**लौह अयस्क परियोजना, बैलाडिला तथा डल्ली राजहरा खानों में रोजगार**

2790. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से 1982 तक लौह अयस्क परियोजना, बलाडिला तथा डल्ली राजहरा खान में कितने स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हैं।

(ख) उनकी श्रेणीवार संख्या क्या है ;

(ग) उनमें से आदिवासियों तथा हरिजनों की पद-वार संख्या क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि आदिवासी तथा हरिजन उम्मीदवारों को अनुभव प्रमाण-पत्र के न होने पर अयोग्य घोषित किया जाता है ; और

(ङ) क्या ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत सभी आदिवासी तथा हरिजन उम्मीदवारों का चयन किया जाए तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सके ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (सन० के० पी० साल्वे)** : (क) से (ग) 1980 से 1982 के वर्षों में बैलाडिला लौह-अयस्क परियोजना में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे स्थानीय व्यक्तियों का श्रेणी-वार तथा पदवार ब्यौरा और इन श्रेणियों और पदों पर नियुक्त आदिवासियों और हरिजनों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है डल्ली/राजहरा खान के सम्बन्ध में इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

| श्रेणी/पद-वार | स्थानीय व्यक्ति | अनुसूचित जाति (हरिजन) | अनसूचित जन-जाति (आदिवासी) |
|---|---|---|---|
| 1. खलासी | 196 | 78 | 109 |
| 2. बैरा (वीयरर) | 23 | 1 | 4 |
| 3. सफाई वाला (स्वीपर) | 4 | 4 | — |
| 4. चपरासी | 3 | — | 2 |
| 5. आया | 1 | — | 1 |
| 6. सैनिट्री खलासी (गड) (1) | 35 | 35 | — |
| 7. चैनमैन ग्रेड-2 | 1 | — | 1 |
| 8. हल्के वाहन के चालक | 5 | 2 | 1 |
| 9. निम्न श्रेणी लिपिक/टाइपिस्ट | 5 | 2 | — |
| 10. सहायक अध्यापक | 5 | — | 1 |
| 11. स्टोर कीपर ग्रेड-2 | 2 | — | 1 |
| 12. कनिष्ठ अधिकारी (मैकेनिकल) | 2 | 1 | 1 |
| 13. कनिष्क अधिकारी (खनन) | 1 | 1 | — |
| 14. कनिष्ठ अधिकारी (वैद्युतिक) | 1 | 1 | — |
| 15. कनिष्ठ अधिकारी (भू-विज्ञान) | 2 | — | 1 |
| 16. शावल ऑपरेटर ग्रेड-2 | 1 | — | — |
| 17. आटो इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-2 | 2 | — | — |
| 18. वार्ड एटेन्डेन्ट | 1 | — | — |
| 19. प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1 | 1 | — | — |
| 20. मैकेनिक ग्रेड-1 | 2 | — | — |
| 21. इलैक्ट्रिशियन-ग्रेड-1 | 2 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 22. | नर्स | 3 | — | — |
| 23. | मैकेनिक एवं ऑपरेटर | 3 | — | — |
| 24. | प्रयोगशाला तकनीशियन | 1 | — | — |
| 25. | वर्क असिस्टेंट | 1 | — | — |
| | कुल | 304 | 125 | 122 |

**भारतीय भू-सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय का कलकत्ता से स्थानान्तरण**

2791. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय भू-सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय को कलकत्ता से स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि यदि यह कार्य किया गया तो लोगों और कर्मचारियों में असंतोष होने की संभावना है ;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल से मुख्य कार्यालय को स्थानान्तरित करना सरकार की नीति का एक अंक है ; और

(ड) यदि नहीं तो क्या सरकार उक्त कार्यालय को कलकत्ता में ही रहने देने के लिए इस मामले पर पुनर्विचार करेगी ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० सालवे)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कलकत्ता स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्यालयों को वहां से नहीं हटाया जाए।

(घ) और (ड) प्रश्न नहीं उठता।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के भूमिहीन तथा बेघर परिवार**

2792. **श्री बाजूबन रियान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के भूमिहीन तथा बेघर परिवार कितने-कितने हैं ;

(ख) चालू योजना के दौरान उनमें से कितने परिवारों को घर और भूमि दी जायेगी ; और

(ग) 1980 तक भूमि की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त जितनी भूमि थी और प्रत्येक राज्य में भूमिहीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में जितनी भूमि वितरित की गई उसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (ग) तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भूमि तथा आवास स्थल देने के कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा शुरू किये जाते हैं और विस्तृत सूचना राज्य सरकारों के पास ही उपलब्ध होगी ; 1981 की जनगणना के अनुसार आंकडे अभी तक उपलब्ध नहीं किये गये हैं, 1971 की जनगणना से यथा उद्धत अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियां के कृषि मजदूरों की संख्या के संबंध में सूचना विवरण 1 में दी गई ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एन०टी० 6110/83]

निर्माण तथा आवास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकारों न्यूनतम आवश्यकताओं और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के भाग के रूप में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास स्थल के निर्माण का कार्यान्वयन कर रही हैं । जबकि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचना अलग से प्रस्तुत नहीं की गई है, यह कहा गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में 68 लाख भूमि स्थलों के आबंटन की परिकल्पना है जिसमें 1985 तक सभी पात्र ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवार आ जायेंगे 136 लाख परिवारों को आवास स्थल आबंटित किये गये, उनको निर्माण सहायता देने का प्रस्ताव है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संशोधित सीमा निर्धारण कानूनों के अधीन देश में वितरित किये गए कुल क्षेत्र का ब्यौरा, जैसा ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त हुआ, विवरण-2 में देखा जा सकता है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्य एन० टी० 6110/83]

**हिन्दी भाषा के विकास पर किया गया खर्च**

2794. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान हिन्दी भाषा के विकास पर कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) इसी के समान (एक) तमिल (दो) तेलुगु (तीन) मलयालम और (चार) कन्नड़ भाषाओं के विकास पर कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) गृह मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय में हिन्दी भाषी राज्यों के कितने अधिकारी हिन्दी में सरकारी काम काज कर रहे हैं ?

**(गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) दिनांक 1-4-82 से 28-2-83 तक हिन्दी के भाषा के रूप में प्रचार-प्रसार में किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुल व्यय 212.69 लाख रुपये है ।

(ख) दिनांक 1-4-82 से 28-2-83 तक आधुनिक भारतीय भाषों पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया कुल व्यय 118.94 लाख रुपये हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में हिन्दी, संस्कृत और फारसी को छोड़कर तमिल, तेलुगु मलयालम, कन्नड़, उर्दू सिन्धी तथा अन्य भारतीय भाषाएं शामिल हैं ।

(ग) हिन्दी भाषी राज्यों से आए अधिकारियों के बारे में इस प्रकार की जानकारी न तो संबंधित मंत्रालयों में रखी जाती है और न ही राजभाषा विभाग में । केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को राजभाषा नियम (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 8 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार हिन्दी या अंग्रेजी में काम करने की छूट है ।

**उड़ीसा में एक पेपर मिल स्थापित करना**

2795. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में एक पेपर मिल स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा के उस स्थान का नाम क्या है जहां पर यह मिल लगाई जानी है ;

(ग) उपरोक्त प्रस्तावित पेपर मिल की वार्षिक उत्पादन क्षमत कितनी होगी ; और

(घ) उपरोक्त पेपर मिल को स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

**उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) उड़ीसा राज्य में कागज की मिल स्थापित करने को कोई प्रस्ताव वर्तमान में केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**फरार स्वतंत्रता सेनानियों को बिहार द्वारा स्वतन्त्रा सैनिक सम्मान पेंशन की मंजूरी**

2796. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्ता सरकार का विचार उन्हीं फरार सेनानियों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन मंजूर करने का है जिसके लिए स्वतन्तत्रा सैनिक द्वारा निधारण की गई है जो पांच वर्षों तक जेलों में रहे;

(ख) यदि हां तो क्या बिहार सरकार ने ऐसे कुए स्वतन्त्रता सैनिकों को प्राधिकृत किया था

(ग) यदि हां, तो कैसे स्वतन्त्रता सैनिकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को ऐसी शिकायत मिली हैं इनमें से कुछ स्वतन्त्रता सैनिकों ने अत्यधिक रिश्वत ले कर पेंशन के लिए जाली नामों कसिफारिशें की हैं ; और

(ड) यदि हां तो सरकार ने ऐसे स्वतन्त्रता सैनिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

**(गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री ) (श्री वेंकट सुब्बय्या)** : (क) जेल से भाग निकलने वाला कोई स्वतन्त्रता सेनानी 1972 की योजना के अन्तर्गत भी पेंशन के पात्र था बशर्ते कि वह 6 महीने से कम भूमिगत न रहा हो और वह (1) घोषित अपराधी हो अथवा (2) उसकी गिरफ्तारी पर पुरस्कार घोषित किया गया हों (2) वह जिसकी नजरबन्दी का आदेश जारी किया गया हो किन्तु तालीम न किया गय हो । 1980 की योजना में केबल निर्धारित अपेक्षा में छूट इस सीमा तक की गई है कि दावे के समर्थन के लिए जहां सरकारी रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे, 5 वर्ष की जेल यातना वाले प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी से प्रमाण पत्र स्वीकार्य है ।

(ख) और (ग) योजना के अन्तर्गत किसी प्रमाणकर्ता को प्राधिकृत करने के लिए सरकारों के पास व्यवस्था नहीं है। तथा उपर्युक्त रियायत के अनुसरण में राज्य सरकारों से ऐसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की सूची भेजने के लिए कहा गया है जिन्होंने 5 वर्ष रा इससे अधिक की सजा काटी हो, ताकि भारत सरकार उनके मामलों पर अंतिम निर्णय ले सके जिन आवेदकों ने सजा काटने का दावा किया है। बिहार सरकार ने अभी तक ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की सूची नहीं भेजी है जो कम से कम 5 वर्ष जेलों में रहे थे।

(घ) और (ड) कुछ स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को अंधाधुन्न प्रमाण-पत्र जारी करने के विषय में विभिन्न लोगों से शिकायतें प्राप्त हुयी हैं, जो प्रमाणकर्ता स्वतंत्रता सेनानियों के कार्य क्षेत्र से मुश्किल से सम्बन्ध रखते हो। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, सभी राज्य

सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अप्रैल, 1982 में यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं कि केवल वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी ही उपर्युक्त रियायतों का लाभ प्राप्त कर सकें। सरकार केवल यही कार्रवाई कर सकती है कि आवेदकों को पेंशन स्वीकृत करने के उद्देश्य से ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों पर निर्भर नहीं रहे हैं, जब तक कि दावे के समर्थन में अन्य साक्ष्य नहीं हो।

**देश में मैंगनीज अयस्कों का विकास**

2197. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के मैंगनीज अयस्करों के विकास के लिए जनवरी, 1983 से अब तक क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) इसका इस समय कितना उत्पादन होता है और देश में इसकी कितनी आवश्यकता है ;

(ग) कितने नए फेरों मैंगनीज संयंत्र स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) वे सम्भवतः कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० बी० पी० साल्वे)** : (क) देश के उन क्षेत्रों में, जहां मैंगनीज मिलने की सम्भावना है, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा खोज कार्य किया जा रहा है। मैंगनीज और (इंडिया) लिमिटेड (मायल) भी आन्ध्र प्रदेश में आदिलाबाद, कान्दरी मसर क्षेत्र तथा मुमगांव-वेलडोंगरी की खानों में पट्टे पर लिए गए क्षेत्रों में खोज कार्य कर रही है। "मायल" ने बालाघाट क्षेत्र में उच्च ग्रेड के अयस्क के अतिरिक्त स्रोतों की खोज का कार्य अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी सूचना के अनुसार मैंगनीज अयस्क का उत्पादन इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| 1981 | 15,25,000 टन |
| 1982 | 14,48,000 टन |

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1980 में मैंगनीज अयस्क की खपत 949,000 टन हुई।

(ग) और (घ) "मायल" का मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में फेरो-मैंगनीज का एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

**संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र की बैठक**

2798. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर विचार करने हेतु संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक कब से आयोजित नहीं की गई है और उनकी मांगें कब से विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार कर्मचारियों की यूनियन ने मांग की है कि संयुक्त परामर्शदात्री को तोड़ दिया जाए क्योंकि यह संतोषजनक रूप से काम नहीं कर रही ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) राष्ट्रीय परिषद के अतिरिक्त बहुत सी विभागीय परिषदों और कार्यालय/क्षेत्रीय परिषदों जैसी संयुक्त परिषदों के समक्ष प्रस्तुत विवादों पर विचार-विमर्श करने और पारस्परिक बातचीत से उनका समाधान करने के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों में ऐसी परिषदों की अनेक बैठकें हुई हैं। आपसी बातचीत द्वारा समझौते पर पहुंचने के लिए राष्ट्रीय परिषद की उप-समितियों, मन्त्रियों की समिति और राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष की स्थायी समिति की भी बहुत सारी बैठकें बुलाई गई थीं। इसके अतिरिक्त अनिर्णीत विवादों के समाधान के लिए कर्मचारी पक्ष के सदस्य राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष (मन्त्रिमंडल सचिव), वित्त सचिव, कार्मिक सचिव आदि के साथ कभी-कभी औपचारिक और अनौपचारिक रूप से भी मिलते रहते हैं। इन उपायों से बहुत से महत्वपूर्ण विवाद वस्तुतः निपटा लिए गए हैं। तथापि जैसाकि ऐसे मामलों में प्रायः होता है संयुक्त परामर्श तन्त्र में कुछ मांगों पर कर्मचारी पक्ष के साथ बातचीत चलती रहती है तथा सरकार उन पर विचार करती रहती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रधान मंत्री के अधीन मंत्रालयों और विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा**

2799. **श्री राम विलास पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके प्रभाराधीन मंत्रालय और विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या और प्रत्येक श्रेणी में उनका प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा पूरा कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो शेष कोटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कौन से विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को जानबूझ कर नियुक्त नहीं करते हैं जबकि ऐसे योग्य उम्मीदगार उपलब्ध होते हैं; और

(च) यदि हां, तो उन अधिकारियों की संख्या क्या है जिनके विरुद्ध अब तक कार्यवाही की गई है और की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है।

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (च) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**अभ्रक की खानों सम्बन्धी ब्यौरा**

2801 **श्री एन० डेनिस** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां अभ्रक की खानें पाई गई हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार अभ्रक की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ है ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र में अभ्रम की खाने हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) अभ्रक की खानें मुख्यत: बिहार के गिरिडीह, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर और नवादा जिलों में हैं, राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक तथा उदयपुर जिलों में तथा आन्ध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में हैं। कुछ खाने तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में भी हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित कुल मात्रा निम्नलिखित हैं :—

(टनों में)

| राज्य | 1980 | | 1981 | | 1982 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ब्लैंड | छीजन और कूड स्क्रैप | | छीजन और कूड स्क्रैप | | छीजन और स्क्रैप |
| आन्ध्र प्रदेश | 2,235 | 1,771 | 2,415 | 1,420 | 2,708 | 1,571 |
| बिहार | 4,610 | 2,098 | 4,908 | 2,381 | 4,776 | 2,387 |
| राजस्थान | 977 | 495 | 1,109 | 476 | 942 | 416 |
| तमिलनाडु | 12 | 29 | 93 | 33 | 68 | 3 |
| जोड़ | 7,934 | 4,393 | 8,525 | 4,310 | 8,584 | 4,377 |

(ग) और (घ) बिहार राज्य के नवादा जिले में 4 अभ्रक की खानें राज्य के सरकारी क्षेत्र में हैं जिनका उत्पादन निम्नलिखित बताया गया है :—

(कूड)

| 1980 | 1981 | 1982 |
|---|---|---|
| (मात्रा) | (मात्रा) | (मात्रा) |
| 55 | 35 | 19 |

**बिहार के खटवे तथा टटवा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना**

2802. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मधुबनी, दरभंग, सीतामढ़ी, सहरसा आदि जिलों में खटवा और टटवा समुदायों की सामाजिक अस्पृष्यता, शैक्षिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ेपन के बारे में मौके पर जाकर अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए उठाये गए कदम क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी हां, श्रीमान। अनुसूचित जातियों की सूची में खटवे और टटवा समुदायों को शामिल करने के बारे में बिहार राज्य के मधुबनी, दरभंगा और गिरिडिह आदि जिलों में मौके पर जाकर अध्ययन किया गया है।

(ख) क्षेत्र की जांच पड़ताल के अनुसार खटवे और टटवा समुदाय को शामिल करने के निर्धारित मानदंड अर्थात अस्पश्यर्यता की पारम्परिक प्रथा से उत्पादिक प्रथा से उत्पन्न अत्याधिक सामाजिक, शैक्षिणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को पूरा नहीं करते।

(ग) बिहार में खटवे और टटवा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव और अन्य ऐसे प्रस्ताव, सिफारिशों तथा सुझावों पर संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और भारत के महापंजीकार के साथ भी परामर्श करके विधिवत विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है और उनकी सिफारिशें प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342 (2) की दृष्टि से केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

**राष्ट्रीय पर्यावरण कांग्रेस की बैठक**

2803. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **प्रधान मन्त्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यावरण कांग्रेस की बैठक हुई थी और उसमें वर्ष 1983 के लिए कार्यवाही-कार्यक्रम का निर्णय किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) तथा (ख) 28-30 दिसम्बर, 1982 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित पहली राष्ट्रीय पर्यावरण कांग्रेस ने सम्पूर्ण देश में 1983 के दौरान, स्थानीय स्तर पर कार्यशालाएं प्रवर्तित करने की सिफारिश की थी। कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों, खंडों जिलों और राज्य मुख्यालयों में, स्थानीय भाषाओं में 5 जून, 1983 को विश्व पर्यावरण दिवस पर क्षेत्र की पारिस्थितिकीय समस्याओं पर गोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी और परि-विकास गतिविधियों के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा जून, 1983 के दौरान उनका कार्यान्वन किया जाएगा। एक तिमाही समाचार-पत्र का प्रकाशन और क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के लिए साधन निदेशिका तैयार करने की भी सिफारिश की गई है।

**हिमाचल के क्षेत्रों के विकास के लिए सलाहकार समिति**

2804. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमालय के क्षेत्रों का सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीके से विकास के लिए विशेषज्ञों की एक 20 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है ; और

(ख) समिति के मुख्य कार्य क्या हैं और हिमालय के क्षेत्रों के विकास में यह किस सीमा तक सहायक होगी और उक्त समिति का कार्यकाल कितना है ?

**योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) और (ख) जी, हां। सुव्यवस्थिति और वैज्ञानिक आधार पर हिमालय क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए 20 सदस्यों वाली एक सलाहकार समिति गठित की गई है। इस समिति का कार्यकाल 2 वर्ष है और इसके कार्य मुख्य रूप से ये हैं :—

(क) विशेष क्षेत्रीय स्थायी निधियां और विविध कृषि-परिस्थितिकीय विशेषताओं तथा सामाजिक संस्कृति लोकाचार ; और

(ख) पारिस्थितिकीय व्यवस्था की हानि और इसे पुनः स्थापित करने और बनाए रखने की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए हिमालय क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजना से संबंधित मामलों पर सलाह देना।

**एकीकृत इस्पात संयंत्रों में बार और राड मिलों की आगे और स्थापना पर रोक**

2805. **श्री एस०ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात रि-रोलिंग उद्योग ने सरकार से अनुरोध किया है कि एकीकृत इस्पात संयंत्रों में बार और राड मिलों की आगे और स्थापना पर रोक लगाई जाये क्योंकि इससे वायर राड रोलिंग मिलों को नुकसान पहुंचेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) और (ख) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में तार-छड़ मिलें लगाने पर सामान्य रोक लगाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

**भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के पावर सेटों को जंग लगना**

2806. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने राज्य बिजली बोर्ड से दो सौ पचास करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या आयोजना के अनुमान में भारी गलतियों के कारण जिसके परिणाम-स्वरूप राज्यों ने उपकरणों की डिलीवरी नहीं ली है जिसके लिए उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को पहले आर्डर दिए थे, 'भेल' द्वारा सप्लाई किए गए नब्बे पावर सेटों को स्टोरों में जंग लग रहा है ;

(ग) यदि हां, तो 'भेल' के पास कितने मूल्य के ऐसे उपकरण पड़े हैं और उनका निपटान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) 31-1-1983 तक राज्य बिजली बोर्डों पर बी० एच० ई० एल० की लगभग 307 करोड़ रुपये की राशि बकाया है । बकाया राशि की वसूली के लिए विभिन्न राज्य बिजली बोर्डो के सभी स्तर के संबंधित अधिकारियों के संबंधित अधिकारियों के साथ बी० एच० ई० एल० के कार्यकारी बराबर सम्पर्क कर रहे हैं । इस मामले की सरकार द्वारा राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ भी उठाया गया है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**संसद सदस्यों को मारुति कारों का आवंटन**

2807. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों के निर्माण का निर्धारित कार्यक्रम क्या है ;

(ख) आम जनता के लिए इसकी बुकिंग कब से प्रारम्भ हो जाएगी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक संसद सदस्य को एक वाहन धारी बाहर आवंटित करने का है ;

**उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) मारुति गाड़ियों का उत्पादन इस वर्ष के अन्त तक प्रारम्भ होने की आशा है। विभिन्न माडल जिनका मारुति द्वारा निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, चरणबद्ध तरीके आरम्भ किये जायेंगे।

(ख) मारुति गाड़ियों की बुकिंग शीघ्र ही शुरू होने की आशा है।

(ग) अभी ऐसी अवस्था नहीं आई है कि मारुति लिमिटेड के बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जा सके।

**बहादुर शाह जाफर की प्रपौत्रियों की वापसी**

280.8 **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जनवरी, 1983 से लापता 11 और 8 साल की बहादुर शाह जफर की प्रपौत्रियों को तलाश कर लिए गया है और उन्हें कलकत्ता में उनके माता-पिता को वापस कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को औद्योगिक प्लाटों का आवंटन**

2809. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले उद्योग निदेशालय, दिल्ली प्रशासन शेडों/प्लाटों/फ्लेरित कारखानों के आवंटन के बाद प्रारंभ में 10 प्रतिशत कीमत की मांग किया करता था ;

(ख) क्या अब ओखला में प्लाट का आबंटन करने पर जमा राशि के रूप में 50 प्रतिशत राशि मांगी जा रही है ; यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण दुकानों का आबंटन करने के बाद, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों से 25 प्रतिशत राशि मांगता है तथा शेष किस्तों में देना होता है ; तो क्या कारण हैं कि वहां भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जा सकता ;

(घ) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कुछ पात्र उम्मीदवारी से दूसरों के साथ संयुक्त करार किया है ; यदि हां, तो इन लोगों के हितों की रक्षा के लिए कार्य-कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों के तत्संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच की गई है ; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । अनुमानित कीमत का 50 प्रतिशत जमानत जमा राशि के रूप में मांगा जा रहा है और यदि आवेदन के पक्ष में लाटरी निकल आए तो इसे प्लाट के मूल्य में समायोजित कर लिया जाएगा ।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसी प्रक्रिया नहीं अपनायी जाती उद्योग निदेशालय द्वारा विकसित किए गए प्लाटों की प्रक्रिया से भिन्न दिल्ली विकास प्राधिकरण की दुकानें उच्चतम बोली देने वालों को आबंटित की जाती हैं ।

(घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति से भिन्न व्यक्तियों के साथ करार करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों की पात्रता का निर्णय इस विषय पर सरकार की नीति के अनुसार किया जाएगा ।

(ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रमाण-पत्रों की जांच उसी जांच समिति द्वारा की गई थी जिसके आबंटन के लिए नामावली तैयार की थी ।

**संघटक योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन**

2810. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में हरिजनों के उत्थान के लिए संघटक योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में की गई प्रगति का जायजा लिया गया है ;

(ख) वर्ष 1982 के दौरान प्रत्येक राज्य को विशेष रूप से महाराष्ट्र को कितनी धनराशि दी गई ;

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि का इस्तेमाल किया गया ;

(घ) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अतिरिक्त सुविधा देगी ; और

(ङ) कुछ राज्यों के संबंध में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) महाराष्ट्र समेत प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान किए गए आवंटनों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा उपयोग की गई वास्तविक राशि के बारे में वित्तीय वर्ष 1982-83 के अन्त में मालूम होगा ।

(घ) विशेष संघटक योजना और जनजातीय उपयोजनाएं राज्यों की वार्षिक योजनाओं की अभिन्न अंग हैं । राज्यों की वार्षिक योजनाओं में विभाज्य क्षेत्रों में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित परिव्यय होता है । चूंकि कोई अतिरिक्त निवेश नहीं होता इसलिए अतिरिक्त लाभों के परिमापन का प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजना संकल्पना केवल छठीं योजना अवधि के दौरान ही लागू की गई है । इसलिए विचारों के स्पष्टीकरण परियोजनाओं के प्रबोधन के लिए राज्य और क्षेत्र स्तर पर प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने में समय लगा । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उम्मीद है कि राज्य अधिक अच्छा कार्य कर सकेंगे और अपने वार्षिक लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे ।

**विवरण**

| क्रम सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | कुल योजना परिव्यय | वि०स०यो० |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 605.00 | 62.67 |
| 2. | असम | 238.00 | 4.31 |

| 1 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 3. बिहार | 670.00 | 58.77 |
| 5. गुजरात | 760.00 | 17.52 |
| 4. हरियाणा | 220.00 | 24.68 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 120.00 | 10.16 |
| 7. कर्नाटक | 475.00 | 65.39 |
| 8. केरल | 275.00 | 15.69 |
| 9. मध्य प्रदेश | 725.00 | 46.71 |
| 10. महाराष्ट्र | 1322.00 | 31.01 |
| 11. मणिपुर | 48.00 | 0.01 |
| 12. उड़ीसा | 300.00 | 11.45 |
| 13. पंजाब | 385.00 | 20.14 |
| 14. राजस्थान | 340.00 | 30.73 |
| 15. सिक्किम | 25.41 | 0.41 |
| 16. तमिलनाडु | 711.00 | 89.77 |
| 17. त्रिपुरा | 50.00 | 4.61 |
| 18. उत्तर प्रदेश | 1132.00 | 121.00 |
| 19. पश्चिम बंगल | 490.00 | 29.17 |
| 20. दिल्ली | 200.00 | 11.91 |
| 21. चण्डीगढ़ | 23.77 | 0.99 |
| 22. गोवा, दमन और दीव | 44.12 | 0.30 |
| 23. पांडिचेरी | 18.19 | 2.60 |
| 24. जम्मू और कश्मीर | 168.00 | 0.86 |
| जोड़ | 9445.49 | 661.65 |

टिप्पणी :—चूंकि कुछ राज्यों के मामले में 1982-83 के लिए विशेष संघटक योजनाओं को कुछ अतिरिक्त राशियां दी जा सकती हैं इसलिए विशेष संघटक योजनाओं के अन्तिम परिव्यय कुछ अधिक होंगे ।

**छोटी यूनिटों में उत्पादित माल की कीमत में तरजीह**

2811. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में छोटे उद्योगों की धीमी गति का एक अवरोधक कारण उद्योग द्वारा सस्ती दरों पर वस्तुओं का उत्पादन करने की कमजोरी है ;

(ख) क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने हेतु छोटे पैमाने के क्षेत्र में उत्पादित माल की कीमत की तरजीह देने की योजना पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो यह सुविधा किन मदों पर दी जाएगी ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) से (घ) लघु क्षेत्र में एककों की संख्या व उत्पादन दोनों ही में दृढ़ता से वृद्धि हुई है । केवल लघु क्षेत्र से खरीदी जाने वाली अथवा उनसे आंशिक रूप से खरीदी जाने वाली आरक्षित वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर निजी क्षेत्र के बड़े एककों के स्वीकार्य न्यूनतम दर के प्रस्तावों पर 15 प्रतिशत तक मूल्य अधिमान देने सम्बन्धी एक नीति आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा अपनायी जाती है । मूल्य अधिमान स्वत: नहीं दिया जाता है । किन्तु इसकी ग्रह्यता व 15 प्रतिशत की सीमा के भीतर अधिनियम मात्रा का निर्णय प्रत्येक मामले में गुणावगुण आधार पर लिया जाता है ।

**राष्ट्रीय आय के संदर्भ में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति**

2812. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आय के संदर्भ में वर्ष 1979 से 1982 के दौरान अब तक वर्षवार राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की स्थिति कैसी कैसी रही है ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान वर्षवार मूल्य सूचकांक कैसा रहा था ।

(ग) जमा और खर्च का वर्षवार अनुपात क्या था ; और

(घ) क्या सरकार महसूस करती है कि इससे वित्तीय स्थिरता को सहयोग मिला है जो कि 'ग्रे परिया' के आर्थिक विकास के लिए अनुकूल है और क्या उनमें सुधार के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है ?

**वित्त मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) तथा (ग) वर्ष 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय आय तथा बचत एवं पूंजी निर्माण की दर के अनुमान जैसे कि केन्द्रीय संगठन के द्वारा फरवरी,

1983 में जारी किए गए है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। उससे यह देखा जाएगा कि, तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि वास्तविक रूप में क्रमशः (—) 5 प्रतिशत, 8.1 प्रतिशत तथा 5.0 प्रतिशत थी। वर्ष 1982-93 के लिए अभी अनुमानसंकलित नहीं किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6111/83]

(ख) अवधि के दौरान मूल्यों की स्थिति में विशेष सुधार हुआ। यह निम्नलिखित विवरण से देखा जा सकता है।

**मुद्रास्फीति की वार्षिक दर**

| माह-वर्ष | थोक भाव सूचकांक (1970-71 = 100) | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960 = 100) |
|---|---|---|
| दिसम्बर, 1979 | 22.4 | 11.6 |
| दिसम्बर, 1980 | 13.3 | 9.1 |
| दिसम्बर, 1981 | 8.7 | 12.7 |
| दिसम्बर, 1982 | 2.7 | 8.0 |
| जनवरी, 1983 | 2.5 | 7.8 |

(घ) इस प्रकार से तैयार किए गए ढांचे से वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान मिला है जो आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हुआ है। वर्ष 1980-81 के दौरान अर्थव्यवस्था में विशेष सुधार परिलक्षित हुआ। वर्ष 1981-82 के दौरान इसकी सुधार प्रक्रिया में दृढ़ता आयी तथा तथा महत्वपूर्ण अतिरिक्त शक्ति अर्जित हुयी। वर्ष 1982-83 में अर्थव्यवस्था में प्रशंसनीय अभिवृद्धि हुयी है। आनेवाले वर्षों में भी अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार होगा, ऐसी आशा करने के लिए निश्चित कारण हैं। तथापि, समस्या की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए बृहत् प्रयासों की निश्चित रूप से आवश्यकता है।

**पर्यावरण पर तिवारी आयोग की रिपोर्ट**

2813. **श्री के० राममूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण पर तिवारी आयोग की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) प्रदूषण से ग्रस्त सत्रह करोड़ पचास लाख हेक्टेयर भूमि को बचाने, भूमि कटाव से प्रभावित दो करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र की रक्षा करने तथा 600 करोड़ टन ऊपरि मिट्टी के कटाव से सात सौ करोड़ रुपये की लगातार हो रही हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : तिवारी आयोग की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश केन्द्र में एक पर्यावरण विभाग का सृजन करना था जो निम्नलिखित उत्तरदायित्वों को वहन करे ;

(क) पर्यावरणीय संरक्षण और परि-विकास के लिए समन्वय की भूमिका निभाते हुए एक 'नोडीय' अभिकरण के रूप में कार्य करना ;

(ख) विकास परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन करना ;

(ग) निम्नलिखित के लिए प्रत्यक्ष प्रशासनिक उत्तरदायित्व वहन करना :—

(1) प्रदूषण मानीटरन और विनियमन ;

(2) संकटग्रस्त पारि-तंत्र जैसे जीवमण्डल रिजर्वों, राष्ट्रीय पार्कों, अभयारण्यों और वन्य जीवन तथा इनके आवास का संरक्षण ;

(3) समुद्री पारितंत्र का संरक्षण ।

रिपोर्ट की अन्य सिफारिशें पर्यावरणीय मानीटरन, पर्यावरणीय शिक्षा और भूमि उपयोग, कानूनी कक्ष की स्थापना, राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजना समिति (एन० सी० ई० पी०), जीवमंडल रिजर्वों, समुद्री पारि-तंत्रों का संरक्षण और मन्त्रालयों/अभिकरणों में पर्यावरणीय परामर्शदाताओं के पदों का सृजन करना, पर्यावरणीय विषयों पर विचार करने के लिए राज्यों में उपयुक्त अभिकरणों का सृजन करने के क्षेत्रों से सम्बन्धित थीं ।

जल का संरक्षण और पुन: उपयोग, वनस्पति आवरण की वृद्धि, वनरोपण और परति भूमि का प्रत्यास्थापना कुछ ऐसे उपाय हैं जो मिट्टी के कटाव के निवारण और नियन्त्रण के लिए किए जा रहे हैं ।

भूमि संरक्षण, अनुसंधान और जल-विभाजकों आदि में जलग्रहण निरुपित करने के लिए भूमि उपयोग सर्वेक्षण हेतु केन्द्रीय सहायता भी दी जा रही है । नदी घाटी परियोजनाओं के जल-ग्रहणों तथा बाढ़ प्रवृत्त नदियों का स्थायीकरण प्रगति में है । मृदा संरक्षण, वनरोपण तथा चरागाह विकास के लिए विशेष प्रयास भी जारी हैं । जुताई स्थानान्तरण को छोड़कर क्षारता द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के सम्बन्ध में अग्रगामी परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है । फरवरी, 1983 में एक राष्ट्रीय भूमि बोर्ड तथा राष्ट्रीय भूमि साधन, संरक्षण व विकास आयोग और अधिकांश राज्यों में संगत राज्य भूमि उपयोग बोर्डों की स्थापना के द्वारा ये सब व्यापक रूप से सम्मिलित कर लिए गए हैं ।

**विदेशों में स्थित शिविरों में नजरबन्द रहे आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों को पेंशन दिया जाना**

2814. **श्री एस० सिंगारावाडी वेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज के ऐसे कार्मिकों, जिन्होंने विदेशों में स्थित कुछ शिविरों में नजरबन्द रहने का दावा किया है मैं किसी को भी इस आधार पर पेंशन नहीं दी गई है कि ऐसे व्यक्ति इन शिविरों के सक्षम व्यक्तियों से सहबन्दी के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके ;

(ख) क्या सरकार को आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों से आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि ऐसे व्यक्तियों को पेंशन भोगी से सहबन्दी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने दिया जाये जो पड़ोस के शिविर में नजर बन्द रहा हो ; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह समझते हुए कि कतिपय नजरबन्दी शिविरों के आजाद हिन्द फौज के ऐसे कार्मिक, जो उक्त शिविरों के व्यक्तियों व्यक्तियों के सहबन्दी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके क्योंकि उनमें से किसी को भी स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन मिली हुई है, नियमों में ढील देने और पड़ौसी नजरबन्दी शिविरों के पेंशन भोगियों द्वारा दिये जाने वाले सहबन्दी के प्रमाण-पत्र को, राष्ट्र के लिए उनके त्याग को देखते हुए, स्वीकार करने का है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या)** : (क) जी हां, श्रीमान । प्रमाण-पत्रों को स्वीकार करने के लिए एक ही शिविर में सहबन्दी आवश्यक अवश्य है ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) शिविरों में ढील देने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**कनिष्ठ आशु लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों को पदोन्नति**

2815. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनिष्ठ आशु लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों के पदोन्नति के अवसर क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या किसी पदोन्नति के लिए कनिष्ठ आशु लिपिकों और उच्च श्रेणी लिपिकों पर एक साथ ही विचार किया जाता है ;

(ग) क्या कनिष्ठ आशुलिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों को कोई समयबद्ध पदोन्नति दी जाती है, यदि हां, तो कितने वर्ष के पश्चात ; और

(घ) क्या वर्ष 1974 के बैच के आशुपालिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों को पदोन्नत करने के कोई अनुदेश फरवरी, 1982 में जारी किए गए हैं ; यदि हां तो कितने व्यक्तियों को पदोन्नति किया गया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या)** : (क) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में, कनिष्ठ आशुलिपिकों का कोई संवर्ग नहीं है। फिर भी सेवा का निम्नतम ग्रेड, ग्रेड घ है, जिसके सदस्य, यदि उन्होंने उस ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा कर ली हो, तो वे ग्रेड "ग" में पदोन्नति के लिए पात्र हैं। केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियमावली, 1962 के अनुसार उच्च श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं। किन्तु केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड घ से ग्रेड ग में पदोन्नति के लिए जीनों का निर्धारण फरवरी, 1982 में कर दिया गया है।

**"कैसेट पाइरेसी"**

2816. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मार्च, 1983 के "द ट्रिब्यून" में "चण्डीगढ़ कालिंग" स्तम्भ में प्रकाशित "कैसेट पाइरेसी" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र में चोरी के संगीत के कैसेटों की बिक्री रोकने के लिए कौन से कदम उठाये जाने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या)** : (क) संघ शासित क्षेत्र प्रसासन चंडीगढ़ ने सूचित किया है कि उन्हें इस समाचार की जानकारी है।

(ख) चण्डीगढ़ पुलिस ने ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया है। तथापि चण्डीगढ़ के सैक्टर 17 की दुकान में "कैसेट पाइरेसी" का पता लगाने के लिए ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया की तरफ से कापी राइट अधिनियम 1957 की धारा 63 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 25-1-82 को वारंट जारी किए हैं।

(ग) जैसे ही प्रकार के मामले सरकार के ध्यान में आते हैं हैं कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाती है।

**चण्डीगढ़ के लिफ्ट आपरेटरों और लिफ्ट खलासियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण**

2817. **श्री जी० एस० निहालसिंह वाला** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन के अधीन कार्यरत लिफ्ट आपरेटरों और लिफ्ट खलासियों ने

ने प्रशासन को कोई अभ्यावेदन दिया जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि उनके वेतनमान बढ़ाकर पंजाब में उनके समानान्तर पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतनमानों के बराबर कर दिए जाएं ;

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध कब किया गया था और उस पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन ने उनकी सभी मांगें स्वीकार कर ली हैं, और केन्द्रीय सरकार से उसकी अनुमति मांगी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस प्रस्ताव के स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या)** : (क) संघ) शासित क्षेत्र प्रशासन चंडीगढ़ ने सूचित किया कि प्रशासन के खलासियों और लिफ्ट आपरेटरों वेतनमान बढ़ाकर पंजाब में उनके समानान्तर पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के बराबर करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**गुजरात में उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव**

2818. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बलसार जिला और अन्य पिछड़े ओर आदिवासी क्षेत्रों सहित गुजरात के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए 1-2-1980 से 31-1-1981 तक की अवधि के दौरान गुजरात सरकार के उद्योगपतियों, गैर-सरकारी और सरकारी उद्यमियों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई ,

(घ) उसका क्या परिणाम निकला ;

(ङ) उक्त प्रस्तावों में कितने स्वीकृत और कितने अस्वीकृत किए गए और कितने विचाराधीन हैं ; और

(च) उद्योगों को इस समय क्या सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ; और इनकी बढ़ोत्तरी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

**उद्योग मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी** : (क) से (ङ) 1-8-1980 से 31-1-1981 की अवधि में गुजरात राज्य में उद्योगों की स्थापना करने के लिए गुजरात राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों, एकाधिकार निरोधक व्यापार प्रक्रिया कंपनियों तथा अन्यान्य से 252 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों का क्षेत्रवार ब्यौरा और उनके निपटान की स्थिति विवरण में दी गई है।

(च) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित विशेष सुविधाएं की जाती है :—

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रियायती पुनर्वित योजना।

(2) केन्द्रीय निवेश राज सहायता।

(3) आयकर संबंधी राहत।

(4) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।

(5) ब्याज राज सहायता।

(6) कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं।

(7) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा रियायती शर्तों पर मशीनों का संभरण

(8) परिवहन राज सहायता, आदि।

**विवरण**

| आवेदक | प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या | स्वीकृत आवेदनों की संख्या | रद्द किए गए या अन्यथा निपटाए गए आवेदनों की संख्या | सम्प्रति अनिर्णीत पड़े आवेदनों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| राज्य सरकार के उपक्रम | 17 | 7 | 9 | 1 |
| केन्द्रीय सरकार के उपक्रम | 4 | 3 | 1 | — |
| एकाधिकार निरोधक व्यापार प्रक्रिया (एम० आर० टी० पी०) कम्पनियां | 34 | 16 | 16 | 2 |
| एकाधिकार निरोधक व्यापार प्रक्रिया कम्पनियों से इतर एकक | 197 | 95 | 101 | 1 |
| कुल योग : | 252 | 121 | 127 | 4 |

**सीमेंट बोरियों के कम तोल के बारे में भारतीय सीमेंट निगम नया गांव यूनिट के प्रबन्ध के विरुद्ध शिकायत**

2819. **श्री भीखा भाई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय सीमेंट निगम की नयागांव यूनिट के प्रबन्ध को प्रत्येक सीमेंट की बोरी के कम तोल के लिए दोषी ठहराया गया है ;

(ख) क्या प्रबन्ध के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज की गई है ;

(ग) क्या किसानों ने कम तोलने पर प्रबन्ध के विरुद्ध आन्दोलन किया है ; और

(ग) इस समय मामला किस स्थिति में है ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार के माप और तोल विभाग द्वारा सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के नयागांव एकक को कारखाने की परिसीमा से बाहर सीमेंट की बोरियों का वजन कम होने के लिए आरोप-पत्र दिया गया था। कारपोरेशन ने यह बताया है कि पैकिंग, वजन और/या कारखाने से प्रेषण करते समय बोरियों का वजन कम होने का कोई भी मामला नहीं था। उस विभाग द्वारा निगम के खिलाफ दर्ज कराए गए चार मामलों में से दो मामले खारिज कर दिए गए और अन्य दो मामले निर्णयाधीन पड़े हुए हैं।

कारपोरेशन ने यह बताया है कि प्रबन्धकों के विरुद्ध कम वजन होने की वजह से कोई भी आन्दोलन नहीं हुआ है।

**रेलवे पुलिस और असम रायफल पुलिस द्वारा नेपाली भाषी भारतीय नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार**

2820. **श्री आनन्द पाठक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "आल गारो हिल्स नेपाली स्टूडेंट्स यूनियन" की ओर से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें नेपाली भाषी भारतीय नागरिकों के साथ जब वे पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर आने-जाने की यात्रा करते हैं, असम और असम-पश्चिम बंगाल सीमा के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस और असम रायफल पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार करने के बारे में शिकायत की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते तथा उन्हें ऐसी परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : जी हां, श्रीमान ।

(ख) परेशान करने आरोप के बारे में इन्कार करते हुए राज्य सरकार ने कहा है कि असम में प्रवेश करने वाले नेपाली नागरिकों को सक्षम प्राधिकारियों से "प्रतिवन्धित क्षेत्र परमिट" प्राप्त करने होते हैं । चूंकि पुलिस को आवश्यक जांच और सत्यापन करना पड़ता है, इसलिए नेपालियों को नाराज नहीं होना चाहिए । तथापि, सरकार का यह प्रयास है कि नेपाली मूल के किसी भारतीय नागरिक को परेशान न किया जाए और इस सम्वन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश दे दिए गए हैं ।

**2 लाख टन मिश्रित कोक के लिए निविदाएं**

2821. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 लाख टन मिश्रित कोक की बिक्री भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा 14 जून 1982 की बावत ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की गई थीं और कागजों पर अधिक मूल्य दिखा कर मैसर्स कोक पिंडर्स को कोक बेच दिया गया था ;

(ख) क्या कोक उठाने के लिए 10 से 12 महीने के बजाय उन्हें 24 महीने का समय दिया गया था और उन्हें 324 लाख रुपए के बजाय 15 लाख रुपए की बैंक गारंटी देने की भी अनुमति दी गई थी ; और

(ग) यदि हां तो इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है और उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम बठाए जा रहे हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** (क) : भिलाई इस्पात का कारखाने की लाइन संख्या 52ए से 2 लाख टन मिश्रित कोक की बिक्री हेतु 14 जून, 1982 की एक विज्ञापन दिया गया था । 324 रुपए प्रति टन के हिसाब से सबसे ऊंची बोली देने वाले मैसर्स कोक फीडर्स के नाम बिक्री आर्डर जारी किया गया था यह कहना ठीक नहीं है कि कागजों पर अधिक मूल्य दिखाया गया है ।

(ख) और (ग) निविदा की शर्तों के अनुसार उन्हें प्रत्येक महीने कम से कम 2000 टन कोक उठाना था मैसर्स फीडर्स इस बात पर सहमत हो गए थे कि वे 2 टन की पूरी मात्रा दो वर्षों की अवधि में उठा लेंगे ।

निविदा में दी गई शर्तों के अनुसार ठेकेदार को बिक्री मूल्य की राशि जमानत के रूप में जमा करवानी थी जिसमें से कम से कम 1 प्रतिशत राशि नगद तथा शेष राशि बैंक गारंटी अथवा नगद

होनी चाहिए थी। निविदा की शर्तों के अनुसार मैसर्स कोक फीडर्स ने ऋण मिलने में कठिनाई के कारण 15 लाख रुपए की बैंक गारंटी दी। यह भी स्वीकार कर लिया गया वे 1 टन कोक उठाने पर 16.20 रुपए अर्थात, प्रति टन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि जमा करवायेंगे, जो एक लाख टन के कोक उठाने पर 16.20 लाख रुपए बैठती है। यह राशि 15 लाख रुपए की नियत बैंक गारंटी तथा 1.2 लाख रुपए की नगद जमानत के अलावा होगी और इस तरह 2 लाख टन कोयले के विक्रय मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर जमानत की राशि पूरी हो जायेगी।

कोक बीज की बिक्री का ठेका अधिक मूल्य देने वाली तथा ठेके के सभी शर्तों को पूरा करने वाली पार्टी को दिया गया था

**ऊर्जा संरक्षण के लिए पांचवे इंजीनियरिंग व्यापार मेले में प्राप्त मांग पत्र :**

2822 **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में जनवरी 1983 में पांचवे इंजीनियरिंग व्यापार मेले में विशेष रूप से ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में क्या मांग पत्र प्राप्त किए गए हैं;

(ख) क्या इस मेले में ऊर्जा के क्षेत्र में नयी तकनीकी प्रगति दिखाई गई है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) मेले ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट आदेश नहीं मिले थे।

(क) और (ग) ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में की गई प्रगति को दिखाने वाली विभिन्न वस्तुएं मेले में प्रदर्शित की गई थी। इनमें यह शामिल है; सौर ऊर्जा उपकरण, थर्मिक फ्यूड हीटर इमारतों में सौर गर्मी पहुंचाना, सैंड ऊर्जा ड्राइंग प्लाट्स, वेस्ट हीट टेलर मेड बायलर। मेले में आयोजित सेमिनार में ऊर्जा संरक्षण के बारे में विभिन्न कागज पत्र भी प्रस्तुत किए थे।

**सरकार आयोग से सम्बद्ध अधिकारी**

2823. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार आयोग, जो अन्तरित रिपोर्ट दिये बिना ही 1979 में समाप्त कर दिया गया था, संबद्ध किये गये अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ये अधिकारी किन विभागों से लिये गये थे ;

(ग) क्या इनमें से किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत थी ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायत थी ; ?

**उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) से (घ) सरकार आयोग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न सेवाओं/विभागों/कार्यालयों उदाहरणार्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और आय कर सेवा सहित,) सी० बी० आई० भारतीय रिजर्व बैंक, सर्वोच्च न्यायालय, केन्द्रीय सचिवालय सेवा से अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया गया था। आयोग के 9 वर्ष के जीवन काल में बहुत से अधिकारी आए और अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर इसे छोड़ कर चले गए।

18-4-1979 को बिना कोई रिपोर्ट पेश किए आयोग के बंद हो जाने के बाद, आयोग के प्रलेख संबंधित मंत्रालयों/विभागों कार्यालयों को उपयुक्त कार्यवाई और रिकार्ड के लिए अन्तरित करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। अतः एक स्थान पर पूरे प्रलेख न होने के कारण, और आयोग बंद हो जाने के चार वर्ष बीत जाने के बाद बात पाना संभव नहीं है कि सरकार आयोग से संबद्ध सभी अधिकारियों के विवरण क्या-क्या थे और किस-किस सेवा/विभाग से संबंधित थे। यह बताना भी संभव नहीं है कि क्या उन अधिकारि· के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन उद्योग मंत्री द्वारा लोक सभा में 18-4-79 को आयोग के बंद कर दिये जाने सम्बन्धी सरकार के विजय के बारे में सविवरण वक्तव्य दिया गया था।

**बर्दवान जिले में चोरी की इस्पात छड़ों और प्लेटों का बरामद किया जाना**

2824. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि बर्दवान जिले के हीरापुर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की एक लाख रुपये की चोरी की इस्पात छड़ें और प्लेटें पकड़ी हैं, जिन्हें सुरक्षा कर्मचारियों के एक वर्ग की सहायता से ट्रकों में भर कर चुपके से फैक्ट्री से बाहर भेजा गया बताते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को क्या दण्ड दिया गया है और भविष्य में ऐसी चोरियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के हीरापुर की पुलिस ने हीरापुर के सिमूलिया पुलिस स्टेशन बस्ती न०-8 से लगभग एक लाख रुपए मूल्य के चुराए गए कुछ एन्गिल तथा चपटे उत्पाद पकड़े थ। यह सामग्री

वह सामग्री थी जो "इस्को" द्वारा रेल से भेजी गई थी। पुलिस द्वारा यह सामग्री इस्पात कारखाने के बाहर पकड़ी गई थी। इस मामले में कारखाने के सुरक्षा कर्मचारियों की मिलीभगत के बारे से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठता सम्बन्धी विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण**

2825. **श्री आ० प्रभु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठता संबंधी अनेक विवाद उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी 1983 को ऐसे कितने विवाद थे ;

(ग) क्या इन विवादों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार का विचार कोई न्यायाधिरण बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी० (वेंकट सुब्बैय्या)** : (क) जी, हाँ।

(ख) यह विभाग ऐसी सूचना केन्द्रीय रूप से न तो मानीटर करता है और न ही एकत्रित करता है। इसलिए यह सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रस्तावित न्यायाधिकरणों के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिए जाने की कार्यवाई चल रही है।

**स्त्रियों तथा लड़कियों पर अपराध**

2826. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 तथा 1982 के दौरान विभिन्न महानगरों में श्रेणी-वार स्त्रियों तथा लड़कियों पर हुए अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) इन अपराधों को प्रभावी तौर से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार हैं।

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) और (ख) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपराधों से सम्बन्धित कानून करने के लिए उत्तरदायी है। 1980-81 तथा 1982 के दौरान विभिन्न महानगरों में श्रेणीवार स्त्रियों तथा लड़कियों के प्रति हुए कुल मिलाकर अपराधों के तुलनात्मक आंकड़ों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित नहीं किए जाते हैं चूंकि अपराध सहित विधि और व्यवस्था राज्य का विषय है ।

पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए गिरफ्तार की गई अथवा रोकी गई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में बारम्बार आरोप को ध्यान में रखते हुए किसी अपमान अथवा दुर्व्यवहार का स्त्रियों को शिकार बनाने से पुलिस को रोकने के आवश्यक प्रभावी उपाय करने हेतु राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को 14 मार्च, 1980 को विस्तृत निदेश जारी किए गए थे। अन्य बातों के साथ-साथ अनुदेशों में व्यवस्था है कि अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बीच महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।

दहेज के कारण मौतों के अभिशाप को मुकाबला करने के लिए 13-8-1982 को इस विषय पर सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों (जम्मू व कश्मीर तथा सिक्किम को छोड़कर) को विस्तृत निदेश जारी किए गए थे। जारी किए गए अनुदेश की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 6112/83]

एक विधेयक नामतः आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 1980 अगस्त, 1980 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसमें बलात्कार से सम्बन्धित कानून को कड़ा करने की व्यवस्था थी। विधेयक को दिसम्बर, 1980 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था। संयुक्त समिति ने अब अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत कर दी है जिस पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

**सदर बाजार, दिल्ली छावनी में बाजार में सेना की रम की बिक्री**

2827. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सदर बाजार, दिल्ली छावनी में हाल ही में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कुछ दुकानदारों को इसलिए गिरफ्तार किया था कि वे कथित रूप से सेना की रम खरीद रहे थे और उसे काले बाजार में बेच रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है उनका ब्यौरा क्या है और

उनके काम करने का तरीका क्या है तथा अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत उन पर मुकदमा चलाया गया है और ये मामले इस समय किस स्थिति में हैं ;

(ग) क्या गत समय में भी दिल्ली छावनी में ऐसी गिरफ्तारियां की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ङ) सैनिक कार्मिकों को दी गई सुविधा के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या)** : (क) और (ख) सैनिक कार्मिकों के लिए निर्धारित रम की बोतल को 50 रु० प्रति बोतल की दर से बेचने के लिए दिल्ली कैन्ट, सदर बाजार के एक दुकाननार श्री महाबीर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। उसकी दुकान से रम की 10 बोतलें बरामद की गयी। दिल्ली कैन्ट थाने में आबकारी अधिनियम की धारा 61/1/14 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है।

(ग) और (घ) रक्षा सेवाओं के लिए रम की 24 बोतलों को रखने के लिए आवकारी अधिनियम की धारा 61/1/14 के तहत भारतीय वायु सेना के सेवानिवृत लास्कर की पत्नी श्रीमती इन्दर कौर को जुलाई, 1982 में गिरफ्तार किया गया कि मामले की जांच पूरी कर ली गयी है और न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है। मामला विचारण के लिए लम्बित है।

(ङ) स्थानीय पुलिस सतर्कता बरत रही।

**नहाने के साबुन और कपड़े धोने के साबुन में अन्तर**

2828. **श्री के० एम० मधुकर :**

**श्री अजय विश्वास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोई ऐसा कानून है जिसमें नहाने के साबुन और कपड़ा धोने के साबुन में अन्तर बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० कृष्णा)** : (क) से (ग) टॉक्लेट साबुन जो

मानव शरीर पर लगाने के लिए बनाए जाते हैं औषध और शृंगार प्रसाधन अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। अतः एक कपड़े धोने के साबुन पर प्रसाधन यदि साबुन का लेबल लगा दिया जाता है तो इसे गलत ब्राण्ड का शृंगार प्रसाधन माना जाएगा और औषध शृंगार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्पादक के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

**पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक में बदला जाना**

2829. **श्री झारखंडे राय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोर्ट ब्लेयर अंडमान में सेलुलर जेल जहां राम रक्खा, महावीर सिंह, मोहित और मोहन नामक क्रान्तिकारियों ने भूख हड़ताल करके अपने प्राण विसर्जित किए थे, को राष्ट्रीय स्मारक में बदलने का अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1944 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज और राष्ट्रीय सरकार के प्रमुख के रूप में जेल के दरवाजे पर क्रांतिकारी शहीदों को सैलूट करते हुए यहीं कसम खाई थी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) :** (क) पोर्ट में सेलुलर ब्लेयर जेल को एक राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया था और तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा 11-2-79 को उद्घाटन किया गया था।

(ख) यह सत्यापित करने के लिए कि क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने कोई कसम खाई थी, अण्डमान व निकोबार प्रशासन के पास वर्ष 1944 से संबंधित कोई रिकार्ड नहीं है क्योंकि उस समय द्वीपसमूह जापानियों के कब्जे में था।

**बंगाल पाटरीज में कुप्रबन्ध**

2830. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
**श्री सुभाष यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल पाटरीज लिमिटेड में कोई वित्तीय अनुशासन हीनता और कुप्रबंध है और यदि हां, तो किस प्रकार की ;

(ख) क्या सरकार ने कलकत्ता में उस कारखाने में कुप्रबंध और वित्तीय अनुशासन हीनता के बारे में जांच समिति गठित कर दी है ;

(ग) क्या सरकार ने इस कारखाने के पिछले तीन वर्ष के कार्यचालन की पूरी जांच भी की है ; और

(घ) यदि हां तो किस प्रकार की अनियमितताओं का पता चला है और इस कारखाने की कमियों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीवीरभद्र सिंह)** (क) और (ख) सरकार के अनुरोध पर, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड (आई० आर० सी० आई० बोर्ड ने बंगाल पाटरीज लिमिटेड के मामलों की जांच करने के लिए आई. आर. सी. आई. के निदेशकों के निदेशकों की एक समिति गठित की है। समिति ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**नकली अमरीकी डालरों का परिचलन**

2831. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथोपिया स्थित अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों द्वारा प्रदेश आंध्र में नकली अमरीकी डालर परिचालित किये जाने का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) गत तीनों वर्षों के दौरान नकली विदेशी मुद्रा चलाने वाले कितने गिरोहों का पता चला है ; और

(घ) इन गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है अथवा उठाने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर)** : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार यह पर्याप्त रूप से संदिग्ध है कि इथोपिया स्थित अन्तर्राष्ट्रीय नकली अमरीकी डालरों का परिचलन कर रहा है। एडेटोक्कुम्बो एडेतुंजी ओनिकोसी (ए० ए० ओनिकोसी) नाम का एक नाईजेरियन नागरिक जो लागोस, नाइजेरिया का छात्र था और उसके पास पारपत्र सं० 0924619 तारीख 4-2-1982 था नाईजेरिया से 6-2-82 को रवाना हुआ।

रास्ते में वह एक दिन के लिए इथोपिया में ठहरा तथा अपने कैमरे और अन्य फैन्सी वस्तुओं के बदले में एक अज्ञात व्यक्ति से 100 अमरीकी डालर के नौ बिल प्राप्त किए। वह 7-2-82 को उस रकम सहित भारत पहुंचा और 9-2-82 को हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में होटल असरानी में अपने मित्र कायादे सैम्युअल, नाइजेरियन छात्र जो नाईजेरिया में कब्बा का निवासी है, से मिला और उसको ये डालर बिल दिए जिसने होटल के बिलों की अदायगी के लिए 9-2-82 को बिलों का होटल में भुगतान किया।

ये डालर बिल बाद में आन्ध्र बैंक मद्रास के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग द्वारा नकली पाए गए तथा उसके बाद मुद्रा विशेषज्ञ, नास्तिक द्वारा पुष्टि की गई । कामोदे सेम्युअल जिसने नकली अमरीकी डालर बिल पेश किए थे को गिरफ्तार किया गया तथा रिमांड लिया गया । ओनिकोसी की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है थाना रामगोपालपेट में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 489 (बी) के अधीन मामला अपराध संख्या 62/82 की जांच की जा रही है कामोदे सेम्युअल जब जमानत पर था तो तारीख 25-12-82 को उस्मानिया जनरल होस्पीटल हैदराबाद में उसकी मृत्यु हो गई ।

गत तीन वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में सूचित किया गया यही एक मामला है । गत तीन वर्षों के दौरान देश में नकली विदेशी मुद्रा परिचलन का पता लगाए गिरोहों की संख्या के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं चूंकि अपराध सहित विधि और व्यवस्था राज्य का विषय है। फिर भी जब कभी ऐसे मामलों का पता चलता है तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है ।

**सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया से त्यागपत्र देने वाले अधिकारियों का ब्यौरा**

2832. **श्री दयाराम शाक्य**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के अनेक वरिष्ठ अधिकारी कारपोरेशन को छोड़ रहे हैं और गैर सरकारी सीमेंट कारखानों में जा रहे हैं ।

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है और 1982 में कितने अधिकारियों ने त्यागपत्र दिए थे ;

(ग) क्या इसका कारण प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप और पदोन्नति में अनियमितताएं हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कारपोरेशन में एक निश्चित अवधि के लिए बांड के बावजूद अधिकारियों ने त्यागपत्र दिए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें हरजाना देना पड़ा है और कितनी धनराशि का भुगतान किया है ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष में 19 फरवरी, 1983 तक 52 अधिकारियों द्वारा सीमेंट निगम से त्यागपत्र दिया गया और 84 अधिकारी इस नियम में भर्ती हुए। निगम ने सूचना दी है कि अब 9 और अधिकारी आ गए हैं तथा एक और अधिकारी ने त्याग पत्र दे दिया है । निगम छोड़ने के कारण मुख्यतः व्यक्तिगत ही बताए गए हैं । यद्यपि पदोन्नति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा अनियमितता नहीं हुई हैं । दो

अधिकारी निगम को छोड़े गए हैं। एक अधिकारी के अभ्यावेदन पर निगम में विचार किया जा रहा है।

(घ) तथा (ङ) चार अधिकारियों ने त्याग पत्र दे दिए हैं और उनके बाण्डों में निर्धारित राशि की वसूली के लिए निगम द्वारा कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

**संयुक्त सचिवों के वरिष्ठ निजी सहायकों को निजी सचिवों के समान बनाने की व्यवस्था**

2833. **श्री जगपाल सिंह :**

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा है, जिसमें भारत सरकार के संयुक्त सचिवों को वरिष्ठ निजी सहायकों की बजाय निजी सचिव देने की व्यवस्था करने का, जैसी व्यवस्था अतिरिक्त/विशेष सचिवों के सम्बन्ध में है सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा क्या वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकट सुब्बय्या) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संयुक्त सचिवों को दी जा रही आशुलिपिकीय सहायता का विद्यमान स्तर पर्याप्त समझा गया है।

**भारतीय संस्थाओं को विदेशी अंशदान के लिए आवेदन**

2834. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलेन्डर वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अन्तर्गत भारतीय संस्थाओं, निकायों, समितियों और व्यक्तियों को अंशदान देने के लिए विदेशी व्यक्तियों और संस्थाओं से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उपयुक्त प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुदानों/अंशदानों के लिए उपर्युक्त आवेदनों में से कितनों की मंजूरी प्रदान की है ;

(ग) दान देने वाले संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा उपर्युक्त प्रत्येक वर्ष में कितनी राशि दी गई ;

(घ) क्या सरकार ने किसी ऐसे तंत्र की स्थापना की है जो इस बात की जांच करे कि अंशदान देने का प्रयोजन क्या है और भारतीय संस्थाओं द्वारा इसका किस प्रकार उपयोग/व्यय किया गया ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है तथा जांच के क्या परिणाम निकले हैं, यदि नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 में विदेशी दानदाताओं के लिए भारतीय संस्थाओं को अंशदान देने के लिए अनुमति प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सूचना वर्ष 1980, 1981 और 1982 के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई विदेशी अंशदान की विवरणियों में निहित आंकड़ों का संगणकृत किए जाने के बाद उपलब्ध होगी ।

(घ) और (ङ) सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई पृथक तंत्र स्थापित नहीं किया है । निधियों के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है ।

**वर्धा को गांधी जिला बनाया जाना**

2835. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्गीय श्रद्धेय श्री बिनोवा भावे की इच्छानुसार वर्धा को गांधी जिला बनाने का है और इसके लिए योजना आयोग ने एक समिति गठित की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी कार्यक्रम क्या है ; और उनके लिये कितनी राशि का नियतन किया गया हैं, उनमें से कितने कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं, उन पर कितनी राशि व्यय की गई उसके क्या परिणाम निकले और तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण योजना का ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) से (ग) गांधी विचार पद्धति के अनुसार वर्धा जिले के विकास के लिए योजना बनाने के लिए अक्तूबर, 1981 में योजना

योजना आयोग ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1982 में दे दी थी। यह रिपोर्ट एक 'एप्रोच पेपर' के रूप में हैं और इसमें वर्धा जिले के विकास के लिए मोटे तौर पर एक रूपरेखा दी गई है। इस रूपरेखा के अन्तर्गत विकास की एक प्रावस्था-बद्ध योजना के अनुसार विस्तृत स्कीमें बनाई जानी हैं, लागतों का अनुमान लगाना है, अग्रताओं का निर्धारण करना है तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा देना है। जिला व राज्य स्तर पर इन कार्यों के हो जाने के पश्चात ही राशियों के आबंटन का प्रश्न उठेगा।

**गंगा नदी में प्रदूषण**

2836. **श्री जैनुल बशर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बहुत घनी आबादी वाले क्षेत्रों विशेष रूप से कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी में बहुत अधिक प्रदूषित हो रही है ;

(ख) क्या हाल में गंगा के पानी बेक्टिरिया मिले हैं यदि हां, तो इन स्थानों पर प्रति मिलि लीटर उनकी उपस्थिति कितनी पाई गई है ; और

(ग) इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**पर्यावरण विभागों में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) जी, हां। कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी के मुख्य नगरों में अनुप्रवाह के निकट गंगा नदी प्रदूषित है।

(ख) गंगा नदी में जीवाणु मात्रा जल के कम प्रवाह के कारण तथा अत्यधिक मानवीय गतिविधियों के दौरान जैसे सामूहिक स्नान के समय, पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है और तनूकरण के कारण वर्षा-ऋतु में कम हो जाती है। इन स्थानों पर प्रति मिलिलीटर औसत जीवाणु मात्रा निम्नानुसार है :—

इलाहाबाद—22-550

वाराणसी—25-1200

(ग) प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के राज्य बोर्ड औद्योगिक और घरेलू स्रोतों से बहि-स्रावों के उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए कदम उठा रहे हैं।

**मध्य प्रदेश में दुर्लभ पौधों के फासिले**

2837. **श्री सुभाष यादव** :

**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत 5 वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों से दुर्लभ पौधों के फासिलों को निर्दयतापूर्वक उखाड़ा गया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का विचार प्रकृति की इस देन की अशोच्य क्षति से बचाने के लिए इन दुर्लभ पौधों के फासिलों की रक्षा के लिए कोई कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विज्ञान और प्रोद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रोनिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) अश्मीभूत पौधे वे पौधे हैं जिन्हें लुप्त हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं और अब वे चट्टानों में परिवर्तित हो चुके हैं। पुरावनस्पतिज्ञों द्वारा अनुसंधान और विशिष्ट अध्ययन के लिए इन्हें जमीन की सतह के नीचे से एकत्रित किया जाता है। अश्मीभूत नमूनों का वैज्ञानिक अनुसंधान के आलावा साधारणतया अन्य कोई उपयोग (लाभ) नहीं है।

(ख) अश्मीभूत नमूनों को वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में परिरक्षित किया जाता है और वे संजीव पौधों के सदृश नहीं हैं जिन्हें अपने प्राकृतिक पर्यावरण में किसी प्रकार की प्रतिरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**दिल्ली में सीमेंट में मिलावट**

2838. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सीमेंट में मिलावट का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कार्य में ग्रस्त व्यक्तियों को पकड़ने हेतु उन तक कोई कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह)** : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने यह सूचना दी है कि सीमेंट में मिलावट की शिकायतें मिलने पर तत्काल ही जांच की जाती है और उसके नमूने लिए जाते हैं तथा उनका प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराया जाता है। यह भी बताया गया है कि वर्ष 1982 में सीमेंट में मिलावट के 7 मामलों की सूचना मिली थी और इस सम्बन्ध में 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

**बध किए गए/कत्ल किये गए/छुरा मारे गए/जख्मी हुए संवाददाताओं सम्पादकों की संख्या**

2839. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में समाचार पत्रों के संवाददाताओं/सम्पादकों के बध/कत्ल छुरा मारे गये/जख्मी किए जाने की कितनी घटनाएं हुई ;

(ख) उनके कारण क्या थे ; और

(ग) उनके जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (ग) अपराधों से संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन जिम्मेदार हैं। चूंकि अपराध सहित कानून और व्यवस्था राज्य का विषय हैं, अतः देश में पिछले तीन सालों में समाचार पत्रों के संवावदाताओं/सम्पादकों के वध/कत्ल/छुरा मारने/जख्मी किए जाने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय स्तर पर कोई आंकड़े संकलित नहीं दिए जाते हैं। तथापि मामला सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाया गया है। समाचार कार्मिक यदि खतरे की आशका समझते हैं तो वे पुलिस सरक्षण मांग सकते हैं।

**राज्यों द्वारा संसाधनों का जुटाया जाना**

2840. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान छब्बीस राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों द्वारा (राज्यवार) जुटाए गए संसाधनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनकी योजनागत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने में प्रत्येक राज्य के संबंध में क्या सिद्धान्त निहित थे ; और

(ग) प्रत्येक राज्य के संबंध में योजना गत आवंटन में कमी करने का क्या आधार था ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने से संबंधित सूचना का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) और (ग) प्रत्येक राज्य की वार्षिक योजना का आकार राज्य के अपने अंशदान के अनुमानों के आधार पर और छठी योजना की अवधि के लिए कुल केन्द्रीय सहायता जो स्वयं राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित मानदंड के अनुसार निर्धारित की गई है, में से केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकारें विभिन्न योजना परियोजनाओं के लिए परिव्यय का वितरण अनुमोदित अधिकतम सीमा के भीतर करती हैं। ऐसा करते समय राज्य सरकारें वे सभी संगत उपादानों जैसे कार्यान्वयन की उन्नत अवस्था में परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता, आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि को ध्यान में रखती हैं।

## विवरण-I

### राज्यों तथा संघ-राज्यों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने से अनुमानित पैदावार-1981-82 व 1982-83

(करोड़ रु०)

| | राज्य | 1981-82 | | | 1982-83 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1980-81 उपाय | 1981-82 उपाय | जोड़ | 1980-81 उपाय | 1981-82 उपाय | 1982-83 उपाय | जोड़ |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 56.44 | 38.48 | 94.92 | 63.66 | 50.29 | 6.30 | 120.25 |
| 2. | असम | 14.69 | 9.19 | 23.88 | 19.89 | 18.11 | 25.86 | 63.86 |
| 3. | बिहार | 39.12 | 76.87 | 115.99 | 67.23 | 112.53 | 26.04 | 205.80 |
| 4. | गुजरात | 27.09 | 119.03 | 146.12 | 27.41 | 143.14 | 96.96 | 267.51 |
| 5. | हरियाणा | 30.80 | 17.41 | 48.21 | 50.53 | 11.39 | 25.05 | 86.97 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 3.17 | 4.79 | 7.96 | 3.32 | 8.20 | 6.47 | 17.99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 8.59 | 9.54 | 18.13 | 8.99 | 14.19 | 10.03 | 3321 |
| 8. | कर्नाटक | 86.94 | 22.45 | 109.39 | 94.17 | 35.56 | 23.50 | 153.23 |
| 9. | केरल | 24.58 | 3.21 | 27.79 | 24.64 | 10.95 | 20.18 | 55.77 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 77.00 | 42.09 | 119.09 | 86.03 | 103.35 | 61.50 | 250.88 |
| 11. | महाराष्ट्र | 57.25 | 127.92 | 185.17 | 56.57 | 234.93 | 40.87 | 332.31 |
| 12. | मणिपुर | 0.54 | 0.10 | 0.64 | 0.70 | 0.11 | 0.59 | 1.40 |
| 13. | मेघालय | 0.77 | 0.81 | 1.58 | 0.93 | 4.12 | 1.54 | 6.59 |
| 14. | नागालैंड | 017 | 0.93 | 1.10 | 0.17 | 1.03 | 0.86 | 2.06 |
| 15. | उड़ीसा | 28.41 | 26.62 | 55.03 | 29.85 | 32.13 | 49.78 | 111.76 |
| 16. | पंजाब | 27.96 | 64.70 | 92.66 | 32.26 | 107.77 | 26.00 | 166.03 |
| 17. | राजस्थान | 8.52 | 62.64 | 71.16 | 15.59 | 74.18 | 117.19 | 206.96 |
| 18. | सिक्किम | 0.15 | 0.42 | 0.57 | 0.15 | 0.65 | 0.01 | 0.81 |
| 19. | तमिलनाडु | 26.44 | 146.01 | 172.45 | 30.34 | 178.13 | 87.40 | 295.87 |
| 20. | त्रिपुरा | 0.31 | 5.25 | 0.56 | 0.35 | 0.41 | 0.26 | 1.02 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 92.02 | 92.80 | 184.82 | 100.44 | 141.17 | 37.00 | 278.61 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 50.69 | 27.64 | 78.33 | 56.20 | 44.71 | 39.83 | 140.74 |
| जोड़ (राज्य) : | | 661.65 | 893.90 | 1555.55 | 769.42 | 1327.05 | 703.22 | 2799.69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| संघ राज्य क्षेत्र | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (लाख रु०) |
| 1. | चण्डीगढ़ | 66.72 | 130.33 | 197.05 | 76.75 | 159.38 | 119.19 | 355.23 |
| 2. | दिल्ली | — | 499.0 | 499.0 | — | 13.00 | — | 13.00 |
| 3. | गोवा, दमण, और दीव | 08.00 | 38.00 | 146.00 | 114.09 | 186.00 | 130.00 | 430.00 |
| 4. | मिजोरम | — | 1.97 | 1.97 | — | 12.00 | 1.10 | 13.00 |
| 5. | पांडिचेरी | 42.16 | 84.08 | 126.24 | 49.20 | 110.05 | 172.56 | 331.81 |
| | जोड़ : | 216.88 | 753.38 | 970.26 | 239.95 | 480.43 | 422.66 | 1143.04 |

स्रोत : राज्य वित्त विभाग—1983-94 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देते समय दी गई।

**छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिए केन्द्रीय सहायता**

2841. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजनाओं के दौरान सरकार द्वारा उड़ीसा को भिन्न-भिन्न मंत्रालयों और विभागों से कितनी वर्षवार केन्द्रीय सहायता दी जाती है ;

(ख) इन वार्षिक योजनाओं के दौरान अनुसुचित जातियों के लिए आदिवासी उप-योजना और घटक योजना के लिए उनके मंत्रालय ने कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता दी है ;

(ग) वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 के दौरान भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के और प्राकृतिक विपत्तियों के लिए कितना सहायतानुदान और अनुदान दिया गया ;

(घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित भिन्न-भिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों परियोजनाओं और वर्ष 1980 से 1982 तक के लिए योजनाओं पर छठी योजना के दौरान कितना केन्द्रीय पूंजी-निवेश किया गया ; और

(ङ) तैयार की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के नाम क्या हैं तथा उनके लिए परियोजनाओं और योजनाओं के नाम क्या हैं ?

**योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चौहान)** : (क) से (ग) वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में उड़ीसा की वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का आबंटन, इन वर्षों में आदिवासी उप-योजनाओं के लिए विशेष संघटक योजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई केन्द्रीय सहायता तथा प्राकृतिक विपदाओं के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का विवरण (विवरण-1) सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6113/83]

(ग) व (ङ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/कार्यक्रमों के नाम सहित उन पर वर्ष 1980-81 व 1981-82 में उड़ीसा सरकार द्वारा किए गए व्यय से संबंधित अन्य एक विवरण (विवरण-2) सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

**विदेशी ट्रेड मार्क "याह्मा" और वैस्पा का प्रयोग**

2842. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस विशिष्ट शर्त के साथ अनेक विदेशी सहयोगी को स्वीकृति प्रदान की है कि भारत में किसी विदेशी ट्रेड-मार्क का प्रयोग नहीं किया जाएगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एस्कोर्टस 'याह्मा' ट्रेड मार्क का और लोहिया 'वैस्पा' ट्रेड मार्क प्रयोग कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो विदेशी ट्रेड मार्क प्रयोग करने सम्बन्धी नीति के यह कैसे अनुकूल है अथवा उक्त नीति का यह किस प्रकार उल्लंघन है ; और

(घ) भारत में विदेशी ट्रेड मार्क प्रयोग करने सम्बन्धी नीति क्या है ?

**उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) से (घ) इस मामले से सम्बन्धित सामान्य नीति के अनुसार मे० एस्कार्ट्स और लोहिया मशीन्स को विदेशी सहयोग की मंजूरी देते समय सरकार ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि आंतरिक बिक्री के लिए उनके उत्पादों पर विदेशी ब्रांड नाम का आमतौर पर प्रयोग नहीं किया जायेगा, यद्यपि निर्यात उत्पादों पर इन विदेशी नामों का प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है । मे० एस्कार्ट्स और लोहिया मशीन्स अभी तक उन गाड़ियों को बाजार में नहीं लाये हैं जिनके लिए सहयोग की अनुमति दी गई है ।

**राज्य द्वारा लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन**

2843. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं, जिन्होंने लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर मन्त्री परिषद में सलाह किए बिना ही, अपनी स्वेच्छा से मुख्य मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान कर दी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों को ऐसे प्रावधान करने के अनुदेश जारी करने का है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वेंकट सुब्बैय्या)** : (क) इस विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम में इस आशय के संशोधन मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं ।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय लोक पाल योजना के अधीन मुख्य मंत्री शामिल किए जाने थे । इस आशय का उपबन्ध लोकपाल विधेयक 1977 में किया गया था, किन्तु छठी लोक सभा के विघटन के साथ ही उक्त विधेयक व्यपगत हो गया था । इस संबंध में नया विधान प्रस्तुत करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है । इसको ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को यह अनुदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है कि- राज्य सरकारें राज्य लोकायुक्त अधिनियमों में एक ऐसा उपबन्ध करें जिससे संबंधित राज्यपालों को मन्त्रि परिषद से परामर्श किए बिना लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर स्वनिर्णय से संबंधित मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाई करने का अधिकार मिल जाए ।

**भूमिगत विज्ञान और ज्योतिष विभाग के क्षेत्रों में भारत-सोवियत संघ सहयोग**

2844. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ को भूगति-विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग हेतु योजनाएं विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां ।

(ख) भूमिगत-विज्ञान तथा खगोलविज्ञान के क्षेत्रों में भारत और सोवियत संघ के बीच सतत सहयोग जारी है। फरवरी, 21 से 25, 1983 तक अंतरिक्ष अनुसंधान पर आयोजित संयुक्त भारत-सोवियत सैमिनार-कम कार्यशाला के दौरान खगोल-विज्ञान में अनुसंधान, वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए भविष्य में सोवियत अंतरिक्षयानों में भारतीय नीतभारों की उड़ान, ऊपरी वायुमंडल तथा आयनमण्डल के अध्ययन के लिए समन्वित परीक्षणों की आयोजना तथा मौसम विज्ञान की महत्व-पूर्ण समस्याओं के संयुक्त वैज्ञानिक अन्वेषणों आदि के लिए भारत तथा सोवियत संघ दोनों में भू-आधारित सुविधाओं के प्रयोग की संभावनाओं से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया सैमिनार-कम कार्यशाला के अन्त में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के बीच एक नयाचार (प्रोटोकोल पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें) सुदूर संवेदन खगोलविज्ञान एवं वायुमण्डलीय विज्ञान और उपग्रहों के अनुवर्तन तथा अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए भावी सहयोग के विभिन्न पहलू शामिल थे ।

**देश में पुराने कागज मिलों का आधुनिकीकरण**

2845. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यदि देश में सौ वर्ष पुराने कागज मिलों का आधुनिकीकरण न किया गया तो इस शताब्दी के अन्त तक कागज का अकाल पड़ जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इन पुराने मिलों के कार्यकरण के ब्यौरे की दर की जांच करने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी ; और

(ग) इससे सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) सरकार पुराने उपकरणों वाली कागज मिलों का आधुनिकीकरण और नवीकरण करने सम्बन्धी आवश्यकता को मानती है तथा इस बारे में प्राप्त प्रस्तावों पर उचित ध्यान दिया जाता है कागज बनाने वाले कुछ पुराने कारखाने अपने संयंत्र और उपकरणों का आधुनिकीरण करने के लिए स्वयं इच्छुक हैं ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**भारत में निर्मित इलैक्ट्रोनिक वस्तुएं**

2846. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्ष 1981 तथा 1982 के दौरान निर्मित इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं का कुल मूल्य क्या था ;

(ख) वर्ष 1981 तथा 1982 के दौरान निर्यात की गई इन इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं का मूल्य क्या था ; और

(ग) इलैक्ट्रोनिक्स वस्तुओं के विकास को गति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

**इलैक्ट्रोनिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव)** : (क) वर्ष 1981 तथा 1982 के दौरान इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं का उत्पादन नीचे दिए अनुसार रहा :

| कलैंडर वर्ष | उत्पादन (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| 1981 | 856 |
| 1982 | 1050 (अनंतिम) |

(ख) वर्ष 1981 तथा 1982 के दौरान किए गए निर्यात का मूल्य नीचे दिए अनुसार रहा :

| कलेण्डर वर्ष | निर्यात (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| 1981 | 56.50 |
| 1982 | 83.50 (अनंतिम) |

(ग) इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं के उत्पादन में तेजी लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनका विवरण अनुवन्ध-1 में दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6114/83]

**विज्ञान के डाक्टरों का कम उपयोग**

2847. **श्री अमल दत्त** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे 10 से 15 प्रतिशत विज्ञान के डाक्टरों को ऐसे रोजगार मंजूर करने पड़ते हैं जो अवर एनातकों अथवा डिप्लोमाधारियों के लिए होते हैं;

(ख) क्या कनिष्ट वैज्ञानिकों टैक्नीशियनों का काम रहे हैं ;

(ग) क्या कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान के 50 प्रतिशत डिग्रीधारक वैज्ञानिक कर्मचारियों के निम्नतर काडर के पदों पर कार्यरत हैं ; और

(घ) क्या कुछ अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक उत्पादन बिल्कुल भी नहीं है ।

**विज्ञान और प्रोद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा , अन्तरिक्ष , इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) अनुसंधान और अध्यापन संबंधी नौकरियों ने लिए अक्सर डाक्टरेट की डिग्री निर्धारित की जाती है । इस संबंध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जहां डाक्टर को उपाधि रखने वाले ऐसी जगह नौकरियां कर रहे हों, जहां इस प्रकार को डिग्रियों की कोई आवश्यकता नही है तथापि इस प्रकार के व्यक्तियों की संख्या निश्चित हीं बहुत ही कम होगी ।

(ख) से (घ) जी, नहीं ।

**उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए पंचवर्षीय योजना में धनराशि का आवंटन**

2848. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना में धनराशि के आवंटन में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच अन्तर रखा जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की वार्षिक योजना में राष्ट्रीय औसत वृद्धि का 17 प्रतिशत आवंटन किस आधार पर किया गया है जबकि पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों को 10 प्रतिशत किया गया है ; और

(ग) इन राज्यों का 31 दिसम्बर. 1982 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों की विकास या और संसाधन जुटाने की वृद्धि दर कितनी है ?

**योजना मंत्री (श्री ए० बी चव्हाण)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित सहित सभी राज्यों की वर्ष 1983-84 की वार्षिक योजनाएं किसी पूर्व निर्धारित एक समान प्रतिशत वृद्धि के आधार पर निर्धारित नहीं की गई हैं बल्कि उनका निर्धारण राज्यों के अपने संसाधनों के अनुमानों और एक समान और वस्तुपरक माप-दंड के आधार पर अनुमान लगाई गई केन्द्रीय सहायता के संदर्भ में निर्धारित की गई है। कुछ राज्यो के मामले में अग्रिम योजना सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमति दी गई है ताकि वे अपनी योजनाओं का उपयुक्त आकार रख सकें। जहां तक पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों की योजनाओं का संबंध है, असम राज्य की योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इस क्षेत्र के अन्य राज्यों के मामले में वृद्धि 10 से 20 प्रतिशत के बीच है। इस क्षेत्र से बाहर के राज्यों के मामले में वृद्धि 10.2 से लेकर 36 प्रतिशत तक है।

(ग) निवल देशीय उत्पादन के राज्यवार आंकड़े और स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति समानुरूपी अनुमान जो संवृद्धि दर का पता लगाने के लिए संगत हैं, पिछले 3 वर्षों के लिए अभी उपलब्ध नहीं हैं। वित्त वर्ष (पहली अप्रैल 31 मार्च तक) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में अतिरिक्त संसाधन जुटाने से होने वाली राज्यवार अनुमानित आय का विवरण सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत हैं। इस संबंध में चालू वर्ष (31 दिसम्बर को समाप्त होने वाला) के आधार पर सूचना उपलब्ध नहीं है। अधिकांश विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में नवीन उपायों के जरिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए उनके प्रयत्नों के बावजूद उनका इस अवधि में अपनी योजनाओं के लिए अंशदान नगण्य के बराबर रहा है।

विवरण-2

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1981-82 और 1982-83 में जुटाए गए अतिरिक्त संसाधनों से अनुमानित आय

(करोड़ रु०)

| राज्य | 1980-81 | 1981-82 | | | 1982-83 | | | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1980-81 उपाय | 1981-82 उपाय | जोड़ | 1980-81 उपाय | 1981-82 उपाय | 1982-83 उपाय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 35.87 | 56.44 | 38.48 | 94.92 | 63.66 | 50.29 | 6.30 | 120.25 |
| 2. असम | 2.59 | 14.69 | 9.19 | 23.88 | 19.89 | 18.11 | 25.86 | 63.86 |
| 3. बिहार | 25.55 | 39.12 | 76.87 | 115.99 | 67.23 | 112.53 | 24.70 | 205.80 |
| 4. गुजरात | 24.84 | 27.09 | 119.03 | 146.12 | 27.41 | 143.14 | 96.96 | 267.51 |
| 5. हरियाणा | 12.01 | 30.80 | 17.41 | 48.21 | 50.53 | 11.39 | 25.05 | 86.97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. हिमाचल प्रदेश | 2.49 | 3.17 | 4.79 | 7.96 | 3.32 | 8.20 | 6.47 | 17.99 |
| 7. जम्मू और कश्मीर | 5.10 | 8.59 | 9.54 | 18.13 | 8.99 | 14.19 | 10.03 | 33.21 |
| 8. कर्नाटक | 47.49 | 86.94 | 22.45 | 109.39 | 94.17 | 35.56 | 23.50 | 153.23 |
| 9. केरल | 9.67 | 24.53 | 3.21 | 27.79 | 24.64 | 10.95 | 20.18 | 55.77 |
| 10. मध्य प्रदेश | 34.25 | 77.00 | 42.09 | 119.09 | 86.03 | 103.35 | 61.50 | 250.88 |
| 11. महाराष्ट्र | 13.36 | 57.25 | 127.92 | 185.17 | 56.57 | 234.93 | 40.87 | 332.37 |
| 12. मणिपुर | 0.05 | 054 | 0.10 | 0.64 | 0.70 | 0.11 | 0.59 | 1.40 |
| 13. मेघालय | 0.39 | 0.77 | 0.81 | 1.58 | 0.93 | 4.12 | 1.54 | 6.54 |
| 14. नागालैंड | 0.05 | 0.17 | 0.93 | 1.10 | 0.17 | 1.03 | 0.86 | 2.06 |
| 15. उड़ीसा | 19.09 | 28.41 | 26.62 | 55.03 | 29.85 | 32.13 | 50.28 | 112.26 |
| 16. पंजाब | 8.20 | 27.96 | 64.70 | 92.66 | 32.26 | 107.77 | 26.00 | 166.03 |
| 17. राजस्थान | 17.69 | 8.52 | 62.64 | 71.16 | 15.59 | 74.18 | 117.19 | 206.96 |
| 18. सिक्किम | 0.02 | 0.15 | 0.42 | 0.57 | 0.15 | 0.65 | 0.01 | 0.81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. तमिलनाडु | 10.26 | 26.44 | 146.01 | 172.45 | 30.344 | 178.13 | 87.40 | 295.87 |
| 20. त्रिपुरा | 0.14 | 0.31 | 0.25 | 0.56 | 0.35 | 0.41 | 0.26 | 1.02 |
| 21. उत्तर प्रदेश | 54.77 | 92.02 | 92.80 | 184.82 | 100.44 | 141.17 | 37.00 | 278.61 |
| 22. पश्चिम बंगाल | 39.92 | 50.69 | 27.64 | 78.33 | 56.20 | 44.71 | 39.83 | 140.74 |
| जोड़ (राज्य) | 363.66 | 661.65 | 894.80 | 1555.55 | 769.42 | 1327.06 | 703.22 | 2999.69 |

**पूर्वोत्तर परिषद की 1981 और 1982 में हुई बैठकें**

2849. **श्री अजय बिश्वास :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर परिषद की 1981 और 1982 के दौरान कितनी बैठकें आयोजित की गई थी ;

(ख) परिषद द्वारा मुख्य निर्णय क्या लिए गए ; और

(ग) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि पूर्वोत्तर परिषद के कार्यकरण में मुख्य पुनर्गठन इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :** (क) 1981 और 1982 के दौरान उत्तर पूर्वी परिषद की चार बैठकें हुई थीं ।

(ख) 1982 में हुई 17वीं और 18वीं बैठकों और 1982 में हुई 19वीं तथा बैठकों में लिये गए मुख्य निर्णय विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) उत्तर पूर्वी परिषद जो संसद के एक अधिनियम (उत्तरपूर्वी परिषद अधिनियम, 1971) द्वारा बनी थी, के पास सुपरिभाषित कार्य है । यह आर्थिक और सामाजिक नियोजन, अन्तर्राज्यीय परिवहन तथा संचार, विद्युत तथा बाढ़ नियंत्रण के कार्यों में क्षेत्र का विकास करने और संतुलित बिकास को सुनिश्चित करने के लिए संगठित और समन्वित क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है । परिषद इन कार्यों को विधिवत पूरा कर रही है और इसके ढांचे में इस समय कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा जाता ।

**विवरण**

**7 वीं बैठक**

निर्णय किया गया कि :—

(1) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) और वार्षिक योजना 1981-82 अनुमोदित की जाए ।

(2) सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र भारत सरकार/संबंधित वस्तु नियंत्रक के साथ मामले उठाने के लिए पूरी छठी योजना अवधि के लिए इस्पात, सीमेंट और डामर जैसी आवश्यक निर्माण सामग्री की आवश्यकताएं बतलाने का कार्य करेगी ।

(3) असम में अन्नानास और सन्तरों के सान्द्रित रसों के लिए एक पायलट योजना और एक काफी प्रोसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी ।

(4) उ० पू० प० बी बरूआ केंसर इंस्टीटयूट गोहाटी, असम में सुविधाओं का स्तर बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगी ।

(5) उखरूल (हंगडुंग) मणिपुर में टी०पी० डी० मिनी सीमेंट प्लांट परियोजना को आरंभ करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा

(6) राज्यों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रयोजित उम्मीदवारों के मामलों को उ० पू० प० अग्रेषित कर सके इसलिए संबंधित सरकारों को यह प्रमाणित करना होगा कि उ० पू० प० द्वारा उपलब्ध कार्रवाही की गयी छात्र वृत्तियां प्रत्येक प्रोयोजित उम्मीदवार को दी जाएगी ।

**18वीं बैठक**

निर्णय किया गया कि :—

(1) भारत सरकार, रेल मन्त्रालय और गृह मन्त्रालय को निम्नलिखत से संबंधित विर्णयों पर कायम रहने के लिये कहा जाए–(क) जोगीधोपा में एक सड़क व रेल पुल का निर्माण और (ख) वर्तमान संरेखण में गोहाटी से डिब्रुगढ़ तक की मीटरी गेज लाइन को बदलने के बजाय गोहाटी से बरास्ता चापरमुख, नोगांव, जोरहाट और सिबसागर, ब्रोडगेज लाईन के लिये अलग संरेखण किया जाए ।

(2) तकनीकी मन्त्रालयों, योजना आयोग, गृह मंत्रालय से दोबारा विचार किए बिना योजना के लिये अनुमोदित स्कीमों की स्वीकृति के लिए उ० पू० प० की शक्तियां प्रत्यायोजित करने हेतु भारत सरकार से कहा जाए ।

(3) छठी योजना अवधि के दौरान दोयंग (नागालैंड) और कामेंग (अरुणाचल प्रदेश) दोनों की पन बिजली परियोजनाओं को आरम्भ करने पर विचार किया जाए ।

(4) लुमडिंग बदरपुर अनुभाग का और सर्वेक्षण करने के लिए रेलवे से अनुरोध किया जाए । जोगी रोड से बदरपुर तक वैकल्पिक रास्ता भी शुरू किया जाय ।

(5) त्रिपुरा में नृतकला परियोजना के लिये व्यावहारिकता रिपोर्ट के लिए विस्तृत जांच हड़ताल की जाए और यह तैयार की जाए ।

**19 वीं बैठक**

निर्णय किया गया कि :—

(1) वार्षिक योजना 1982-83 जैसे प्रस्तुत की गई 81-90 करोड़ रु० के लिए इस स्पष्टीकरण के साथ अनुमोदित की जाए कि 70 करोड़ रु० केन्द्रीय सहायता होगी और 10 करोड़

रु० जीवन बीमा नि० का ऋण होगा । यदि 1.90 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राप्त न की जा सके तो यह केन्द्रीय सहायता के रूप में अग्रिम दी जाए ।

(2) सचिव उ० पू० प० जोगीथोपा में एक रेल-व-सड़क पुल के अनुमोद न के लिए रेल मंत्रालय के साथ मामले पर भरसक कार्यवाही करेगा ।

(3) उ० पू० प० 30 लाख रु० की अनुमानित लागत पर जोवई बदरपुर क्षेत्र में रा० भा० 44 पर कमजोर पुलों को अस्थाई रूप से सुदृढ़ करने के लिये धन दे सकती है ।

(4) बेज बरुआ केंसर इंस्टीयूट का स्तर बढ़ाकर एक क्षेत्रीय संस्थान बनाया जाए और परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाए ।

(5) उ० पू० प० 1982-83 के लिये राज्य/संघ शासित क्षेत्र योजनाओं पर प्रस्तावित कटौतियां करने के बारे में योजना आयोग के साथ मामले को उठाएगा ।

**20वीं बैठक**

उत्तरपूर्वी परिषद ने छठी पंचवर्षीय योजना के व्यय की प्रगति का पुनरीक्षण किया और वर्तमान 340 करोड़ रु० को बढ़ाकर 435 करोड़ रु० करने के लिए सचिव उ० पू० प० द्वारा किए परिवर्धनों पर विचार किया । यह निर्णय किया गया कि उपयुक्त संवर्धन के लिए मध्यावधि मूल्यांकन के समय योजना आयोग को जोरदार सिफारिश की जाए ।

(2) उ० पू० प० प० ने निदेश दिया कि मिनी पेपर प्लाटों के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने के लिए स्थापित किए गए कार्यदल को अपने प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रस्तुत करने चाहिए ।

(3) परिषद की भविष्य में होने वाली बैठकों में परिषद की बैठक होने से पहले सचिवों/अधिकारियों की एक प्रारम्भिक बैठक होनी चाहिए ।

(4) तेनेफाई में एक दूसरी वाटरशेड मेनेजमेंट परियोजना के लिए नागालैंड सरकार के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए उ० पू० प० के विशेषज्ञ नागालैंड का दौरा करेंगे ।

(5) अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान तथा तकनीकी संस्थान को शीघ्रता से स्थापित किया जाए । उ० पू० प० ने नोट किया कि छठी योजना के लिए 50 लाख रु० का प्रावधान पर्याप्त नहीं होगा और परियोजना को 3 करोड़ रु० की राशि आवश्यक होगी ।

(6) यह निर्णय किया गया कि लाइम पोजालोना और सेमी मकैनाइजड ब्रिक प्लांट

(त्रिपुरा में प्रत्येक में एक) की स्थापना पर सक्रियता से विचार किया जाए और इसके पश्चात अन्य संघटक एककों में इसी प्रकार के प्लांट आरम्भ किए जाएं।

(7) यह निर्णय किया गया कि दोयंग जल-बिजली परियोजना (90 में वा०) परिषद की योजना में वर्तमान प्रावधान के साथ आरम्भ किया जाए केमंग परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की जाए ;

(8) यह निर्णय किया गया कि जोगीथोपा रेल व सड़क पुल के लिए रेल मन्त्रालय से धन प्राप्त करने पर बल दिया जाए।

**श्रेणी चार और तीन के कर्मचारियों का नियमित किया जाना**

2850. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार में कार्य करने वाले श्रेणी चार और तीन के कर्मचारियों को कितनी अवधि के बाद नियमित कर दिया जाता है ;

(ख) विभिन्न मन्त्रालयों में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें तीन वर्ष की सेवा के बाद भी नियुक्ति नहीं किया गया है ; और

(ग) उनकी सेवाओं को नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं और उनकी सेवाओं को कब तक नियमित किए जाने की संभावना है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) केन्द्रीय कर्मचारियों की सम्बन्धित पदों पर भर्ती नियमों और निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार चुने जाने के बाद ही नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

(ख) तथा (ग) नियुक्तियां अलग-अलग मन्त्रालयों/विभागों के अधीन विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा की जाती है और इस विभाग में इस सम्बन्ध में कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

**सन्थानम समिति की सिफारिशें**

2851. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :
**श्री बी० बी० देसाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय/राज्यों के मंत्रियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जारी किए गए प्रपत्रों की पिछले 18 वर्षों से सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा अवहेलना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संथानम समिति की सिफारिशों और राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा इसे तैयार किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सिफारिश को कब मंजूर किया था ;

(घ) इसे लागू न करने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ङ) संथानम समिति की कितनी सिफारिशें मान ली गई थीं पर लागू नहीं की गई और लागू करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (घ) सरकार द्वारा 1964 में भ्रष्टाचार निवारक सम्बन्धी सन्स्थानम समिति की सिफारिशों के आधार पर मन्त्रियों (केन्द्रीय और राज्य दोनों) के लिए एक आचरण संहिता तैयार की गई थी। संहिता के अधीन किसी मंत्री द्वारा पद भार सम्भालने के पश्चात और वह जब तक पद पर रहता है, अपने सम्पत्तियों और देवताओं के बारे में एक घोषणा करनी पड़ती है। मन्त्री इसको मन्त्रियों के लिए आचरण संहिता के अन्तर्गत दिशा-निदेशों ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करता है। इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट फार्म नहीं है।

(ङ) संथानम समिति की ऐसी कोई सिफारिश नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया गया हो परन्तु कार्यान्वित नहीं किया गया हो।

## 60 बड़े कम्प्यूटर सिस्टमों का आयात

2852. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**

**श्री एम० एम० लारेंस :** क्या प्रधान **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक्स विभाग का विचार प्रतिवर्ष 80 बड़े कम्प्यूटर सिस्टमों का आयात, इस तथ्य के बावजूद करने का है कि लाइसेंस प्रणाली सम्बन्धी स्थायी समिति ने पहले इस आयात को अस्वीकार कर दिया था ;

(ख) निर्यातकर्ता देशों के नाम क्या हैं और आयात पर प्रतिवर्ष कितनी लागत आएगी ; और

(ग) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

**इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव)** : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**मध्य प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन**

2853. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के स्वतन्त्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन देने के लिये योग्यता का निर्णय करने के लिए केन्द्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के नियम अलग-अलग हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) इन नियमों में एकरूपता लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) मध्य प्रदेश में उन लोगों की संख्या क्या है जो केन्द्र और राज्य सरकार दोनों से सम्मान पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी वेंकट सुब्बैय्या)** : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए अपनी ही योजनाएं बनाई हैं और यह केन्द्रीय पेंशन के अतिरिक्त है। मध्य प्रदेश की ऐसी एक योजना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अब तक मध्य प्रदेश के 2,908 व्यक्तियों को केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है। इनमें से मध्य प्रदेश सरकार से पेंशन स्वीकृत की गई है। इनमें से मध्य प्रदेश सरकार से पेंशन कर प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

**आयोगों की स्थापना**

2854. **श्री एम० एम० लारेंस** :

**श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा 1980—1981 और 1982 में कितने आयोग नियुक्त किए गए थे ;

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनमें से कितने आयोगों ने अपनी रिपोर्ट दे दी हैं और इन रिपोर्टों में से कितनी प्रकाशित की गई है ; और

(घ) क्या उनकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

2855. श्री चित्त बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1982 के दौरान राज्य-वार कितने नजरबंदी आदेश जारी तथा निष्पादित किए गए ; और

(ख) कानून के अंतर्गत कितने ट्रेड यूनियन के व्यक्तियों और राजनैतिक गतिविधियों के सम्बद्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विजय नगर इस्पात संयंत्र की स्थापना

2856. श्री के० ए० राजन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में इस्पात संयंत्र स्थापित करने की बहुत समय से चली आ रही मांग को देखकर विजयनगर इस्पात संयंत्र दिसम्बर, 1982 में स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विजयनगर में इस्पात संयंत्र की आधारशिला 1971 में रखी गई है ।

(घ) यदि हां, तो कम्पनी स्थापित करने में इतना अधिक विलम्ब करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक विधान-सभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के बाद नई कम्पनी का गठन किया गया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1982 में विजयनगर स्टील लिमिटेड के नाम से एक कम्पनी का गठन किया गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय बंगलौर में है और इस कम्पनी की अधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपए है ।

(ग) 14 नवम्बर 1971 को स्थल का उद्घाटन किया गया था ।

(घ) प्रस्ताव के विभिन्न तकनीकी-आर्थिक पहलुओं पर, विशेष रूप से इस्पात बनाने की औद्योगिकी के क्षेत्र में विकास कार्य को देखते हुए, विचार किया जा रहा है ।

(ङ) नई कम्पनी गठित करने का निर्णय जून, 1982 में लिया गया था और प्रारम्भिक कार्यों को पूरा करने के पश्चात कम्पनी का गठन दिसम्बर, 1982 में किया गया था ।

## हिन्दुस्तान लीवर की क्षमता

2857. **श्री नारायण चौबे :**

**श्री अजय** विश्वास : क्या **उद्योग मंत्री** हिन्दुस्तान लीवर की क्षमता के बारे में 3 नवम्बर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या : 3775 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्यरत विदेशी सहायक कम्पनी हिन्दुस्तान लिमिटेड के पक्ष में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की जनता की क्षमता के पृष्ठांकन का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इस कार्य के पूरा होने में 7 साल की अवधि के विलम्ब के क्या कारण हैं ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाण-पत्रों पर निम्नलिखित क्षमताएं पृष्ठांकित की गई :—

| एकक का नाम | नियत क्षमता (मी. टन प्रति वर्ष) | |
|---|---|---|
| | धुलाई का साबुन | नहाने का (टायलेट) साबुन |
| बम्बई | 2,77,796 | 54,097 |
| कलकत्ता | 17,233 | 35,482 |

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों की रक्षा

2858. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश में वन्य क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों की देखरेख, रख-रखाव संसाधनों तथा उचित प्रबंध के अभाव में ठीक ढंग से नहीं हो रही है ;

(ख) पर्यावरणीय खतरों से ग्रस्त ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा, परिरक्षण प्रदान करने तथा उन्हें विस्तृत करने हेतु सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) देश में वन्य क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का प्रबन्ध और विकास अपर्याप्त वित्तीय विनियोजन के कारण नहीं हो सकता है ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण सभा के पटल पर प्रस्तुत है ।

**विवरण**

राज्य सरकारें, जो प्राथमिक रूप से वनों, राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों के संरक्षण से सम्बन्धित हैं, ऐसे क्षेत्रों को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए, प्रवर्तन तंत्र को, उत्तरोत्तर मजबूत कर रही हैं।

2. वन (संरक्षण) अधिनियम के नाम से एक केन्द्रीय अधिनियम 1980 में बनाया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत, किसी भी वन क्षेत्र का केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अ-वन खण्ड की ओर अपवर्तन नहीं किया जा सकता। यह कानूनी प्रावधान, वनों के संरक्षण के लिए काम आने के अतिरिक्त, वन्य जीवन आवासों के विनाश को बचाने में भी सहायता करता है। इस अधिनियमन के परिणामस्वरूप 1951 और 1980 के बीच प्रति वर्ष औसत वनोन्मूलन दर लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर से घटकर लगभग 3,500 हेक्टेयर हो गई है।

3. प्रथम योजना (1951-56) और 5वीं पंचवर्षीय योजना (1980 तक) के बीच वन क्षेत्र पर वित्तीय व्यय केवल लगभग 483 करोड़ रुपये हुआ है। तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान वन क्षेत्र पर व्यय 692 करोड़ रुपये है। केवल वन्य जीवन संरक्षण के लिए पांचवी योजना में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए वित्तीय व्यय 664 लाख रु० था जो अब छठी पंचवर्षीय योजना में 1210 लाख रु० है।

4. वनों पर दबाव कम करने ने लिए, सामाजिक फोरेस्ट्री और फार्म फोरेस्ट्री कार्यक्रमों के अन्तर्गत वनरोपण किया जा रहा है जिसके लिए राज्यों के केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं के अन्तर्गत कुल रोपण लक्ष्य लगभग 21.5 लाख हेक्टेयर है।

5. वे समस्याएं, जो वन पारि-तन्त्र के विनाश में सहायक हैं, का सामना करने के लिए कार्य बलों की स्थापना की गई है ताकि बनों में अतिक्रमण के प्रश्न को समझा जा सके और एक राष्ट्रीय चराई नीति का निर्माण किया जा सके। इसी प्रकार जुताई स्थानान्तरण विषय के लिए एक कार्य बल की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हिमालय के संकटग्रस्त क्षेत्रों में पतन को रोकने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

6. 24 राष्ट्रीय पार्कों और 205 अभ्यारण्यों का एक जाल पूरे देश में संरक्षण और वन्य जीवन तथा उसके आवासों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण्यों के अन्तर्गत ऐसे अतिरिक्त पारिस्थितिकीय महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है; यद्यपि ऐसे अनुरंक्षित क्षेत्रों का प्रबन्ध राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है, उनके विकास के लिए वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है।

7. वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 अब जम्मू और काश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है जिसके अपने अधिनियम मुख्यतयः केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार बनाये गए हैं। यह अधिनियम वन्य-जीवन और इसके आवासों के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए मुख्य रूप से प्रावधान प्रदान करता है।

8. राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वन्य जीवन और प्रकृति संरक्षण विशेष रूप से वन्य जीवन अधिनियम को लागू करने के लिए, वन्य-जीवन पक्षों को मजबूत करने और वन्य जीवन संरक्षण में जनता का समर्थन और सहायता प्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान दें।

**वर्ष 1982 उत्पादन वर्ष के रूप में**

2859. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

**श्री सुनील मैत्रा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1982 को उत्पादन वर्ष घोषित किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) इस वर्ष उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ; और

(घ) इस वर्ष अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में हुई वृद्धि/कमी का ब्यौरा क्या है ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० एस० एम० कृष्णा)** : (क) तथा (ख) 1982 को उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाए जाने से उत्पादकता अभियान को गति मिली है और इससे राष्ट्र निर्माण में उत्पादकता की भूमिका के बारे में अधिक चेतना आई है।

(ग) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन का औसत सूचकांक (आधार—1970—100) 1981 में 164.6 था। यह 1982 (त्वरित सूचकांक (में बढ़कर 171.5 हो गया है।

(घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार खनन, उत्पादन और बिजली (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक सहित) के लिए 1981 और 1982 के औसत सूचकांग (आधार 1970 = 100) निम्नलिखित हैं :—

| वर्ष | खनन | उत्पादन | बिजली |
|---|---|---|---|
| 1981 | 170.4 | 157.6 | 220.4 |
| 1982 | 187.6 | 162.2 | 236.5 |

**चुनाव के दौरान असम में अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती**

2860. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से लेकर नामांकन फार्म भरे जाने की तारीख तक तैनात किए गए अर्द्ध-सैनिक बलों की संख्या क्या थी ;

(ख) क्या असम में अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती के लिए चुनाव आयोग से पूर्व सलाह ली गई थी ;

(ग) अर्द्ध-सैनिक बलों ने कितनी बार गोली चलाई ; और

(घ) इस गोली बारी में कितने लोग मारे गए तथा कितने जख्मी हुए ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :** (क) चुनावों के सम्बन्ध में और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को, असम के बाहर से, केन्द्र और राज्य पुलिस की कुल 312 कम्पनियां उपलब्ध करायी गयी ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के अनुसार 1983 में 1 मार्च तक पुलिस को 206 अवसरों पर गोली चलानी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप 120 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । जख्मी व्यक्तियों की संख्या मालूम की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**योजना परिव्यय में प्रतिशत वृद्धि**

2861. **श्री सुनील मैत्रा :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औसत के अनुसार वर्ष 1983-84 के दौरान वर्ष 1982-83 की तुलना में योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ख) इसी अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) :** वर्ष 1982-83 के योजना परिव्यय की तुलना में वर्ष 1983-84 के योजना परिव्यय में केन्द्र, राज्य व संघ राज्यों सभी को मिलाकर) 21.5 प्रतिशत की वृद्धि है । असम के मामले में 1983-84 का परिव्यय अनंतिम है ।

(ख) पश्चिम बंगाल के मामले में 66.05 करोड़ रु० की अग्रिम सहायता का प्रावधान रखने के पश्चात् तुलनात्मक वृद्धि 10.2 प्रतिशत है ।

## युवा वैज्ञानिकों द्वारा किए गये अनुसंधान

2862. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे कि युवा वैज्ञानिक अपने-अपने अनुसंधान कार्यों को आगे बढ़ा सकें तथा उनके कार्यों में परम्परागत रुकावटें बाधक न बन पाएं ।

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : छठी योजना के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट में "प्रमुख वैज्ञानिकी प्रतिष्ठानों, विश्व विद्यालयों, सरकारी क्षेत्र के अनुसंधान तथा विकास संस्थानों और सतत आधार पर सरकार द्वारा समर्थित अन्य संगठनों में अपेक्षाकृत युवा अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं के और अधिक सार्थक और संतोषप्रद ढंग से शामिल होने की आवश्यकता को मान लिया गया है ।

2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस सम्बन्ध में कई कदम उठाने शुरू किए हैं । पहले से कुछ किए किए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

विभाग में छठी पंचवर्षीय योजना में "युवाओं में वैज्ञायिक अभिरुचि का संवर्द्धन" शीर्षक से एक नई स्कीम तैयार की है जिसके अधीन अनन्य रूप से 35 वर्ष के आयु समूह के नीचे अपेक्षाकृत युवा वैज्ञानिकों को, अपने विचारों की अनुसंधान परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए किसी सोआनात्मक प्रणाली द्वारा डाली जाने वाली बाधा के बिना स्वतः प्रधान अन्वेषकों के रूप में कार्य करते हुए, प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाता है ।

इस स्कीम के अधीन युवा बैज्ञानिकों को, कार्यवृत्तों के प्रकाशन सहित अपने-अपने अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक सम्मेलन संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए भी वित्तीय समर्थन दिया जाता है ।

युवा स्कीम में युवा वैज्ञानिकों को देश के भीतर अथवा विदेश में अपनी-अपनी विशेषता के क्षेत्रों में विभिन्न वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय समर्थन भी शामिल हैं और ऐसे समर्थन में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए पूरी यात्रा लागत शामिल है ।

इस स्कीम के अधीन, युवा वैज्ञानिकों को, इंडियन साइंस कांग्रेस की वार्षिक बैठकों में संबंधित क्षेत्रों में 20 वैज्ञानिक सघों में सर्वोत्तम लेख प्रस्तुत करने के आधार पर नकद पुरस्कारों की मंजूरी और एक प्रमाण पत्र देने के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं ।

यह पुरस्कार इण्डियन सांइस कांग्रेस ऐसोसिएशन के माध्यम से परिचालित किया जाता है और प्रत्येक चुने गए युवा वैज्ञानिक को 3000/ रुपये का नकद पुरस्कार मुख्य रूप से उसके चुने हुए क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए होता है।

इंडियन नेशनल सांइस अकादमी के माध्यम से 5000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक पदक प्रति वर्ष 32 वर्ष से कम आयु के प्रतिभावान वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किसी विशेष शाखा में उनके विशेष योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय युवा वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए इण्डियन नेशनल सांइस अकादमी के माध्यम से पूरा आंशिक वापसी हवाई जहाज का किराया देकर आर्थिक समर्थन भी प्रदान करता है।

2. अपेक्षाकृत युवा वैज्ञानिकों को किसी सोपानात्मक प्रणाली द्वारा डाली जाने वाला बाधा के बिना, अपने-अपने अनुसंधान के विचारों का अनुसरण करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद ने थ्रस्ट (महत्वपूर्ण) क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के नेत्यक्ष रूप से अनुसंधान परियोजनाएं/प्रस्ताव प्राप्त करने का सोच-विचार करके यह निर्णय लिया है कि संबद्ध संस्थान में किन्हीं वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से ऐसी परियोजनाएं भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है इस निर्णय का व्यापक प्रचार किया गया है। इससे युवा वैज्ञानिक अपेक्षाकृत अधिक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों से खुले आधार पर प्रतियोगिता कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त अपेक्षाकृत युवा वैज्ञानिकों के लिए ग्रीष्म शीतकालीन शालाओं की योजना बनाई गई हैं और आनुवंशिक इंजीनियरी के क्षेत्र में ऐसा एक पाठ्यक्रम है जो शीघ्र ही आयोजित किया जाना है।

3. सरकार के अधीन अधिकांश वैज्ञानिक अभिकरणों ने प्रयोगशालाओं में सोपानात्मम प्रणाली समाप्त कर दी है और सामान्य रूप से सभी अनुसंधान कार्यकर्त्ता अब वेतन के विभिन्न ग्रेडों द्वारा निर्धारित वैज्ञानिकों के रूप में नामित किए गए हैं। प्रमुख वैज्ञानिकों अभिकरणों के पास गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों की व्यावसायिक विकास और जीवित प्रगति को सुनिश्चित बनाने के लिए भी उपयुक्त प्रणालियां हैं। 35 वर्ष की कम आयु के युवा वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने बिना किसी सोपानात्मक बाधाओं के कुछ वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों का कार्यक्रम करने के लिए प्रमुख दायित्व लिया हुआ है, जैसे 1979-80 के दशक में इण्डियन स्पेत सरसर्च आर्गेनाइजेशन (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) का कार्यक्रम मुख्य रूप से अधिकांशता युवा वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था जिनकी संख्या अब कुल वैज्ञानिक स्टाफ का लगभग 55-60 प्रतिशत तक है।

**लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए पदों का आरक्षण**

2863. **श्री सी० डी० सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उच्च न्यायालय ने अपने हाल के विनिर्णय में यह टिप्पणी दी थी कि उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह लघु क्षेत्र के उद्योग के लिए अथवा अन्य किसी श्रेणी के उद्योग के लिए निर्माण के लिए जाने हेतु किसी मद का आरक्षण करे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के लघु क्षेत्र के उद्योगों के विकास पर इस विनिणय के प्रभाव का अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और लघु क्षेत्र के उद्योगों के विकास के संदर्भ में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

**उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) बम्बई उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा जारी गई कुछ अधिसूचनाओं को जिनमें लघु क्षेत्र के लिए आरक्षण सम्बन्ध प्रावधान हैं, अभिखण्डित कर दिया है ।

(ख) और (ग) सरकार यह महसूस करती है कि उक्त निर्णय से सरकार के लघु उद्योगों के संवर्द्धन करने संबंधी कार्यक्रमों और नीतियों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और इसलिए बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक अपील का ज्ञापन दाखिल कर दिया गया है ।

**कालाहांडी जिला (उड़ीसा) में उद्योगों की स्थापना**

2864. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े कालाहांडी जिले में कोई औद्योगिक नाभकीय परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो अब तक की क्या प्रगति है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) और (ख) कालाहांडी में केन्द्रस्थ परियोजनाओं का पता लगाने के लिए कृतिक दल ने निम्नलिखित परियोजना संभावनाओं की सिफारिशें करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है :—

1. कन्वेयर बैल्टें
2. कताई मिल
3. कागज मिल
4. औद्योगिक अल्कोहल
5. कोर वेनीयर्ड बोर्ड

प्रत्येक परियोजना की तकनीकी-आर्थिक जीव्यता तथा उनके आधुनिकीकरण की जांच करने और जीव्य परियोजनाओं पर कार्यवही करने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है ।

**राज्यों द्वारा निधि जुटाना और इसका उपयोग करना**

2865. **श्री रेणूपदास** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के वित्त वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिए जुटाए गए संसाधनों के ओंकड़े क्या थे ;

(ख) इन राज्यों में राज्य-बार योजना-निधियो आयोग के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन राज्यों में योजना परियोजनाओं के लिए निधि आवटव करने का आधार क्या है ?

**योजना मंत्री (श्री ए स० बी० चव्हाण)** : (क) अपेक्षित सूचना संबधी **विवरण**-1 सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ख) वर्ष 1981-82 और वर्ष 1982-83 की अवधि में योजना परिव्यय तथा व्यय का **विवरण**-2 के सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) प्रत्येक राज्य की वार्षिक योजना के आकार का निर्धारण राज्य के अपने अंशदान और छठी योजना अवधि के लिए कुल केन्द्रीय सहायता जिसका निर्धारण राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित मापदण्ड के अनुसार किया जाता है, के भीतर केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है । कार्यान्वयन की विकसित स्थिति में परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने, का आधार संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करने, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, आदि समेत सभी उपदानों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजना परियोनाओं के लिए अनुमोदित अधिकतम सीमा के भीतर परिव्यय के वितरण का निर्धारण किया जाता है ।

**विवरण-1**

**वर्ष 1981-82 और वर्ष 1982-83 में अतिरिक्त संसाधन जुटाना**

| | राज्य | 1982-93 | | | 1982-83 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1980-81 उपाय | 1981-82 उपाय | जोड़ | 1980-81 उपाय | 1981-82 उपाय | 1982-83 उपाय | जोड़ |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 56.44 | 38.48 | 94.62 | 63.66 | 50.29 | 6.30 | 120.25 |
| 2. | गुजरात | 27.09 | 119.03 | 146.12 | 27.41 | 143.14 | 96.96 | 267.51 |
| 3. | कर्नाटक | 86.94 | 22.45 | 109.39 | 94.17 | 35.56 | 23.50 | 153.23 |
| 4. | महाराष्ट्र | 57.25 | 127.92 | 185.17 | 56.07 | 234.93 | 40.87 | 332.37 |
| 5. | राजस्थान | 9.52 | 62.64 | 17.16 | 15.50 | 74.18 | 117.19 | 206.96 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | 92.02 | 92.80 | 184.82 | 100.44 | 141.17 | 37.00 | 278.61 |

स्रोत : वित्त विभागों द्वारा 1983-84 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देने के समय प्रस्तुत ।

**विवरण-2**

**वर्ष 1981-82 और 1982-83 की वार्षिक योजना के लिए राज्यों का योजना परिव्यय और व्यय**

| | राज्य | 1981-82 | | 1982-83 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुमोदित परिव्यय | वास्तविक व्यय | अनुमोदित परिव्यय | प्रस्थापित व्यय |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 531.31 | 512.48 | 605.00 | 651.56 |
| 2. | गुजरात | 632.00 | 674.46 | 760.00 | 760.58 |
| 3. | कर्नाटक | 419.00 | 443.60 | 475.00 | 504.31 |
| 4. | महाराष्ट्र | 1080.10 | 1110.47 | 1322.00 | 1322.17 |
| 5. | राजस्थान | 340.00 | 352.47 | 340.00 | 353.96 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | 1023.00 | 1118.20 | 1132.00 | 1212.15 |

**दिल्ली के लिए विधान सभा**

2866. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विधान सभा कब समाप्त की गई थी ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली में पुन: विधान सभा बनाने का है; और

(घ) यदि हां तो कब तक ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या)** : (क) तथा (ख) 1950 में संविधान के लागू होने पर दिल्ली के मुख्य आयुक्ति का प्रान्त एक भाग "ग" राज्य बन गया। 1952 में भाग "ग" राज्य सरकार अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत दिल्ली में एक विधान सभा और एक मंत्रिपरिषद बनाई गई थी। यह व्यवस्था 1-11-1956 जब दिल्ली को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, तक जारी रही। संघ शासित क्षेत्र बनने के बाद दिल्ली संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत एक बार पुन: राष्ट्रपति के सीधे प्रशासन अन्तर्गत आ गई। तदनुसार विधान सभा और मन्त्री परिषद जो भाग "ग" राज्य सरकार अधिनियम 1951 के अधीन दिल्ली के लिए गठित की गई थी ; समाप्त हो गई।

(ग) तथा (घ) ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने के लिए इसकी सभी विविक्षाओं का और अध्ययन करना आवश्यक है।

**16 मार्च, 1983 को उत्तर दिए जाने के लिए गुजरात में छोटे सीमेंट संयंत्रों की स्थापना**

2867. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने आवेदन-पत्र अनुमोदित किए गए है ;

(ख) शेष आवेदन पत्रों को अनुमोदित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रावधान किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) तथा (ख) वर्ष 1981 और 1982 के दौरान गुजरात में लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए आशय पत्र देने हेतु प्राप्त 17 आवेदनों में से 12 आवेदन स्वीकृत कर दिए गए थे। इसी अवधि में औद्योगिक विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण के लिए प्राप्त 23 आवेदनों में से 12 आवेदन स्वीकृत और 11 अस्वीकृत कर दिए गए थे। ये योजनाएं मुख्यतः इसलिए अस्वीकार की गई थीं क्योंकि ये लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं थी।

(ग) योजनाएं स्वीकृत करने से पूर्व लघु सीमेंट संयंत्र को भली-भांति चलाते रहने के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाता है।

**औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों के लिए प्रोत्साहन**

2868. **श्री वित्त महाटा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों को क्या नए प्रोत्साहन देने का विचार है ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : पिछड़े क्षेत्रों के विकास और क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए, राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों और सुविधाओं के अलावा, केन्द्रीय सरकार भी केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, रियायती दर पर वित्त, कर सम्बन्धी रियायतें लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया-खरीद तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता तथा कच्चे मालके आयात के लिए विशेष सुविधाएं आदि जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है।

**हिमाचल प्रदेश में इलैक्ट्रोनिक्स कारखाने स्थापित करना**

2869. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में इलेक्ट्रोनिक्स कारखानों में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए उत्पादन का राज्य वार ब्यौरा क्या है और उन कारखानों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में इलैक्ट्रोनिक्स कारखाना स्थापित करने का है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में, कारखाना-बार कितना उत्पादन हुआ ?

**इलैक्ट्रोनिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम० एस०संजीवी राव)** : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) संगठित क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र तथा कुटीर उद्योग क्षेत्र इलैक्ट्रोनिकी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली 200 से अधिक इकाइयों से इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित कर पाना सम्भव नहीं है । तथापि, यदि यह जानकारी किसी एक विशिष्ट कारखाने के सम्बन्ध में अपेक्षित हो तो प्राप्त करके उपलब्ध करायी जा सकती है ।

**जेलों में विचाराधीन कैदी**

2870. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :
**श्री राम प्रसाद अहिरवार** :
**श्री सूरज भान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ-राज्य क्षेत्र में दो वर्ष से अधिक समय से जेलों में विचाराधीन कैदियों की नवीनतम संख्या कितनी है ;

(ख) यह देखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि किसी भी विचाराधीन कैदी को उचित अवधि से अधिक समय तक जेल में न रखा जाए तथा बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसे उपायों के परिणाम क्या रहे हैं ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जहां गत तीन वर्षों में विचाराधीन कैदियों की संख्या बढ़ी है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का क्या निदेश है तथा वह कब दिया गया था ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क)से (घ) विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6115/83]

**अनुसूचित जातियों से ईसाई धर्म में आने वाले लोग**

2871. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों से ईसाई धर्म को अपनाने वाले ईसाईयों को अनुसूचित जातियों के समान सुविधायें प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) सरकार ने इस संबंध में निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**बन्द पड़े औद्योगिक एकक**

2872. **श्रीमती कृष्णा साही** : : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 तक तकनीकी त्रुटियों के कारण सरकार के अधीन बन्द पड़े रहने वाले औद्योगिक एककों की राज्यवार संख्या कितनी है ; और

(ख) ऐसे एककों का स्वरूप क्या है तथा उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें ये एकक स्थित है और सरकार द्वारा अब तक उनमें से प्रत्येक पर कितना व्यय किया गया है ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा)** : (क) 1983 तक तकनीकी खराबियों के कारण न तो कोई ऐसा औद्योगिक उपक्रम जिसका प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अभिग्रहीत किया गया हो बन्द था न ही उद्योग मन्त्रालय के प्रशासनाधीन कोई सरकारी एकक बन्द पड़ा था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**डीजल कारों के निर्माण हेतु कम्पनियों को अनुमति प्रदान करना**

2873. **श्री बी० एस० विजय राघवन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रमुख मोटर गाड़ी उत्पादक कम्पनियों को डीजल कारों का उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा इनका अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ग) क्या सरकार ने डीजल कारों के उत्पादन के लिए क्षमता के विस्तार की अनुमति दी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) से (घ) यात्री कारों के सभी विद्यमान निर्माताओं को उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमताओं के अन्दर डीजल या पेट्रोल से चलने वाली कारों निर्माण के लिए पूरी नमनीयता दी गई है। उन कम्पनियों के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

| कम्पनी | लाइसेंस प्राप्त क्षमता |
|---|---|
| 1. मारुति उद्योग लि० | 140,000 नग प्रति वर्ष |
| 2. हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, कलकत्ता | 30,000 " " |
| 3. प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०, बम्बई । | 18,000 " " |
| 4. सनराइज आटो इंडस्ट्रीज लि०, बंगलौर | 3,000 " " |
| 5. स्टैंडर्ड मोटर्स लि०, मद्रास | 2,640 " " |

डीजल कारों के लिए किसी भी कम्पनी को पृथक/अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत नहीं की गई है।

**चान्दका (पुरी) में उद्योगों की स्थापना किया जाना**

2874. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पुरी जिले में चान्दका औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए 1982-83 में कुछ प्राइवेट व्यक्तियों को अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन उद्योगों के लिए अनुमति दी गई है ;

(ग) चान्दका में उन उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्राइवेट व्यक्तियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) अन्य लोगों के लाइसेंस अस्वीकृत करने और किसी विशेष व्यक्ति को अनुमति देने के कारण के बारे में ब्यौरा क्या है ?

**उद्योगों मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) जी, हां ।

(ख) हैवी ड्यूटी ट्रेलर, / अर्द्ध-ट्रेलर, फ्लोक्युलेंट तथा कोगुलेंट पर आधारित पेलीक्राइ-लेमाइड, सरेमिक केपिंसेट से आदि ।

(ग) और (क) वर्ष 1982 और जनवरी, 1983 में प्राइवेट व्यक्तियों से पुरी जिले के चान्दका औद्योगिक शम्पलैक्स में एककों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति हेतु कुल 5 आवेदन प्राप्त हुए थे, इनमें से 2 आवेदनों को चांदका क्षेत्र के लिए स्वीकृत किया गया था । जबकि एक "उद्योग रहित जिले" बेलनगीर के लिए एक आवेदन स्वीकृत किया गया था। शेष 2 आवेदनों को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि एक मामले में जिस वस्तु के लिए आवेदन किया गया यह लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित थी और एक अन्य मामले में जिस वस्तु के उत्पादन के लिए आवेदन दिया गया उसके लिए पर्याप्त क्षमता पहले से ही स्वीकृत की जा चुकी थी ।

**बिना लेवी के सीमेंट की उचित दरों पर उपलब्धता**

2875. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या उद्योगों मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में सितम्बर-नवम्बर, 1982 के दौरान बिना लेवी का सीमेंट या तो उपलब्ध नहीं था अथवा ऊंचे मूल्यों पर उपलब्ध था ;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से बिना लेवी का सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं था ;

(ग) क्या उन्होंने सीमेंट निर्माताओं से सीमेंट के स्टाक रखने वाले व्यापारियों को अनुशासन में रखते और देश के सभी स्थानों पर उचित मूल्य पर बिना लेवी सीमेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया रही है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरभद्र सिंह)** : (क) और (ख) इस अवधि में सीमेन्ट के कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में बिजली की कमी के कारण सीमेन्ट के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे लेवी और गैर-लेवी दोनों ही तरह के सीमेन्ट के संभरण पर भी प्रभाव पड़ा ।

गैर-लेवी सीमेन्ट मूल्य नियंत्रण और विवरण से मुक्त होता है । किन्तु सीमेन्ट मैन्युफेक्चर्स एसोसिएशन (सी० एम० ए०) ने सरकार को मई, 1982 में गैर-लेवी सीमेन्ट के अधिकतम मूल्य निम्न प्रकार बताए थे :

| राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम | स्थानीय उपकरों को छोड़कर 50 किलोग्राम की प्रति बोरी का मूल्य |
|---|---|
| केरल, जम्मू तथा काश्मीर, महाराष्ट्र तथा पूर्वोत्तर राज्य | 60 रुपये |
| सभी अन्य राज्य/संघ शासित प्रदेश | 56 रुपये |

वर्ष 1983-84 के सामान्य बजट में सीमेन्ट पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने की घोषणा कर दिए जाने के फलस्वरूप, सीमेन्ट मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन ने यह सूचना दी है कि मार्च, 1983 से सीमेन्ट के खुदरा मूल्य बढ़ाकर 60 रुपये और 64/ रुपये प्रति बोरी किए जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) जी, हां । उपलब्ध जानकारी के अनुसार सीमेन्ट उत्पादकों ने कदाचार करने पर कुछ पार्टियों की स्टाकिस्टशिप समाप्त कर दी है ।

**सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपों की सी० बी० आई० जांच**

2876. **श्री रामजी भाई भावणि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० बी० आई ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और दिल्ली गुजरात में तथा अन्य राज्यों के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की 1-1-1982 से 31-1-1 1983 के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों और गैर-कनूनी गतिविधियों की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोषी पाए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट-सुब्बय्या)** : (क) तथा (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 1-1-1982 से 31-1-1983 तक की अवधि के दौरान, केन्द्रीय सरकार/संघ राज्य

प्रशासनों के कर्मचारियों के विरुद्ध 440 मामलों की जांच की थी जिनमें क्रमश: दिल्ली तथा गुजरात में स्थित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के विरुद्ध 78 तथा 17 मामले भी शामिल हैं। शेष मामले अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों से संबंधित हैं ।

(ग) 440 मामलों में से. अब तक 49 मामले विवरण के लिए भेजे जा चुके हैं और 87 मामले संबंधित विभागों द्वारा संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्यवाई प्रारंभ किए जाने के लिए उन्हें भेज दिए गए हैं । इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

**केरल में केन्द्रीय निवेश**

2877. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अब तक कितना केन्द्रीय निवेश किया गया है ;

(ख) देश में केन्द्री निवेश का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) वित्तीय आवंटन बढ़ा कर केरल के औद्योगिकीकरण को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी चव्हाण)** : (क) केरल में अवस्थित केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्यमों/निकायों को जो सक्ल खंड (ब्लाक) आवंटित किए जा सकें उनका 31-3-82 को मूल्य 535.58 करोड़ रु० था । इसके अतिरिक्त 3277.69 करोड़ रुपये की राशि थी जिसका राज्य वार आवंटन नहीं किया जा सका ।

(ख) उसी तारीख को केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक निकायों में सक्ल खंड (ब्लाक) के कुल मूल्य का राज्य वार विवरण नीचे दिया गया है :

| क्रम संख्या | राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र | 31-3-82 को सक्ल ब्लाक का मूल्य |
|---|---|---|
| | | करोड़ रु० |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1234.16 |
| 2. | असम | 1234.48 |
| 3. | गुजरात | 1097.45 |
| 4. | बिहार | 4041.06 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | हरियाणा | 288.91 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 166.05 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 14.82 |
| 8. | कर्नाटक | 966.78 |
| 9. | केरल | 535.58 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 3180.71 |
| 11. | महाराष्ट्र | 2973.44 |
| 12. | उड़ीसा, | 1273.95 |
| 13. | पंजाब | 439.38 |
| 14. | राजस्थान | 471.67 |
| 15. | तमिलनाडु | 1078.95 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 1354.74 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 1977.67 |
| 18. | दिल्ली | 694.96 |
| 19. | गोवा | 8.76 |
| 20. | अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 219.22 |
| 21. | अनावंटित | 2277.69 |
| | कुल : | 25504.43 |

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में केन्द्रीय सरकार की औद्योकिक तथा खनिज परियोजनाओं में निवेश के रूप में 371.69 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। लेकिन केन्द्रीय निवेश राज्य के औद्योगिकीकरण के लिए कुल प्रयत्न का केवल एक भाग है। राज्य सरकार, निजी क्षेत्रक तथा वित्तीय संस्थाओं से भी केरल के औद्योगिकीरण में काफी अंशदान देने की आशा की जाती है। केरल की छठी योजना में बड़े तथा मझोले उद्योगों और खनिजविकास के लिए 109-70 करोड़ रु० के परिव्यय और ग्राम तथा लघु उद्योग क्षेत्रक के लिए 49.80 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

**भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति कोटा**

2878. **श्री जयनारायण रौत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की दिनांक 15 जुलाई, 1981 की अधिसूचिना द्वारा भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में विभागीय पदोन्नति का कोटा 25 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया है और इस प्रकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को पदोन्नति के कोटे के अंतर्गत ला दिया गया है ;

(ख) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड चार में पदोन्नति करने वाली विभागीय पदोन्नति समिति ने नवम्बर/दिसम्बर 1982 में उक्त पदोन्नतियों के लिए चयन सूची बनाते समय इन समुदायों के लिए किसी भी आरक्षण प्रावधान नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार की अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के साथ हुए अन्याय को समाप्त करने के लिये सरकार क्या सुधारात्मक कदम उठा रही है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बटया)** : (क) जी, हां । भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली में संसोधनों को 15 अगस्त, 1981 से अर्थात् उस तारीख से लागू किया गया था जिसको संगत अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ख) भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड- iv में पदोन्नति के लिए 30-9-78 तक की रिक्तियों से सम्बन्धित प्रवर सूची नवम्बर, 1982 में तैयार की गई थी । इस तारिख को भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमावली में यह निर्धारित किया गया था कि पदोन्नति के आधार पर 25 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां न भरी जाएं इसलिए 30-9-1978 तक की रिक्तियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भाग (क) में उल्लिखित संसोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**आई० ए० एस०, आई० पी० एस०/आई० एफ० एस० तथा प्रथम श्रेणी की अन्य सेवाओं में भर्ती के लिए आयु सीमा**

2879. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा सरकारों के उच्च अधिकारियों तथा सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग

इंस्टीट्यूटों के अध्यक्षों ने आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आई० एफ० एस० तथा अन्य प्रथम श्रेणी की सिविल सर्विसेज में भर्ती के लिये आयु सीमा कम करके 24 वर्ष करने के लिये जोरदार समर्थन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या निर्णय किये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) और (ख) भारत में सिविल कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर सितम्बर, 1982 में हुए राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में आधारभूत पाठ्यक्रम के क्षेत्र, विस्तार और अवधि पर विचार किए जाते समय अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा के प्रवेश के लिए आयु सीमा के प्रश्न की पुनः जांच की जानी चाहिए, चूंकि यह महसूस किया गया था कि सिविल सेवा में 24 वर्ष की आयु के बाद प्रवेश करने वाले उम्मीदवारों के मस्तिष्क और चितवृत्ति को निश्चयात्मक रूप से ढालने में अत्याधिक कठिनाई होती है। यह सिफारिश अभी सरकार के विचाराधीन है।

**भारत और फ्रांस के मध्य वैज्ञानिक और कलाकार व्यक्तियों का आदान-प्रदान**

2880. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस के बीच, एक दूसरे को जानने की दृष्टि से प्रमुख वैज्ञानिक और कलाकार व्यक्तियों का आदान प्रधान करने की किसी योजना को अंतिम रूप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) और (ख) फ्रांस के साथ 1966 के वर्ष में निष्पादित एक सांस्कृतिक करार हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, विज्ञानों और कलाओं के क्षेत्रों में परस्पर विनियम के आधार पर एक दूसरे के देश में जाने की व्यवस्था है। फ्रांस के साथ 1978 के वर्ष में निष्पादित एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी करार भी है। इस करार में भी अन्य बातों के साथ-साथ, दोनों देशों से वैज्ञानिकों द्वारा एक दूसरे के देश में यात्राकों की व्यवस्था है। तथापि, भारत और फ्रांस के बीच प्रमुख वैज्ञानिकों और कलाकारों के विनियम की किसी विशिष्ट योजना (स्कीम) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

**वर्ष 1983-84 के लिए पश्चिम बंगाल की योजना को अन्तिम रूप देना**

2881. **श्रीमती गीतामुखर्जी :**

**श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1983-84 के लिए पश्चिम बंगाल की 540 करोड़ रुपये की योजना को राज्य की 648 करोड़ रुपयों की मांग के स्थान पर अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों की इससे काफी बड़ी योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है ;

(ग) क्या वार्षिक योजनाओं के आकार में आनुपातिक औसत वृद्धि 17 प्रतिशत है जबकि पूर्व ओर पूर्वोतर क्षेत्रों में यह केवल 10 प्रतिशत है ; और

(घ) यदि हां. तो इसे सुनियोजित भेदभाव के क्या कारण हैं ?

**योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) जी हां।

(ख) इन राज्यों की 1983-84 की वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय नीचे दिए गए हैं : —

| राज्य | (करोड़ रु०) 1983-84 |
|---|---|
| गुजरात | 900 |
| मध्य प्रदेश | 855 |
| महाराष्ट्र | 1500 |
| तमिलनाड्र | 845 |
| उत्तर प्रदेश | 1290* |

* विशेष पहाड़ी क्षेत्र सहायता को छोड़कर।

(ग) वर्ष 1982-83 के लिए योजना परिव्यय में वृद्धि 10 से 36 प्रतिशत के बीच है। सभी राज्यों को मिलकर समग्र वृद्धि 16.1 प्रतिशत है। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में वृद्धि (असम को छोड़कर) जिसके आंकड़े अनंतिम हैं की वृद्धि 10 से 20 प्रतिशत के बीच है जबकि इस क्षेत्र से बाहर के राज्यों के मामले में यह 10.12 से लेकर 36 प्रतिशत तक है।

(घ) किसी राज्य की योजना के आकार का निर्धारण राज्य के अपने संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिनका अनुमान योजना द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से लगाय जाता है केन्द्रीय सहायता का निर्धारण अनुमोदित फार्मूले के आधार पर किया जाता है इस प्रकार किसी राज्य के विरुद्ध किसी भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। पिछले वर्ष की वार्षिक योजना

के आकार की तुलना में प्रतिशत वृद्धि उक्त अनुमोदित फार्मूले के फलस्वरूप परिणाम पर आधारित है और योजना के आकार का निर्धारण पूर्व निर्धारित प्रतिशत वृद्धि को लागू करके नहीं किया जाता है लेकिन जहां पिछले वर्ष की योजना के आकार की तुलना में उचित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं वहां कुछ अग्रिम योजना सहायता के लिए सहमति दी गई है। पश्चिम बंगाल के मामले में 59.05 करोड़ रु० की अग्रिम योजना सहायता के लिए सहमति दी गई है ताकि 1983-84 के लिए योजना 544 करोड़ रु० पर निर्धारित की जा सके और इस प्रकार वर्ष 1982-83 के लिए 490 करोड़ रु० के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

**सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की केन्द्रीय जांच ब्यूरों में प्रतिनियुक्ति**

2882. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा बल के कितने अधिकारी इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर हैं ;

(ख) प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के बाद जिले एक-एक वर्ष बढ़ायां जाता हैं उन्हें वापिस न भेजने के क्या कारण हैं

(ग) सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय जांच ब्यूरो का आपस में क्या संबंध है और सीमा सुरक्षा जांच के विशेष कार्य कैसे करता है ;

(घ) क्या इन प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों के कारण केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कर्मचारियों में बहुत अशान्ति है और यदि हां, तो क्या उन्हें सरकार की नीति के अनुसार तुरन्त वापस भेजा जाएगा ; और

(ङ) क्या सी० बी० आई० ने बी० एस० एफ० के एस० पी० के रूप में प्रतिनियुक्त डी० एस० अधिकारी सी० बी० आई० में आई० पी० एस० और एस० पी० का कार्य देखते हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या सीमा सुरक्षा बल से सी० बी० आई० निदेशक और संयुक्त निदेशक केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर हावी हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) इस समय सीमा सुरक्षा बल की एक राजपत्रित अधिकारी और दो अराजपत्रित अधिकारी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

(ख) इन तीन अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी ने अभी अपने अपने पदों के लिए प्रतिनियुक्ति की निर्धारित अवधि पूरी नहीं की है, इसलिए इस समय उन्हें प्रत्यावर्तित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है इसलिए सीमा सुरक्षा बल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से जांच का कोई भी कार्य अपने हाथ में नहीं लेता है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) सीमा सुरक्षा बल का कोई भी उप पुलिस अधीक्षक (डिप्टी एस० पी०) इस समय न तो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर है और न केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक के किसी पद को सीमा सुरक्षा बल के किसी अधिकारी ने प्रतिनियुक्ति पर ही धारित किया हुआ है ।

**बीदार (कर्नाटक) में उद्योगों की स्थापना**

2883. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार जिले (कर्नाटक) को उद्योग रहित जिले की सूची में शामिल किया गया है ; और

(ख) यदि हां तो बिदार जिले में उद्योगों की स्थापना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) और (ख) जी हां बीदार जिले का औद्योगिकीकरण करने के लिए किए गए विभिन्न अभ्युपायों की सूचना संलग्न (अनुबंध) है ।

[मंत्रालय में राखा गया देखिए संख्या एल० टी-6116/83]

**1983-84 के लिए राज्यों का योजना परिव्यय**

2884. **श्री कुंवर राम** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए योजना के विशेष संदर्भ सहित वर्ष 1983-84 के लिए विभिन्न राज्यों का योजना परिव्यय क्या है ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : वर्ष 1983-84 के लिए राज्यों की वार्षिक योजना के परिव्ययों का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । इनका ब्यौरा वार्षिक योजना के दस्तावेजों में दिया जाएगा जो राज्यों के बजट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

विवरण

वार्षिक योजना 1983-84

| राज्य | सहमत परिव्यय (करोड़ रु०) |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 826.00 |
| असम | 238.00* |
| बिहार | 681.00 |
| गुजरात | 900.00 |
| हरियाणा | 407.00 |
| हिमाचल प्रदेश | 140.00 |
| जम्मू तथा कश्मीर | 185.00 |
| कर्नाटक | 575.00 |
| केरल | 320.00 |
| मध्य प्रदेश | 855.00 |
| महाराष्ट्र | 1500.00 |
| मणिपुर | 52.800 |
| मेघालय | 56.32 |
| नागालैण्ड | 51.00 |
| उड़ीसा | 345.00 |
| पंजाब | 440.00 |
| राजस्थान | 401.00 |
| सिक्किम | 30.50 |
| तमिलनाडु | 845.00 |
| त्रिपुरा | 58.00 |
| उत्तर प्रदेश | 1290.00 |
| पश्चिम बंगाल | 540.00** |
| जोड़ राज्य | 10736.62 |

** अभी निश्चित किया जाना है ।

* 85 करोड़ रु० के पहाड़ी क्षेत्रों के परिव्यय सहित 1375 करोड़ रु०

**कमजोर वर्गों पर हिंसा की बढ़ती हुई घटनायें**

2885. **श्री अजित बाग** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरिजनों, मुसलमानों सहित समाज के कमजोर वर्गों पर हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं का कोई विश्लेषण किया है ;

(ख) यदि हां, तो किए गए विश्लेषण का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे विश्लेषण न करने के क्या कारण है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसा अध्ययन करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (घ) तक ऐसी हिंसा विशेषत: अनुसूचित जातियों के प्रति हिंसा के लिए उत्तरदायी तत्व सामाजिक आर्थिक स्वरूप के हैं जिनका विश्लेषण केन्द्रीय गृह मंत्री के दिनांक 10-3-80 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 111—11011/4/80—एन आई० डी० (डी) में किया गया है और इसकी प्रतिलिपि दिनांक 19-3-80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1077 के उत्तर में लोकसभा के पटल पर रखी जा चुकी है।

जहां तक मुसलमानों के प्रति अपराधों का संबंध है सरकार का विचार है कि केवल साम्प्रदायिक वैमनस्य ही कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य तत्वों की गहराई में निहित कारणों से है। इस संदर्भ में आन्ध्र प्रदेश बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकारों को कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में साम्प्रदायिक समस्या के गहन अध्ययन के लिए कार्यदल गठित करने की सलाह दी गई है।

**राजस्थान के जैसलमेर में चूना-पत्थर निक्षेप**

2886. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में अच्छे किस्म का चूना-पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किन-किन एजेंसियों ने सर्वेक्षण किया है ;

(ग) क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ; और

(घ) उपरोक्त खनिज के उपयोग के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० सात्वे)** : (क) जी हां।

(ख) जैसलमेर जिले में चूना पत्थर के लिए खोजकार्य भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और राजस्थान सरकार के खनन तथा भूतत्व विभाग द्वारा किया गया है।

(ग) सर्वेक्षण हाल में ही पूरा हुआ है तथा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। माननीय सदस्य यदि चाहेंगे, तो रिपोर्ट का सारांश, उन्हें भेज दिया जायेगा ;

(घ) इन खनिज भण्डारों का उपयोग उनकी प्रौद्योगिक-आर्थिक उपादेयता पर निर्भर करेगा।

**महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन**

2887. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के जिला रायगढ़ के स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन के कुछ मामले भारत सरकार के विचाराधीन हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन मामलों को अन्तिम रूप देने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) उनके कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। राज्य सत्यापन/ग्राह्यता रिपोर्ट और/ या आवेदक से आवश्यक सूचना/कागजात प्राप्त न होने के कारण महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले से सम्मान पेंशन प्रदान करने के 63 मामले अंतिम निर्णय के लिए लम्बित हैं। जैसे ये प्राप्त होंगे, इन मामलों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता**

2888. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केन्द्रीय सरकार का अर्ध-सरकारी/अधीनस्थ कार्यालय है ;

(ख) यदि हां, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता किस दर से दिया जाता है ; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस, दिल्ली परिवहन निगम तथा सरकार के अधीनस्थ अन्य संस्थानों में मकान किराया भत्ते की दर 30 प्रतिशत है और यदि हां, तो वैज्ञा-

निक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों को उक्त विभागों में दी जा रही दर पर मकान किराया भत्ता कब तक दिया जाएगा और उसका भुगतान कैसे किया जाएगा ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा सी० एस० आई० आर० की स्थापना एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई है और यह संस्था पंजीकरण अधिनियम 1960 के इक्कीस के अन्तर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व के वैज्ञानिक, औद्योगिक/अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्य करना है ;

(ख) और (ग) मकान किराया भत्ता (एच० आर० ए०) अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के सम्बन्ध में सी० एस० आई० आर० अपने विनियमों के प्रावधान अनुसार भारत सरकार के नियमों का अनुसरण कर रही है और तदनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत मकान किराया भत्ता विभिन्न स्थानों पर नियुक्त कर्मचारियों को सी० एस० आई० आर० द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

**राजस्थान में उद्योगों का पंजीकरण**

2889. **श्री विद्दाराम फुलवारिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी 1983 तक औद्योगिक एककों का पंजीकरण हुआ ;

(ख) पंजीकृत एकक कौन-कौन से उद्योगों के साथ सम्बद्ध हैं और कितने एककों में उत्पादन आरम्भ हो गया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी जिला-वार ब्यौरे क्या हैं ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह)** :(क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**राजस्थान के उद्योगों में विद्युत कटौती**

2890. **श्री अनवर अहमद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऐसे बड़े, मध्यम तथा छोटे उद्योगों की संख्या कितनी है जिनमें विद्युत की कटौती की गई है तथा कितने प्रतिशत की कटौती लागू की गई है ; और

(ख) विद्दुत की अनुपलब्धता के कारण बन्द हुए उद्योगों में कितने कुशल और अकुशल श्रमिक बेकार हो गये हैं ;

**उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि सभी स्रोतों से सीमित बिजली मिलने के कारण सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं पर बिजली की कटौती लागू की गई थी, कटौती की प्रतिशतता प्रत्येक श्रेणी के उद्योग की सम्बन्धित प्राथमिकता और समय-समय पर बिजली होने वाली उपलब्धता पर निर्भर करती है : राजस्थान सरकार ने यह भी बताया है कि किसी औद्योगिक एकक ने स्थायी रूप से बन्द हो जाने की या कामगरों के स्थायी रूप से बेरोजगार हो जाने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

**दिल्ली पुलिस के चतुर्थ श्रोणी के कर्मचारियों के लिए चयन ग्रेड लागू किया जाना**

2891. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक चयन ग्रेड लागू करने पर कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए चयन ग्रेड के सृजन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति 12 मार्च, 1983 को सूचित कर दी गई है ।

**संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए वस्तुपरक परीक्षा**

2892. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 फरवरी, 1983 के सूर्या में "आब्जेक्टिव टेस्ट्स शेम स्क्रीनिंग" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या सरकार को नवम्बर, 1982 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए वस्तुपरक परीक्षाओं की अपर्याप्त पर प्रकाश डालने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) क्या सरकार का संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सुधार के लिए स्थिति की की पुनरीक्षा करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं । सिविल सेवा परीक्षा की योजना, जिसने भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि

को प्रतिस्थापित किया था, वर्ष 1979 की पीरीक्षा से लागू हुई थी और इसी परीक्षा से आयोग की परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ स्वरूप की परीक्षाएं काफी संख्या में शुरू की गई थीं। यह योजना अभी भी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है। फिर भी संघ लोक सेवा आयोग इन परीक्षाओं की गुणवत्ता सभा वैधता में सुधार लाने के लिए लगातार उनका मूल्यांकन करता रहता है।

**खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों का विवाद**

2893. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली, के कर्मचारियों के अनेक विवाद पिछले कई वर्षों से खादी ग्रामोद्योग आयोग के पास विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो खादी आयोग को ये मामले किन-किन तारीखों को प्राप्त हुए थे तथा उनके लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं और उन मामलों के कब तक निपटाये जाने की संभावना है ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का पूरा किया जाना**

2894. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** :

**श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में एकीकृत इस्पात संयंत्र को मूलत: कब पूरा कर लिया जाना तथा पूरा करने के निर्धारित कार्यक्रम का कितनी बार पुनरीक्षण किया गया तथा किए जाने के निर्धारित कार्यक्रम में पुनरीक्षण के क्या कारण थे ;

(ख) वर्ष 1980-81, 1981-82, तथा 1982-83 के लिए योजनागत आबंटन क्या है तथा आबंटन में से परियोजना पर वास्तव में कितना व्यय किया गया था ; और

(ग) परियोजना के पूरा होने तथा पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार इसे पूरा करने को सुनिश्चित करने, यदि कोई कठिनाई है, तो उन्हें दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) परियोजना की निर्माण समय-सूची में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इस कारखाने का काम 1-2-1983 को शुरू किया गया था तथा समय-सूची के अनुसार यह कारखाना 6 वर्ष में तैयार होगा।

(ख) धनराशि के आवंटन तथा वास्तविक खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपये)

| वर्ष | आवंटन | वास्तविक खर्च |
|---|---|---|
| 1980-81 | 70.00 | 52.66 |
| 1981-82 | 130.00 | 146.70 |
| 1982-83 | 250.00 | 240.01 (28-2-1983 तक) |

*अतिरिक्त खर्च की पूर्ति पुनर्विनियोजन द्वारा की गई।

(ग) परियोजना को निर्धारित समयावधि में पूरा करने हेतु परियोजना के कार्यान्वन पर सतत निगरानी रखी जाती है।

**कच्छ जिले (गुजरात) के लखपत तालुक में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना**

2895. **डा० महिपत राय एम० मेहता** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुक में भारी मात्रा में चूना पत्थर है ;

(ख) कच्छ जिले के लखपत तालुक में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए, कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) कितने आवेदन पत्र स्वीकर/अस्वीकार किए गए हैं तथा अस्वीकार करने के कारण तथा उद्यमियों के नाम क्या हैं ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर भद्र सिंह)** : (क) से (ग) जी, हां। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र में चूना पत्थर के बड़े निक्षेप हैं ;

गुजरात राज्य के लखपत ताल्लुक में पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन करने के लिए आशयपत्रों की स्वीकृति हेतु चार आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। इनमें से एक आवेदन पत्र पर एक मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक आशय पत्र इस शर्त के अधीन जारी किया गया था कि संयंत्र के स्थापना स्थल का निर्धारण सरकार की सन्तुष्टि के मुताबिक किया जाएगा अन्य आवेदन पत्र प्रक्रिया की भिन्न-भिन्न स्थितियों में हैं।

**भारत की यात्रा पर आये पाकिस्तानी नागरिक**

2896. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत के दौरे पर राज्य वार कितते पाकिस्तानी नागरिक वैध वीसा लेकर आए हैं ;

(ख) उनमें से वीसा की अवधि समाप्त होने के बाद भी राज्यवार कितने लोग पाकिस्तान नहीं लौटे हैं ; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क), से (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**जिलेट ब्लैड बनाने के लिए मशीनरी का आयात**

2897. **श्री शांतु भाई पटेल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अमरीका की प्रसिद्ध जिलेट ब्लेड निर्माता कम्पनी और पोददार एन्टर प्राइजेज नामक भारतीय कम्पनी जिसका उक्त अमरीका कम्पनी के साथ सहयोग है, ब्लैड बनाने के लिए पुरानी मशीनों का आयत रोकने की कोशिश कर रही है ; और

(ख) पुरानी मशीनों का आयात रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने पुरानी मशीनरी के आयात की स्वीकृति नहीं दी है ।

**अल्पसंख्यकों संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की रिपोर्ट ।**

2899. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता वाली अल्पसंख्यकों संबंधी शक्ति प्राप्त समिति ने सरकार को अपनी अन्तिम रिपोर्ट भेज दी है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके काम में कितनी प्रगति हुई है तथा रिपोर्ट कब तक भेज दी जाएगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (ग) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए उच्च शक्ति प्राप्त शक्ति

प्राप्त पैनल के कार्यकाल को 30-6-83 तक बढ़ाया गया है और उनकी रिपोर्टों के उस तिथि से पहले मिल जाने की आशा है।

**मिर्जापुर तथा बनारस जिलों के कुछ क्षेत्रों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करना**

2900. **श्री उमा कान्त मिश्र** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्जापुर जिले के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र स्थिति, छानवे लालगंज तथा बनारस जिले के सूर्यवान और दीर्घ खंड को औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र घोषित करने का विचार है; और

(ख) क्या इन खंडों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

**योजना मन्त्री (श्री ए० बी० चव्हाण)** : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों के विकास से संबंधित राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रस्तुत की गई औद्योगिक प्रकीर्णन की रिपोर्ट के संबंध में निर्णय किए जाने तक क्षेत्र समावेशन में परिवर्तन जैसे मामलों सहित्त औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के समग्र मामले की सरकार द्वारा जाँच की जा रही है।

**कृषि में नवीनतम प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी एकत्रित करना**

2901. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि, जल संसाधनों के उपयोग, कम लागत वाले मकानों आदि के बारे में नवीनतम प्रौद्योगिक संबंधी जानकारी ऐसे ढंग से संकलन कर लिया है कि जनता आसानी से प्राप्त कर सके तथा समझ सके, और उसके प्रसारण के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संचलन तथा प्रसारण का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य में क्या बाधायें हैं ;

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त विषयों पर जनता को नवीनतम प्रौद्योगिकी सुलभ कराने हेतु कोई उपाय किये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग में रक्षा मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) से (ङ) सूचना को एकत्रित किया जा

रही है और जब भी वह एकत्र हो जाए गी उसे सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

**शालीमार बाग में डकैती**

2902. **श्री राम लाल राही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 दिसम्बर, 1982 की शाम को शालीमार बाग, दिल्ली में एक मकान में डकैती डाल कर डकैत वहां से 1.30 लाख रु० मूल्य के समान तथा कुछ नकद राशि लूटने के बाद भाग गये थे।

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में कितनी ऐसी डकैतियां पड़ी ;

(ग) इन डकैतियां के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को जेल में डाला गया है ;

(घ) कितने संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा नहीं जा सका है ; और

(ङ) देश में ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें पांच वर्ष पूर्व डकैतियां पड़ी थीं और डकैतों का अब तक पता नहीं लगाया जा सका है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) 10 दिसम्बर, 1982 की शालीमार बाग में डकैती की एक घटना हुई। डकैती 30.000 रु० नगद, सोने और चांदी के कुछ जेवरातों, घड़ियों, बर्तनों और कपड़ों आदि को लेकर भाग गए। इस मामले में अब तक 7 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुछ लूटी गई सम्पत्ति बरामद की गई है।

(ख) वर्ष 1982 के दौरान दिल्ली पुलिस को डकैती के 22 मामले सूचित किए गए थे। देश के अन्य भागों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इन मामलों में 41 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

(घ) एक संदिग्ध व्यक्ति एक अन्य मामले में हिंसाई खेल में पहले से सजा काट रहा है और इसलिए वह गिरफ्तार नहीं किया गया। 22 मामलों में से 12 में अपराधियों की अभी शिनाख्त नहीं की गयी है।

(ङ) पूरे देश के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। जहां तक दिल्ली का संबंध है, 1974 के 7 मामलों में, 1975 के 5 मामलों में और 1977 के 7 मामलों में अपराधियों का पता नहीं लगाया जा सका।

**मध्य प्रदेश का 1983-84 का योजना परिव्यय**

2903. **श्री कमल नाथ** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के 1983-84 के संबंध में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूरी की गई है ;

(ग) क्या योजना लक्ष्य की प्राप्ति में राज्य के कार्यनिष्पादन की कोई पुनरीक्षा की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को क्या परामर्श किया गया है ?

**योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) जी, हां ।

(ख) मध्य प्रदेश की वार्षिक योजना के लिए 1983-84 में योजना परिव्यय 855 करोड़ रु० निश्चित किया गया है ।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य की वर्ष 1983-84 की योजना को अंतिम रूप देते सयय उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्न प्रकार से हैं :

(1) जैसा कि अन्य सभी राज्यों के मामलों में है, चालू वर्ष (1982-83) के अन्य में योजना संसाधनों में यदि कोई कभी/अन्तर हो तो उसे 1983-84 की वार्षिक योजना के योजना संसाधनों में समायोजित किया जाए ।

(2) अतिरिक्त संसाधन जुटाने के जरिये तथा योजनेतर व्यय में मितव्ययिता कर के नए संसाधन जुटाने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

(3) कोरबा वेस्टएक्टैंशन की दो इकाइयों को समय पर चालू करने के लिए, उनके कार्यान्वयन के लिए सूखा प्रवोधन की आवश्यकता है।

(4) क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में लघु सिंचाई कार्यक्रमों तथा सूखा प्रवृत क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चालू लघु सिंचाई योजनाओं को जो लाभकारी हैं छठी योजना अवधि में शीघ्र पूरा करने के आवश्यकता है । अधिक कृषि उत्पादन के लिए एकीकृत सूखी भूमि कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करना आवश्यक है।

(5) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादन तथा गरीबी दूर करने के कार्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है ।

(6) माध्यमिक शिक्षा के व्यवसाकिरण को प्राथमिता दी जानी चाहिए।

**छठी पंचवर्षीय योजना की प्रगति**

2904. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना की प्रगति का कोई मध्यावधि जायजा लिया गया है;

(ख) क्या जायजे से से किन्हीं क्षेत्रों में अपर्याप्त प्रगति का संकेत मिला है ;

(ग) यदि हां, तो सत्सम्बधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(घ) क्या शेष छठी योजना के लिए लक्ष्यों और धनराशि के आवंटन की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है ?

**योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) छठी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन आरम्भ किया गया है । इसे अभी पूरा किया जाना है ।

(ख) और (ग) यह ब्यौरा उपर्युक्त मूल्यांकन के पूरा होने पर ही सामने आएगा ।

(घ) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

**विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की प्रगति और उसमें लगाई गई धनराशि**

2905. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की वर्तमान प्रगति क्या है तथा उसमें अब तक कितनी धनराशि लगाई जा चुकी है ;

(ख) परियोजना को जल सप्लाई संबंधी महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन की, प्रत्येक चरण की प्रगति क्या है ;

(ग) इस इस्पात संयंत्र में (एक) स्थायी (दो) अस्थायी और (तीन) नैमित्तिक श्रेणियों से संबंधित सभी संवर्गों के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या क्या हैं ;

(घ) क्या इस इस्पात संयंत्र के लिए भर्ती करते समय प्राधिकारियों ने स्थानीय प्रतिभा और जन-शक्ति को पर्याप्त अवसर प्रदार करने के लिए स्वीकृत मानदंडों का ठीक-ठीक पालन किया

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)**.: (क) कारखाने का स्थल तैयार करने का काम प्रायः पूरा हो गया है तथा सिविल निर्माण और उपस्करों की स्था-

पना का कार्य चल रहा है । कारखाने के लिए आवश्यक अधिकाँश उपस्करों तथा उष्मसहों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं ।

28-2-1983 तक परियोजना पर कुल 457.80 करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके थे।

(ख) मेहाद्रिगेडा नदी योजना से प्रतिदिन 10 लाख गैलन पानी पहले ही प्राप्त हो रहा है। निर्माण कार्य के लिए प्रतिदिन 35 लाख गैलन पानी रायवाड़ा नहर से सप्लाई किया जायेगा। इस नहर का कार्य प्रायः पूरा हो चुका है । कारखाने के परिचालन के लिए जल आवश्यकताओं की पूर्ति येलुस नदी योजना से की जायेगी । यह योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना का कार्य चल रहा है ।

(ग) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| | |
|---|---|
| 1. कार्यपालक | 365 (दो कार्यपालकों को नियुक्ति ढेके के आधार पर थोड़े समय के लिए की गई है) |
| 2. प्रबन्धन प्रशिक्षणार्थी | 84 |
| 3. गैर-कार्यपालक | 1623 |
| 4. गैर-कार्यपालक प्रशिक्षणार्थी | 163 |
| 5. दैनिक मजूरी वाले कर्मचारी (गैर-कार्यपालक) | 14 |
| | 2249 |

(घ) निर्धारित नीति के अनुसार कार्यपालक ग्रेड में नियुक्तियां अखिल भारतीय आधार पर परीक्षा/साक्षात्कार लेकर की जाती हैं। गैर-कार्यपालक संवर्ग में रिक्तियों की सूचना स्थानीय रोजगार कार्यालय को भेज दी जाती है तथा उपयुक्त उम्मीदवार लिए जाते हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**तिहाड जेल के प्राधिकारियों द्वारा अपराधियों को दण्ड देना**

2906. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल के प्राधिकारी अपराधियों को न्यायिक निर्णयों में दिए गए दण्ड से भी बढ़चढ़ कर दण्ड दे रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं ; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) जी नहीं श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग**

2907. **श्री सुभाष चन्द्र बोस** अत्तरी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1977-78 से 1980-81 तक के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या तथा प्रतिशत क्या था; और

(ख) इसके लिए जिम्मेदार तथ्य कौन से हैं ?

**योजना मन्त्री (श्री एस०वी० चव्हाण)** : गरीबी के स्तर के नीचे के व्यक्तियों का नवीनतम उपलब्ध राज्यवार ब्यौरा वर्ष 1977-78 के लिए है। यह विवरण में दिया गया है। उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण जिन पर गरीबी के अनुमान आधारित हैं समय-समय पर किए जाते हैं। अगला सर्वेक्षण वर्ष 1983 के लिए होना तय किया गया है अतः वर्ष 1977-78 के बाद के राज्यवार गरीबी के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) गरीबी के स्तर से नीचे रहने वालों की अधिक संख्या होने के स्वाभाविक कारण हैं-- अधिकांश जनसंख्या के लिए उत्पादन के बहुत ही सीमित आधार जिसके परिणाम स्वरूप अपर्याप्त उत्पादकता, का आय खपत, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष बेरोजगारी, जनसंख्या में अत्याधिक वृद्धि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर और वंचित समूह, अपर्याप्त आधारित संरचनात्मक सुविधाएं, स्थानीय संसाधनों और सामाजिक सेवाओं का अप्रर्याप्त विकास और पिछड़ेपन के मूल कारणों से प्रभावित सुविधावंचित क्षेत्र ।

विवरण

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग राज्यवार गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाली जनसंख्या की संख्या और प्रतिशत-1977-78

| क्र० सं० | राज्य | ग्रामीण | | शहरी | | संयुक्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या (लाख) | प्रतिशत | संख्या (लाख) | प्रतिशत | संख्या (लाख) | प्रतिशत |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 170.35 | 43.89 | 36.44 | 35.68 | 206.79 | 42.18 |
| 2. | असम | 88.34 | 52.65 | 7.07 | 37.37 | 95.41 | 51.10 |
| 3. | बिहार | 338.44 | 58.91 | 32.94 | 46.07 | 371.38 | 57.49 |
| 4. | गुजरात | 94.84 | 43.20 | 26.48 | 29.02 | 121.32 | 39.04 |
| 5. | हरियाणा | 22.10 | 23.25 | 6.95 | 31.74 | 29.05 | 24.84 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 10.37 | 28.12 | 0.51 | 16.56 | 10.88 | 27.23 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 14.57 | 32.57 | 4.35 | 39.33 | 18.92 | 34.06 |
| 8. | कर्नाटक | 124.10 | 49.88 | 38.62 | 43.97 | 162.72 | 48.34 |
| 9. | केरल | 93.42 | 46.00 | 22.19 | 51.44 | 115.61 | 46.95 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 244.59 | 59.82 | 42.74 | 48.09 | 287.33 | 57.73 |
| 11. | महाराष्ट्र | 214.11 | 55.85 | 61.30 | 31.62 | 275.41 | 47.71 |
| 12. | मणिपुर | 3.42 | 30.54 | 0.56 | 25.48 | 3.98 | 2971 |
| 13. | मेघालय | 5.51 | 53.87 | 0.36 | 18.16 | 5.87 | 48.3 |
| 14. | नागालैंड | उ० न० | उ० न० | 0.03 | 4.11 | उ० न० | उ० न० |
| 15. | उड़ीसा | 158.97 | 68.97 | 10.33 | 42.19 | 169.30 | 66.40 |
| 16. | पंजाब | 13.49 | 11.87 | 9.59 | 24.66 | 23.08 | 15.13 |
| 17. | राजस्थान | 85.79 | 33.75 | 19.12 | 33.80 | 104.91 | 33.76 |
| 18. | तमिलनाडु | 170.47 | 55.68 | 66.59 | 44.79 | 237.06 | 52.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. त्रिपुर | 10.93 | 64.28 | 0.61 | 26.34 | 11.54 | 59.73 |
| 20. उत्तर प्रदेश | 429.93 | 50.23 | 72.27 | 49.24 | 502.20 | 50.09 |
| 21. पश्चिमी बंगाल | 227.65 | 58.94 | 48.10 | 34.71 | 275.75 | 52.69 |
| 22. संघ राज्य क्षेत्र | 6.35 | 34.32 | 11.24 | 17.96 | 17.59 | 21.63 |
| अखिल भारत (भारित) | 2527.74 | 50 82 | 518.39 | 38.19 | 3046.10 | 48.13 |

टिप्पणी : (1) उपर्युक्त अनुभाग 1977-78 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के अनुरूप 65 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास के गरीबी के स्तर को और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्थकता के अनुरूप 75 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास के गरीबी के स्तर को मान कर लगाए गए हैं।

(2) ये परिणाम 32वीं दौर (जुलाई, 1977 से जून 1978) के परिवार की उपयोक्ता व्यय से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनंतिम और त्वरित सारणीयन पर आधारित हैं।

(3) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में सकल अखिल भारत निजी उपभोक्ता व्यय के लगाए गए अनुमानों और राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन द्वारा लगाए गए आंकड़ों के अनुमानों के बीच अंतर को, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में इस अंतर के आवंटन के बारे में किसी सूचना के अभाव में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यथानुपात समायोजित किया गया है।

(4) गरीबी के स्तर के नीचे के लोगों की संख्या 1 मार्च, 1978 की जनसंख्या से संबंधित है।

(5) अखिल भारत के लिए गरीबी के स्तर से नीचे के लोगों की संख्या और प्रतिशत इस विवरण में शामिल राज्यों की जनसंख्या से मेल खाते हैं।

**केरल में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना**

2908. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में एक परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) तथा (ख)जी, हां । सरकार ने परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के उपयुक्त स्थलों का चुनाव करने के लिए एक स्थल चयन समिति नियुक्त की है। दक्षिणी क्षेत्र में, जिसमें केरल भी शामिल है, एक परमाणु बिजलीघर लगाने के बारे में निर्णय समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार कर लिया जाने के बाद लिया जा सकता है ।

**उड़ीसा के इस्पात संयंत्र में ब्रिटेन का सहयोग**

2909. **श्री नित्य नन्द मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के व्यापार मंत्री की हाल की यात्रा के दौरान उड़ीसा के एक इस्पात संयंत्र में उनके देश के सहयोग के बारे में चर्चा की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) और (ख) यात्रा पर आए मंत्री ने उड़ीसा में नए इस्पात कारखाने में ब्रिटेन के उद्योग द्वारा सहयोग देने के बारे में अभिरुचि दिखायी थी, परन्तु किसी ठोस प्रस्ताव पर बातचीत नहीं हुई थी ।

**राजनीतिक दलबदल को रोकने के लिए प्रस्ताव**

2910. **श्री उत्तम राव पाटिल** :
**श्री चिरंजी लाल शर्मा** :
**श्री हरीश कुमार गंगावार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दलबदल विरोधी विधेयक कब तक लाये जाने की संभावना है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (ग) दल बदल की समस्या चुनाव संबंधी सुधारों से संबंधित बड़े मसले का भाग है और इसे अलग से नहीं देखा जा सकता । अतः सरकार दल बदल की समस्या पर चुनाव संबंधी सुधारों से सम्बद्ध अन्य मसलों के

साथ विचार कर रही है। परन्तु इस स्थिति में कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं दी जा सकती।

**उत्तर प्रदेश के रुग्ण एककों का स्वास्थ एककों में विलय,**

2911. **श्री राम अवध** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ऐसे रुग्ण एककों के नाम क्या हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार ने उनका स्वस्थ उद्योगों में विलय करने का निर्णय किया है ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा)** : कंपनी अधिनियम 1956 की अपेक्षाओं के अनुसार उच्च न्यायालयों द्वारा सभा मेलन (विलय संबंधी योजना अनुमोदित और स्वीकृत कर दिए जाने के बाद में यूनिवर्सल ग्लास लि० के स्वामित्वधीन साहिवाबाद उ० प्र० स्थित एक उष्ण औद्योगिक उपक्रम का विलय ने जगजीत इण्डस्ट्रीज लि० के साथ कर दिया गया है।

**औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली पर भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान के सामूहिक अध्ययन दल की रिपोर्ट**

2912. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान के सामूहिक लाइसेंसिंग प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान के सामूहिक अध्ययन दल की हाल की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है।

(ख) क्या रिपोर्ट यह दर्शाती है कि क्षमता का उपयोग सरकारी क्षेत्र में विशाल गैर-सरकारी की अपेक्षा बेहतर है जिसे अधिक प्रतिष्ठापित क्षमता का निर्माण करने हेतु अनुमति दी गई है ; और

(ग) क्या रिपोर्ट में इस बात को सुनिश्चत करने के लिए कि लाइसेंसिंग विनियमों का उल्लंघन न हो, किसी प्रभावी व्यवस्था की अनुपस्थिति का उल्लेख है ;

**उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) से (ग) जी, हां किन्तु सरकार अनुभव करती है कि रिपोर्ट में निकाला गया यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि औद्योगिक लाइसेंसीकरण प्रणाली से वे उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए हैं जिनके लिए तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट यत्र तत्र किए गए कुछ एककों के सर्वेक्षण पर आधारित है। इसके अलावा मूल रूप से यह निष्पादन के एक ही पहलू अर्थात् क्षमता के उपयोग से लाइसेंसीकर प्रणाली के उद्देश्य बहुमुखी हैं और इस रिपोर्ट के अधीन विचारित विषयों से कहीं अधिक विस्तृत है।

**औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों क्षेत्रों में केन्द्रीय राज सहायता योजना के लिए अनुदान**

2913. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक रूप से बिछड़े जिलों/क्षेत्रों में केन्द्रीय राजसहायता योजना हेतु वर्ष 1977 से 1982 तक नियमित बजट में कितना वार्षिक अनुदान मंजूर किया गया है ;

(ख) उक्त वर्षों में योजना के लिए अनुपूरक बजट में कितनी राशि मंजूर की गई ;

(ग) वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक आवश्यकता का उचित अनुमान न लगाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि संबन्धित पार्टियों को धन देने में हुए विलंब से उद्यमियों में भारी रोष फैला है ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह)** : (क) तथा (ख) 1977 से 1982 के वर्षों के बीच चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों तथा पहाड़ी और दूर स्थित क्षेत्रों में केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना और परिवहन राजसहायता योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिए किए गए प्रावधान क्रमश: नीचे दिए गए हैं :—

| | |
|---|---|
| 1977-78 | |
| बजट अनुमान और संशोधित अनुमाल | 15.00 करोड़ रु० |
| पूरक मांग द्वारा | 30.0 करोड़ रु० |
| पुनर्विनियोजन द्वारा | 1.96 करोड़ रु० |
| | 19.96 करोड़ रु० |
| बजट अनुमान और संशोधित अनुमान | 15.00 करोड़ रु० |
| पुनर्विनियोजन द्वारा | 0.41 करोड़ रु० |
| | 15.41 करोड़ रु० |
| 1979-80 | |
| बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान | 100.00 करोड़ रु० |
| पुनर्विनियोजन द्वारा | 2.00 करोड़ रु० |
| | 12.00 करोड़ रु० |
| 1980-81 | |
| बजट अनुमान | 15.00 करोड़ रु० |

| | |
|---|---|
| पूरक मांग | 10.00 करोड़ रु० |
| पुनर्विनियोजन द्वारा | 6.01 करोड़ रु० |
| | 31.01 करोड़ रु० |
| 1981-82 | |
| बजट अनुमान | 20.00 करोड़ रु० |

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत, औद्योगिक एकक अपने दावे राज्य के संवितरण करने वाले अधिकरणों को देते हैं जो वह तो इस उद्देश्य के लिए नाभित वित्तीय संस्थान होते हैं अथवा उद्योग निदेशक होते हैं। वास्तव में संवितरण के लिए स्वीकार किए जाने से पूर्व इस प्रकार प्रस्तुत किए गए दावों की जांच राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाती है। आरंभिक व्यय राज्य सरकार द्वारा संवितरण किया जाता है। यही कारण है कि केन्द्र सरकार वास्तविक आवश्यकताओं का सही-सही अनुमान लगा पाने की स्थिति में कहीं भी नहीं होती। जैसे ही केन्द्र सरकार को दावे प्राप्त होते हैं प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की जाती है।

**श्याम-श्वेत टी० वी० ट्यूबों के लिए संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव**

2914. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्याम-श्वेत टी० वी० ट्यूबों के निर्माण के लिए अलग-अलग उत्पादन क्षमता के संयंत्र स्थापित करने के लिए, प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत ने श्याम-श्वेत टी० वी० ट्यूबें बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को भारत में संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी है ; और

(ग) यदि हां, तो ये संयंत्र स्थापित करने के बारे में सरकार द्वारा अपनाये गए मापदण्ड तथा नीति का ब्यौरा क्या है ;

**(इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव)** : (क) सरकार ने प्रति वर्ष 10 लाख अथवा उससे अधिक श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के निर्माण क्षमता वाले संयंत्र स्थापित करने के संबंध में यूनिटों से प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय किया है।

(ख) इलेक्ट्रानिक उपस्करों तथा संघटक पुर्जों को, जिनमें दूरदर्शन पिक्चर ट्यूब जैसे संघटक-पुर्जे शामिल हैं, सरकार की औद्योगिक लाइसेंस-नीति के परिशिष्ट I में शामिल किया गया है जिसे 2 फरवरी, 1973 के प्रेस नोट द्वारा अधिसूचित किया गया था और जो इस

समय लागू है उक्त नीति के अनुसार परिशिष्ट I में जो उद्योग शामिल किए गए हैं वे सभी बड़े व्यापारिक घरानों और विदेशी कम्पनियों के लिए खुले हैं। गुणदोष के आधार पर विदेशी सहयोग की भी अनुमति दी जा सकती है। दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के लिए औद्योगिक लाइसेंस भी उसी नीति के अनुरूप दिया जाएगा।

(ग) श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों की ओर अधिक उत्पादन क्षमता निर्मित करने के संबंध में उक्त नीति पर 15 फरवरी, 1983 को जारी किए गए प्रेस नोट की एक प्रतिलिपि अनुबंध-I के रूप में संलग्न है। तो प्रस्ताव उक्त नीति के अनुरूप होंगे और जिनसे परियोजना को तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने का सुनिश्चित हो सकेगा और उत्पादन की लागत कम होगी, उन पर विचार किया जाएया। प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय क्षेत्रीय फैलाव और ग्लास शेल संयंत्र की निकटता भी महत्वपूर्ण कसौटियां होंगी।

[ग्रंथालय में रखा देखिए संख्या ए० टी० 6117/33]

**समाचार पत्र कार्यालयों पर हमले**

2915. **श्री पियूष तिरकी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1982 के दौरान पूरे भारत में अनेक समाचार पत्र कार्यालयों पर हमले किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं का महीने वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संवाददाताओं और समाचार-पत्र कार्यालयों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (ग) वर्ष 1982 के दौरान सारे भारत में जिन समाचार-पत्र कार्यालयों पर आक्रमण हुए उनकी संख्या के बारे में कोई आंकड़े और घटनाओं के राज्य-वार ब्यौरे अखिल भारतीय आधार पर संकलित नहीं किये जाते क्योंकि अपराधों सहित विधि व व्यवस्था राज्य का विषय है ; इसलिए राज्य सरकारें और संघ और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन इन अपराधों से संबंधित कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, यह मामला सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाया गया है।

**माइक्रो-इलेक्ट्रोनिक्स के लिए शानदार कार्यक्रम**

2916. **श्री एन० ई० होरो** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में माइक्रो-इलैक्ट्रोनिक्स के लिए सक्षम और आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी आधार उपलब्ध कराने के लिए इलैक्ट्रोनिक्स विभाग के एक कृतक बल ने एक शानदार कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के लिए स्वीकृत व्यय के विषय में ब्यौरा क्या है ?

**इलैक्ट्रोनिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव)** : (क) बड़े पैमाने के एकीकृत बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत (वी० एल० एस० आई०) सेमीकंडक्टर परिपथ पर घठित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट का प्रथम भाग हाल ही में इलैक्ट्रोनिकी विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत किया है ।

(ख) सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

**रुग्ण एकक**

2917. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में रुग्ण उद्योगों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) रुग्ण उद्योगों में कितनी राशि का बैंक ऋण लगा हुआ है ; और

(ग) उन एककों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिनका चलना संभव है ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा)** : (क) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाई गई रुग्णता की परिभाषा के आधार पर बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण एककों के आंकड़े, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अद्यतन सूचना अनन्तिक के अनुसार, दिसम्बर, 1981 के अन्त तक 26.758 रुग्ण औद्योगिक एकक थे और उन पर बैंक की बकाया कुल ऋण राशि 2026 करोड़ रुपये थी।

(ख) देश में औद्योगिक रुग्णता की बढ़ती घटनाओं की स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों के मार्ग दर्शन के लिए कुछ नीति परक अभ्युपाय घोषित किए हैं । मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें 24 मार्च 1982 को लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4974 के उत्तर में दे दी गई हैं ।

**तिब्बिया कालेज के छात्रों पर लाठी प्रहार**

2918. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बिया कालेज, करौल बाग, दिल्ली के छात्रों के शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा 3 फरवरी, 1983 को दो बार लाठी प्रहार किया गया ;

(ख) यदि हां, तो पुलिस को जिन घटनाओं के कारण लाठी प्रहार करना पड़ा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पुलिस द्वारा लाठी प्रहार किए जाने के बाद घायल हुए तथा अस्पताल में दाखिल कराए गए छात्रों की संख्या कितनी है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकट सुब्बय्या)** : (क) और (ख) 3-2-83 को थाना ओरिजनल रोड, करोलबाग में एक शिकायत दर्ज कराई गई कि तिब्बिया कालेज के छात्रों की एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पिटाई की गई और कालेज क्षेत्र के निवासियों पर पत्थर फैंके गए और उनको लाठियों से पीटा गया जिसके परिणामस्वरूप दो छात्रों को चोटें आयीं। आगे सूचित किया गया कि छात्रों को कालेज होस्टल में आश्रय लेना पड़ा तथा भीड़ द्वारा कालेज के फर्नीचर को भी क्षति पहुंचाई गई।

(ग) 3-2-82 को अपराह्न 2.45 बजे कालेज के लगभग 300 छात्र थाना ओरिजनल रोड पर आए और पुलिस के विरुद्ध नारे लगाए। वे 3-2-83 को जिन व्यक्तियों ने छात्रों पर आक्रमण किया था उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हुए थाना अधिकारी के कार्यालय में घुस गए। छात्र हिंसक हो गए और थाने की सम्पत्ति को हानि पहुंचाना तथा पुलिस कार्मिकों से हाथापाई करना शुरू कर दिया। उनको कमरों से बाहर निकाला गया तथा हाथापाई में छः पुलिस कार्मिकों और 14 छात्रों को मामूली चोटें आयीं और उपर्युक्त दो घटनाओं के सम्बन्ध में मामले दर्ज किए हैं तथा उनकी जांच की जा रही है।

## कुदरेमुख में हुई हानि

2919. **श्री पीयूष** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें फरवरी, 6-12-1983 के "दि वीक" में "कुदरेमुख-रुपीज 577 करोड़ फार नरथिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है ;

(ख) कुदरेमुख में हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

**इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) जी, हां।

(ख) 1-10-1983 से 31-3-1982 तक की अवधि में कम्पनी को 36.34 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

(ग) इस परियोजना की समस्या का समाधान करने के लिए किए गए उपाय हैं :—

"ईरान को सांद्रण की बिक्री से सम्बन्धित मूल करार को क्रियान्वित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए ईरान के प्राधिकारियों से बातचीत की जा रही है ; रूमानिया को सांद्रण बेचने के प्रयास किए जा रहे हैं ; प्रतिवर्ष 30 लाख टन सांद्रण से पैलेट बनाने के लिए मंगलौर में बनाने का एक संयंत्र लगाया जा रहा है ; इस कारखाने में तैयार किए गए पैलेटों को सम्भाव्य खरीददारों को बेचने के प्रयास किए जा रहे हैं।"

**खनन मशीनरी निर्माताओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए समिति की नियुक्ति**

2920. **श्री के० मालन्दा** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने प्रयोक्ता क्षेत्र की मांग को पूरा करने में खनन मशीनरी निर्माताओं और अर्थ मूविंग तथा निर्माण उपकरण क्षेत्रों के साथ आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों और इसके कृत्यों के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है और यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं ?

**योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग के दि० 10 दिसम्बर, 1982 के कार्यालय ज्ञापन संख्या आई० एण्ड एम०-4 (3)/48/81 की एक प्रति सभा-पटल पर प्रस्तुत है जिसमें ब्यौरे दिए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-6118/83]

(ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

**सरकारी सेवा में तदर्थ, अर्द्ध स्थाई तथा स्थाई नियुक्तियां**

2921. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी सेवा में तदर्थ, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी नियुक्तियों में परस्पर क्या अन्तर है ;

(ख) सरकारी कर्मचारी को कितनी अवधि तक तदर्थ आधार पर रखा जा सकता है ;

(ग) क्या तीन वर्ष की संतोषजनक सेवा करने के पश्चात सरकार कर्मचारी को अर्द्ध-व्यव-स्थायी अथवा स्थायी घोषित कर दिया जाता है ;

(घ) यदि हो, तो उस व्यक्ति को अर्द्ध-स्थायी अथवा स्थायी क्यों नहीं घोषित किया गया है जो 10 वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा कर चुका है ;

(ङ) उन तदर्थ सरकारी कर्मचारियों का भविष्य क्या है जो गत्यावरोध से ग्रस्त हैं ; और

(च) सरकार ने उन कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने हेतु क्या क़दम उठाए हैं जो विभागों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित न होने के कारण नियमित घोषित नहीं किए जा रहे हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पो० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) "तदर्थ" नियुक्तियां ऐसी नियुक्तियां करने के लिए नियमों का अनुपालन किए बिना तदर्थ रीति से की गई पूर्णतः अस्थायी नियुक्तियां होती हैं जबकि स्थायिवत तथा स्थायी नियुक्तियां निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित रीति से की गई नियुक्तियां होती हैं । स्थायी नियुक्ति का तात्पर्य किसी स्थायी पद पर अधिकारी की मूलतः नियुक्ति से है जबकि स्थायिवत्त नियुक्ति को यह दर्जा प्राप्त नहीं होता ।

(ख) ज्यों ही निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित रीति से नियुक्तियां करना संभव हो जाता है त्यों ही तदर्थ व्यवस्था को समाप्त करना आवश्यक होता है ।

(ग) किसी पद पर नियमित रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारी को स्थायिवत किए जाने के लिए तीन वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूरी कर लेने के बाद ही विचार किया जा सकता है । किन्तु स्थायी आधार पर नियुक्ति स्थायी रिक्ति की उपलब्धता पर ही की जा सकती है और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारी को उपयुक्त घोषित किए जाने के बाद ऐसी नियुक्ति के लिए उसकी बारी आती है ।

उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) तदर्थ कर्मचारी भर्ती नियमों तथा निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार चुने जाने के बाद ही नियमित रीति से नियुक्त किया जा सकता है ।

(च) विभागीय पदोन्नति समिति नियमित रूप से आयोजित किए जाने के लिए अनुदेश विद्यमान है। सरकारी आदेशों में यह भी व्यवस्था है कि चयन पदों के मामले में, यदि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें प्रति वर्ष नहीं हुई हैं तो समिति की बैठक जब भी हों, उसे रिक्तियों से संबंधित प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग पैनल तैयार करने चाहिए।

**पोलैण्ड और रोमानिया से वस्तु विनियम सौदे के अन्तर्गत सीमेंट का आयात करना**

2922. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोलैंड और रोमानिया से वस्तु विनियम समझौते के अन्तर्गत सीमेंट का आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सौदे की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त आयातित सीमेंट की लेवी अथवा गैर-लेवी के तौर पर और प्रति टन किस दर पर बेचा जायेगा तथा स्थानीय लागत की तुलना में इसकी क्या स्थिति है ;

(घ) क्या इस सीमेंट को सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के माध्यम से सारणीवद्ध किया जाएगा ; और

(ङ) भारत में सीमेंट कब तक पहुंच जाएगा ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरभद्र सिंह)** : (क) और (ख) इस समय वस्तु विनिमय सौदे के अन्तर्गत पोलैंड और रूमानिया से सीमेंट का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु 1982-83 की आयात तथा निर्यात नीति के अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ताओं की पंजीकृत आवश्यकताओं के आधार पर नकारात्मक खुले सामान्य लाइसेंस पर सीमेंट का आयात किए जाने की अनुमति दी गई है।

(ग) इस नीति के अधीन आयात किए गए सीमेंट की लेवी पर मूल्य नियंत्रण और वितरण नहीं होता है। अलग-अलग स्थानों पर बिकने वाले अयातित सीमेंट के मूल्य अलग-अलग होते हैं। अतएव, ऐसे मूल्यों की तुलना देश में बने सीमेंट के मूल्यों से कर पाना कठिन है, इसमें से बेचे जाने वाला कुछ सीमेंट मूल्य नियंत्रण और वितरण नियंत्रण से मुक्त होता है।

(घ) चूंकि राज्य व्यापार निगम (एल० टी० सी०) द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं की पंजीकृत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमेंट का आयात किया जाता है, अत. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के माध्यम से आयात का प्रणालीकरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) राज्य व्यापार निगम द्वारा पोलेण्ड और रुमानिया के साथ किए गए करार के आधार पर सीमेंट का लदान जून, 1983 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

**आयातित कच्चे लोहे को पश्चिम बंगाल को देना**

2923. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल स्थित ढलाई कारखानों के लिए आयातित कच्चे लोहे को भारी मात्रा में अन्य राज्यों को भेजे जाने की सम्भावना है यद्यपि राज्य के छोटे एककों को विशेषकर छोटे एककों को विशेषकर छोटे एककों को इस महत्वपूर्ण कच्चे माल की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पश्चिम बंगाल स्थित कारखानों को यह कच्चा लोहा न देने के क्या कारण हैं ?

**इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) से (ग) कच्चे लोहे का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। लघु इकाइयों को कच्चे की सप्लाई राज्यों के राज्यों के लघु उद्योग निगमों की मार्फत की जाती है। संयुक्त संयंत्र समिति लघु उद्योग निगमों को आन्तरिक उत्पादन तथा आयात दोनों प्राप्त कच्चे लोहे का आवंटन करती है। इन आवंटनों के आधार पर सप्लाई की जाती है।

अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 तक पश्चिम बंगाल के सभी उपभोगताओं को कुल 3,99,865 टन कच्चे लोहे की सप्लाई की गई थी। इसमें आयात किया गया 1,38,056 टन कच्चा लोहा भी शामिल है।

**रेजर ब्लेडों के निर्माण में विदेशी सहयोग**

2924. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में रेजर ब्लेडों के संबंध में विदेशी सहयोग की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-सी भारतीय कम्पनियां हैं तथा उनके विदेशी सहयोगी कौन से हैं ; भारतीय कम्पनियों में उनकी साम्य पूंजी कितनी है तथा उनकी साम्य पूंजी कितनी है तथा उदकी लाइसेंस शुदा वार्षिक उत्पादन कितना है क्षमता तथा सहयोग करार की अन्य शर्तें अर्थात विदेशी या स्थानीय ब्रांड नाम आदि के अधीन विपणन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कारखाना कहां स्थित किया जाएगा ; और

(घ) इस प्रकार के उद्योग में भी विदेशी सहयोग की अनुमति देने के आधार क्या हैं ;

**उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) से (घ) रायल्टी और एक मुश्त भुगतान के अलावा अनिवासी इक्विटी सहभागिता के आधार पर जिलेट कंपनी, यू० एस० ए० के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से प्रतिवर्ष 3000 लाख स्टेनलैस स्टील के रेजर ब्लेडों का निर्माण करने के लिए मे० हाउस आफ पोद्दार एन्टर प्राइजेज, कलकत्ता को अलवर, राजस्थान में एक नए उपक्रम की स्थापना करने की अनुमति दी गई है । यह अनुमति निर्यात-दायित्व के व देश में बिक्री हेतु उत्पादों पर विदेशी ब्राण्ड नामों के उपयोग न करने के अधीन दी गई है । सहयोग की अनुमति देते समय प्रौद्योगिकी के उन्नत करने के सान्यता प्राप्त सिद्धान्तों और निर्यात-प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखा जाता है ।

**परमाणु ऊर्जा विकास में आत्मनिर्भरता**

2925. **श्री के० प्रधानी :**

**श्री अर्जुन सेठी** : क्या **प्रधानी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्ररमाणु ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए संतोषजनक कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है ; और

(ग) देश में मोजीजायट रेल में उपलब्ध थोरियम का उपयोग करने के लिए प्रयास किए गए है ?

**विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) तथा (ख) सरकार की नीति यह है कि परमाणु ऊर्जा के विकास के मामले में आत्मनिर्भर बनने का पूरा प्रयास किया जाए । आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से जनशक्ति को प्रशिक्षित करने, न्यूक्लियर ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम के लिए आवश्यक विशेष प्रकार के न्यूक्लियर उपस्करों तथा सामग्री के उत्पादन के लिए विशेषीकृत प्रक्रियाओं और आधारभूत व्यवस्था का विकास करने तथा उद्योगों, आयुर्विज्ञान, कृषि और अन्य क्षेत्रों में न्यूक्लियर ऊर्जा को काम में लाने के उपाय किए गए हैं ।

(ग) इस विभाग ने मोनाजाइट युक्त रेल से थोरियन निकालने के मामले में काफी अनुभव अर्जित कर लिया है । थोरियम का उपयोग विभिन्न रिऐक्टर सिस्टमों करने के लिए अनुसंधान और विकास-कार्य किए जा रहे हैं ।

**उड़ीसा में सीमेंट की कमी**

2926. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा राज्य में सीमेंट की जबर्दस्त कमी है ;

(ख) क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि इसके मूल्यों में वृद्धि के बावजूद यह जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने जनता को पर्याप्त मात्रा में सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरभद्र सिंह)** : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सहित देश में सीमेंट की सामान्यतया कमी है। इसलिए यह संभव है कि जनता को सीमेंट की उपलब्धता पर कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ा हो।

(घ) सरकार विद्यमान क्षमता के बेहतर उपयोग द्वारा, अतिरिक्त क्षमता सृजित करके और कुछ सीमा तक आयात करके देश में सीमेंट की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

**चीन-भारत वैज्ञानिक संधियों के विस्तार का प्रयास**

2927. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चीन-भारत वैज्ञानिक संधियों के विस्तार के लिए प्रयास किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) से (ग) विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रतिनिधि मंडलों की विनियम यात्राओं के माध्यम से भारत चीन वैज्ञानिक संबंधों को विस्तृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें भूकम्प इन्जीनियरों, भूकम्प प्रायुक्ति, कृषि, आयु-विज्ञानों में भारतीय दलों की यात्राएं सम्मिलित हैं। चीनी पक्ष की ओर से, जो दल भारत आए हैं उनका संबंध कोयला-खनन, रसायनों का प्राकृति उत्पाद और औषध अनुसंधान और पुराबनस्पति विज्ञानों से है। चीनियों ने 1981 में वाराणसी और 1982 में मैसूर में भारतीय साइंस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में भी भाग लिया था। चीन का साइंस अकादमी के नियंत्रण पर भारतीय वैज्ञानिकों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल ने, जिसमें जीव वैज्ञानिक, रासयनिक, भौतिक

और भूमि विज्ञान के क्षेत्रों के विशेषज्ञ सम्मिलित थे, अभी हाल में चीन की यात्रा पर गया था। इनके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के तत्वावधान में भी ऐसी यात्राओं का विनियम हुआ है। भारतीय पक्ष की ओर से, इलैक्ट्रानिकी, औषध और भेषज दूर-संवेदन, अंकक बिम्ब प्रक्रिया (डिजिटल इमेज प्रासेसिंग) और प्रकाश प्रक्रिया तकनीक (फोटो प्रासेसिंग टैक्नीक्स) जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को इन यात्राओं का लाभ पहुंचाया गया है। संयुक्त राष्ट्र को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास हेतु वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत चीन की ओर से वैज्ञानिक नीति प्रबन्ध संबंधित एक 11-सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल भारत आया।

**फरार स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन**

2928. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 को नई स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के अन्तर्गत फरार स्नतंत्रता सेनानियों पेंशन देने की घोषणा की गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा राज्यवार कितने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ;

(ग) उन फरार स्वतंत्रता सेनानियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनको स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने का निर्णय किया गया है ; और

(घ) उन स्वतंत्रता सेनानियों की राज्यवार-संख्या कितनी है जिनके आवेदन-पत्र रद्द कर दिये गये हैं और इनके क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या)** : (क) जेल से भाग निकलने वाला स्वतंत्रण सेनानी 1972 की योजना के अन्तर्गत भी पेंशन के लिए पात्र था, बशर्ते कि वह कम से कम 6 महीने भूमिगत रहा था और वह (1) एक घोषित अपराधी था, अथवा (2) उसकी गिरफ्तारी के पुरस्कार घोषित किया गया था, अथवा (3) उसकी नजरबंदी के आदेश जारी किये गये थे परन्तु तामील नहीं हुए थे। 1980 की योजना में निर्धारित अपेक्षा में केवल इतनी छूट दी गई कि जहां दावे के समर्थन में सरकारी रिकार्ड उपलब्ध नहीं था, वहां 5 वर्ष की जेल यातना सहने वाले किसी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र स्वीकार कर लिया गया।

(ख) से (घ) 1-8-1981 को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के उदार बनाये जाने और नाम बदल कर स्वतंत्रा सैनिक सम्मानपेन्शन योजना रखने के बाद हमें जेल से भाग निकलने वाले स्वतंत्रता सैनानियों समेत स्वतंत्रता सैनानियों की विभिन्न श्रेणियों से एक लाख 70 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। फरार स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अलग रिकार्ड (राज्य-वार) नहीं रखे गए हैं। ऐसे फरार स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी कोई अलग सूचना उपलब्ध नहीं है जिन्हें 1-8-80 से पहले पेंशन स्वीकृत की गई है। लेकिन 1-8-1980 के बाद ऐसे 243 स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन स्वीकृत की गई है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

**विवरण**

भूमिगत स्वतंत्रता सेनानियों की राज्यवार संख्या, जिन्हें स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की गई है ।

| | |
|---|---|
| 1. अंडमान व निकोबार | शून्य |
| 2. आंध्र प्रदेश | 38 |
| 3. अरुणाचल प्रदेश | शून्य |
| 4. असम | 6 |
| 5. बिहार | 98 |
| 6. चंडीगढ़ | शून्य |
| 7. दिल्ली | शून्य |
| 8. गोवा | 10 |
| 9. गुजरात | 3 |
| 10. हरियाणा | 5 |
| 11. हिमाचल प्रदेश | 20 |
| 12. जम्मू व कश्मीर | 13 |
| 13. केरल | 2 |
| 14. कर्नाटक | 3 |
| 15. मध्य प्रदेश | 2 |
| 16.महाराष्ट्र | 1 |
| 17. मणिपुर | शून्य |
| 18. मेघालय | शून्य |
| 19. मिजोरम | शून्य |
| 20. नागालैण्ड | शून्य |
| 21. उड़ीसा | |
| 22. पांण्डिचेरी | शून्य |
| 23. पंजाब | 3 |
| 24. तमिलनाडु | 35 |
| 25. त्रिपुरा | शून्य |
| 26. उत्तर प्रदेश | शून्य |
| 27. पश्चिम बंगाल | 3 |
| जोड़ | 243 |

**सेन्ट्रल गवर्नमेंट कैन्टीन एम्पलाईज एसोसिएशन की मांगें**

2929. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनवरी 1983 के पहले सप्ताह में सेन्ट्रल गवर्नमेंट केन्टीन एम्पलाईज एसोसिएशन से कोई वेअभ्यादन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग है ; और

(ग) उनकी मांगों की जांच करने और उन पर निर्णय लेने के संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० आर० लास्कर)** :(क) केंन्द्रीय सरकार केन्टीन कर्मचारी संघ की मांगों के बारे में उनका एक अभ्यावेदन जनवरी, 1983 के दूसरे सप्ताह में सरकार को प्राप्त हुआ था ।

(ख) संघ की मांग यह है कि कैंन्टीन कर्मचारियों के सभी बातों के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बराबर माना जाए और उन्हें भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय सभी प्रसुविधाएं अर्थात् महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता आदि दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें सिविल पद धारकों के रूप में घोषित किया जा चुका है ।

(ग) कैंटीन कर्मचारियों को 1-10-1979 से संघ के कार्यों के संबंध में सिविल पद धारकों के रूप में ही घोषित किया गया है । वे सरकारी कर्मचारी नहीं है । उनकी सेवा शर्तें अलग से निर्धारित सामान्य सांविधिक नियमों द्वारा नियमित होती हैं । उन्हें उनकी ड्यूटी की प्रकृति के बेतन, महगाई राहत, चिकित्सा भत्ता तथा धुलाई भत्ता अनुज्ञेय है किन्तु सरकारी कर्मचारियों के साथ उनकी कोई समानता नहीं है ।

**इलेक्ट्रानिक्स पी० ए० बी० एक्सचेंज का निर्माण करने के लिए प्रोद्योगिकी का आयात**

2930. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्टोनिवस विभाग ने संचार मंत्रालय की आपत्ति पर ध्यान न देते हुए इलेक्टोनिक्स पी० ए० बी० एक्सचेंज का निर्माण करने हेतु प्रौद्योगिकी का आयात करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या ब्रिट्रेन फ्रांस, अमरीका और जापान की विदेशी कम्पनियां इस क्षेत्र में अग्रणी हैं ;

(ग) क्या संचार मंत्रालय ने इलेक्टोनिक्स पी० ए० बी० एक्सचेंज के निर्माण के लिए प्रोद्योगिकी का आयात करने का विरोध किया था ; और

(घ) उनकी मुख्य आपत्तियां क्या थीं ?

**इलेक्ट्रानिक्स विभाग में उप मन्त्री श्री (एम० एस० संजीवी राव)** : (क) जी नहीं । इलेक्ट्रानिक पी० ए० बी० एक्स के विनिर्माण के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का आयात करने के संबंध में संचार मंत्रालय की ओर से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है ।

(ख) जिन विदेशी कम्पनियों के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है वे कम्पनियां ग्रेट-ब्रिटेन फ्रांस, वेलजियम तथा जापान की हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

**खादी ग्रामोद्योग आयोग में पदोन्नति**

2931. **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री खादी ग्रामोद्योग में विशेष वेतन के बारे में 21 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2013 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में अथवा उससे ऊपर के ग्रेडों में कार्मचारियों की पदोन्नति उनके कार्य निष्पादन तथा शैक्षिक अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए दी जाती है ;

(ख) क्या कर्मचारियों के वेतनमान पदोन्नतियां गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार की जाती हैं तो गैर मैट्रिक कर्मचारियों की चतुर्थ श्रेणी से ततीय श्रेणी में पदोन्नति किस आधार पर की गई है तथा मैट्रिक से स्नातक तक की अर्हता वाले ऐसे कितने स्थायी कर्मचारी हैं जिनकी पिछले तीन वर्षों के दौरान पदोन्नति नहीं की गई है ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) मंत्रालयीय संवर्ग के मामले में अवर श्रेणी लिपिक का पद श्रेणी-3 का सबसे छोटा पद होता है जो श्रेणी 4 के निचले पद अर्थात चपरासी के पद से पदोन्नति की लाइन में नहीं आता है । अवर श्रेणी लिपिक के पद की नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा की जाती है तथा अपेक्षित न्यूनतम योग्यता टाइपिंग में दक्षता सहित सीनीयर सर्टिपिकेट स्कूल (एस० एस० सी०) अथवा इसके समकक्ष हैं । किन्तु श्रेणी-4 कर्मचारी चाहे मंत्रालयीय हो और चाहे तकनीकी दोनों ही जिन्होंने एस० एस० सी० परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा पास करली है तथा जिन्होंने खादी और गामोद्योग से आयोग के अन्तर्गत कम से कम एक वर्ष सेवा कर ली है, अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं बशर्ते कि उनकी गोपनीय रिपोर्टों में कोई प्रतिकूल टिप्पणी न हों और उच्च पद पर अपनी नियुक्ति के बाद। वर्ष के अन्दर 3 अवसरों में निर्धारित टाईपिंग परीक्षा पास कर लें । तकनीकी प्रकृति के—श्रेणी

-4 के पदों से उसी संवर्ग के श्रेणी-3 के तकनीकी पदों में पदोन्नति के मामले में ऐसे गैर—मैट्रिकुलेट श्रेणी-4 के तकनीकी कर्मचारी जिन्होंने या तो श्रेणी-3 के पदों में पदोन्नति के लिए स्वयं को अर्ह बनाने हेतु योजना परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो अथवा जहां तक केवल हिन्दी ज्ञान का संबंध है, उन्होंने एस० सी०/मैट्रीकुलेशन के बराबर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी हिन्दी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाता है ; केवल ऐसे मामलों के एस० सी० सी० की न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी शर्त पर जोर नहीं दिया जाता है । भर्ती/पदोन्नति सम्बन्धी यह नीति जो खादी ग्रामोद्योग आयोग (के० वी० आई० सी०) में नियमित रूप से कार्य कर रहे कर्मचारियों पर लागू है, खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभागीय रूप में चलाए जा रहे खादी/ग्रामोद्योग भवनों पर भी 1-1-1973 से लागू होती है ।

(ख) और (ग) राजपत्रित अधिकारियों को छोड़कर खादी ग्रामोद्योग आयोग ने अपने कर्मचारियों के लिए प्राय: केन्द्रीय सरकार की समान श्रेणी के कर्मचारियों को प्राप्त वेतनमानों को स्वीकार किया है । खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने वर्गीकरण और भर्ती विनियम" तथा पदोन्नति नीति बनाई है जो प्राय: सरकारी पद्धति और क्रम पर आधारित है ।

**पदोन्नति के लिए हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करना**

2934. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विभागों में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के मुद्दे पर जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी**

2935. **श्री राम विलास पासवान** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन आने वाले प्रत्येक उपक्रम में श्रेणी वार कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें से विभिन्न उपक्रमों श्रेणी वार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या प्रत्येक उम्मीदवारों की मूल नियुक्ति और पदोन्नति हेतु आरक्षण के आदेश जारी किए गए हैं ; और

(घ) क्या अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा भर लिया गया है यदि नहीं, तो यथा शीघ्र कोटे को भरने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ; और कोटा कब तक भर लिए जाने की सम्भावना है ;

**उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) तथा (ख) उद्योग मन्त्रालय के अधीन प्रत्येक उपक्रम में कर्मचारियों की संख्या तथा उसमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की संख्या के वर्गवार ब्यौरे देने वाला एक विवरण संलग्न हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6119/33]

(ग) जी, हां ।

(घ) अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा आरक्षित पदों को भरने में आने वाली रुकावटों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) अनुसूचित जाति/जन जाति के उम्मीदवारों के लिए पूर्णतः आरक्षित पदों हेतु बार-बार विज्ञापन देने के बावजूद भी उचित उम्मीदवार न मिल पाना ।

(2) बहुत से रिक्त पद तकनीकी/व्यावसायिक योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए है ज्ञात हुआ की सामान्य वर्गों में भी पदों पर उपयुक्त व्यक्ति मिलने में उपक्रमों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

(3) पता चला है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार प्रसुविधाओं/सुविधाओं की कमी के कारण उन एककों मे कार्य करने में हिचकिचाते हैं जो दुर्गम स्थानों/क्षेत्रों में स्थित हैं।

काफी समय से खाली पड़े पदो को अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार की भर्ती करके शीघ्र भरने के लिए सरकारी उपक्रमों द्वारा उनके उपाय किए जा रहे है ; इनमें अन्यों के अलावा ये भी सम्मिलित हैं : (1)केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के ही उम्मीदवारों की भर्ती के लिए अछग अलग विज्ञापन (2) आयु, योग्यता, अनुभव आदि कि शर्तों को शिथिल करके अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों को अधिमान देना और (3) अ०जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों को विशेष वजीफे देना।

**प्रधान मंत्री के अधीन विभागों में हिन्दी/अंग्रेजी का उपयोग**

2936. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के अधीन मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबंधों का क्रियान्वयव किया जा रहा है और यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितने सामान्य आदेश जारी किए गए और उनमें से कितने आदेश हिन्दी तथा अग्रेजी में जारी किए गए ;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान कितने पत्र हिन्दी में प्राप्त हुए और उनमें से कितने पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया ;

(ग) मंत्रालयों/विभागों द्वारा कितने प्रकाशन/पत्रिकाएं प्रकाशित की गई और उनमें से कितने हिन्दी तथा अग्रेजी में प्रकाशित किए गए ;

(घ) वर्ष 1968 के बाद कितने कार्यालय/संगठन स्थापित किए गए और उनमें से कितनों को आरम्भ से ही भारतीय नाम दिए गए ; और

(ङ) क्या सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिन्होंने राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3)का उल्लघन किया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (ङ) प्रधानमंत्री जी के अधीन विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पत सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**एच० एम० टी० घड़ियां**

2937. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एच० एम० टी ० घटियां बनाने वाले कारखाने कहां कहां हैं और प्रत्येक कारखाने में प्रतिवर्ष कितनी घड़ियों का उत्पादन होता है ;

(ख) क्या देश में और भी कोई कारखाना खोलने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो कहां और कब तथा वहां कितनी घड़ियां, बनाई जाएंगी ;

(घ) हमारी एच० एम० टी० घड़ियों का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(ङ) वर्ष 1982 के दौरान कितनी एच० एम० टी० घड़ियों का निर्यात किया गया और किन-किन देशों मे एच० एम० टी० की मगें हैं ?

**उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) एच० एम० टी० घड़ी कारखानों के स्थापना स्थल और उनका उत्पादन नीचे दिया जाता है :—

| घड़ी कारखाने का स्थापना स्थल | 1981-82 में बनाई गई घड़ियों/ घड़ियों के हिस्से-पुर्जों की संख्या |
|---|---|
| बंगलोर (कर्नाटक) | 8,69,265 |
| श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर) | 4,40,000 |
| तुमकुर (कर्नाटक) | 18,27,284 |

(ख) तथा (ग) प्रतिवर्ष घड़ियों के हिस्से-पुर्जों के 20 लाख सेटों के निर्माण के लिए एच० एम० टी० लिमिटेड द्वारा रानीबाग (उत्तर प्रदेश) में एक नया घड़ी कारखाना स्थापित किया जा रहा है। उत्पादन 1985 में शुरू करने की योजना है।

(घ) एच० एम० टी० अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी, एच० एम० टी० (इन्टरनेशनल) भारतीय मिशनों और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों के जरिए घड़ियों के निर्यात को बढ़ावा दे रहा है।

(ङ) 1982 में विभिन्न देशों को 141 लाख रु० मूल्य की एच० एम० टी० घड़ियों का निर्यात किया गया था। पश्चिम एशियाओं देशों भूटान हांगकांग और सिंघापुर में एच० एम० टी० घड़ियों की मांग होने का पता लगा है।

**मारुति कारों के निर्माण में प्रगति, उसका मूल्य और डीलरशिप**

2938. **श्री रवाणी :**

**श्री चिन्ता मणि जैना :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मारुति उद्योग द्वारा जनता कार के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यह विक्री हेतु बाजार में कब तक आ जाएगी तथा इसका क्या मूल्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या कार की विक्री के लिए डीलरशिप प्रदान की गई है ;

(घ) यदि हां, डीलरों के नाम क्या है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि डीलरशिप पहले ही कुछ कम्पनियों को लगभग 10 वर्ष पूर्व दे दी गई थी ;

(च) यदि हां, तो उनकी संख्या और हैसियत क्या है ?

**उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) तथा (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड को दिसम्बर, 1983 में यात्री कारों का उत्पादन प्रारम्भ करने की आशा है। कम्पनी ने संयंत्र तथा मशीनों की खरीद विक्रेता विकास, जनशक्ति की भर्ती और प्रशिक्षण विक्रेताओं नियुक्ति और

सेवा सुविधाओं की स्थापना आदि के लिए उपाय प्रारम्भ किए हैं। कम्पनी ने इसका बिक्री मूल्य 45,000 रुपए के आसपास होने का अनुमान लगाया है जिसमें परिवहन और लागत ओर स्थानीय कर शामिल नहीं हैं।

(ग) जी, हां,

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) तथा (च) मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना फरवरी, 1981 में की गई थी, इसलिए मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्व डीलरशिप देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

**इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग की प्रगति सम्बन्धी विचार गोष्ठी**

2939. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया के विकाशील देशों में इलेक्टानिक्स उद्योग की प्रगति के सम्बन्ध में एक विचार गोठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) चर्चा का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) भारत और अन्य देशों में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास के लिए क्या निर्णय लिए गए ?

**इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव)** : (क) जी, हां, । प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए एस्केप क्षेत्रीय केन्द्र (बंगलौर) स्थित) द्वारा 2 फरवरी से 9 फरवरी 1983 तक इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में उप-अनुबंध तथा अनुपूरक कार्यों पर एक विचार-गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसके लिए अतिथेय विषयक सुविधाएं इलेक्ट्रानिकी विभाग भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई थीं।

(ख) इस विचार-गोष्ठी में निम्नलिखित देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था बंगला देश हांगकांग भारत इन्डोनेशिया मलेशिया सिंघापुर थाईलेण्ड श्री लंका पाकिस्तान तथा जापान।

(ग) इस विचार-गोष्ठी मे निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था :—

(1) एस्केप क्षेत्र के विकासशील देशों में आधुनिक इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विकास के संवर्धन के लिए इलैक्ट्रोनिकी उद्योग के क्षेत्र में उप-अनुबंध तथा अनुपूरक कार्यों की संभावना का पता लगाना ताकि उनकी प्रौद्योगिकीय क्षमता और आत्म-निर्भरता को सुदृढ़ बनाया जा सके।

(2) एस्केप क्षेत्र के विकासशील देशों में इलैक्ट्रोनिकी उद्योग में उप-अनुबंधन तथा अनुपूरक कार्यों को बढ़ावा देने के संबंध में नीतियों, संस्थागत व्यवस्थाओं तथा कार्रवाई कार्यक्रम का निर्धारण ।

(3) इलेक्ट्रोनिकी उद्योग में उप-अनुबंधन तथा अनुपूरक कार्यों के लिए विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य तथा विकासशील देशों के बीच उपयुक्त व्यवस्थाएं करने के बारे में ।

प्रत्येक देश ने अपने-अपने देश में इलैक्ट्रोनिकी उद्योग की स्थिति के बारे में एक दस्तावेज पेश किया भारतीय कंपनियों तथा प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए क्षेत्रीय केन्द्र (आर० सी० टी० टी०) के परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किए गए गए मामलों के अध्ययन भी पेश किए गए । सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रमुख उप-क्षेत्रों के बारे में छोटे-छोटे ग्रुपों में विचार-विमर्श किया गया ।

(घ) विचार-गोष्ठी में इलैक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में उप-अनुबंधन तथा अनुपूरक कार्यों की प्रववीष्णुता तथा व्यवहार्यता को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया । विचार गोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने अन्तर्देशीय पूंजी-निवेश, कच्ची सामग्री के तरजीवे स्रोत उपलब्ध कराने, विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, सरकारों द्वारा प्रशिक्षण तथा संवर्द्धनकारी नीतियों का निर्माण तथा प्रौद्योगिकी के अन्तरण आदि जैसे कार्यकलापों की सिफारिश की । ये गतिविधिया प्रत्येक देश की सरकार द्वारा संयुक्त आयोगों में विशिष्ट प्रस्ताव वाली परियोजनाओं के माध्यम से आरंभ की जानी थीं । एस्केप क्षेत्र के देशों ने संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों व अन्य संस्थाओं जैसे अंत सरकारी निकायों के माध्यम से परस्पर इन आयोगों की स्थापना की है। प्रौद्योगिकी अन्तरण के क्षेत्रीय केन्द्र (आर० सी० टी० टी०) ने सदस्य देशों से उपर्युक्त प्रकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने तथा प्रत्येक छमाही में एस्केप क्षेत्र के सभी देशों में यह जानकारी परिचालित करने की जिम्मेदारी ली थी ।

**हिमाचल प्रदेश में चट्टानी नमक**

2940. **श्री चिन्तामणि जैन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में चट्टानी नमक के भारी भंडार पाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसे खाद्य प्रयोजनों और औद्योगिक उपयोगों के उपयुक्त बनाने के लिए उसे साफ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर भद्र सिंह)** : (क) हिमाचल प्रदेश में सेंधे नमक के नये भंडार नहीं पाये गये हैं, मण्डी खानों में सेंध नमक की पर्याप्य मात्रा विद्यमान है ।

(ख) नमक को खाद्य प्रयोजनों और औद्योगिक प्रयोजनों के योग्य बनाने के लिए नमक की किस्म में सुधार करने के लिए मण्डी में नमक रिफायनरी स्थापित करने की संभाव्यता की जांच की जा रही है।

**स्वदेशी जानकारी पर आधारित रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के लिए प्रदर्शन संयंत्र**

2941. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या स्वदेशी जानकारी पर आधारित रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के लिए प्रदर्शन संयंत्र की स्थापना हेतु सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं ताकि बाद में उनका उत्पादन हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की योजना के विषय में ब्यौरा क्या है ?

**इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम०,एस० संजीवी राव)** : (क) और (ख) जी हां, केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान/वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं से प्राप्त तकनीकी जानकारी और डिजाइन के आधार पर केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड (सी० ई० एल०)और राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास निगम (एन० आर० डी० सी०) द्वारा संयुक्त रूप से साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश) स्थिति केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एक निगम, मैसर्स केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड में रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के लिए एक प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रदर्शन संयंत्र मानक औद्योगिक पद्धतियों का उपयोग करके सभी इन्जीनियरी ड्राइंगें तैयार करेगा तथा 100 से 200 रंगीन दूरदर्शन सेटों का उत्पादन करेगा इसके पश्चात इन सेटों का क्षेत्र-परीक्षण किया जाएगा और तत्पश्चात केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड इनका वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन करेगा ।

**औद्योगिक ऊर्जा की बचत**

2942. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में औद्योगिक ऊर्जा की बचत के लिए कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में गहन अध्ययन करने और कुछ उपाय सुझाने के लिए कोई अन्तर मंत्रालयीय कार्यकारी दल स्थापित किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और सरकार को क्या सुझाव दिए गए हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह)** : (क) और (ख) जी हां।

भारत सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा के संरक्षण से सम्बधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए सचिव, भारी उद्योग विभाग की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालयीय कार्यकारी दल का गठन किया गया था।

विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कागज, सीमेंट, वस्त्र आदि में औद्योगिक ऊर्जा की बचत के बारे में ऊर्जा आडिट अध्ययन किया गया।

(ग) अन्तर मंत्रालयीय कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय होने वाला है और शीघ्र ही मिल जाने की आशा है।

**राज्यों का निर्माण और आवास के लिए आबंटन**

2943. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के लिए वर्ष 1983 और 1984 में "निर्माण और आवास" के लिए वित्तीय आवंटन क्या हैं ;

(ख) आंध्र प्रदेश को वर्ष 1983 और 1984 में दी जाने वाली धनराशि का पूरा ब्यौरा क्या है और जिला-वार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इन धनराशियों के आवंटन का आधार क्या है ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) से (ग) 1983-84 की वार्षिक योजना के लिए आबंटन सहित अनुमोदित परिव्यय का क्षेत्रकीय ब्यौरा 1983-84 की वार्षिक योजना के दस्तावेज में दिया जाएगा जो सभी राज्यों के बजट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश की 1983-84 की वार्षिक योजना में आवास और लोक निर्माण कार्यों के लिए आवंटन सहित क्षेत्रवार आवंटन का पूर्ण विवरण भी वार्षिक योजना के दस्तावेज में शामिल किया जाएगा। जिलावार आवंटन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं।

**एसोसियशन आफ सिविलियन एम्पलाइज को मान्यता प्रदान करना**

2944. **श्री भीखाभाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत संघ की (एसोसिएशन्स आफ सिविललियन एम्पलाइज) सिविल कर्मचारियों की एसोसिएशनों को मान्यता प्रदान करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या राज्य सरकार के कर्मचारी, जब वे प्रतिनियुक्ति पर भारत संघ की सेवा में हों, एसोसिएशन बना सकते हैं ; और

(ग) विद्यमान नीति के अनुसार "इन्टेलीजेन्स ब्यूरो एम्पलाइज एसोसिएशन्स को मान्यता प्रदान करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० आर० लास्कर)** : (क) इस समय भारत के संघ के सिविल कर्मचारियों की एसोसिएशनों को मान्यता देने का काम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सेवा ऐसोसिएशनों की मान्यता) नियमावली, 1959 में निहित मुख्य मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित निदेशक-सिद्धान्तों द्वारा विनियमित होता है ।

(ख) भारत के संविधान के उपबन्धों के अनुसार एसोसिएशन बनाने के लिए भारत के किसी भी नागरिक पर कोई रोक नहीं है।

(ग) भारत सरकार ने इन्टेलीजेन्स ब्यूरो के किसी भी कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान नहीं की है । इसके अतिरिक्त यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन है।

**गुप्तचर विभाग के कार्यकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची को क्रियान्वित**

2945. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुप्तचर विभाग प्रशासन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के सम्मुख वरिष्ठता सूची को स्वीकार कर लिए जाने तथा इस बारें में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थानादेश रद्द किए जाने के बाद कार्यकारी कर्मचारियों द्वारा कई बार अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद भी इस वरिष्ठता सूची को क्रियान्वित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चलाए गए कर्मचारियों की तुलना में सीधे भर्ती किए गए कार्यकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची को कार्यान्वित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है और इस संबंध में निश्चित किए गए दायित्व संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) से (ग) संशोधित वरिष्ठता सूची जिसको दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अन्तिम रूप दिया गया था जून, 1981 से गुप्तचर विभाग में की गई सभी पदोन्नतियों का आधार बन गई है । किन्तु खपाए गए कुछ अधिकारी जो संशोधित वरिष्ठता सूची में नीचे है किंतु जब वे प्रतिनियुक्ति पर थे, तो प्रतिनियुक्ति पदों पर उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिये गये थे, को पूर्वतः तदर्थ आधार पर उच्च पदों पर

बने रहने की अनुमति दी गई है। यह अस्थाई प्रबंधक उन अधिकारियों को पदोन्नति की कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से किया गया है जो पहले पदोन्नत किए जा चुके हैं। खपाए गए इन अधिकारियों की नियमित पदोन्नति पर उनकी संशोधित वरिष्ठता के अनुसार उनकी बारी आने पर विचार किया जाएगा।

**आसूचना ब्यूरो के कार्यकारी स्टाफ को सवारी भत्ता**

2946. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना ब्यूरो प्रशासन ने वित्त मंत्रालय के संबंधित आदेशों/नियमों का उल्लंघन करते हुए नवम्बर 1981 से अपने कार्यकारी स्टाफ के सवारी भत्ते की दरों में कटौती की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा सवारी भत्ते की दरें बहाल करने के बारे में क्या प्रगति हुई है और इसके लिए निर्धारित की गई जिम्मेदारी का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बिहार रंजन लास्कर)** (क) यह सही नहीं है कि आसूचना ब्यूरो के कार्यकारी स्टाफ के सवारी भत्ते की दरों में नवम्बर, 1981 में कटौती की गई थी। अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर अधिक जांच करने के बाद खास सीमा से ऊपर के सवारी भत्ता दावों के पास करने के लिए सभी सम्बद्धों को आन्तरिक निदेश जारी किये गए थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आणविक ऊर्जा का उपयोग**

2947. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कुछ विदेशी एजेंशियां पिछले दो से तीन वर्षों से 'शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आणविक ऊर्जा का उपयोग करने की भारत की नीति को कमजोर करने में संलग्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) क्या कुछ परमाणु बिजलीघर पिछले तीन वर्षों के दौरान बन्द रहे और उनका उत्पादन सन्तोषजनक नहीं रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) तथा (ख) विदेशी सप्लायरों से कुछ

प्रकार की सामग्री और संघटक प्राप्त करने में कठिनाईयां अनुभव की जाती रही हैं। आयात पर निर्भरता को घटाकर कम से कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) तथा (घ) देश में काम कर रहे दो परमाणु बिजलीघरों के रिजक्टरों को आवश्यक अनुरक्षण और मरम्मत के लिए समय-समय पर बंद किया जाता है।

**भारत और हंगरी के बीच व्यापार समझौता**

2943. **श्री अरविन्द नेताम** : : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और हंगरी ने दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां तो समझौते का ब्यौरा क्या है ;

(ग) जिस भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हंगरी की यात्रा की थी उसके नेता और अन्य सदस्यों के नाम तथा स्तर क्या हैं ;

(घ) इसी प्रकार हंगरी के सहयोगियों के बारे में जानकारी क्या है जिनके साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की थी ; और

(ङ) भारत को किस सीमा तक लाभ मिलेगा ;

**उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) अभी हाल में भारत और हंगरी के बीच किसी भी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। किन्तु आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर इण्डो-हंगेरियन संयुक्त आयोग का 5वां अधिवेशन बुदापेस्ट में 8 से 12 नवम्बर, 1982 तक आयोजित किया गया था जिसकी समाप्ति पर एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) और (घ) भारतीय और हंगेरियन प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ङ) अधिवेशन में हुए विचार-विमर्श के फलस्वरूप जिसमें औद्योगिक सहयोग तथा कृषि वाणिज्य तथा औषधि व भेषज में सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा की गई थी। दोनों देशों को लाभ होने की आशा है।

**विवरण**

**हंगरी के शिष्टमंडल का गठन**

| | |
|---|---|
| डा० इस्तवार हेतेन्यी | वित्त मंत्री<br>संयुक्त आयोग के सह-अध्यक्ष<br>शिष्टमंडल के प्रमुख |

| | |
|---|---|
| डा० टाइवर मेलेगा | विदेश व्यापार उपमंत्री, संयुक्त आयोग के उप-सह अध्यक्ष |
| मि० जेनोस तोरमशी | महानिदेशक<br>विदेश व्यापार मंत्रालय |
| डा० टामस सोम्जन | महानिदेशक<br>अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध सचिवालय |
| डा० फ्रेंक नेयर्स | महानिदेशक,<br>कृषि और खाद्य मंत्रालय, कृषि कार्यदल के प्रमुख |
| डा० एन्ड्रेस मोरे | उप महानिदेशक, उद्योग मंत्रालय,<br>औद्योगिक सहकारिता कार्यदल के प्रमुख |
| डा० फ्रेंक किस्का | निदेशक, विदेश व्यापार मंत्रालय<br>व्यापार कार्यदल के प्रमुख |
| श्रीमती रोजेलिया जबेली | उप निदेशक, विदेश व्यापार मंत्रालय,<br>संयुक्त आयोग की सचिव |
| डा० पाल वारेकोजी | नई दिल्ली में कमर्शियल, काउन्सलर |
| मि० फ्रेंक पोल्मर | निदेशक, विदेश व्यापार मंत्रालय |
| डा० ज्योर्जी | सलाहकार, संगरियन फार्मास्युटिक्ल,<br>उद्योग एसोसिएशन,<br>रसायन तथा भेषज कार्य दल के प्रमुख |
| डा० शाबा रेपसे | निदेशक, वित्त मंत्रालय |
| डा० ज्योर्जी आबलेथ | महाप्रबन्धक, हेंगरियन चेम्बर आफ कामर्स के<br>भारतीय प्रभाग के अध्यक्ष |
| मि० लेसलों वेरकोनई | सेक्सनहेड, विदेश मंत्रालय |
| श्रीमती फेकेतो, डा० जूलिया सेलेमन | सेक्सनहेड, उद्योग मंत्रालय |
| मि० जोसेफ पोगसी | दुभाषिया |

**नरौरा में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने हेतु स्थान का चयन**

2949. **डा० ए० यू० आजमी :**

**श्री माधवराव सिंधिया :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि नरौरा में परमाणु बिजली संयंत्र की स्थापना का निर्णय सभी वैज्ञानिक परामर्श के विरुद्ध था ;

(ख) क्या गंगा नदी के प्रवाह के निचले क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोई प्रोद्योगिकी प्रणाली नहीं है और यह नदी के निचले क्षेत्रों में रह रहे लाखों लोगों के लिए अत्यन्त खतरनाक है ;

(ग) क्या नरौरा में संयंत्र की स्थापना करने से संयंत्र की लागत 40 प्रतिशत अधिक आएगी ; और

(घ) यदि हां, तो किस बात से सरकार से इसके लिए नरौरा की चयन करने के लिए तैयार हुई और समुचित पर्यावरण स्थितियां तथा गंगा नदी के पानी को प्रदूषण हीन रखने को सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए हैं ?

**विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) से (घ) परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए नरौरा का चुनाव करने के वास्ते नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। उस समिति ने तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से विस्तार पूर्वक सर्वेक्षण किया था। बिजलीघर में सुरक्षा संबंधी आधुनिकतम विशेषताओं को अन्तर्राष्ट्रीय विनिर्देशों के अनुरूप शामिल किया जाएगा। गंगा में जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बहुत ही कम रहेगी और उस पर यह सुनिश्चित रखने के लिए पूरी निगरानी रखी जाएगी कि वह अहानिप्रद समझी जाने वाली सीमा के भीतर ही रहे। न तो आसपास के क्षेत्र के लोगों को किसी भी तरह की खतरा रहेगा और न ही नदी के निचले क्षेत्रों में बसे लोगों को।

**टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी का विस्तार**

2950. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रि-रोलर उद्योग ने सरकार को यह अभ्यावेदन भेजा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी का इसके आधुनिकीकरण के दूसरे चरण से संबंधित विस्तार उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा ;

(ख) क्या सरकार ने इस आरोप के संदर्भ में वास्तविक स्थिति की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

**इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार इस मामले पर निर्णय लेते समय इस अभ्यावेदन पर विचार करेगी।

**उप महानिरीक्षक (डी० आई० जी०) (पुलिस) के वेतनमान का संशोधन**

2951. **श्री जगपाल सिंह :**

**श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवर्ग की पुनरीक्षा के परिणाम स्वरूप पुलिस में उपमहानिरीक्षक (डी० आई० जी०) के रैंक के वेतनमान बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जिसके कारण सिविल सेवाओं और अन्य सेवाओं में भ्रम पैदा हो गया है तथा सेना अध्यक्ष को इस मामले पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करनी पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो संवर्ग पुनरीक्षा से क्या सिफारिशें की गई हैं और सरकार का इस मामले को कैसे हल करने का विचार है; और

(ग) क्या सीध सरकारी कर्मचारियों को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान वेतनमान बहुत कम है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के ब्यौरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दिए गए हैं। सेना अध्यक्ष ने इस मसले पर कोई कोई अप्रसन्नता व्यक्त नहीं की है। एक राज्य सिविल और प्रशासनिक सेवा संस्था की ओर से प्रतिक्रिया हुई है।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किया है :—

(1) राज्यों में 2250-125/2, 2500 रुपए के वेतनमान वाले अपर पुलिस महानिरीक्षक के वर्तमान पद को समाप्त करने और उप महानिरीक्षक (स्तर-1) पर ही पदों को समायोजित करना।

**विकास को बढ़ावा देने के लिए परामर्श दात्री परिषद**

2952. **श्री बी० वी० देसाई :**

**श्री जगदीश टाईटलर :**

**श्री पी० जे० कुरियन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास की गति को बढ़ावा देने और उपयुक्त विकास नीतियां तैयार करने के विचार से वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के एक परामर्शदात्री परिषद का गठन किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विशेषज्ञों के एक छोटे समूह को विदेशों में स्थित किन्हीं मशीनों तथा उनमें नियुक्त कर्मचारियों को बनाए रखने की उपयोगिता पर विचार करने को भी कहा गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन कदमों की घोषणा प्रधान मन्त्री द्वारा 8 फरवरी, 1983 को की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो प्रधान मन्त्री द्वारा अन्य कौन से आर्थिक कदम घोषित किए गए हैं और उनकी प्रगति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी ऐसे सुझाव दिए गए हैं ?

**योजना मन्त्री (श्री एस० वी० चव्हाण)** : (क) एक आर्थिक सलाहकार समिति का गठन किया गया है और सरकार को आर्थिक नीति व विकास से संबद्ध ऐसे विशिष्ट विषयों पर जो प्रधान मन्त्री द्वारा इसे भेजे जाएं तथा ऐसे विषयों पर जो सरकार के विचारार्थ सदस्य स्वयं भेजे सलाह देगी। संगत संकल्प की एक प्रति सदन के सभा के सभा पटल पर प्रस्तुत है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-6120/83]

(ख) जी, हां।

(ग) ऊपर (क) व (ख) से संबद्ध संगत तारीखें 18 फरवरी, 1983 व 7 फरवरी, 1983 हैं।

(घ) प्रशासन में कार्यकुशलता को सुधारने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के भाग के रूप में कुछ मितव्ययिता उपायों की घोषणा की गई है जिनका कार्यान्वयन तत्काल होना है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए,संख्या एल० टी०-6120/83] प्रधान मंत्री ने यह भी निदेश दिए हैं कि केन्द्र व अन्य राज्यों से राज्य मन्त्रियों व दौरा पर आए यंत्रियों तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों को मितव्ययिता के उपाय के रूप में मार्गदर्शी मोटर-कार व रक्षार्थ मोटरकार देने की प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए और ऐसे विशेष मामलों को छोड़कर जहां शत्रुतापूर्ण वातावरण में यात्रा के कारण ऐसी सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक हो प्रशासन में संयम/मितोपभोग सुनिश्चित किया जाच।

(ङ) राज्यों के मुख्य मंत्रियों को कहा गया है कि वे प्रशासन को प्रवाहयुक्त बनाएं ताकि इसकी कार्यकुशलता बढ़े और अक्षमता व शैथिल्य दूर हो। उनको यह भी कहा गया है कि किसी प्रकार का भी व्यर्थ व निष्फल व्यय न किया जाए। जिस नाजुक स्थिति से देश गुजर रहा है उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है और हमारी विकास योजनाओं की गति बनाए रखने की महत्ता पर बल दिया गया है। अपनी सफलताओं को सुदृढ़ करने के लिए मितोपभोग को स्वीकार करना और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपने तंत्र को संगठित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

**आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उद्योग**

2953. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में मध्यम श्रेणी के तथा बड़े उद्योगों और परियोजनाओं की स्थापना से बड़ी संख्या में आदिवासी विस्थापित हो गए हैं और वे औद्योगिक काम्पलेक्स से प्रभावित हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्रों में अब तक स्थापित किए गए सरकारी क्षेत्र के उद्योगों व परियोजनाओं के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां तथा किन राज्यों में स्थापित किए गए हैं और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान वहां उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से नए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं ;

(ग) आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को बढ़ते हुए ऐसे अनियोजित उद्योगों का शिकार होने से बचाने के लिए सरकार ने उनको बेहतर हेतु क्या योजनायें और कार्यक्रम बनाये हैं और आदिवासी क्षेत्रों से सरकार द्वारा पूंजी का निर्णय लेने के लिए अब तक कौन सी नीति अपनाई गई है ; और

(घ) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) सरकार को जानकारी है है कि माध्यम तथा बड़े उद्योगों की स्थापना से आदिवासी और गैर-आदिवासी विस्थापित और प्रभावित हुए हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) छठी योजना (1980-85) के दौरान आदिवासी विकास संबंधी कार्यकारी दल ने सिफारिश की कि सभी बड़े तथा मध्यम उद्योगों से संबंधित परियोजना रिपोर्टों में (1) किसी उद्योग की स्थापना से स्थानीय समुदायों को होने वाले लाभ और उन पर प्रतिकूल प्रभावों (2) उद्योग में उनके सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए किये जाने वाले अपेक्षित उपायों और (3) जो लोग अलग रहते हैं उनके परम्परागत व्यवसायों, संस्कृति आदि को जारी रखने के उपायों को नियमित रूप से व्याख्या होनी चाहिए। कार्यकारी दल द्वारा यह भी बल दिया गया है कि आदिवासियों की भूमि केवल तब ही अधिगृहीत की जाय अथवा खरीदी जाय जब बहुत जरूरी हो, बदले में उपयुक्त भूमि का आबंटन सामान्य नियम होना चाहिए और अपने मकानों तथा परिवार से विस्थापित किए गए आदिवासी परिवारों का जीवन लभ्य पुनर्वास किया जाना चाहिए। कार्यकारी दल की सिफा- आदिवासी क्षेत्रों वाली सभी राज्य सरकारों को और केन्द्रीय मन्त्रालयों को कार्यान्वयन के लिए भेजी गई थी और उनसे इसके लिए आग्रह किया जा रहा है। पुनर्वास की लागत को आदिवासी क्षेत्रों में बड़े तथा मध्यम औद्योगिक तथा सिंचाई परियोजनाओं को परियोजना रिपोर्टों का भाग बनाने के प्रयास में योजना आयोग ने केन्द्र के उद्योग, सिंचाई, ग्रामीण विकास और कोयला मन्त्रालयों

से कहा है कि वे परियोजना प्राक्कलनों में प्रभावित विस्थापित आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के उचित पुनर्वास के लिए पर्याप्त के लिधनराशि केव्यवस्था शामिल करें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**बचत में तेजी से वृद्धि**

2954. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बचत में तेजी से वृद्धि हुई है जिसके कारण उपभोग और मांग में गिरावट आई है मंदी का दौर आया है तथा ऋण संकुचन हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि स्वतन्त्र आक्कलन के अनुसार 1970-80 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1960 के दशक में 1.2 प्रतिशत और 1950 के दशकों में 1.8 प्रतिशत थी ; और

(ग) इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या उपयुक्त कदम उठाने का विचार है ?

**योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) 1970-80 की अवधि के निबल देशीय उत्पादन (एन० डी० पी०) के प्रतिशत के रूप में देश की बचत दर (निबल) में वृद्धि हो रही है। लेकिन अर्थ-शास्त्रियों द्वारा इस अवधि को मन्दी की अवधि नहीं माना गया है वास्तव में दोनों को अनिवार्य रूप से संबद्ध करना कोई जरूरी नहीं। वर्ष 1978-79 और 80-81 के बीच बचत अनुपात में कमी हुई। वर्ष 1979-80 में यह 17.4 था। वर्ष 1980-81 में यह कम होकर 16.7 हो गया। वर्ष 1981-82 के त्वरित अनुमानों से 17.5 की राशि प्राप्त होती है। इसलिए आशंका की कि बचत अनुपात में तेजी से वृद्धि हुई है और यह कि इसका विहार्यता मन्दी है, तथ्यों द्वारा पुष्टि नहीं होती है। जहां तक ऋण में कमी का संब है इसे स्वभावत: प्रति व्यक्ति बचत दर से संबद्ध नहीं किया जा सकता। मुख्य रूप से (मुद्रा) स्फीति को रोकने के लिए एक नीति उपाय है तथापि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि ऋण कम करने संबंधी नीति के कारण इससमय कोई मन्दी है।

(ख) माननीय सदस्य ने स्वतंत्र स्रोत के कोई ब्यौरे नहीं दिए हैं लेकिन, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किए गए सरकारी अनुमानों से यह पता चलता है कि 1970-71 की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति निबल राष्ट्रीय उत्पादन में वर्ष 1950-1960 की अवधि में 1.8 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से, वर्ष 1960-1970 की अवधि में 1.3 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से और वर्ष 1970-80 में 1.1 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई।

(ग) छठी योजना के दस्तावेज, वार्षिक योजनाओं, आर्थिक सर्वेक्षणों आदि में सुधारात्मक

उपाय स्पष्ट किए गए हैं। वर्ष 1980-81 में अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिया, वर्ष 1981-82 में सुधार की प्रक्रिया सुदृढ़ हुई और पर्याप्त अतिरिक्त मजबूती प्राप्त हुई, वर्ष 1982-83 में काफी अंश तक समुत्थान दिखाई दिया, और उपलब्ध आधारस्वरूप से आगामी वर्षों में इसके और भी अच्छे होने की आशा की जाती है। वर्ष 1970-71 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 1980-81 में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष 1981-82 में 2.8 प्रतिशत की वृति हुई।

**विजय नगर इस्पात परियोजना**

2955. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विजय नगर इस्पात परियोजना पर दस वर्षों से विचार हो रहा है जिसके कारण परिहार्य मीनवीय असफलता के कारण लागत में बहुत अधिक वृद्धि हो गई और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ऐसी असफलताओं से सबक लेगी और भविष्य में ऐसे विलम्बों से बचेगी ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए किसी निश्चित समय कार्यक्रम पर दृढ़ होगी, जिससे भ्रष्टाचार रोकने और मन्त्रालयों तथा शक्ति के अन्य स्थानों में लाबी करने वालों को रोकने में सहायता मिले ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) से (ग) सरकार ने विजय नगर में इस्पात कारखाना लगाने के इरादे की घोषणा सन 1970 में की थी। भूमि-अर्जन और भूमि-विकास जैसे कुछ प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं, परन्तु परियोजना का निर्माण-कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। सीधी अपचयन प्रौद्योगिकी पर आधारित इस्पात कारखाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जाएगा। इस कारखाने के निर्माण में लगने वाले समय का निर्णय पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय के साथ ही लिया जाएगा।

**उद्योगों में मांग में गिरावट**

2956. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रैक्टरों, सिलाई की मशीनों, घरेलू रेफ्रीजरेटरों तथा कागज की मांग में लगी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और

(ग) क्या मांग में गिरावट से प्रभावित उद्योगों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार का अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करने का विचार है ;

**उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) से (ग) देश में सिलाई कीमशीनों, घरेलू रेफ्रिजिरेटरों और कागज के उत्पादन में कोई खास कमी नहीं आई है। किन्तु 1982 के दौरान मांग की कमी के कारण ट्रैक्टरों के उत्पादन में कमी देखी गई थी जो ऋण अधिसंकुचन की वजह से थी। 1982 की अन्तिम तिमाही के दौरान ऋण देने में ढील देने के कारण ट्रैक्टरों की मांग और उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है।

**किसी विशेष प्रकार के इस्पात की मांग घटना**

2957. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसी विशेष प्रकार के इस्पात और इस्पात से बने सामानों की मांग में गिरावट आने का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी आर्थिक और वित्तीय नीति में कुछ परिवर्तन करने का है ताकि गिरावट से प्रभावित उद्योगों में सुधार हो सके ?

**इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० के० पी० साल्वे)** : (क) से (ग) अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 की अवधि में "सेल" की अर्ध सामग्री, छड़ों, गर्म बेलित क्वायलों आदि जैसी इस्पात की कुछेक मदों का उपक्रम वर्ष 1982-83 की इसी अवधि में हुए सामग्री के अपक्रय की तुलना में कम हुआ है। अपक्रय में कमी मुख्य रूप से उपभोगी क्षेत्रों के सामने आई संसाधन संबंधी कठिनाइयों के कारण हुई है। अपक्रय में वृद्धि करने के लिए "सेल" ने इस्पात की कुछेक श्रेणियों में छूट देने और मात्रात्मक छूट (डिस्काउंट) देने की पेशकश की है। चयनात्मक आधार पर और प्रतिबंध लगाए गए हैं ताकि परिहार्य आयात को निरुत्साहित किया जा सके, जिससे देशीय सामग्री के अपक्रय प्रतिकुल प्रभाव न पड़े।

इस्पात से बनाई गई मदों के बारे में विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

**कुद्रेमुख में कन्सन्ट्रेट के लिए बाजार ढूंढने प्रयास**

2958. **श्री के० मालन्ना** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर गया है कि जोरदार प्रयासों के बावजूद कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी (के० आई० ओ० सी० एल०) अपने कन्सनट्रेट के लिए बाजार ढूंढ़ने मे सफल नहीं हो सकी है और के० आई० ओ० सी० एल० अपने भंडार में से 35 लाख टन कन्सनट्रेट के निर्यात के लिए अक्तूबर, 1981 से शुरू होने वाले तीन वर्षों में रोमानिया से सौदा कर सकी है परन्तु यह रोमानिया को पेलेटाइजेशन प्लांट का ठेका देने के लिए एक शर्त थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा के० आई० ओ० सी० एल० एल० के कार्य-चालन की नवीनतम पुनरीक्षा में यह पाया गया है कि परियोजना से संबद्ध सभी कार्य पूरे हो गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कुद्रेमुख एकक के वाणिज्यक उत्पादन के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) और (ख) जी, हां ।

(ख) इस कारखाने में सांद्रण का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

| | (लाख टन) |
|---|---|
| 1981-82 (अक्तूबर, 1981 से) | 4.3 |
| 1982-83 (फरवरी, 1983 तक) | 10.4 |

**बड़ी कम्पनियों द्वारा अच्छी किस्म के इस्पात का आयात**

2959. **श्री दया राम शाक्य** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1982-83 की घोषित निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत विशेष प्रकार के इस्पात के आयात की अनुमति दी गई है तथा क्या यह टूट-फूट पर भी लागू होती है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ बड़ी कम्पनियों में पश्चिमी देशों की इस्पात उत्पादक कम्पनियों के साठ-गांठ करके, टूट-फूट के नाम पर अच्छी किस्म के इस्पात का आयात किया है ; और

(ग) यदि हां, तो आयात करने वाली ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) 1982-83 की आयात नीति में अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक उपभोक्ताओं तथा अन्यों द्वारा मिश्र तथा उच्च कार्बन इस्पात का आयात करने की व्यवस्था की गई है ।

(ख) और (ग) इस प्रकार का कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

**विकास दर (जी० एन० पी०)**

2960. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार विकास दर (जी०एन० पी०) 1950 में 3.8 प्रतिशत से 1960 के दशक में 3.5 प्रतिशत और 1970 के दशक में 3.3 प्रतिशत तक गिर गई है ;

(ख) 1980 के दशक के लिए लिए सरकार द्वारा कितने सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर विचार किया गया है ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए कौन से सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ।

**योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय आदि के बारे में दिए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार सकल देशीय उत्पादन की औसत वार्षिक संवृद्धि दर में (गुणन खंड लागत पर और 1980-81 की कीमतों पर) वर्ष 1950-60 की अवधि में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई ; 1960-70 की अवधि में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई ; 1970-80 में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ख) और (ग) छठी योजना में वर्ष 1980-85 की अवधि में सकल देशीय उत्पादन में 1979-80 की कीमतों पर 5.2 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि दर की परिकल्पना की गई है । बाद के दशक (1985-95) में इस संवृद्धि दर के 5.5 प्रतिशत होने की परिकल्पना की गई है । छठी पंचवर्षीय योजना पिछले तीन दशकों के योजना अनुभव, हाल ही के आर्थिक विकास जिसका मध्यावधि अर्थव्यवस्था के विकास तथा दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य में परिलक्षित भविष्य की कर कल्पना पर प्रभाव पड़ता है, को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है । सकल राष्ट्रीय उत्पादन में

1970-71 की कीमतों पर वर्ष 1980-81 में 8.0 प्रतिशत की और 1981-82 में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसको ध्यान रखते हुए ऐसा प्रतीत होता कि 1980-90 के लिए परिकल्पित संवृद्धि दर प्राप्त कर ली जाएगी।

**हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण को मान्यता**

2961. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दी-आशुलिपि और हिन्दी-टंकण की कला को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के बारे में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कलाओं के विकास के लिए, इनकी उपयोगता को ध्यान रखते हुए, काम करने वाले लोगों को उचित प्रोत्साहन देने का है ; और

(घ) इन कलाओं को ललित कला या व्यावहारिक कला के रूप में मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० आर० लास्कर)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के परामर्श से इस मामले पर पहले विचार किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि आशुलिपि न तो मान्यता प्राप्त ललित कलाओं, जैसे मूल्य, संगीत, शिल्प इत्यादि में से एक है और न ही वह प्लास्टिक या प्रदर्शन कला है। अधिक से अधिक आशुलिपि को एक कौशल या उच्च गति से लेखन को निगुणता के तौर पर माना जा सकता है और इसकी तुलना अन्य सृजनात्मक कलाओं से नहीं की जा सकती। अतः आशुलिपि से प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना करना व्यावहारिक नहीं होगा।

**विभिन्न राज्यों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय**

2962. **श्री हरिहर सोरन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों का वर्ष 1983-84 का वार्षिक योजना परिव्यय निर्धारित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ग) विभिन्न शीर्षों में वार्षिक योजना परिव्यय की राज्यवार सूची क्या है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण )** : (क) जी, हां ।

(ख) 1983-84 की वार्षिक योजना के लिए राज्यवार सहमत परिव्ययों का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) और (घ) सहमत परिव्ययों का क्षेत्रीय ब्यौरा वर्ष 1983-84 के लिए योजना आयोग के वार्षिक योजना के दस्तावेज में किया जाएगा जो सभी राज्यों के बजट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद यथा शीघ्र संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

**विवरण**

**वार्षिक योजना 1983-84—परिव्यय**

(करोड़ रुपये)

| राज्य | सहमत परिव्यय |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 826.00 |
| असम | 238.00x |
| बिहार | 681.00 |
| गुजरात | 900.00 |
| हरियाणा | 407.00 |
| हिमाचल प्रदेश | 140.00 |
| जम्मू और कश्मीर | 185.00 |
| कर्नाटक | 575.00 |
| केरल | 320.00 |
| मध्य प्रदेश | 855.00 |
| महाराष्ट्र | 1500.00 |
| मणिपुर | 52.80 |
| मेघालय | 58.32 |
| नागालैंड | 51.00 |
| उड़ीसा | 345.00 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| पंजाब | 440.00 |
| राजस्थान | 401.00 |
| सिक्किम | 30.50 |
| तमिलनाडु | 845.00 |
| त्रिपुरा | 58.00 |
| उत्तर प्रदेश | 1290.00xx |
| पश्चिम बंगाल | 540.00 |
| जोड़ राज्य | 10736.62 |

xअभी निश्चित किया जाता है ।

xx85 करोड़ रु० के पहाड़ी क्षेत्रों के परिव्यय सहित 1375 करोड़ रु० ।

**चण्डीगढ़ में आई० ए० एल०/आई० पी० एस० अधिकारियों पुत्रों/पुत्रियों को औद्योगिक प्लाटों का आबंटन**

2963. **श्री जी० नर सिम्हा रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ में आई० ए० एस० अथवा आई० पी० एल० अधिकारियों के पुत्रों अथवा पुत्रियों को औद्योगिक प्लाटों के आबंटन में वरीयता देने की गम्भीरता अनियमितताओं का पता चला है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रमुख समाचार पत्रों ने इस बारे में विस्तारपूर्वक समाचार प्रकाशित किए हैं ;

(ग) क्या केन्द्र ने चण्डीगढ़ प्रशासन से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या रिपोर्ट के अग्रिम जांच के लिए पूरा विवरण शामिल है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने का है यदि हां, तो कब तक ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) से (ङ) सरकार ने चण्डीगढ़ में औद्योगिक प्लाटों के आबंटन से अनियमितताओं के आरोपों के विषय में समाचार देखा है ।

सरकार को इस विषय पर प्रशासन से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। चण्डीगढ़ के मुख्य आयुक्त से विस्तृत रूप से मामले की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है ताकि आगे उचित कार्रवाई की जा सके ।

**न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन लोगों को आवास स्थल का प्रावधान**

2964. **श्री बी० वी० देसाई :**

**श्री पी० एम० सईद** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीनों को आवास स्थल सुलभ कराने का कार्यक्रम क्रियान्वित करने में प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु एक समिति गठित की गई है ;

(ख) क्या इस समिति में विशेषज्ञ निर्माताओं, प्रशासकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों को भी रखा जाएगा ;

(ग) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1972 में विशेष कल्याण कार्यक्रम, 1975 के रूप में योजना आरम्भ की गई थी ; और यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में सभी भूमिहीन श्रमिकों और दस्तकारों पर लागू किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह कार्यक्रम अब तक पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं और इस योजना के कार्यान्वयन में इस समिति की स्थापना से कि हद तक सहायता मिलेगी ?

**योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) जी, हां।

(ख) समिति में विशेषज्ञ, प्रशासक, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस स्कीम का उद्देश्य छठी योजना के अंत तक ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के अनुमानित 145.00 लाख सभी परिवारों को मकान बनाने के लिए स्थान देना है और इस अवधि में इन परिवारों के लगभग 25 प्रतिशत परिवारों को अर्थात 36 लाख परिवारों को निर्माण कार्य के लिए सहायता देना है ।

(ङ) समिति का गठन कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को स्कीम का मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी आवश्यकताओं के बारे में सलाह देने के लिए किया गया है। इसके निष्कर्षों से इसके कार्यान्वन में सुधार लाने में सहायता मिलने की आशा की जाती है ।

**नदी जल पर राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया सर्वेक्षण**

2965. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नदी जल पर राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसन्धान संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण की जानकारी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अनुसन्धान ने यह कहा है कि भारत की 70 प्रतिशत नदियों का जल प्रदूषित है और पीने योग्य नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से कारण जिम्मेदार हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

**पर्यावरण विभाग में उपमन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) से (ग) जी, हां। भारत में अधिकांश नदियां घरेलू और औद्योगिक बहिःस्रावों के उत्सर्जन के कारण नगरों और शहरों के अनुप्रवाह के निकट विविध मात्रा में प्रदूषित हैं।

(घ) जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के केन्द्रीय और राज्य बोर्ड प्रदूषण स्रोतों से घरेलू और औद्योगिक बहिःस्रावों के उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए उपाय कर रहे हैं।

**घड़ियाल अनुसन्धान केन्द्र**

2966. **श्री हरिहर सोरन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में कुल कितने घड़ियाल अनुसन्धान केन्द्र चल रहे हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार का कोई घड़ियाल केन्द्र उड़ीसा में है ; और

(ग) यदि हां, तो इन के स्थानों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उड़ीसा के उन घड़ियाल अनुसन्धान केन्द्रों में शुरू किए गए कार्य के बारे में क्या ब्यौरा है ?

**पर्यावरण विभाग में उपमन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) से (ग) पार्थक रूप से किसी घड़ियाल अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, निम्नलिखित घड़ियाल प्रजनन केन्द्रों में कुछ अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है :—

(1) कुकरेल — उत्तर प्रदेश

(2) कटारनिया घाट

(3) नेहरू चिड़ियाघर, आंध्र प्रदेश

(4) टीकारपाडा

(5) डंगामाल

(6) नंदनकानन — उड़ीसा

(7) सिमलीपाल

(घ) टीकारपाडा केन्द्र में समाप्त हो रहे घड़ियालों की जनसंख्या के पुनर्वास और पुनः संचय पर परिस्थितिकीय अध्ययन किए जा रहे हैं। डंगामाल में ऐसे ही अध्ययन समुद्र जल घड़ियालों के सम्बन्ध में किए जा रहे हैं और सिमलीपाल में ऐसे अध्ययन मगर अथवा कच्छ घड़ियाल के सम्बंध में किए जा रहे हैं। नंदनकानन केन्द्र में भारत में पाए जाने वाली घड़ियाल की तीनों स्पीशीस के प्रजनन किए जा रहे हैं।

**उड़ीसा में शेरों का प्रजनन**

2967. **श्री हरिहर सोरन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में शेरों के प्रजनन हेतु क्या प्रयोग किए गए हैं ;

(ख) राज्य के किन-किन स्थानों, चिड़ियाघरों और नेशनल पार्कस में ये प्रयोग किए गए हैं ; और

(ग) इस सम्बंध में तैयार की गई योजना का क्या ब्यौरा है ?

**पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) :** (क) उड़ीसा में शेरों के प्रजनन हेतु कोई प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, तथापि नंदनकानन प्राणि विज्ञान उद्यान में बंदी स्थिति में उनका प्रजनन हो रहा है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

**आदिवासी क्षेत्र का विकास**

2968. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आदिवासियों क्षेत्र के विकास के लिए, विशेष रूप से राजस्थान आदि जैसे राज्यों में क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ख) क्या उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों कों उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने तथा उन्हें सूद-खोरों के पंजों से बचाने आदि के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) आदिवासियों के विकास के लिए और किन योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) पाचवीं पंचवर्षीय योजना के राजस्थान सहित देश के जनजातीय क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए मूल संरचना और लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों को शामिल करके जनजातीय उप योजना नीति अपनाई गई है।

(ख) जनजातीय उपयोजना कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में और उसका दैनिक आवश्यकता की मदें उचित अथवा नियन्त्रित दामों पर बेचने से उनको सूदखोरों के शोषण से बचाने के लिए ऋण देने और कृषि तथा वन उत्पादनों को विपणन करने के लिये बृहत कृषि उद्देशीय समितियां (एन० ए० ए० न० पी० एस०) स्थापित की गई है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लाभ प्राप्तकर्ताओं की ओर अभिमुख योजनाओं के पक्ष में झुकाव देने के लिए नियोजन प्रक्रिया की दिशा परिवर्तन किया गया है। विकास कार्यक्रमों का ऐसा आर्थिक स्थिति करने का लक्ष्य है जिससे 50 प्रतिशत जनजातीय परिवार गरीबी की रेखा पार कर सके।

**कोकिंग कोल का आयात**

2969. **श्री नवीन रवाणी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के वर्षों के दौरान कितना कोकिंग कोल का आयात किया गया ;

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान कितना कोकिंग कोल के आयात होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के दौरान आयात किए गए कोकिंग कोल की मात्रा इसके आयात शुरू होने के बाद से सबसे अधिक है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और भारत से ही कोकिंग कोल की मांग पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) वर्ष 1978-79 तथा उसके बाद के वर्षों में कोककर कोयले के किये गए आयात के बारे में जानकारी

नीचे दी गई है—

| वर्ष | मात्रा (लाख टन) |
|---|---|
| 1978-79 | 1.20 |
| 1979-80 | 10.43 |
| 1980-81 | 4.43 |
| 1981-82 | 6.4 |

(ख) अनुमान है कि वर्ष 1982-83 में 13.3 लाख टन कोककर कोयला आयात किया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) कोक ओवल बैटरियों में इस्तेमाल के लिए कोयले के सम्मिश्रण की क्वालिटी बनाए रखने तथा 'सेल' के इस्पात कारखानों की आवश्यकता और देशीय स्रोतों से कोककर कोयले की उपलब्धि के अन्तर को पूरा करने के लिए चालू वर्ष में कोककर कोयले का अधिक आयात करना पड़ा। कोयला विभाग ने इस्पात कारखानों के लिए देशीय कोककर कोयले में गुणात्मक तथा मात्रात्मक वृद्धि करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये हैं - नई खानें खोलना, नई शोधन-शालाओं की स्थापना, शोधनशालाओं के कार्यकरण में सुधार तथा घटिया किस्म के कोयले को निकालने के लिए शोधनशालाओं में कोयला भेजने से पहले उसकी छंटाई करना।

**टी० वी० ट्यूबों की आयात नीति में परिवर्तन**

2970. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार टी० वी० ट्यूबों के आयात संबंधी नीति में शीघ्र परिवर्तन करने का है विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत के टी० वी० निर्माताओं के लिए टी० वी० ट्यूब निर्बाध रूप से उपलब्ध होते रहेंगे ;

(ख) और यह कि अन्य घटकों के साथ-साथ टी० वी० का अतिदुर्लभ पुर्जा टी० वी० ट्यूब इस समय देश में निर्मित होते हैं और स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बंध में मूल्य नियंत्रण के संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव)** : (क) जी, नहीं।

(ख) अधिकांश संघटक-पुर्जे, जिनमें श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन ट्यूब

भी शामिल हैं, का देश में विनिर्माण किया जा रहा है। तथापि, जब कभी इनकी मांग पूर्ति से अधिक होती है, इनके आयात की अनुमति दे दी जाती है।

(ग) कुल मिलाकर दूरदर्शन उद्योग के लिए संघटक-पुर्जों के मूल्य बाजार की स्थितियों तथा सामग्री की लागत पर निर्भर करते हैं। संघटक-पुर्जों के मूल्यों में कमी लाने के उद्देश्य से समय-समय पर शुल्कों में कटौती करके संघटक-पुर्जा उद्योग को कुछ आर्थिक प्रोत्साहन दिए गये हैं।

**उड़ीसा के ढेंकानल जिले में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा अधिगृहीत भूमि**

2971. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के ढेंकानल जिले में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया ;

(ख) क्या उन किसानों को मुआवजा दे दिया गया है जिनकी भूमि का नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा एल्यूमिना संयंत्र के लिए अधिग्रहण किया गया है ; और

(ग) प्रत्येक किसान को मुआवजे की अदायगी किस-किस प्रकार की गई ?

**इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० सालवे)** : (क) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० द्वारा धेनकनाल जिले में एल्यूमिनियम प्रद्रावक तथा ग्रहीत बिजली-घर के लिए कुल 1689.28 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रत्येक किसान को मुआवजे का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित जिला कलक्टर के माध्यम से किया जाता है।

**सिक्किम में केन्द्रीय कानूनों का विस्तार**

2972. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्किम में अब तक कितने केन्द्रीय कानून लागू किए गए हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : सिक्किम राज्य में अब तक 98 केन्द्रीय अधिनियम लागू किए गए हैं।

**आयातित रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए मरम्मत सुविधायें**

2973. **श्री मोहम्मद असरार** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में देश में बड़ी संख्या में रंगीन दूरदर्शन सेटों का आयात किया गया है परन्तु इस समय पर्याप्त मरम्मत की सुविधा और ऐसे सेटों के लिए फालतू पुर्जे भी उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को किस प्रकार सुलझाये जाने का विचार है ?

**इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव)** : (क) और (ख) आयातित दूरदर्शन सेट खरीदने वाले व्यक्ति अतिरिक्त कल-पुर्जों के आयात के बारे में निम्नलिखित सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं :

(1) खुले सामान्य लाइसेंस उपहार योजना के अन्तर्गत रंगीन दूरदर्शन सेटों (सी० टी० वी०) के आयातकर्ता को रंगीन दूरदर्शन सेट के सहायक सामानों तथा उसके अतिरिक्त पुर्जों के आयात की अनुमति प्रदान की गई थी ।

(2) वर्ष 1982-83 की आयात नीति के अन्तर्गत सभी वास्तविक प्रयोक्ताओं को सेटों की मरम्मत के लिए संघटक-पुर्जों का आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है ।

**एक परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी**

2974. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उन उम्मीदवारों की जिनके परिवारों की जिनके परिवारों का एक भी व्यक्ति संगठित नियोजन/सरकारी सेवा में नहीं है तथा जिनके परिवारों की वार्षिक आय 6000 रुपये से अधिक नहीं है श्रेणी तीन तथा चार के पदों/सेवा में नई भर्ती के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु कार्यकारी अनुदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के विवरणों सहित नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का इस प्रावधान को केन्द्र तथा उन राज्यों में जहां इसे अब तक लागू नहीं किया गया है प्रारम्भ करने का विचार है ; यदि हां, तो यह कब तक प्रारम्भ किये जाएंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) भाग (ग) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

**"सेल" के लिए बढ़िया किस्म के कोयले का आयात**

2975. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया के लिए पर्याप्त मात्रा में बढ़िया किस्म का कोयला आयात करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय लेने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने भारत में अच्छी किस्म के कोयले का पता करने के लिए सभी प्रयास किए हैं ?

**इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) से (ग) इस्पात कारखानों को कोककर कोयले की कुल मांग और देशीय आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने के लिए 'सेल' को बढ़िया किस्म के कोककर कोयले का आयात करना पड़ता है। बढ़िया किस्म के आयातित कोयले को देशीय कोयले में मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जाता है। आन्तरिक स्रोतों से कोककर कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए नई शोधनशालाएं लगाई जा रही हैं।

**पालम हवाई अड्डे पर विमान यात्रियों के निपटान से विलम्ब**

2976. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान यात्रियों को दिल्ली हवाई अड्डे पर आप्रवासन काउंटर से निकलने में काफी समय लग जाता हैं ;

(ख) यदि हां, यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए किन कदमों पर विचार किया जा रहा है ; और

(ग) क्या 16 फरवरी, 1983 को कुवैत एयरलाइंस के विमान से कल सुबह आने वाले यात्रियों को काउंटर पर पहुंचने में एक लाइन में 90 मिनट और इससे अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी और परेशान यात्रियों ने पाया कि झटके के साथ कार्य कर रही सामान लाने ले जाने वाली बैल्टों (कन्वेयर बैल्टस) से उनका समान फूट गया तथा इधर-उधर बिखर गया ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कार)** : (क) और (ख) दिल्ली हवाई अड्डे पर आवप्रनस निकासों के लिए प्रति व्यक्ति एक मिनट का औसत समय लिया जाता है। निरीक्षण और सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रियों को निकासी यथासम्भव शीघ्रया से और बिना परेशानी के की जाय, पुलिस सहायक आयुक्त के स्तर का एक अधिकारी 24 घंटे वहां पर तैनात किया जाता है।

(ग) 18/19 फरवरी, 1983 को रात को अप्रत्याशित रूप से जहाज एक साथ आये, जिनमें 1147 उतरने वाले यात्री थे। इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की कितनी व्यवस्थित रूप से करनी थी और इसमें पंक्तियाँ बनायी गई और कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ी। 272 यात्री कुवैत एयर-वेज के जहाज से पहुंचे। वे भी पंक्ति में शामिल हो गये और उन सबके संबंध में आप्रवासन औप-चारिकताएं, उस फ्लाईट के पहले यात्री की निकासी से 75 मिनट के अन्दर पूरी की गयी। इस भाग के अन्त के हिस्से में लगाए गए आरोप के संबंध में गृह मन्त्रालय को कोई सूचना नहीं है।

## भारत में विदेशी धन के आगमन को विनियमित करने के लिए कानून में संशोधन

2977. **श्री सन्तोष महोन देव** :
**श्री कृष्ण प्रताप सिंह**
**श्री कृष्ण कुमार गोयल**
**श्री अनन्त रामुलु मल्लु**
**श्री के० मालन्ना** :
**श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी धन के आगमन को विनियमित करने के लिए कानून में संशोधन करने का सरकार का विचार है ;

(ख) भारत में विभिन्न एसोसिएशनों/व्यक्तियों को धन भेजने वाले विदेशी संस्थानों, एजेंसियों तथा अन्य स्त्रोतों के क्या नाम हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इन स्त्रोतों द्वारा पृथक-पृथक कितनी धनराशि भेजी गयी ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम 1976 से संसोधन करने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) विभिन्न संगठनों द्वारा वर्ष 1980, 1981 और 1982 के लिए प्रस्तुत की गयी विदेश अभिदान विवरणियों में निहित आंकड़ों को सगणकीकृत करने के बाद ही सूचना उपलब्ध होगी । सगणकीकरण का कार्य अभी शुरू किया जाना है ।

**गृह मन्त्रालय के समान्य पासों का दुरुपयोग**

2978. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के पास गृह मन्त्रालय के सामान्य पास हैं जिससे वे लगभग सभी मंत्रालयों में जा सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के पासधारियों की संख्या उनके विवरण सहित कितनी है और वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं तथा कितनी अवधि से वे ये पास लिए हुए हैं ; और

(ग) क्या गत पांच वर्षों के दौरान किसी भी मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों में से किसी ने इस प्रकार के पासों के दुरुपयोग का विरोध किया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख जाता है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ;

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी-6121/83]

**औद्योगिक विकास दर में कमी**

2979. **श्री आर० एन० राकेश :**
**श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
**श्री तारिक अनवर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 में औद्योगिक विकास दर गिरी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गतिरोध दूर करने और 1983-84 में औद्योगिक विकास दर बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ;

**उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत तिवारी)** : (क) तथा (ख) 1982 के दिसबम्र माह के केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन तैयार किए गए औद्योगिक उत्पादन त्वरित सूचकांक (आधार 1970-100) के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर 1982 में विकास की दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अनन्तिम रूप से अनुमानतः 3.4 प्रतिशत अधिक है ; 1980-81 की तुलना में 1981-82 की विकास दर 8.6 प्रतिशत अधिक पाई गई ।

बिजली की कमी, अंतर्राष्ट्रीय वाजार की परिस्थितियां, औद्योगिक संबंध आपूर्ति तथा मांग के अल्पकालिक असंतुलन आदि जैसे कारकों की वजह से विभिन्न उद्योगों के विभेदक निष्पादन के कारण विकास की दर धीमी हो सकती हैं ।

(ग) 1980 से औद्योगिक उत्पादन सुधारने के लिए सरकार ने कुछ अभ्युपाय किए हैं । इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) पांच वर्ष की अवधि में 25 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि करके 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से स्वतः विकास की व्यवस्था करना ।

(2) आधारभूत तथा विशेष महत्व के उद्योगों के साथ ही निर्यात की सभाव्यता वाले उद्योगों में लाइसेंसी कृत/पंजीकृत क्षमता से अधिक क्षमता को मान्यता प्रदान करना ।

(3) लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण आदि देकर एककों द्वारा किए गए सर्वोत्तम उत्पादन के आधार पर क्षमताओं की स्वीकृति देना ।

(4) ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करने की योजनाओं के लाइसेंस मुफ्त करना ।

(5) "उद्योग रहित जिलों" और अधिसूचित पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना ।

(6) गैर-सरकारी भारतीयों से औद्योगिक निवेश और लाइसेंस संबंधी आवेदन प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने के लिए औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय (औद्योगिक विकास विभाग) में एक विशेष कोष्प्रट स्थापित किया जाना ।

(7) औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सकारात्मक उत्पादन उन्मुखता प्रदाने करने की दृष्टि से निवेश संबंधी नीतियों की संवीक्षा करना एक नितर प्रक्रिया है ।

अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1893-84 के लिए संघीय बजट में कुछ प्रस्ताव किए गए हैं ।

**अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में जाकर बसे लोग**

2980. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो लोग मुख्य भूमि से जाकर अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में जाकर बस गए हैं; उन पर कुछ प्रतिबंध हैं और उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है ;

(ख) या उनको द्वीपवालियों के शत्रुतापूर्ण रवैये का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**यूरेनियम का उत्पादन**

2981. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में यूरेनियम उत्पादन के लिए कौन-कौन से संयंत्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या देश के परमाणु बिजली संयंत्रों का भी आवश्यकताओ के लिए उनका उत्पादन पर्याप्त है ; और

(ग) यूरेनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं ?

**विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, यूरेनियम सांद्रों के उत्पादन के लिए बिहार के सिंहभूम जिले में जादुगोडा नामक स्थान पर एक खान से अयस्क निकालता है और एक मिल चलाता है। इस उपक्रम ने मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड से मिली तांबे की पछोड़नों को यूरेनियम निकालने हेतु शोधित करने के लिए यूरेनियम अलग करने वाला एक संयंत्र भी प्राग ही स्थित राखा नामक स्थान पर लगा है ।

(ख) तथा (ग) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में हुआ उत्पादन देश के मौजूदा परमाणु बिजलीघरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। भविष्य की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड मे यूरेनियम की एक नई खान पर काम शुरू कर दिया और चालू पंचवर्षीय योजना में यूरेनियम की तीन और खानों का काम हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

**छठी योजना में राजस्थान में जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटन**

2982. **श्री मूल चंद डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के मुख्य रूप से जनजाति बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कुल और वर्ष वार धन का कितना आवंटन किया गया और वर्ष 1980, और 1981-82 के दौरान कितनी धन राशि आवंटित की गई ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि राजस्थान के किन जनजाति क्षेत्रों में इस धन का उपयोग किया गया ; और

(ग) पाली क्षेत्र (राजस्थान) के लिए अब तक कुल कितना धन आवंटित किया गया है और कितने धन का उपयोग किया गया है और क्षेत्रवार कितने आदिवासी परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर लाया गया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर** : (क) राजस्थान में जनजातियों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ और वर्ष-वार आवंटित धनराशि प्रकार से है :—

| | राज्य योजना, एस० सी० ए० और अन्य |
|---|---|
| | (रुपए लाखों में) |
| 1980-85 | 25590.20 |
| 1980-81 | 4240.81 |
| 1981-82 | 5136.36 |

(ख) राज्य सरकार को सूचना के अनुसार इन धनराशियों का प्रयोग बसवाड़ा और डुंगर पुर जिलों में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सारोहा जिलों को तहसीलों में और राजस्थान के विभिन्न जिलों में 36 क्षेत्र में किया गया।

(ग) 1978-83 के दौरान पाली क्षेत्र के लिए 21.01 लाख रु० आवंटित किए गए। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि 1981-82 तक 16 लाख रु० का उपयोग किया गया है जिससे 386 जनजाति परिवारों को लाभ हुआ।

**छठी पंचवर्षीय योजना में पूंजी निवेश**

2983. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 97,500 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धन राशि लगाई गई है और छठी पंचर्षीय योजना के अन्त तक उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) **जी,** हां। छठी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्रक के लिए 1979-80 की कीमतों पर 97,500 करोड़ रु० के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में सरकारी क्षेत्रक के वार्षिक योजना परिव्यय की कुल राशि 79103.31 करोड़ रु० है जो नीचे दी गई है :—

| वर्ष | अनुमोदित परिव्यय | |
|---|---|---|
| | (करोड़ रु०) | |
| 1980-81 | 15109.03 | |
| 1981-82 | 17417.31 | |
| 1982-83 | 21081.65 | |
| 1983-84 | 25495.32 | (असम के लिए अनंतिम योजना परिव्यय शामिल है) |
| | 79103.31 | |

प्रधान वस्तुओं के उत्पादन तथा सेवाओं के छठी योजना के लक्ष्यों के ब्यौरे छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के पृष्ठ 39 पर दिए गए हैं जिसे 6 मई, 1981 को सदन के सभापटल पर प्रस्तुत किया गया था।

**समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए निधियों का आवंटन**

2984. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों, आदि अलग-अलग योजनाओं के रूप में तैयार करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन सभी योजनाओं का किसी एक योजना के अधीन नहीं लाया जा सकता ;

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना कब से कार्यान्वित की गई है और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक योजना पर, राज्यवार, कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) :** (क) प्रश्न में उल्लिखित प्रत्येक कार्यक्रम दूसरे से भिन्न है ।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी दूर करने का मुख्य कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य कार्य श्रम आर्थिक परियोजनाएं आरंभ करके और गरीबी के स्तर से काफी अधिक आय प्राप्त करके निर्धारित किए गए लाभ ग्राहियो को सहायता देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है । दूसरी ओर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का लक्ष्य स्थाई सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए ग्रामीण गरीब लोगों के लिए अनुपूरक उत्पादक रोजगार के अवसर देना है । यह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसा विशिष्ट लाभग्राही कार्यग्राही कार्यक्रम नहीं है । इसमें उस खाली समय में रोजगार देने पर बल है जब खेत में कोई काम नहीं होता ।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मूलतः संसाधन विकास में निवेश है जिसका उद्देश्य सामाजिक खपत और आर्थिक विकास के कार्यकलापों का एकीकरण है । आधारिक रूप से यह कार्यक्रम ग्रामीण सड़कों, जलपूर्ति, प्रारंभिक शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य आदि के लिए व्यवस्था करता है ।

इस प्रकार विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों कार्यक्रमों को अलग-अलग स्कीमों के रूप में तैयार किया गया है ।

(ख) उपर्युक्त (क) में स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन सभी कार्यक्रमों को एक स्कीम के अंतर्गत लाना वांछनीय नहीं होगा ।

(ग) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1978-79 में 2300 विकास खंडों में शुरू किया गया था परन्तु 2 अक्तूबर, 1980 से इसमें देश में सभी 5011 खंडों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अक्तूबर, 1980 को शुरू किया गया था और दि० 1 अप्रैल 1981 से यह छठी पंचवर्षीय योजना का नियमित भाग बन गया।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम वर्ष 1974-75 से शुरू किया गया था और इसे छठी योजना की अवधि में जारी रखा है ।

छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन कार्यक्रमों पर हुआ राज्ययवार व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना में हरेक कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि इस प्रकार है :—

| कार्यक्रम | कुल आवंटन (केन्द्र और राज्य करोड़ रु०) |
|---|---|
| एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 1500.00 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम | 1620.00 |
| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | 5807.28 |

विवरण

छठी योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर किया गया राज्य-वार व्यय ।

(लाख रु०)

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम | | | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम | | न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1980-81 वास्तविक | 1981-82 वास्तविक | 1982-83 अनंतिम | 1981-82 वास्तविक | 1982-83 अनंतिम | 1980-81 वास्तविक | 1981-82 वास्तविक | 1982-83 प्रत्याशित |
| | | | (जनवरी, 1983 तक) | | (दिसम्बर, 82/जनवरी, 83 तक) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1656.07 | 2575.80 | 1979.31 | 3516.99 | 2460.43 | 3738.00 | 3611.00 | 9602.00 |
| 2. | असम | 27.25 | 299.24 | 360.50 | 532.00 | 157.14 | 3631.00 | 3272.00 | 3489.00 |
| 3. | बिहार | 1034.77 | 3133.68 | 1536.28 | 2426.14 | 2566.21 | 7287.00 | 9050.00 | 8963.00 |
| 4. | गुजरात | 845.35 | 850.59 | 1017.95 | 552.14 | 1150.90 | 5041.00 | 5516.00 | 3903.00 |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. हरियाणा | 332.04 | 647.08 | 302.49 | 307.03 | 176.14 | 1323.00 | 1908.00 | 1986.00 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 107.12 | 403.55 | 379.38 | 197.07 | 129.00 | 1758.00 | 2787.00 | 2239.00 |
| 7. जम्मू और कश्मीर | 37.42 | 201.84 | 102.07 | 227.05 | 116.17 | 2337.00 | 2489.00 | 2731.00 |
| 8. कर्नाटक | 956.13 | 1134.20 | 1120.26 | 1291.58 | 1977.14 | 3561.00 | 4160.00 | 5416.00 |
| 9. केरल | 467.48 | 720.73 | 85.06 | 1719.55 | 517.19 | 2012.00 | 2216.00 | 2028.00 |
| 10. मध्य प्रदेश | 1356.00 | 2410.77 | 2236.51 | 2846.62 | 1604.26 | 5340.00 | 5826.00 | 6530.00 |
| 11. महाराष्ट्र | 1272.11 | 1332.45 | 1065.11 | 3855.40 | 1353.00 | 5762.00 | 8485.00 | 8946.00 |
| 12. मणिपुर | 32.50 | 23.50 | 105.86 | 1.70 | 17.22 | 782.00 | 897.00 | 1020.00 |
| 13. मेघालय | 38.58 | 90.67 | 14.12 | अ० न० | 8.87 | 719.00 | 732.00 | 332.00 |
| 14. नागालैंड | 150.27 | 128.11 | 1.19 | 49.00 | 10.12 | 507.00 | 474.00 | 507.00 |
| 15. उड़ीसा | 669.08 | 1495.85 | 918.19 | 1476.22 | 893.32 | 2172.00 | 2312.00 | 2591.00 |
| 16. पंजाब | 578.67 | 844.05 | 797.79 | 702.84 | 230.69 | 1320 00 | 1891-00 | 2009.00 |
| 17. राजस्थान | 1114.68 | 1571.22 | 1323.24 | 1162.35 | 439.24 | 3686.00 | 4619.00 | 3911.00 |
| 18. सिक्किम | 3.76 | 9.82 | 10.66 | 9.43 | 15.44 | 308.00 | 474.00 | 563.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | तमिलनाडु | 1991.09 | 2310.64 | 2270.76 | 2629.13 | 3064.83 | 2411.00 | 4075.00 | 4884.00 |
| 20. | त्रिपुरा | 90.33 | 119.56 | 39.58 | 159.73 | 52.30 | 846.00 | 1065.00 | 1350.00 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 2823.84 | 4873.12 | 2960.90 | 6079.37 | 8476.59 | 11366.00 | 12828.00 | 19588.00 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 224.36 | 211.22 | 275.51 | 1834.84 | 1907.84 | 3524.00 | 5534.00 | 6528.00 |
| | जोड़-राज्य | 15508.90 | 25987.69 | 18902.92 | 31811.05 | 22324.04 | 69431.00 | 84521.00 | 96616.00 |
| | जोड़-संघ राज्य क्षेत्र | 115.41 | 271.76 | 105.33 | 29.43 | 56.13 | 2467.00 | 3409.00 | 5316.00 |
| | केन्द्रीय क्षेत्र | | | | | | 12947.00 | 15010.00 | 24254.00 |
| | कुल जोड़ | 15624.31 | 26259.45 | 19008.25 | 31840.48 | 22380.17 | 84845.00 | 102940.00 | 126176.00 |

**टिप्पणी :**—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए जो व्यय आंकड़े हैं उनमें राज्यों और केन्द्र दोनों ही के लिए कुल व्यय शामिल हैं ।

**मध्य प्रदेश में प्रदूषण**

2985. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश में प्रदूषण की समस्या के बारे में दिनांक 31 जनवरी, 1983 के, "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में वायु तथा जल प्रदूषण है और यदि हां; तो कब से ;

(ग) जल तथा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए जाने के बाद कितने अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है तथा प्रत्येक मामले में क्या दण्ड दिया गया है ; और

(घ) सोनी, चम्बल, बेतवार, ताप्ती, सिप्रा, खान तथा अन्य नदियों को कब तक प्रदूषण से मुक्त किया जाएगा तथा इस संबंध में बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) जी, हां। सरकार देश में प्रदूषण की समस्या के सम्बन्ध में अत्याधिक चिन्तित है।

(ख) सोन और बेटवा नदियां अपेक्षाकृत स्वच्छ हैं जबकि ताप्ती, चम्बल, सिपरा और खान नदियां मुख्य नगरों के अनुप्रवाह के निकट कुछ-कुछ प्रदूषित बनाई गई हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र केरारी ऐलुमिनियम संयंत्र और कटनी के निकट सीमेंन्ट फैक्टरियां जैसे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के संकेत निकट फैक्टरियों जैसे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के संकेत हैं।

(ग) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए 15 उद्योग पर मुकदमा चलाया जा गया है। परन्तु न्यायालय द्वारा अभी तक किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है।

(घ) प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण का राज्य कोई प्रदूषण उपशमन के लिए उपाय कर रहा है। तथापि नदियों में प्रदूषण के पूर्ण उपशमन के लिए समय सीमा निर्देशित करना कठिन है।

**जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने का मानदण्ड**

2986. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने का क्या मानदण्ड है ;

(ख) क्या किसी जिले को पिछड़ा घोषित करने के किए किसी महानगर क्षेत्र से उसकी दूरी पर भी विचार किया जाता ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी दूरी होनी चाहिए ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद की समिति की सितम्बर, 1969 में हुई बैठक में किए गए निर्णयों के अनुसरण में योजना आयोग ने दिसम्बर, 1969 में आर्थिक और औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों के निर्धारण के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सुझाव दिया था :—

(1) इस बात के आधार पर कि क्या जिला मुख्य रूप से खाद्यान्न/नगदी फसलों का उत्पादन है : प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन ।

(2) कुल जनसंख्या में खेतिहार मजदूरों का अनुपात ।

(3) प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन (सकल) ।

(4) प्रति लाख जनसंख्या में फैक्टरी कर्मचारियों की संख्या अथवा वैकल्पिक रूप में प्रति लाख जनसंख्या में द्वितीयक तथा तृतीयक कार्यकलापों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या ।

(5) प्रति व्यक्ति बिजली की खपत ।

(6) जनसंख्या के संदर्भ में पक्की सड़कों की लम्बाई अथवा जनसंख्या के संदर्भ में रेलवे मील दूरी ।

यह भी बताया गया था कि केवल उन जिलों को वित्तीय संस्थाओं से उपयुक्त प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए चुना जाए जिनके सूचकांक राज्य औसत से काफी कम हों ।

(ख) जी, नहीं । इस समय नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना किया जाना ।**

2987. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति :**

**श्री ब्रज मोहन मेहन्ती** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में और विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश के कितने जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित किया गया है ;

(ख) ऐसे जिलों के नाम क्या हैं और वे किन-किन राज्यों में हैं ;

(ग) क्या इन जिलों में उद्योगों की स्थापना का कोई कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ङ) क्या किसी पिछड़े राज्य ने कोई मांग की है और अधिक जिलों को सूची में सम्मिलित किया जाये ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीर भद्र सिंह)** : (क) से (ङ) रियायती वित्त और केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने के पात्र आन्ध्र प्रदेश के जिलों/क्षेत्रों सहित औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की सूचियां संसद पुस्तकालयों में रख दी गई हैं ।

(ख) राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और सुविधाओं के आलावा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए तथा क्षेत्रीय असुतंलन दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय निवेश राजसहायता परिवहन राजसहायता रियायती वित्त करों में छूट लघु उद्योग से मशीनों की किराया-खरीद तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श ब्याज राजसहायता तथा कच्चे माल का आवास करने के लिए सुविधाएं जैसे प्रोत्साहन देती हैं ।

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की सूची में और अधिक जिले शामिल करने के लिए विभिन्न स्रोतों के समय समय पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । योजना आयोग ने नवम्बर, 1978 में पिछड़े क्षेत्रों की विकास संबंधी राष्ट्रीय सीमित (एन० सी० डी० बी० ए०) का गठन किया था उसने अन्य बातों के साथ-साथ "औद्योगिक छितराव" पर अपनी रिपोर्ट में पिछले जिलों का पता लगाने संबंधी मानदण्ड में संशोधन करने के लिए सिफारिशें की हैं । पिछड़े क्षेत्रों की विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय ले लिए जाने के बाद ही औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की वर्तमान सूची में कोई परिवर्तन करना सम्भव हो सकेगा ।

## लघु सीमेन्ट संयंत्र

2988. **श्रीमती विद्या चेन्नुपती** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जारी किए गए लाइसेंसों में से कितने लघु सीमेंट-संयंत्र वास्तव में स्थापित किए गए हैं ;

(ख) क्या अन्य लाइसेंन्स धारियों द्वारा संयंत्र स्थापित न किए जाने के कारणों की जांच की गई है ; और

(ग) लघु क्षेत्र में सीमेंन्ट संयंत्र शुरू करने के लिए आगे क्या कार्यवाही करने पर विचार किया गया है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीरभद्र सिंह)** : (क) तथा (ख) जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस दिए जा चुके हैं लघु सीमेंन्ट संयंत्र स्थापित करने की उन आठ योजनाओं में से दो एककों ने उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने आठों योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मन्जूर कर दी है और शेष परियोजनाएं कियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निर्धारित निवेश सीमा के भीतर जीव्य आधार पर छोटा सीमेंट संयंत्र स्थापित कठिन है।

**असम राज्य के चुनावों में मारे गए लोगों की संख्या**

2989. **श्री हरीश रावत :**
**श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**
**श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में राष्ट्रपति शासन के दौरान विधान सभा और लोकसभा के लिए हाल में हुए चुनावों में शिक्षा कि घटनाओं में कितने लोग मारे गए और उनमें से सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने हिंसा की इन घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को वित्तीय सहायता दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) राज्य सरकार के अनुसार जनवरी, 1983 में 1344 व्यक्ति मारे गए हैं। सामूहिक हिंसा में 5 पुलिस कर्मियों की भी जानें गई।

(ख) और (ग) असम सरकार ने जो व्यक्ति मारे गए हैं उनके परिवारों को पांच-पांच हजार रुपए के अनुदान की घोषणा की।

**उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में देवलथल नामक स्थान में मेग्नीशियम फैक्ट्री की स्थापना**

2990. **श्री हरीश रावत** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के देवलथल नामक स्थान में भिलाई इस्पात संयंत्र को मेग्नीशिययम सप्लाई करने हेतु एक फैक्टी की आधारशिला रखी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो आधार शिला कब रखी गई थी और क्या इस बीच फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरू होगा और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) से (घ) सरकार ने अक्तूबर, 1982 में उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ में घूर्णन भट्ठी लगाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था । इस परियोजना के 48 महीनों में कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है । यह परियोजना भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड के मिलाई उष्मसह संयंत्र में उष्मसहों के उत्पादन के लिए डेड-वन्ट मेग्नोसाइड सप्लाई करेगी । इस परियोजना की आधारशिला 31-10-1982 को रखी गई थी । निर्माण-कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, परन्तु परियोजना को समय-सूची के सार कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

**नन्दा देवी नेशनल पार्क में पर्वतारोहण और चराने पर पाबन्दी**

2991. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नन्दा देवी नेशनल पार्क क्षेत्र में पर्वतारोहण और पशुओं के चराने पर पाबन्दी लगाने का निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पाबन्दी से पार्क क्षेत्र के निवासियों की आर्थिक स्थिति पर कुप्रभाव पड़ने वाले कुप्रभाव को ध्यान में रखा गया है ; और

(ग) यदि हां तो इस क्षेत्र के निवासियों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) तथा (ख) जी, हां । नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क के अद्वितीय परि-तन्त्र के संरक्षण के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि पर्वतारोहण और चराई पर प्रतिबन्ध लगाए जाए । राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय इस विभाग के परामर्श तथा इसकी सभी कठिनाइतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ।

(ग) राज्य सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार के वैकल्पिक साधन प्रदान किए जाएं और राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के बाहर प्रभावित पशुओं की चराई के लिए वैकल्पिक स्थान प्रदान किए जाएं ।

**छठी पंचवर्षीय योजना में गुजरात के लिए निर्धारित धनराशि**

2992. **श्री नवीन रवाणी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस धनराशि में वृद्धि करने की संभावना है; यदि हां, तो कितनी वृद्धि की जाएगी ;

(ग) वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस धनराशि का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा ?

**योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) गुजरात राज्य की 1980-85 की छठी योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 3680 करोड़ रु० है ।

(ख) गुजरात राज्य सहित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के छठी योजना परिव्ययों को परिशोधित करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**गुजरात में स्पोन्ज आइरन परियोजना स्थापित करना**

2993. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात इन्डस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ने प्राकृतिक गैस और लौह अयस्क गुटकों का उपभोग करने स्पोन्ज आइरन परियोजना स्थापित करने हेतु आशय पत्र के लिए आवेदन किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार की जांच समिति ने अगस्त, 1979 में इस आवेदन पत्र को मंजूरी दे दी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि लाइसेंसिंग समिति ने आशय पत्र जारी करने की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो गुजरात इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन को आशय-पत्र जारी न करने के क्या कारण हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) जी, हां।

(ख) जांच समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है बशर्ते कि गैस उपलब्ध हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**पारिस्थिति की दृष्टि से संकटग्रस्त क्षेत्रों के लिए कानून बनाना**

2994. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारिस्थिति की दृष्टि से संकटग्रस्त क्षेत्रों के संरक्षण हेतु कानून बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या प्रकृत्ति के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यूनियनों से मदद मांगी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) जी, हां। भारतीय वन अधि-अधिनियम, 1957 और वन्य-जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संशोधन का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, जीवमंडल रिजर्वों की स्थापना और प्रबन्ध के लिए नए कानून बनाने का भी एक प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) पारिस्थितिकीय दृष्टि से संकटग्रस्त क्षेत्रों के संरक्षण के लिए जीवमंडल रिजर्वों के विशेष विवरण और प्रबन्ध हेतु कानून बनाने के लिए प्रकृत्ति के संरक्षण के लिए अन्त-र्राष्ट्रीय यूनियन की मदद मांगी गई है। परामर्शदाताओं ने विधि निर्माण का प्रथम मसौदा तैयार कर लिया है और सम्बद्ध अधिकारियों से प्राथमिक चर्चाएं की गई हैं।

**विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के आस-पास अनुषंगी उद्योग**

2995. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के आसपास के अनुषंगी निर्माणा-धीन उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए गए थे अथवा उठाए जाएंगे ; और

(ख) क्या इन अनुषंगी उद्योगों के कार्य के लिए बेरोजगार इंजीनियर स्नातकों को कोई प्रोत्साहन, वित्तीय और अन्य सहायता दी गई थी अथवा दी जाएगी ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरभद्र सिंह)** : (क) और (ख) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के आस पास सहायक उद्योगों के विकास से सम्बन्धित सभी मामलों पर राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करने के लिए विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के एक अधिकारी को नामित किया गया है । राज्य सरकार के अधिकारियों के एक दल ने इस्पात संयंत्र के आस-पास लघु सहायक उद्योगों के विकास की सम्भाव्यता का अध्ययन भी किया है । तकनीकी उद्यमियों को प्राप्त प्रोत्साहन और सुविधाएं यहां भी उपलब्ध हैं ।

**रक्षित बिजली संयंत्रों द्वारा सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि**

2996. **श्री एच० एन० नंजेगौड़ा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने हाल ही में देश के सीमेंट संयंत्रों की अपनी बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) वर्तमान तथा नए सीमेंट संयंत्र किस सीमा तक सीमेंट उत्पादन बढ़ा सकेंगे ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क) और (ख) जी, हां । डी० जी० सैटों के चलाने की उच्च लागत को आंशिक रूप से पूरा करने तथा यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रेड से विद्युत की अपर्याप्त उपलब्धता से सीमेंट का उत्पादन प्रभावित हो, डी० जी० सैटों की स्थापना द्वारा प्राप्य सीमेंट के अतिरिक्त उत्पादन का अधिक प्रतिशत गैर लेवी बाजार में बेचे जाने की अनुमति देने के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु 8-2-1983 को निर्णय लिया गया था । इस स्थिति में डी० जी० सैटों की स्थापना करके प्राप्त किए जाने वाले उत्पादन में वृद्धि होने की सूचना देना समय पूर्व होगा ।

**इलेक्ट्रानिक सामान पर आयात शुल्क में कमी**

2997. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक कलपुर्जा उद्योग एसोसिएशन ने सरकार को इलेक्ट्रानिक सामान पर अत्यधिक आयात शुल्क को कम करने का आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इलेक्ट्रानिक विभाग का विचार इलेक्ट्रानिक कलपुर्जों, जिनका इस समय आयात किया जाता है का कच्चा माल को ओ० जी० पी० के अधीन लाने का है, और

(ग) यदि हां, तो देश का इलेक्ट्रानिक उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कहां तक प्रतिस्पर्धा कर सकेगा ?

**इलेक्ट्रानिक्स विभाग में उप मन्त्री श्री (एम० एस० संजीवी राव)** : (क) जी, हां।

(ख) (1) पिछले 3 वर्षों के दौरान 130 से अधिक कच्ची सामग्रियों तथा 212 पूंजीगत सामानों को आयात शुल्क की रियायती दरों के अन्तर्गत लाया गया। केन्द्रीय सरकार के चालू बजट (1983-84) के बाद से कच्ची सामग्रियों पर 65 प्रतिशत तथा पूंजीगत सामानों पर 35 प्रतिशत शुल्क की दरें (मूलभूत) लागू होगी।

(2) आयात नीति के अन्तर्गत आने वाली निषिद्ध तथा प्रतिबंधित मदों की सूचियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वर्ष 1982-83 की आयात नीति में कच्चे माल तथा संघटक पुर्जों की लगभग 25 मदों के आयात पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। आयात नीति के अन्तर्गत जो मदें प्रतिबंधित तथा निषिद्ध हैं, उनसे भिन्न वस्तुओं का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन करने की अनुमति दी जाती है। ऊपर (1) में उल्लिखित जिन पूंजीगत सामानों पर रियायती दर से सीमा शुल्क लगाया जाता है, उनमें से 136 पूंजीगत सामान भी खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) ऊपर बतायी गई शुल्क सूची तथा आयात नीति के अन्तर्गत दी गई रियायतों के अनुसार हमारे इलेक्ट्रानिकी संघटक पुर्जे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी सिद्ध हो सकते हैं। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर प्रतियोगिता कई अन्य कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे कि सामग्रियों की गुणवत्ता, उसकी आपूर्ति, निर्यात के लिए वस्तुओं की उपलब्धता, आदि।

**"आल इण्डिया आदिम सेवक संघ" के लिए आवंटन**

2998. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 से 1982 तक "आल इण्डिया आदिम जाति सेवक संघ" को अनुदान की कुल कितनी धनराशि स्वीकृति हुई है और किस किस शीर्षक के अन्तर्गत इसकी मंजूरी दी गई है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में अलग-अलग संस्थाओं द्वारा खर्च की गई अनुदान की धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1970 से 1982 तक की अवधि के दौरान "आल इण्डिया आदिम जाति सेवक संघ" का प्रबन्ध समिति का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) गृह मन्त्रालय आदिम जाति कल्याण के लिए अखिल भारतीय आदिम जाति सेवक संघ नाम से किसी स्वयंसेवी संगठन को अनुदान नहीं होता है। लेकिन यह मंत्रालय भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली को अनुदान दे रहा है। 1975-76 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान अनुसूचित जनजातियों

के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य शुरू करने के लिए इस संघ को कुल 39.04,971 रुपए की रकम स्वीकृत की गई थी । जिस शीर्षक के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत किया जाता है, वह इस प्रकार हैं—

"मुख्य शीर्ष "288"—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ई० आई० अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण ई० आई० (5) अन्य ई० आई० (5) (9) अनुदान संख्या 52 के अन्तर्गत अन्य मदें—गृह मंत्रालय का अन्य खर्च वर्ष ,982-83 के लिए योजना खर्च ।"

(ख) बताया जाता है कि भिन्न-भिन्न राज्यों में संघ की भिन्न-भिन्न संस्थाओं द्वारा 29,04,971 रु० का पूरा अनुदान खर्च किया जा चुका है।

(ग) भारतीय आदिम जाति सेवक संघ में कोई प्रबन्ध समिति नहीं । परन्तु, संघ को एक कार्यकारी समिति है, जिसमें 20 से अधिक सदस्य नहीं है आशा है कि इनसे कम से कम सात सदस्य आदिम जातियों के हैं ।

**निम्न श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों/सहायकों/आशुलिपिकों के पदों को भरा जाना**

2999. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मन्त्रालय में निम्न श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों/सहायकों/आशुलिपिकों के ग्रेड के कितने स्थायी पद वर्षवार रिक्त पड़े हैं और वे कब से रिक्त हैं ;

(ख) इन स्थायी पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये ; और

(ग) यदि नहीं, तो स्थायी बनाने में देरी के क्या कारण हैं और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/3/82-ऐस्ट (डी) दिनांक 23 जून, 1982 में उल्लिखित अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए कौन उत्तरदायी है ?

(क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । इससे मालूम होगा कि विभिन्न ग्रेडों में बड़ी संख्या में कर्मचारी स्थायी बनाये जा चुके हैं। शेष रिक्त स्थानों पर स्थायी बनाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा रही है ।

विवरण

| क्रम संख्या | ग्रेड | अधिकृत संख्या | स्थायी संख्या (सीमित) | स्थायी बनाने के लिए उपलब्ध पदों की संख्या किए गए | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सहायक | 489 | 426 | — | — | — | 2 | 8 | 9 | 2 | | 21* |
| 2. | उ० श्रे० लि० | 261 | 239 | 1 | — | 221 | 10 | 10 | — | — | | 22 |
| 3. | नि० श्रे० लि० | 607 | 557 | — | — | — | 20 | 30 | — | — | | 50 |
| 4. | आशुलिपिक ग्रेड "क" | 25 | 18 | | — | — | — | 1 | 3 | 3 | | 7 |
| 5. | आशुलिपिक ग्रेड 'ख" | 28 | 17 | — | — | — | — | — | 11 | | | 11 |
| 6. | आशुलिपिक ग्रेड "ग" | 230 | 223 | — | — | — | — | 7 | — | — | | 7 |
| 7. | आशुलिपिक ग्रेड "घ" | 289 | 268 | — | — | — | — | 21 | — | — | | 21 |

*पदोन्नत किए गए व्यक्ति स्थायी बनाने के लिए उपलब्ध।

राज्यों के लिए धनराशि का आवंटन

3000. श्री नीरेन घोष : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन करते समय योजना आयोग किन सिद्धांतों का अनुपालन करता है ;

(ख) पश्चिम बंगाल योजना परियोजनाओं के लिए धनराशि में कटौती करने के क्या कारण, विशेषकर उस समय जबकि वहां इस बार ओवरड्राफ्ट की भी समस्या नहीं है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश को किस आधार पर 150 करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) प्रत्येक राज्य की वार्षिक योजना का आकार राज्य के अपने संसाधनों से अपने अंशदान के अनुमानों के आधार और छठी योजना अवधि के लिए कुल केन्द्रीय सहायता के भीतर, जो राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित मापदंड के अनुसार निर्धारित की गई है, केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) संभवत : यह 1982-83 की तुलना में पश्चिम बंगाल के वर्ष 1983-84 के लिए योजना परिव्यय से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की 1983-84 की वार्षिक योजना को वर्ष 1982-83 के लिए 490 करोड़ रु० के मुकाबले 540 करोड़ रु० पर निर्धारित किया गया है। ऐसा उपलब्ध संसाधनों के अनुमानों के आधार पर और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के बाद किया गया है। 540 करोड़ रु० की सहमत योजना के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए नियमित केन्द्रीय सहायता के अलावा 69.05 करोड़ की अग्रिम योजना सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों सहित उत्तर प्रदेश का वर्ष 1983-84 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय वर्ष 1982-83 में 1202 करोड़ रु० के मुकाबले 1375 करोड़ रु० का है। यह राज्य के अपने संसाधनों के अनुमानों और नियमित केन्द्रीय सहायता के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसमें अग्रिम योजना सहायता का कोई अवयव/भाग नहीं है।

1981 की जनगणना के दौरान गणना करने वाले जनगणना अधिकारियों द्वारा मातृ भाषा लिखे जाने के सम्बन्ध में शिकायतें

3001. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना/गणना अधिकारियों द्वारा बताने वाले व्यक्तियों के अनुसार सही मातृ भाषा रिकार्ड करने से इस आधार पर इन्कार किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सरकार ने 1981 के मतगणना कार्य में उस स्त्री/पुरुष द्वारा बतायी गयी मातृ-भाषा को मान्यता प्रदान नहीं की थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश से अलग-अलग किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) बताने वाले व्यक्तियों के कथनानुसार स्थिति का सही उल्लेख करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में किस प्रकार की कार्यवाही की गई ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है ।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना

3002. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के संविधान में (अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत) केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों पर विचार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करने की व्यवस्था है ;

(ख) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस मामले पर विचार किया था और सीतलवाड अध्ययन दल द्वारा 1967 में इस परिषद की स्थापना की सिफारिश की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या परिषद की स्थापना की गई थी तथा किन तारीखों से इसने कार्य करना शुरू किया और परिषद में कौन-कौन व्यक्ति शामिल हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या निकट भविष्य में इस परिषद की स्थापना की जाएगी तथा किस तारीख तक इसका गठन किए जाने की संभावना है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी हां श्रीमान।

(ख) जी, हां, श्रीमान।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा शामिल किए गए मामलों के संबंध में समन्वय के लिए वर्तमान व्यवस्थाएं सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही है और समय की परीक्षा में भी खरी उतरी है

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

**ग्रेड "सी" में पदोन्नति हेतु "डी" के आशुलिपिकों का अतिक्रमण**

3003. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने गृह मंत्रालय की 1974 तक की प्रवर सूची के ग्रेड "डी" के आशुलिपिकों का अतिक्रमण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) प्रभावित कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों की सुरक्षा के लिए क्या रक्षोपाय किए गए हैं ;

(घ) क्या कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ने चुककर्ता संवर्ग प्राधिकारियों के कहने पर ग्रेड "डी" के आशुलिपिकों का अतिक्रमण करते हुए 1974 तक की प्रवर-सूची के ग्रेड "डी" के उन आशुलिपिकों का पैनल तैयार किया है जो ग्रेड "सी" में पदोन्नति के पात्र हैं ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग चूककर्ता प्राधिकारियों से जहां ग्रेड "सी" में आशुलिपिकों की रिक्तियां विद्यमान हैं, अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने में असफल रहा है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने फरवरी 1982 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के समूह "घ" से समूह "ग" में पदोन्नति के क्षेत्र निर्धारित किए थे। समूह "घ" के आशुलिपिकों की वर्ष 1974 तक की प्रवर-सूची के सभी पात्र उम्मीदवारों को उस सेवा के समूह "घ" से समूह "ग" में लम्बी अवधि की रिक्तियों पर अस्थायी पदोन्नति के लिए

क्षेत्र में शामिल किया गया था। विभिन्न मंत्रालयों के लिए यह भी आवश्यक था कि वे समूह "घ" के जिन पात्र आशुलिपिकों को अपने संवर्गों में पदोन्नत नहीं कर सके थे, उनके नाम इस विभाग को सूचित करें और यदि अधिसूचित क्षेत्र के भीतर आने वाले व्यक्ति मंत्रालय में उपलब्ध न हों तो ऐसी रिक्तियां भी अधिसूचित करें। तदनुसार विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर एक केन्द्रीयकृत पैनल तैयार कर गया है और इस विभाग में जब भी रिक्तियां अधिसूचित होती हैं उस पैनल में से समूह "घ" के लिए आशुलिपिकों को नामांकित किया जाता है।

**भाषावार और कर्मवार जन संख्या का ब्यौरा**

3004. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महा पंजीयक, जनगणना कार्य द्वारा 1981 की जनगणना में देश का और प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का भाषा/मातृभाषा-वार और धर्म-वार जनसंख्या दर्शाने वाला ब्यौरा तैयार कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में प्रत्येक धर्म और प्रत्येक भाषा/मातृ-भाषा का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार का ब्यौरा किस तारीख तक उपलब्ध हो सकेगा और इसमें देरी होने में क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1981 की जनगणना में परिगणित भाषा/मातृभाषा-वार और धर्मवार जनसंख्या के ब्यौरे 1985 के प्रारम्भ तक उपलब्ध होने की संभावना है।

अनुसूचियां तैयार करने के लिए कार्यालय स्थापित करने के लिए उचित स्थान उपलब्ध न होने कुछ कार्यालयों में हड़ताल होने और औद्योगिक प्रक्रिया के लिए आंकड़े प्रविष्टि हेतु डायरेक्ट डाटा एन्टो सिस्टम की उपलब्धता में विलम्ब के आलावा अधिक अनुसूचियों पर कार्रवाई करने में विलम्ब हुआ।

**1980-81 से 1982-83 के दौरान स्थापित किए गए सीमेंट संयंत्र**

3005. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों (1980-81, 1981-82, और 1982-83 अब तक) के दौरान कितने लघु मझौले तथा बड़े सीमेंट संयंत्र स्थापित किए गए ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सीमेंट की कितनी अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन हुआ ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : (क)

| वर्ष | चालू मिनी सोमेंट संयंत्रों की संख्या | चालू अन्य सीमेंट संयंत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1980-81 | कोई नहीं | 5 |
| 1981-82 | 2 | 3 |
| 1982-83 इसी तारीख तक | 2 | 6 |

| (ख) वर्ष | सीमेंट का उत्पादन मिलियन (दस लाख) मी० टन में |
|---|---|
| 1980-81 | 18.56 |
| 1981-82 | 21.06 |
| 1982-83 | 23.00 (अनुमानित) |

**असम में चुनाव के लिए कर्मचारियों को भेजा जाना**

3006. **श्री टी० आर० शमन्ना :**
**श्री रशीद मसूद :**
**श्री के० ए० राजन :**
**श्री बी० डी० सिंह :**
**श्री कुंवर राम :**
**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**
**श्री राम विलास पासवान :**
**श्री चित्त महाटा :**
**श्री सनत कुमार मण्डल :**
**श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में 1983 में चुनाव कार्य के लिए कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी तथा राज्य सरकारी कर्मचारी (राज्य-वार) भेजे गए ;

(ख) कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ने असम में चुनाव ड्यूटी देने से इन्कार किया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) असम चुनाव कार्य के लिए नियुक्त किए गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को किस प्रकार का प्रोत्साहन, यदि कोई दिया गया है ; और

(घ) इस संबंध में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) चूंकि केन्द्र सरकार के 30 मंत्रालयों/विभागों के लगभग 5000 से अधिक अधिकारियों को असम में चुनाव कार्य पर जाना था, अतः विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सूची यदि कोई हो, बताना सम्भव नहीं है जिन्होंने उन्हें सौंपे गए कार्य का कर इन्कार कर दिया था। तथापि मंत्रालयों/विभागों को उन अधिकारियों यदि कोई हो, के स्पष्टीकरण मांगने के लिए कहा गया है, जिन्होंने, उन्हें सौंपे गए कार्य को करने से इन्कार कर दिया था और उनके द्वारा किए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामलों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

(ग) असम में चुनाव कार्यों पर भेजे गए सभी केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों को एकमुश्त मानदेय के रूप में एक महीने की कुल परिलब्धियां (अर्थात् वेतन और सभी भत्ते) और 1 1/2 की दर से दैनिक भत्ता स्वीकृत किया गया, जो उन्हें दिल्ली से उनके प्रस्थान और मुख्यालय में वापस आने की तारीख तक का मिलेगा।

(घ) चूंकि प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी अधिकारी को दिये जाने वाले मानदेय की राशि उसको प्राप्त कुल परिलब्धियों और असम में उसके ठहरने की अवधि के दौरान उसे ग्राह्य दैनिक भत्ते की दर पर निर्भर करती है, जो अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग है, अतः इस संबंध में किये गये कुल व्यय को बताना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अपने अधिकारियों के सम्बन्ध में भुगतान करना है अतः कोई केन्द्रित सूचना उपलब्ध नहीं है।

**विवरण**

| क्रम संख्या | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | कर्मचारियों की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | केन्द्रीय सरकार | 5094* | * इनमें दिल्ली परिवहन निगम के 250 ड्राइवर शामिल हैं। |

| 1 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 2. बिहार | 1055 | |
| 3. राजस्थान | 152 = | = यह सब ड्राइवर थे। |
| 4. अरुणाचल प्रदेश | 275+ | पि. इनमें 70 ड्राइवर शामिल हैं। |
| 5. मिजोरम | 30 | यह सब ड्राइवर थे। |
| 6. मणिपुर | 25% | % यह सब ड्राइवर थे। |

**नरोरा रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाले आयातित साज-सामान का ब्यौरा**

3007. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरोरा रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाले आयातित साज सामान का ब्यौरा क्या है, उसे किस देश से आयात किया गया तथा उसकी लागत कितनी है ;

(ख) यदि उक्त साज-सामान आयात किया गया था, तो क्या इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय टेंडर आमंत्रित किये गए थे ; और

(ग) यदि हां, तो किस देश की सामग्री चुनी गई और इसके क्या कारण थे ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**केन्द्र के पास तमिलनाडु की अनिर्णीत पड़ी औद्योगिक परियोजनाएं**

3008. **श्री सी० चिन्नास्वामी** :

**श्री एस० टी० के० जक्कायन** : क्या **उद्योग** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ;

(क) केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए अनिर्णीत पड़ी तमिलनाडु की औद्योगिक परियोजनाओं की संख्या तथा ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत प्रदान किए जाने की संभावना है ;

**उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) विभिन्न उद्यमियों से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए प्राप्त 57 औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्र वर्तमान में अनिर्णीत पड़े हुए हैं। यह आवेदन पत्र विचार की प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। सभी औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार निरन्तर प्रयास करती है ।

**"सेवन अप एण्ट्री इन्डियन मार्किट"**

3009. **श्री रत्न सिंह राजदा** : क्या **उद्योग** मंत्री "सेवन अप एंट्री सून" के संबंध में 19 अगस्त, 1982 के "इकनामिक्स टाइम्स" में प्रकाशित रिपोर्ट के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या सेवन अप भारतीय बाजार में आ सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह)** : (क) से (ग) "सेवन अप" का सान्द्रण) (कन्सन्ट्रेट) बनाने के लिए सरकार की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात के लिए आवेदन**

3010. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने की सरकार की क्या नीति है ; और

विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात के लिए स्वीकृति हेतु सरकार के पास विचाराधीन पड़े आवेदनों की संख्या कितनी है ?

**उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) मोटर गाड़ी उद्योग के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी के आयात और क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए सरकार की नीति अनुमति देने की है ।

(ख) मोटर गाड़ी उद्योगों में विदेशी सहयोग के लिए 11 आवेदन पत्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए पड़े हैं ।

**भारत सोवियत संयुक्त आयोजना दल की बैठक**

3011. **श्री जी० नरसिंह रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सोवियत संयुक्त आयोजना दल की बैठक मार्च के प्रथम सप्ताह में होनी निश्चित हुई है ; और

(ख) क्या बड़े उद्योगों के प्रश्न पर चर्चा करने के अतिरिक्त इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों के सुधार पर विचार विमर्श किया जाएगा।

**योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण)** : (क) और (ख) भारत-सोवियत योजना दल की दि० 23 मार्च, 1983 से दि० 30 मार्च, 1983 के दौरान नई दिल्ली में बैठक होगी जिसमें योजना से संबंधित मुख्य कठिनाइयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। जैसा कि आपस में तय किया गया है कि दोनों पक्ष ईंधन-ऊर्जा क्षेत्रक से संबंधित योजना रेल परिवहन के विकास और कुशल उपयोग सिंचाई और जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग और क्षेत्रीय योजना पर विचार-विमर्श करेंगे।

**अमेरिका की जीवाणु युद्ध योजना**

3012. **प्रो० अजित कुमार मेहता** :

**श्री राम लाल राही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक समाचार पत्र (18 जनवरी 1983 का पेट्रियट) को इस खबर की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें अमेरीका द्वारा जीवाणु युद्ध योजना में पांच गुना वृद्धि करने का उल्लेख है ;

(ख) क्या यह सच है कि अमेरिका सरकार की कुछ गतिविधियां/ योजनाएं भारत में केन्द्रित है जैसा कि डेंगू बुखार फैलने के संबंध में हाल के अखबारों की खबरों में उल्लेख किया है ; और

(ग) अपनी सहायता परियोजनाओं आदि के माध्यम से विदेशी सरकारें दी गई सुविधाओं का दुरुपयोग न कर सके यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण के लिए निरन्तर सतर्कता बरत रही है। तोड़फोड़ तथा अन्य ऐसी प्रतिकूल गतिविधियों के प्रयासों को विफल करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाती है।

**संयुक्त उद्यम परियोजना**

3013. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान विदेशी फर्मों के सहयोग से कितनी संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्वीकृत तथा स्थापित की गई और ऐसी विदेशी फर्मों का पूंजीनिवेश कितना है ; और

(ख) उक्त परियोजनाएं कहां स्थापित की गई और इनमें कितने मूल्य के उत्पादों के निर्माण की संभावना है ?

**उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) वर्ष 1982 के दौरान विदेशी सहयोग के 590 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई थी। इसमें से 113 प्रस्तावों में विदेशी कम्पनियों का 6280.57 लाख रु० का वित्तीय सहयोग निहित था। स्वीकृतियों का ब्यौरा भारतीय निवेश बोर्ड द्वारा "मन्थली न्यूज लैटर" के परिशिष्ट में वैज्ञानिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं। उनके क्रियान्वियन के बारे में केन्द्रीय रूप से कोई जानकारी नहीं रखी जाती है यह जिम्मेदारी प्रशासनिक मंत्रालयों की है।

---

## दिनांक 23-2-1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 533 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर)** : (क) केरल सरकार से प्राप्त एक पत्र में केरल में अनुसूचित जातियों की सूची में पुलाया समुदाय को शामिल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। क्योंकि केरल से संबंधित अनुसूचित जातियों की सूची में पुलाया का उल्लेख नहीं है। मंडल आयोग को अपने प्रतिवेदन में अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में पुलाया समुदाय को शामिल किए जाने के विरुद्ध भी विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जबकि इस समुदाय को केरल में पहले ही अनुसूचित जाति माना जाता है।

(ख) और (ग) उक्त सूची के क्रम संख्या 54 पर पुलायान चेरायार के साथ "पुलाया जोड़ने के लिये केरल के संबंध में अनुसूचित जातियों की वर्तमान सूची का उचित रूप से संशोधन किया जाएगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में संशोधनों के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा विधान बनाने की जरूरत है। उपर्युक्त अभ्यावेदन और सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के बारे में बहुत सी अन्य सिफारिशों, प्रस्तावों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर केरल सरकार तथा भारत के महापंजीयक समेत

संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके और सम्बद्ध मानदण्ड के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में उचित रूप से विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों/संघ प्रशासित क्षेत्र प्रशासनों से अभी टिप्पणियां प्रत्याशित हैं और उन्हें नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके मंडल आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

**श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** (कलकत्ता दक्षिणी) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कानून मंत्री और गृह मन्त्री के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने तथ्य मंगवाये हैं। मैं उन पर विचार करूंगा।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैंने एक नोटिस दिया है कि 14 फरवरी के बाद एलेक्शन कमीशन ने जो सरकार को भेंट भेजी उसकी कापी मेरे पास है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे दे दीजियेगा।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैं उसको अथिटी भेंट करके टेबल पर रख सकता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको उसे मुझे देना है।

**श्री के० मायातेवकर** (डिन्डिगल) : क्या आप मुझे अनुमति देंगे।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तान्त में न लिया जाए।

(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे नियमानुसार चलना है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैं दो मामले उठा रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं दोनों के बारे में पढ़कर बताने जा रहा हूं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : एक तो मैं लेट रखना चाहता हूं आप कह रहे हैं कि आप उसे पहले देख लेंगे मैं उसकी कापी आपके पास भेज दूंगा।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : किसी व्यक्तिगत सदस्य को तब तक सभा पटल पर कोई पत्र रखने का अधिकार नहीं जब तक उसे अध्यक्ष द्वारा ऐसे करने की अनुमति न दी जाये। प्रमाणीकरण की बात तो तब पैदा होती है जब उसे सभा पटल पर पत्र रखने की अनुमति दी जाये। मुझे उसका सत्यापन करना है और केवल तब आप ऐसा कर सकते हैं। आपको नियमों के अनुसार चलना होगा।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैंने दो मामले उठाए हैं। जो नोट है उसकी कापी मैं आपके पास भेज दूंगा। यह नोट मेरे पास है।

दूसरा जो विशेषाधिकार का मामला है, वह इससे अलग है। नोट तो मैं सभा पटल पर रख दूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं दोनों पर अलाहदा ऐक्शन ले रहा हू, एक साथ नहीं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : प्रिवलेज मांगन तो पहले आना होगा।

**अध्यक्ष महोदय** : बिना फैक्ट्स मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उस पर विचार कर लिया है। मैंने उस पर कार्यवाही कर ली है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे आप द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चलना होता है। मैंने उनको पालन किया है आपका नोट मिलने पर तत्काल कार्यवाही की है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : सरकार टैक्निकैलिटीज में मामले को न उलझाए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपकी बात सुनूंगा, उनकी बात भी सुनूंगा। दोनों को सुनूंगा।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : कब सुनेंगे ? मुझे तो सुन लीजिए।

(व्यवधान)

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : मैं प्रक्रिया के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। आप जो कुछ घोषित कर रहे हैं हम उस पर चलेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो केवल नियम उद्धृत कर रहा हूं जो आपने मुझे दिए हैं।

**प्रो मधु दण्डवते** : मैं उसी का उल्लेख में कर रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि कई बार आपको टिप्पणियों को गलत समझ लिया जाता है। मैं हमेशा आपके निर्णय को स्वीकार करता हूं ।

उन्होंने सभा पटल पर एक पत्र रखने की मांग की है। कल मैंने भी मांग की थी कि मैं सभा पटल पर एक विशेष दस्तावेज रखना चाहता हूं। वह सरकार का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था और मैं उसे सभा पटल पर रखना चाहता था। आपने कुछ टिप्पणियां की। यदि आप शांति से मेरी बात सुनें तो सदन को पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं।

उसके परिणामस्वरूप मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव और दस्तावेज का सभा पटल पर रखा जाना अभी तक आपके विचाराधीन है परन्तु आज सभी समाचार पत्रों में छपा है कि आपने उसे रद्द कर दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि वे गलती करें तो मैं क्या कर सकता हूं ? वे इसे ठीक कर देंगे।

**प्रो मधु दण्डवते** : नहीं। यह इस कारण हुआ कि आपने मामले को स्पष्ट नहीं किया।

**अध्यक्ष महोदय** : आप यह आपत्ति नहीं उठा सकते। यह बहुत ही स्पष्ट है। मैंने स्पष्ट वक्तव्य दिया था। वह रिकार्ड में है। मेरे विचार से समाचार पत्र अपनी गलती को सुधारने में झिझकते नहीं। यहां पर बैठे हुए संवाददाता भी तो मानव हैं।

**प्रो सत्यसाधन चक्रवर्ती** : मैंने आपको लिखा है···

**अध्यक्ष महोदय** : आपने वह दे दिया है।

(व्यवधान)

**श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : आंध्र प्रदेश में गोली चलने की घटना हुई है और उसमें कुछ व्यक्ति मारे गए हैं। यह बात वहां हर तम्बाकू की कीमत को लेकर हुई। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : हम कल उसकी अनुमति दे चुके हैं। मैं अब उसकी अनुमति नहीं दे सकता। आप फिर से उसे बढ़ाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : आप कालिंग एटेंशन तो दे ही सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : किस पर ?

**श्री रामतार शास्त्री** : तम्बाकू की कीमतों के गिरने के बारे में।

**अध्यक्ष महोदय** : हो जाएगा। वह विचाराधीन है।

**श्री रामावतार शास्त्री** : एडजार्नमेंट मोशज न दीजिए, तो कालिंग एटेंशन तो दीजिए।

**(व्यवधान)**

**श्री सी० टी० दंडपाणि** (पोल्लाची) : आपने समाचार पत्रों में मद्रास में पानी की सप्लाई के बारे में अवश्य पढ़ा होगा **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : वह राज्य का विषय है;

**श्री सी० टी० दंडपाणि** : आप कहते हैं कि वह राज्य का विषय है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने एक आदमी को एलाउ किया है। जब आपकी बात. . .

यदि प्रो० चक्रवर्ती जैसे पढ़े लिखे लोग दूसरे की बात नहीं सुन सकते हो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब अन्य सदस्य बोल रहे हैं तो वे व्यवधान पैदा कर रहे हैं। मैंने उनको अनुमति दी है। क्या यह आपको शोभा देता है।

**प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती** : महोदय, क्या आपने मेरी बात सुनी है ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपकी बात सुनी ली है।

**प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती** : (इस प्रकार) आपने तो मुझे वाक्य भी पूरा नहीं करने दिया।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आपकी शिकायत क्या है।

**प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती** : आप मुझे अपना अनुरोध कर लेने दें।

**अध्यक्ष महोदय** : किसी अनुरोध की अनुमति नहीं है। यह अनुरोध करने का प्रश्न नहीं है। मेरे विचार से यह उचित नहीं हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

**(व्यवधान)**

**श्री सी० टी० दंडपाणि** : महोदय, यह देखना आपका कर्त्तव्य है कि. . .

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अपना कर्त्तव्य कर रहा हूं ।

**(व्यवधान)**

**श्री सी० टी० दंडपाणि** : क्या केन्द्र सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि इस विषय में हस्तक्षेप करे और राज्य सरकार को आदेश दे कि तमिलनाडु की जनता के लिये तुरन्त पेयजल की व्यवस्था की जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

**(व्यवधान)**

**श्री सी० टी० दंडपाणि** : महोदय, पानी 2 रु० प्रति बाल्टी की दर पर बिक्री कर रहा है ।

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नहीं है ।

**(व्यवधान)**

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय पानी की अनुमति नहीं है ?

**(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक बात कहता हूं कि यहां पर रोज एक चक्कर चलता है।

**(व्यवधान)**

**श्री के० मायातेवर** : तमिलनाडु के लोग पानी के बिना मर रहे हैं । तमिलनाडु सरकार में संकट पैदा हो गया है ।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं । वहां पर निर्वाचित विधान सभा है । वहां पर निर्वाचित विधान सभा में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और मामला वहां पर उठाया जा सकता है । हम उस पर विचार नहीं कर सकते । कुछ दिन पूर्व हमने सामान्य हित में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा और आपके दल के सदस्यों ने कहा कि उसके लिये अनुमति वापस दी जाये और मैंने वापस ले ली ।

**(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रो० चक्रवर्ती, आप जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं परन्तु वह नियमों के अनुसार होना चाहिये।

**प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती :** मुझे दुःख है कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपको मेरी बात सुननी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** आप चिल्ला किस प्रकार सकते हैं।

**श्री सत्य साधन चक्रवर्ती :** मैं जो कुछ भी कहूं आपको उसे सुनना होगा।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं मैं नहीं सुन सकता। किस नियम के अनुसार मुझे आपकी बात सुननी होगी। कृपा करके वह नियम बतायें।

**प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती :** मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

**अध्यक्ष महोदय :** उसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

**श्री सी० टी० दंडपाणि :** अनेक अवसरों सभा ने राज्य के विषयों पर विचार किया है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं अनुमति नहीं दे सकता। यह मेरी शक्ति में नहीं है।

**श्री सी० टी० दंडपाणि :** आपको इसकी अनुमति देनी चाहिए।

(व्यवधान)

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** सारे नगर में पानी नहीं हैं। लोगों को मद्रास नगर से हटाना होगा। केन्द्र सरकार के कार्यालय भी वहां पर स्थिति हैं। अतः मद्रास में पानी की समस्या पर चर्चा करना संसद का उत्तरदायित्व है।

**श्री सी० टी० दंडपाणि :** केन्द्र द्वारा बजट में उपलब्ध किया गया है। संसद को इस मामले पर चर्चा करने का अधिकार है।

**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न पर यहां पर चर्चा नहीं हो सकती। मैं अनुमति नहीं दे सकता यह इतनी सीधी बात है। यह मेरे अधिकार से बाहर है। मैं ऐसा नहीं कर सकता मुझे उन लोगों के साथ पूरी सहानुभूति है जिनके पास पानी नहीं हैं। परन्तु मैं यहां पर इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह मेरी शक्ति में नहीं है. . .

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)*

आप को ऐसा करने की आजादी है। मैं आपको ऐसा करने से नहीं रोकता।

कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने उनको अनुमति नहीं दी है। बहुत हो गया है।

(व्यवधान)

**श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री** (सैदपुर) : अब हम लोगों को एलाउ कीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : ये लोग बैठें, तब देखूं।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : इन को आप ने सुन लिया है, हम को नहीं सुना है।

**अध्यक्ष महोदय** : इन को भी नहीं सुना है।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : कल की तरह से हो रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : ये बैठें सुनूंगा।

**श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री** : उत्तर प्रदेश में तथा अनेक स्थानों पर मिट्टी के तेल का बड़ा अभाव हो गया है। छात्रों की परीक्षायें चल रही हैं। 7-8 रुपए बोतल मे भी गांवों में मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। लाखों छात्रों का भविष्य संकट में पड़ गया है. . .

**अध्यक्ष महोदय** : कल भी बात हुई थी—कैरोसीन, टबैको के मुताल्लिक कल बात हुई थी, चावल के मुतालिक भी कल बात हुई थी, मैंने कल भी निवेदन किया था कि बारी-बारी से आने दीजिये।

(व्यवधान)*

आप सुनना नहीं चाहते हैं।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : मार्च का महीना है, परीक्षायें हो रही हैं, इस को सबसे से पहले लेना चाहिये।

**श्री सी० टी० दंडपाणि** : मिट्टी के तेल और तम्बाकू से पानी अधिक महत्वपूर्ण है. . .

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिया जायेगा।

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री सी० टी० दंडपाणि** : मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं क्या आप उनको निर्देश देंगे कि मद्रास में पानी सम्बन्ध समस्या पर विचार करें।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे आप लिखित में यह भेजें और मैं उनको यह भेज दूंगा।

**श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री** : मिट्टी के तेल की दोहरी प्राइस नीति के बारे में आप क्या निर्णय कर रहे हैं?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं क्या करूं। सुन सकता तो आप की बात समझ में आ सकती थी।

**श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री** : हम लोग सुनना चाहते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप सुनते नहीं हैं, मैं क्या कर सकता हूं। जब तक हाजमा दुरुस्त नहीं होता, तब तक आप नहीं बैठेंगे। यह रोजाना का चूर्ण हो गया है। इस चूर्ण की आवश्यकता नहीं है, रोटी वैसे ही हज्म हो जाती है। मैंने अर्ज किया था—टबैको का डिस्कशन आ रहा है, कैरोसीन का आ रहा है. . .(**व्यवधान**). . .आप बड़े उतावले हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : अब चावल नहीं है, वह भी जरूरी था। कल आप ने देखा, क्या हो रहा था हाउस में।. . .(**व्यवधान**). . . बैठते नहीं हैं, नीचे कील तो नहीं लगी है। आप बैठो, बहुत गद्दा है नीचे।. . . (**व्यवधान**). . .

**श्री सी० टी० दंडपाणि** : तम्बाकू ऐसी वस्तु नहीं है जिसका उपयोग सभी द्वारा किया जाता हो।

**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु यह विषय केन्द्र सरकार के अधीन है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं। यदि आप का बिल केन्द्र सरकार के अधीन होता तो मैंने पानी के लिए पहले अनुमति दी होती। मुझे ऐसा करने में कोई हिचक न होती। आप यह बात समझते क्यों नहीं?

**श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : आपने मुझे किस आधार पर अनुमति नहीं दी है। मैंने तम्बाकू के गिरते मूल्यों पर सूचना दी थी और आपने अनुमति नहीं दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रो० आप इसे नहीं समझ सकते। मैंने जो कुछ कहा था वह स्थगन प्रस्ताव के लिए था। यह नहीं था कि विषय को उठाने की अनुमति नहीं। आप समझते क्यों नहीं? आप चिल्लाते है इसी कारण समझते नहीं हैं। आपको धैर्य रखना चाहिये।

**प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती** : परन्तु आपको मेरी बात सुननी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभी की बात सुनता हूं । अब आप दोनों चिल्ला रहे हैं । आप मुझे नहीं सुनते । मै क्या कहूं ?

**प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती** : मैं हमेशा आपका आदेश मानता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप हमेशा मेरा आदेश मानते हैं तो मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा परन्तु आप चिल्लाते हैं । आपकी आवाज ऐसी है कि आप चिल्लायें न तो भी मैं आपकी बात सुन लूंगा । आपको तो लाउड-स्पीकर की भी आवश्यकता नहीं है ।

**प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती** : मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपने चर्चा की अनुमति नहीं दी ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उस चर्चा की अनुमति देने वाला हूं । शांत रहें और धैर्य रखें ।

**राम विलास पासवान (हाजीपुर)** : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप सुनते नहीं । आपके साथ यह परेशानी है ;

**श्री नीरेन घोष (दमदम)** : मैं यह बताना चाहता था कि दिल्ली, गाजियाबाद और अहमदाबाद में 10 हजार मजदूरों के मरने का समाचार है ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे प्रस्ताव दें । इस प्रकार से नहीं ।

**श्री राम विलास पासवान** : अब तो रिकार्ड पर जा रहा है ।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या ?

**श्री राम विलास पासवान** : सब से पहली बात तो मैं यह कहूंगा और आप से आग्रह करूंगा कि उस दिन जब इस सदन में यह मामला उठा था...

**अध्यक्ष महोदय** : किस का ?

**श्री राम विलास पासवान** : तो हम लोगों ने होम मिनिस्टर और ला मिनिस्टर को चैलेंज किया था । आप को याद होगा. . .

**अध्यक्ष महोदय** : कौन से मसले की आप बात कर रहे हैं । मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन से मसले की आप बात कर रहे हैं ।

**श्री राम विलास पासवान** : जब दो मेम्बरों के बीच में मामला हो, तो मिनिस्टर भी मेम्बर हैं और वाजपेयी जी भी मेम्बर हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब क्या रह गया है उस में ।

**श्री राम विलास पासवान** : वाजपेयी जी एक बात कहते हैं. . .

**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने फैसला कर दिया है ।

इसे पुनः नहीं उठाया जाना है । मैंने पहले ही कह दिया है और मैं तथ्यों के अनुसार निर्णय लूंगा । आप बेकार में समय नष्ट कर रहे हैं ।

**श्री राम विलास पासवान** : इस में जल्दी की आवश्यकता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे अपने तरीके हैं । इसकी अनुमति नहीं है ।

**श्री राम विलास पासवान** : या तो वाजपेयी जी सदन को गुमराह कर रहे हैं, या मिनिस्टर साहब सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप को यह कहते हुए शोभा नहीं देता है ।

यह आदमी क्या रहा है । मैं नहीं जानता ? आप एक सम्माननीय व्यक्ति हैं । मैंने सदन में केवल यह कहा था कि यह मेरे विचारधीन है । मैं तथ्य प्राप्त कर रहा हूं ।

**श्री राम विलास पासवान** : तीन महीने बाद आप अपना निर्णय देंगे ।

**अध्यक्ष महोदय** : जो समय इसमें लगे, मेरे पास आपके द्वारा ही उपलब्ध कराये गए संसोधन हैं । आपने तंत्र बनाया है, मैं इसका ही उपयोग करूंगा ।

**श्री राम विलास पासवान** : यह बड़ा सीरियस मेटर है, इस को जल्दी कर दीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने एक मिनट भी नहीं गंवाया आप एक घंटे की बात कह रहे हैं । जिस समय भी इन्होंने वह मुझे किया, मैंने उसे तथ्य प्राप्त कराने के लिए उसी समय अग्रेषित कर दिया ।

**श्री राम विलास पासवान** : इस को जल्दी कर दीजिए, सर ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह अच्छी बात नहीं होता है । कोई और बात होती, तो मैं देख लेता । आप कैसे कह सकते हैं ?

**श्री राम विलास पासवान** : यह सीरियस मेटर है ।

. . .(**व्यवधान**). . .x

xकार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**अध्यक्ष महोदय** : न मैं इन को कह सकता हूं और न उन को कह सकता हूं ।

जो कुछ भी इन्होने कहा है वह रिकार्ड नहीं किया जा सकता ।

आप का यह गलत काम है । मैं आपसे सहमत नहीं हूं ।

इस को पहले ही कर दिया था ।

इस पर पहले ही निर्णय ले लिया गया था । जो कुछ भी आपने सदन में उठाया, मैंने अपने अनुदेश दे दिए । यह संगत नहीं है ।

**श्री राम विलास पासवान** : इस को एक्सपन्ज तो नहीं किया है ?

**अध्यक्ष महोदय** : कर दूं, है तो यह इर्रेलेवेन्ट ।

**श्री राम विलास पासवान** : फिर नोटिस भिजवा दीजिए, अगर एक्सपंज किया तो ।

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपूर) : आप ने कल कहा था मिट्टी के तेल के बारे में ।

**अध्यक्ष महोदय** : फिर वही बात । एक दिन ही तो हुआ है ।

**श्री हरिकेश बहादुर** : आज के लिए कहा था ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कभी आज के लिए नहीं कहा था । एक दिन में एक ही आ सकता है । यह भी उतना ही इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है । कल आप भी उनके साथ खड़े थे कल नाडार साहब के साथ खड़े थे और कह रहे थे कि चावल चाहिए । मैं कब कह रहा हूं कि नहीं करवा रहा हूं ।

कहने का फायदा क्या है, मेरी समझ में नहीं आता । उन्हें इसमें क्या लाभ प्राप्त होता है । यह गैर जिम्मेदारी की हद है ।

**(व्यवधान)**

**श्री हरिकेश बहादुर** : कभी कभी दो भी होता है । पुराने जमाने में (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : पुराने जमाने में लोग वगैर भी रहते थे ।

**श्री कृष्ण चन्द हाल्दर** (दुर्गापुर) : दिल्ली , में आग से 400 झुग्गी—झोंपड़ियां जल कर बर्बाद हो गई । (**व्यवधान**) मैं माननीय मंत्री से एक व्यक्तव्य की मांग करता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : हो गया वह, मैं देख लूंगा ।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : अब खत्म हो गया है। आप तो बुजुर्ग हैं, काहे को कर रहे हैं । प्लीज सिट डाउन ।

**श्री जगपाल सिंह** (हरिद्वार) : मैंने कल अपने जनपद की दो शूगर फैक्ट्रियों का मामला उठाया था. . .(**व्यवधान**). . .जो कि बंद होने जा रही हैं (**व्यवधान**) इनके बारे में टेलीविजन की अंग्रेजी और हिन्द न्यूज में मेरे जनपद का मामला न बता कर उत्तर प्रदेश के किसानों का मामला बताया गया

(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : आप लिख कर दो, मैं उनको भेज दूंगा ।

(**व्यवधान**)

**श्री हरीश कुमार गंगवार** (पीलीभीत) : मेरा टेलीफोन बहुत दिनों से खराब है. . . (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो कतरा–ए खूं भी न निकला ।

अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र । श्री नारायण दत्त तिवारी ।

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

**उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं स्कूटर्स इण्डिया लि०, लखनऊ तथा हिन्दुस्तान पेपर निगम लि० नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण**

**उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दो पहिये वाले वाहन (पुनर्विक्रय पर प्रतिबंध) संशोधन) आदेश, 1982, जो 10 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 793(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) का० आ० 845(अ) जो 9 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वाणिज्यिक वाहन (पुनर्विक्रय पर प्रतिबंध) आदेश, 1981 का निरसन किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 6051/83]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(क) (एक) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड लखनऊ, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 6052/83]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त मद (2) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 6053/83]

**उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें, मैसर्स नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लि०, कलकत्ता, मैसर्स मोटर एंड मशीनरी मैन्यूफैक्चर्स लि० कलकत्ता मैसर्स ग्लूकोनेट लि० कलकत्ता के प्रबंध ग्रहण की अवधि बढ़ाने के संबंध में पत्र और नारियल जटा बोर्ड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा**

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्णा)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल

पर रखता हूं—

(4) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का० आ० 834(अ), जो 26 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स कार्टर पूलर एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 866(अ), जो 31 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 867(अ), जो 31 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबंध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(चार) का० आ० 28(अ, जो 19 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स प्रियलक्ष्मी मिल्स बड़ौदा के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में हैं।

(पांच) का० आ० 833(अ), जो 24 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 6054/83]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का० आ० 857(अ), जो 22 दिसम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 8(अ), जो 7 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 27(अ), जो 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स ग्लूकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 6055/83]

(3) (एक) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड के कार्यकलापों और नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण पर 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल जटा बोर्ड के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6056/83]

**श्री हरीश कुमार गंगवार** (पीलीभीत) : मेरा टेलिफोन ठीक काम नहीं करता। आपका टेलिफोन ठीक हो तो मैं बदलवा लूं ?

**अध्यक्ष महोदय** : बदलवा लो। मेरा ले जाओ, तीनों ले जाओ। हम एक ही बिरादरी में हैं, अलहिदा अलहिदा थोड़े ही हैं।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं वास्तव में प्रसन्न हूं कि आपने मुझे यह मामला उठाने की अनुमति दी। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। जो भी मंत्री जी ने किया है वह यह है कि वह प्रबंध-ग्रहण अवधि को बढ़ा रहे हैं, और मुझे नहीं मालूम कि प्रबन्ध ग्रहण की अवधि क्या है। लेकिन इनमें से बहुत से संस्थानों के संबंध में समस्या, जैसा कि मंत्री जी जानते हैं, राष्ट्रीयकरण की है। राष्ट्रीयकरण की अनुपस्थिति में, इन कम्पनियों को बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा है। उनके भविष्य के बारे में अनिश्चितता है। अतः, मैं इसके प्रभावों के बारे में नहीं जानता। राष्ट्रीयकरण के बजाए मंत्री जी क्या कर रहे हैं ; आप प्रबंध और नियन्त्रण की अवधि क्यों बढ़ा रहे हैं मैं मन्त्री से चाहूंगा कि कम से कम यह बताएं कि वह मैसर्स मीटर एण्ड मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लि०, इन्वेक और नेशनल रबर के राष्ट्रीयकरण के बारे में क्या कदम उठा रहे हैं। यह काफी लंबे समय से ज्वलंत समस्या रही है और मंत्री जी ने स्वयं श्री समर मुखर्जी को आश्वासन दिया है कि इस सत्र में ही, इन संस्थानों के राष्ट्रीयकरण के लिये एक विधेयक लाया

जाएगा । परन्तु वह विधेयक लाने की बजाए, नियन्त्रण की अवधि बढ़ाने के लिये अधिसूचना जारी की गई है । अतः, मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री जी क्या करेंगे, और इन सभी संस्थानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में उनका क्या आश्वासन है ।

**श्री एस० एम० कृष्णा** : अधिसूचना सभा पटल पर रख दी गई है । माननीय सदस्य ने अभी जो कहा है हम उसे ध्यान में रखेंगे ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (यादवपुर) : नहीं, महोदय, आपने आश्वासन दिया था । आप उस आश्वासन को कब पूरा करेंगे ?

**श्री एस० एम० कृष्णा** : यदि कोई आश्वासन दिया गया है ···(**व्यवधान**)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आप समय बताएं ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब समय बताने का कोई प्रश्न नहीं है ।

**रमण अनुसंधान संस्थान, बंगलौर वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा विलंब के कारण बताने वाला विवरण**

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिक्स और सागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) रमण अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) (क) रमण अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 6058/83]

**हिन्दुस्तान जिंक लि०, उदयपुर के 'मूल उद्देश्यों का ज्ञापन' और खनिज खोज निगम लि०, नागपुर का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा**

**इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर, के 'मूल उद्देश्यों के ज्ञापन' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 6058/83]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) खनिज खोज निगम लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) खनिज खोज निगम लिमिटेड, नागपुर, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 6059/83]

**भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा और इन्हें सभापटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1980-81 के लेखाओं के शुद्धिपत्र, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा**

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 6060/83]

(3) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1980-81 के लेखाओं* के शुद्धि-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 6061/83]

*लेखे अप्रैल, 1982 को सभा-पटल पर रखे गये थे ।

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6062/83]

**केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पहला संशोधन), नियम, 1983, सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1982, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (पहला संशोधन) नियम, 1983**

**संसदीय कार्य, खेल और निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : मैं श्री पी० वेंकट सुब्बया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पहला संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 5 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 195 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6063/83]

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 2 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 155 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 6064/83]

(3) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 के अन्तर्गत जारी किए गए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (पहला संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 25 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 163 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 6065/83]

### संघ सरकार के वर्ष 1980-81 के वित्त लेखे

**वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** : मैं संघ सरकार के वर्ष 1980-81 के वित्त लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं—

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6066/83]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

---

## गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

### 55वां प्रतिवेदन

**श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर)** : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति का 55वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### केरल को चावल सप्लाई करने में कथित विफलता

**श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** (त्रिवेन्द्रम) : मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

> "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने हेतु केरल को पर्याप्त मात्रा में चावल सप्लाई करने में केन्द्रीय सरकार की कथित विफलता और इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी करने के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपनी आवश्यकता के बारे में केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक मास सूचित करती हैं। केरल समेत विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं-बाजार उपलब्धता और अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किया जाता है। इनकी प्रत्येक मास समीक्षा की जाती है और तदनुसार आवंटन किए जाते हैं।

वर्ष 1982 के दौरान, केरल की 16.02 लाख मीटरी टन चावल की मांग थी जिसमें से केन्द्रीय पूल से वास्तव में 12.05 लाख मीटरी टन का आवंटन किया गया था। केन्द्रीय पूल से

सप्लाई की गई यह मात्रा केरल में अनाजों के सामान्य कुल वार्षिक उत्पादन के लगभग बराबर है। केन्द्रीय सरकार केरल की आवश्यकताओं और इस तथ्य से कि यह सामान्यतया एक कमी वाला राज्य है, से जागरूक है और इसलिए उनकी मांग को यथा सम्भव अधिकाधिक पूरा करने के लिए अत्यधिक प्रयास किया है केरल को चावल का वर्तमान मासिक आवंटन 95,000 मी० टन और गेहूं का आवंटन 20,000 मी० टन है। अतः केरल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों का कुल आवंटन 1.15 लाख मी० टन प्रतिमास के ऊंचे स्तर पर रखा गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार के अनुरोध पर हमने केरल को हरियाणा और पंजाब जैसे गैर उपभोक्ता अधिशेष राज्यों से 15,000 मीटरी टन लेवी मुक्त चावल खरीदने की अनुमति प्रदान की है।

इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि देश में खाद्यान्नों की कुल वसूली, जोकि 1981-82 की फसल से लगभग 152 लाख मी० टन हुई थी, यद्यपि, एक रिकार्ड वसूली थी, फिर भी कुल उत्पादन का केवल 12 1/2 प्रतिशत थी। कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताएं वसूली द्वारा पूरी की जाती हैं। जहां तक चावल का संबंध है, इसकी वसूली 72 लाख मी० टन हुई थी जोकि कुल उत्पादन का केवल 13.2 प्रतिशत थी। कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को अधिशेष क्षेत्रों में की गई वसूली द्वारा पूरा किया जाता है। यह मानना होगा कि इस प्रकार वसूल किए गए खाद्यानों से देश की जनसंख्या के बड़े भाग की चावल संबधी समूची आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी की गई मात्रा खुले बाजार में उपलब्धता की अनुपूरक होती है।

इन सीमाओं के बावजूद, केवल पश्चिमी बंगाल के अलावा केरल को देश में चावल का दूसरा अधिकतम आवंटन मिल रहा है। केरल को चावल का आवंटन लगभग वही बनाए रखा गया है, यद्यपि वर्तमान वर्ष के दौरान देश में बहुत से अन्य राज्यों में सूखा पड़ने के कारण केन्द्रीय पूल के स्टाक से की जा रही मांग में अत्यधिक वृद्धि हो गई है।

मैं इस सम्बन्ध में इस का उल्लेख करना चाहूंगा कि खाद्य व्यवस्था का प्रबंध तो केन्द्र और राज्य का एक मिला जुला प्रयास होता है। यह केवल राज्य द्वारा की गई मांग और केन्द्र द्वारा की गई सप्लाई का ही प्रश्न नहीं है बल्कि यह तो देश की समूची खाद्य स्थिति के संदर्भ में खाद्यान्न की वसूली करने और सूझ-बूझ के साथ इसका सार्वजनिक वितरण करने का एक समन्वित प्रयास है।

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि हम केरल और अन्य राज्यों की खाद्य स्थिति के प्रति पूर्णतया जागरुक हैं और अपने साधन के अन्दर सभी जरूरतमंद राज्यों को खाद्यान्नों का समान वितरण सुनिश्चत करने के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं।

**श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** (त्रिवेन्द्रम) : जैसा कि मन्त्री जी के वक्तव्य में कहा गया है, चावल और अन्य खाद्यानों के मामले में केरल एक कमी वाला राज्य है। लेकिन आपके

माहयंत्र से मैं मन्त्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि केरल चावल, रबड़, नारियल तथा समुद्री उत्पाद का उत्पादन करता रहा है तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा है और इनके माध्यम से विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता रहा है ।

महोदय खाद्य समस्या कई वर्षों से केरल की एक मुख्य समस्या है । मैं आपके माध्यम से समूची सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सातवें दशक में खाद्य की कमी के कारण राज्य के हिंसक आन्दोलन भी हुआ था और इससे समस्यायें पैदा हो गई थी । सातवें दशक की एक घटना मुझे अभी तक याद है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान, कांग्रेस उस समय सत्तारूढ़ दल था, सदस्यों ने एक बिल्ला लगा रखा था, जिस पर लिखा था, "कृपया केरल को चावल सप्लाई करे ; केरल के लिए हमें चावल चाहिए ।' केरल में खाद्य समस्या की यह पृष्ठभूमि है ।

अख केरल को राज्य के लगभग सभी भागों में सूखे का भी सामना करना पड़ा है । केन्द्रीय सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों तथा केरल के सांसदों द्वारा लाई जा चुकी है । दिनांक 18 जनवरी, 1983 को पैट्रियट ने समाचार दिया था "केरल सूखे की चपेट में ।" इससे पहले भी समाचार आए थे कि केरल में भारी सूखा पड़ने वाला है । इस प्रकार के अनेक समाचार प्रकाशित हुए थे । लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि केन्द्रीय सरकार ने केरल को सूखा ग्रस्त राज्य घोषित नहीं किया है तथा सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केरल को सहायता प्रदान नहीं की है खाद्य की कमी और खाद्य समस्या की स्यिति सूखे के कारण और भी बिगड़ गई है ।

मन्त्री जी के वक्तव्य में, दूसरे पैराग्राफ में यह उल्लेख है ।

> "वर्ष 1982 के दौरान, केरल की 16.02 लाख मीटरी टन चावल की मांग थी, जिसमें से केन्द्रीय पूल से वास्तव में 12.05 लाख मीटरी टन का आवंटन किया गया था ।"

जहां तक मांम का सम्बन्ध है, मन्त्री जी का वक्तव्य तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है । केरल राशनिंग आदेश के अनुसार प्रत्येक बालिग व्यक्ति को 320 ग्राम चावल प्रतिदिन आवंटित किया जाता है और इससे आधी भाग नाबालिग व्यक्ति को प्रतिदिन आवटित की जाती है । केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए दो लाख टन चावल प्रतिमाह केरल को देना है । इसका अर्थ हुआ कि एक वर्ष में 24 लाख टन लेकिन मंत्री जी के वक्तव्य में कहा मया है कि मांग केवल 16.02 लाख टन है । यह सच नहीं है ।

राज्य सरकार ने दो लाख टन प्रतिमाह की मांग की है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इतनी उनकी आवश्यकता थी ।

**श्री ए० नीलोलहियावसन नाडार** : एक महीने में दो लाख टन, अर्थात् एक वर्ष में 24 लाख टन। लेकिन भारत सरकार ने उनकी मांग के अनुसार कमी उन्हें आवंटन नहीं किया । ये केवल 1,35,000 टन प्रति माह आवंटित कर रहे हैं। और दिसम्बर, 1981 में तो इसे घटाकर 90,000 टन कर दिया गया। केरल सरकार विभिन्न राजनीतिक दलों और केरल से सम्बन्धित सांसदों द्वारा बार-बार माग करने के बावजूद केरल को मात्र 5,000 टन मात्रा और आवंटित कर दी गई, जैसा कि मन्त्री जी के वक्तव्य में स्पष्ट किया गया है। मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि चावल की 95,000 टन मात्रा केरल की आवंटित की जा रही है। लेकिन सूखे तथा अन्य कारणों से केरल में स्थिति गम्भीर है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने केरल सरकार पर गत 7-8 महीनों में कई बार चावल के मूल्य बढ़ाने के लिए दबाव डाला है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे पड़ोसी राज्यों द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण खुले बाजार में चावल का आना रुक गया है। (**व्यवधान**)।

**उपाध्यक्ष महोदय** : केवल श्री नाडार के अलावा किसी भी व्यक्ति की बात को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

**श्री ए० नीलालोहियावसन नाडार** : ऐसे गैर सरकारी व्यापारियों को जिनके पास अन्य राज्यों से चावल का आयात करने के वैध परमिट हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के अधिकारियों द्वारा तंग किया जा रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं तथा इन्हें केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाया जा चुका है। इस कारण खुले बाजार में चावल की उपलब्धता की स्थिति और भी गम्भीर हो गई है। इस स्थिति में राशन की दुकानों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में चावल वितरित करने की आवश्यकता है।

राशन की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किए जा रहे चावल की किस्म के बारे में भी गम्भीर शिकायतें हैं। स्थिति को दो पहलुओं से पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। एक पहलु तो यह है कि राशन की दुकानों के माध्यम से सप्लाई करने के लिए केरल को प्रति माह कम से कम 1.35 लाख टन चावल आवंटित किया जाना चाहिए। अर्थात् वास्तविक आवश्यकता के 70 प्रतिशत से कम। चावल की किस्म बेहतर होनी चाहिए, हो सके तो यह उष्ण चावल (बोइल्ड राइस) होना चाहिए केरल सरकार के माध्यम से केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम ने भारत सरकार से आन्ध्र प्रदेश जैसे फालतू भंडार वाले राज्यों से चावल खरीदने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। मन्त्री जी के वक्तव्य में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर केरल को हरियाणा और पंजाब जैसे बहुतायत वाले राज्यों से 15,000 मीटरी टन चावल खरीदने की अनुमति प्रदान की है। लेकिन केरल के लोग आन्ध्र प्रदेश के चावल खाने के आदी हैं। आरोप यह है कि पंजाब और हरियाणा के चावल अच्छी किस्म के नहीं है तथा केरल के लोगों को यह पसन्द नहीं है। इस प्रकार अन्य राज्यों से केवल 15,000 टन चावल खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे यदि संभव हो, केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम को आन्ध्र प्रदेश से समझौता मूल्य पर एक लाख टन चावल खरीदने की अनुमति दें।

फिर वित्तीय समस्या भी है। भारतीय रिजर्व बैंक केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम को आन्तरिक बाजार से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर चावल खरीदने के लिए ऋण सुविधाएं देरहा है। इस प्रतिबन्ध पर केन्द्र सरकार के दबाव पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छूट दी जानी है ताकि राज्य सरकार बहुतायत वाले राज्यों से समझौता मूल्य पर चावल खरीदने में समर्थ हो सके। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें और भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम बाकी राज्यों से समझौता मूल्य पर चावल की खरीद करने हेतु ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सके।

इसी तरह, केन्द्रीय सरकार केरल को माह-वार चावल का आवंटन करती है किन्तु थोक व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को आवंटन सप्ताह-वार होता है। किसी महीने में चार सप्ताह होते हैं और किसी में पांच-पांच सप्ताह वाले महीने के लिए समस्या यह है कि थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता कार्डधारियों को चावल देने में असमर्थ है जैसे कि चार सप्ताह वाले महीने में किया जा रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि भारत सरकार को केरल राज्य को चावल का आवंटन या तो तिमाही आधार पर करना चाहिए और राज्य सरकार को तिमाही के अन्दर वितरण के समायोजन करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए या पांच सप्ताह के महीने में 20 प्रतिशत आवंटन बढ़ाना चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह केवल ध्यानाकर्षण है। मैं समझता आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

**श्री नीलालोहिथादसन नाडार** : मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या भारत सरकार सम्पूर्ण देश की खाद्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र 1.35 लाख टन चावल का आवंटन करने को तैयार है जैसे कि इस आवश्यकता के समय में मांग की जा रही है और क्या भारत सरकार केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम को आन्ध्र प्रदेश से कम से कम एक लाख टन चावल की खरीद की अनुमति देने को तैयार है?

खाद्य स्थिति के बारे में जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, यह गम्भीर समस्याओं में से एक समस्या है और इससे केरल में हिंसक आन्दोलनों का मार्ग प्रशस्त होता है। अब फिर ऐसी ही समस्या है। जब यह सरकार 1980 में सत्ता में आई, केरल में खुले बाजार में चावल का मूल्य 2 रु०—2.25 रु० और 2.50 रु० प्रति कि० ग्रा० था। अब उनके तीन वर्ष सत्ता में रहने के बाद केरल में चावल का मूल्य खुले बाजार में 6 रु० प्रति किलोग्राम हो गया है। यह एक

गम्भीर स्थिति है, हम भारत को एक राष्ट्र के रूप में मानते हैं। जब कभी क्षेत्रीय अथवा संकीर्ण वादी शक्तियां होती हैं, जो हमारे देश की एकता और अखण्डता पर प्रभाव डालती हैं तब सारा सदन और सारा देश एक होकर ऐसी शक्तियों के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। हम इस प्रकार की सभी क्षेत्रीय और प्रान्तीय शक्तियों के विरुद्ध हैं। अतः चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मामले में यह खेद की बात है कि वे चावल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने व ले जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह चावल को लाने ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध और नियंत्रण हटाकर सारे देश में चावल को स्वतन्त्र रूप से लाने ले जाने की अनुमति दे। यह जनता पार्टी की सरकार के दौरान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप खुले बाजार में चावल का मूल्य गिर गया था और खाद्यान्न की बिल्कुल भी कमी नहीं रह गई।

सरकार द्वारा चावल को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर रोक और नियंत्रण लगाने से इसकी कमी पैदा हो गई है। इसलिए आपको समस्त भारत को एक खाद्य जाने के रूप में घोषित करना चाहिए और चावल को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने व ले जाने की अनुमति देनी चाहिए।

**श्री भागवत झा आजाद** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने देश को एक जोन के रूप में लेने के बारे में जो भावनाएं व्यक्त की हैं मैं उसका आदर करता हूं। हम सब इस दृष्टि से इस समस्या पर विचार करते हैं जहां तक केन्द्रिय खाद्य पुल का संबंध है, यह सच है कि हम इस आधार पर काम कर रहे हैं। इस पूल में वह सब आता है जो हमने विभिन्न राज्यों से खरीदा है एक राज्य का पक्ष लेने और दूसरे का पक्ष न लेने का कोई सवाल ही नहीं होता।

दो मूल तथ्य हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है पहले तमिलनाडु में खाद्य की सप्लाई के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था और अब यह केरल के बारे में है मुझे पता है कि श्री चक्रवर्ती बंगाल के बारे में पूछ रहे हैं श्री रामावतार शास्त्री बिहार और श्री पनिका उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं। अतः आप प्रत्येक राज्य राज्य के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत कर सकते हैं, यदि हम चाहें (व्यवधान) मैं चाहता हूं मेरे साथी दो मिनट ध्यान से सुने।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि मैं उनसे कोई चीज नहीं छिपाऊंगा। उनके पास केन्द्रीय खाद्य पूल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का उतना ही अधिकार है जितना मेरे पास मंत्री के रूप में है केन्द्र सरकार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है वह मकानों की छत पर चावल नहीं उगाते। केन्द्रीय पूल में बाकी राज्यों का योगदान आता है इसलिए पहली बात यह है कि केन्द्रीय पूल का आकार बाकी राज्यों की क्षमता और उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वे पूल को कितना योगदान देते हैं। अब कुछ राज्यों ने केन्द्रीय पूल को योगदान देने की इच्छा जाहिर

की है किन्तु पहले यह स्थिति नहीं थी अतः केन्द्रीय पूल बहुतायत वाले राज्यों की खाद्यान्न खरीदकर पूल में देने की क्षमता और इच्छा पर निर्भर करता है।

दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्यों को यह अवश्य याद रखना होगा कि यह खरीद देश के कुल उत्पाद का केवल 12 1/2 प्रतिशत है। 12 1/2 में से मुझे विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकताओं कठिनाइयों और बाजार में उपलब्धता के अनुसार आबंटन करना होता है ?

यदि माननीय सदस्य अपने दिमाग में ये दो बातें रखें तो मुझे आशा है मुझ पर दोष नह लगायेंगे कि किसी राज्य को कोटा आबंटित करने में मुझे कुछ हिचकिचाहट है। ये दो सीमाएं हैं जिनके अंतर्गत केन्द्रीय पूल को कार्य करना होता है।

अतः केन्द्रीय सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह उतना पूर्ण आबंटन कर सके जितना राज्य चाहते हैं।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 12 1/2 प्रतिशत अनुपूरक आवंटन है। 87 1/2 प्रतिशत का बड़ा योगदान खुले बाजार से आता है इसलिए राज्य सरकारों की सभी मांगों को केन्द्रीय पूल से पूरा करना संभव नहीं है अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा है कि केरल को 12.05 लाख टन का आबंटन किया गया।

कृपया हमारी कठिनाई को समझने की कोशिश कीजिए। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने सरकार ने केन्द्रीय पूल से 250 लाख टन की मांग की थी। हमने केन्द्रीय पूल के लिए 150 लाख टन खाद्यान्न खरीदा था। खरीद 100 लाख टन कम थी, यह कम इसलिए नहीं कि हम देना नहीं चाहत हैं, केन्द्रीय पूल की सीमा हमारे रास्ते में आती है। माननीय सदस्य कह सकते हैं—आपके पास ज्यादा क्यों नहीं है ? यदि हम सम्पूर्ण खरीद कर लेते हैं और तब उसे वितरित करते हैं तो क्या यह संभव है ? यह संभव नहीं है।

**श्री के० ए० राजन** (त्रीचूर) : आप थोक व्यापार को हाथ में क्यों नहीं ले लेते ? **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : तथ्य सदन के समक्ष हैं। आप कृपया उनकी बात सुनिए।

**श्री भागवत झा आजाद** : वह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है जिस पर हमने इस सदन में और बाहर कई परस्पर-विरोधी वाद-विवाद उठाए हैं कभी-कभी हमने अंशतः इसका प्रयोग करके देखा है परन्तु हम अभी भी सफल नहीं हुए हैं।

मैं आशा करता हूं कि जब बुद्धिमान सदस्यों के हाथ में नियंत्रण आयेगा तब वे इसका प्रयास करेंगे इस समय हम ऐसा करने में सफल नहीं हुए हैं।

मैं जो कुछ कह रहा हूं वह बिल्कुल सामान्य है केन्द्रीय पूल से पिछले वर्ष या इस वर्ष इस महीने केरल सहित किसी भी राज्य को इतना नहीं दिया जा सकता जितनी कि इन्होंने मांग की है। मांग और आवंटन इस प्रकार हैं :—

(लाख टन में)

| राज्य | मांग | आबंटन |
|---|---|---|
| केरल | 16.20 | 12.05 |
| आंध्र प्रदेश | 6.17 | 4.39 |
| पश्चिम बंगाल | 21.75 | 16.40 |
| मध्य प्रदेश | 9.60 | 2.67 |
| असम | 6.50 | 3.65 |
| बिहार | 6.80 | 3.80 |

इसमें यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय पूल से मांग को पूरा करना संभव नहीं है कुल मांग 250 लाख टन है परन्तु केन्द्रीय पूल के केवल 150 लाख टन उपलब्ध है। 100 लाख टन की मांग को पूरा नहीं किया गया। यह नहीं है हम देना नहीं चाहते और न ही ऐसा है कि हमें हमदर्दी नहीं है और भूख के दर्द को हम महसूस नहीं करते। हम मजबूर हैं—अपनी मजबूरी मैंने सदन में आपके सामने रख दी हैं।

(व्यवधान)

**श्री के० पी० उन्नी कृष्णन** (बदागरा) : आपके पास हमदर्दी तो है परन्तु चावल नहीं है।

**श्री भागवत झा आजाद** : हमारे पास यावल और हमदर्दी है। गलत बात न कहें। मैं आपको 1.10 लाख टन दे रहा हूं। मैंने केरल को 95,000 टन और 15,000 टन दिया है। केरल राज्य को यह दूसरी बार सबसे अधिक आबंटन किया गया है। अतः आप चावल और हमदर्दी कहें केवल हमदर्दी न करे।

माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य सरकार विभिन्न राजनैतिक दल राज्य के संसद सदस्यों ने उस संबंध में अनुरोध किया है यह सच है। केवल केरल राज्य ने ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में सबने मिलकर अनुरोध किया है।

मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि ऐसा नहीं है हम ऐसा नहीं सोचते। परन्तु जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि देश में से की गई 12 1/2 प्रतिशत वसूली में से हमें सूखे, बाढ़ अन्य मुसीबतों सहित सारी व्यवस्था करनी पड़ती है और आज हमने पश्चिम बंगाल और केरल को

उनकी मुसीबतों के कारण सबसे अधिक कोटा दिया है, परन्तु उन्हें यह शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमें शिकायत रहती है कि मांग करते हैं और हमें मिलता नहीं है। प्रत्येक राज्य इस प्रकार की शिकायत करता है।

अत: मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि यह सही नहीं है कि उनके प्रति हमें सहानुभूति नहीं है, और हम उन्हें नहीं दे रहे हैं। जितना हम दे सकते हैं हम अधिकता देते हैं। हम केवल इस बात पर बलदेना चाहते हैं क्योंकि हम दे सकते हैं यह केवल उसका अनुपूरक है हम राज्यों की सारी मांग को पूरा नहीं कर सकते। यह किसी भी हालत में संभव नहीं है और ऐसा किसी भी राज्य में नहीं किया जाता।

अब मुझे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, केरल आदि से अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उन्हें बाजार से एक लाख टन खरीद की अनुमति दी जाए। महोदय मैंने पश्चिम बंगाल को अनुमति दी मैंने तमिलनाडु को अनुमति दी है केन्द्रीय सरकार ने केरल बिहार और अन्य राज्य को अनुमति दो हैं। परन्तु अब प्रश्न यह है कि वे आन्ध्र प्रदेश से खरीद करना चाहते हैं और पंजाब से नहीं खरीदना चाहते क्योंकि उनके स्वाद में फर्क है। यह संभव नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : परन्तु आंध्र प्रदेश, केरल के निकट हैं। यह भी सोचने की बात है।

**श्री भागवत झा आजाद** : पहले तो मैं इस स्वाद के बारे में उत्तर देना चाहता हूं। आप जो भी कुछ खरीदते हैं वह देश के विभिन्न बाजारों से खरीदा जाता है। सरकार यही करती है। हमें विभिन्न राज्यों में फालतू खाद्यान्न की उपलब्धता को भी ध्यान में रखना होता है। मुझे कहां अनुमति देनी है और जहां पर मूल्य में कम से कम वृद्धि होगी। राज्य सरकारों और गैर सरकारी डीलरों द्वारा की जाने वाली खरीद में काफी अन्तर है रिजर्व बैंक प्रत्येक राज्य सरकारों को ऋण देता है। माननीयों द्वारा पूछे गए प्रश्न के संबंध में मेरा अनुरोध है कि यह प्रश्न वित्त मन्त्रालय से पूछे मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। मैं तो केवल यह बता रहा हूं कि जब राज्य सरकारों द्वारा खरीद की जाती है तो क्या होता है चाहे वह पश्चिम बंगाल या बिहार या केरल या महाराष्ट्र हो। वे रेलवे की 'ख' श्रेणी में हैं। वे तुरन्त खाद्यान्न खरीद कर उसे बुक करते हैं। उन्हें रिजर्व बैंक से ऋण मिलता है। अतः वे बड़े पैमाने पर बाजार में खरीद करते हैं। मुझे बाजार स्थिति को ध्यान में रखकर यह निर्णय करना होता है कि मैं उन्हें ऐसी कौन सी मार्किट में खरीदने की अनुमति दूं जिसमें मुझे पर्याप्त मात्रा में भण्डार अतिरिक्त खाद्यान्न प्राप्त हुआ है और जहां इस खरीद से मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी मुझे संबंधित राज्य की इच्छा पर भी ध्यान देना पड़ता है आखिरकार हमें उनके साथ काम करना है वे अतिरिक्त खाद्यान देते हैं जिनमें वे उन राज्यों को खाद्यान्न देते हैं खाद्यान की कमी है अतः इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैं पजाब और हरियाणा से चावल लेने की अनुमति देता हूं। ये तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हैं मैंने सदन से कोई बात नहीं छिपाई है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मन्त्री महोदय मैं एक बात की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। आप सरकार की गैर सरकारी व्यापारियों को अन्य राज्य से खरीद कर अपने राज्यों में बेचने की अनुमति क्यों नहीं देते ?

**श्री भागवत झा आजाद :** सदन से मेरा एक बार फिर अनुरोध है कि वे इस बात को ध्यान में रखें कि हम कुल उत्पादन का केवल 12 1/2 प्रतिशत वसूल कर पाए है। गैर-सरकारी व्यापार का इससे कोई संबंध नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि सरकार ने केवल 12 1/2 प्रतिशत लिया और शेष देश में गैर सरकारों व्यापारियों ने प्राप्त किया है। महोदय किसी को ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो बाजार में मूल्य बढ़ जाएंगे। अतः जब मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मुझे तिमाही दें"तो मैं कहूंगा कि यह संभव नहीं है क्यों ? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं जिसके सीमित भन्डार हैं। अतः प्रत्येक महीने में वे बाजार में खाद्यान की उपलब्धता मूल्य और केन्द्रीय की स्थिति को देखते हैं मैं इस संबंध में पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं कि केन्द्रीय मूल पूल किस प्रकार अधिक खरीद कर रहा है और क्या इस खरीद में कमी हो रही है,

देश में सूखा पड़ा है। देश में चावल उत्पादन को नुकसान पहुंच सकता है। फिर भी हम इसकी व्यवस्था करने के प्रयास करेंगे। परन्तु आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए की इस वर्ष देश के बहुत से भागों में भयंकर सूखा पड़ा है पिछले वर्ष केवल एक राज्य सूखे से प्रभावित हुआ था इस राज्य को हमने उदारता से खाद्यान्न दिया इस वर्ष मुझे पूरे देश को ध्यान में रखना है और सभी 12 महीनों को मुझे ध्यान में रखना है आबंटन से पहले प्रत्येक महीने में मुझे इस बात पर ध्यान देना पड़ता है कि मेरे पास कितना है राज्य की मांग क्या है आदि आदि। तः ये मुश्किलें हमारे सामने हैं।

हम केरल को जितना भी संभव है अधिकतम दे रहे हैं जो कि 95,000 टन चावल तथा 20,000 टन गेहूं है। सार्वजनिक वितरण के लिए हमें अधिक से अधिक इतना ही दे सकते हैं। सभी राज्य सरकारों को भी अपनी ओर से कुछ खाद्यान की व्यवस्था करनी पड़ती है इसके लिए मैंने केरल को खुले बाजार से खरीदने की अनुमति दी है।

विभिन्न राज्यों से आबंटन के लिए की गई किसी भी मांग पर मुझे इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करना पड़ता है।

**श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार :** मेरे मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। कृपया एक राज्य से दूसरे राज्य में चावल लाने-ले जाने की अनुमति प्रदान करें।

**श्री भागवत झा आजाद :** प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। वह उत्तर यह है कि आमतौर पर इसके लाने-ले जाने में मैंने कोई रुकावट नहीं डाली है।

लेकिन प्रश्न यह है कि समूचे देश के लिए चावल का कुल उत्पादन उतना ही है जितमें कि

राज्य सरकारें खरीदती हैं और हमें देती है जिसमें से कुछ मात्रा गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा खरीदी जाती है और उनकी जांच पड़ताल की जाती है इसलिए देश में इसकी आवाजाही पर औपचारिक जैसा अथवा अन्य किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने कहा इसके कारण राज्य सरकार को केन्द्रीय पूल में अंशदान करना होता है और उन्हें अपनी अन्य बातों का ध्यान भी रखना होता है । मैंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है ।

**श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या आप सम्पूर्ण देश में निर्बाध आवाजाही की घोषणा करने के लिए तैयार हैं ?

**श्री भागवत झा आजाद** : इसमें घोषणा करने जैसा कुछ नहीं है यह पहले से फिर घोषणा क्यों ? मैं कह रहा हूं, हां, मैंने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है ।

**श्री ए० के० बालन** (ओट्टापालम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव···

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसी कारण से अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति दी है ।

**श्री ए० के० बालन**(ओट्टापालम) : सबन्धित मंत्री महोदय के उत्तर से बात समझ में नहीं आती । मुख्य समस्या यह है कि केरल की राज्य सरकार केरल में उत्पन्न हो रही परेशानी की स्थिति थी वास्तविक स्थिति के बारे में केन्द्र सरकार को सहमत करा सकने में असमर्थ हैं । हमारे मुख्य मंत्री की करुणाकरण को हाथी, मन्दिर आदि जैसी कुछ अन्य बातों के बारे में अधिक चिन्ता है । लोगों की समस्याओं के बारे में वह बिल्कुल ही चिन्तित नहीं है । यह मुख्य समस्या है ।

मैं केरल के मुख्य मंत्री श्री करुणाकरन द्वारा लिखा गया 2 दिसम्बर 1982 का पत्र पढ़ रहा हूं ।

**एक माननीय सदस्य** : एक प्रेम पत्र ।

**श्री ए० के० बालन** : प्रेम पत्र नहीं । यह एक पत्र है जिसमें यह तथ्य बताया गया है कि केरल में एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप इसका सारांश दे सकते हैं ?

**श्री ए० के० बालन** : केरल में खाद्यान्नों का जबर्दस्त प्रभाव है । कृपया मेरी बात सुनिए, धैर्य रखिए । मैं केवल 5 से 7 मिनट लूंगा । उसके बाद में कुछ प्रश्न पूछूंगा । यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है ।

केरल के मुख्य मन्त्री श्री करुणाकरण ने 2 दिसम्बर, 1982 को केन्द्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री श्री राव वीरेन्द्र सिंह ने एक पत्र लिखा...

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप उसमें नाम को बदलकर 'भागवत झा आजाद' कीजिए ।

**श्री ए० के० बालन :** अपने पत्र में उन्होंने (मुख्य मन्त्री ने) निम्नांकित बातें बतायी है :—

"तथापि, नागरिक पूर्ति निगम, खाद्य और कृषि मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के परिपेक्ष्य में अधिक मात्रा वाले राज्यों के पूर्तिकर्ताओं के साथ कोई औपचारिक संविदा नहीं कर सकता नागरिक पूर्ति निगम सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अन्य राज्यों से चावल नहीं खरीद सकता और मंगा सकता है ।

इसके बाद पुनः उन्होंने बताया है :

"हमें आशंकाका है कि केरल में खाद्य स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाएगी और आम जनता के बीच आतंक फैल जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप सरकार के लिए सामाजिक उथल-पुथल, कानून व्यवस्था की स्थिति आदि की समस्या पैदा हो जाएंगी ।"

"इसलिए मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे अधिक मात्रा वाले राज्यों से एक लाख टन तक चावल खरीदने के लिए केरल राज्य नागरिक पूर्ति निगम को अनुमति देते हुए औपचारिक आदेश जारी करें ।"

मैं जानना चाहूंगा कि पत्र के जबाव में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है । यह पत्र लोगों की वास्तविक समस्याओं को उद्घाटित करता है ।

इस हालत में, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है । इसलिए इस बारे में केन्द्र सरकार को पक्का निर्णय लेना चाहिए ।

मैंने मन्त्री महोदय का लिखित उत्तर पढ़ा है लेकिन उनका उत्तर ध्यानकर्षण के विपरीत है ।

मैं अपनी प्रतिक्रिया बता सकता हूं । केरल के लिए चावल का आवंटन घट रहा है । केरल में विद्यमान राशन के अनुपात के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लगभग 2 लाख टन चावल की मासिक आवश्यकता है ।

1980 में केन्द्र सरकार प्रतिमास 1,35,000 टन चावल देने के लिए सहमत हो गई थी ।

फिर 1981 में, केन्द्र सरकार ने केवल दिसम्बर को छोड़कर प्रतिमास 1,35,000 टन चावल दिए । दिसम्बर में हमें केवल 90,000 टन चावल मिले ।

1982 (जनवरी-अप्रैल) में हमें 90,000 टन चावल मिले। अक्टूबर में 1,10,000 टन चावल मिले और नवम्बर, में केवल 90,000 टन चावल मिले। दिसम्बर में 95,000 टन चावल मिले।

1983 (जनवरी-फरवरी) में हमें केवल 95,000 टन चावल मिले। यही आवंटन है।

हम वास्तव में 2 लाख टन चावल चाहते हैं।

आप इस बात से अवगत हैं कि केवल केरल ही ऐसा राज्य है जिसने राशनिंग प्रणाली शुरू की है। केन्द्र सरकार को पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना ही होगा इस सम्बन्ध में मैं पूंछना चाहूंगा कि क्या सरकार केरल को प्रत्येक माह 1,35,000 टन चावल देने के लिए तैयार है? मैं स्पष्ट उत्तर जानना चाहूंगा।

इसके बाद, मेरा अगला प्रश्न यह है कि क्या तत्काल तदर्थ आधार पर कम से कम 30,000 टन चावल वहां भेजेगा ताकि काले बाजार में इसके मूल्य गिर सकें।

दूसरे, क्या केन्द्र इस बात का आश्वासन देगा कि वह अगले महीने से स्वीकृत कोटा देगा?

इसके साथ ही मैं यह और कहना चाहता हूं कि यदि आप हमें केरल को खाद्यान्न भेजने का आश्वासन देते हैं तो जैसे ही यह खबर राज्य में पहुंचेगी, बाजार मूल्य नीचे आ जाएंगे। मेरा यह मुख्य प्रश्न है जिसका मुझे स्पष्ट और विशिष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपके प्रश्न स्पष्ट है और वह इसका स्पष्ट उत्तर देंगे। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। ध्यानाकर्षण में आपने अत्यन्त अच्छा कार्य किया है।

**श्री भागवत झा आजाद** : मैं इस बात के लिए माननीय सदस्य महोदय की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने उस बात को, जिसका मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है, बार-बार दोहराने की अपेक्षा यह प्रश्न पूछा है। यथासंभव मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

मैं केरल को प्रतिमास एक लाख टन चावल देना चाहूंगा मैं यहचाहूंगालेकिन मैंने पिछले माननीय महोदय को दिए उत्तर में विस्तार से स्पष्ट कर दिया है कि यह करना मेरे लिए संभव नहीं है मैंने विस्तृत उत्तर दे दिया है कि जो कुछ हमें पूल में विभिन्न राज्यों से मिल रहा हूं। उसे मैं वितरित कर रहा हूं केन्द्रीय पूल में खरीद की अत्यन्त कम प्रतिशत शामिलहोता है वह 12 1/2 प्रतिशत है कभी-कभी या इससे भी कम हो जाता है और कभी थोड़ा ज्यादा और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मुझे उन सभी राज्यों का ध्यान रखना होता है जो कि इस समूचे राष्ट्र के सदस्य हैं।

माननीय सदस्य ने मासिक आंकड़े उद्धृत किए मुझे प्रसन्नता है कि स्थिति की उन्हें जानकारी है। यह सत्य है कि अक्तूबर, 1982 तक केरल के लिए चावल का आवंटन 110 हजार

टन का था, नवम्बर में यह 90,000 टन रह गया और दिसम्बर में 95,000 टन और वहां से माननीय सदस्य यह पाएंगे कि दूसरे राज्यों के मामले यह आवंटन घटा और बढ़ा है, केरल के मामले में दिसम्बर से 95,000 टन चावल का स्तर स्थायी रूप से अपरिवर्तित रखा गया है क्योंकि हम केरल राज्य की कठिनाईयों से वाकिफ हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि एक लाख टन प्रतिमास देना मेरे लिए संभव नहीं है और न तदर्थ आधार पर 50,000 टन देना संभव है। उन्होंने पूछा है कि क्या यह अगले महीने से संभव है। मैं चाहता हूं माननीय सदस्य महोदय इसे महसूस करें। हर महीने मुझे विभिन्न राज्यों से मांगें मिलती हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा, मांगें हमारी क्षमता से बहुत अधिक हैं। उदाहरण के लिए, मैं पुनः इस बात पर जोर देना चाहूंगा, पिछले वर्ष सभी राज्य सरकारों मांगों को साथ रखा जाए तो वह 25 मिलियन टन था। और हमारे पास केवल 15 मिलियन टन था और मैं समझता हूं हमने ठीक व्यवस्था की। इस सब के बावजूद, राज्य सरकारों और लोगों की व्यवस्था करनी है; वे संभवतः कभी-कभी परेशान भी होते हैं, लेकिन किसी प्रकार हम मुश्किल के समय में सम्पूर्ण देश की व्यवस्था कर रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मन्त्री महोदय, आप विभिन्न राज्यों के संबंध में इस वर्ष की मांग और पूर्ति की सूची दे सकते हैं। वह उपयोगी हो सकती है।

**श्री भागवत झा आजाद** : वह सूची मेरे पास है। वह मैं दे सकता हूं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अभी नहीं। आप विभिन्न राज्यों द्वारा की गई मांगें और उनको की गई पूर्ति के आंकड़े दे सकते हैं।

**श्री भागवत झा आजाद :** जी हां, गत वर्ष उनकी क्या मांगें थीं, उनको कितना आवंटन किया गया और उन्होंने कितना उठाया, इसके राज्यवार आंकड़े बता सकता हूं, इसमें कोई समस्या नहीं है।

दूसरे मुद्दे के सम्बन्ध में मैं कहूंगा—नहीं, यह सही नहीं है। केरल में कोई सांविधिक, राशनिंग नहीं हैं। किसी समूचे राज्य को सांविधिक राशनिंग के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता। ऐसा कभी-कभी नहीं किया गया। इसकी घेराबंदी नहीं की जा सकती। राशनिंग का अर्थ है सब क्षेत्र की विशेष की पूरी तरह घेराबन्दी करना, कुछ यहां आ नहीं सकता और कुछ यहां से बाहर नहीं जा सकता और प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक मात्रा देने की जिम्मेदारी सरकार लेती है केरल के मामले में ऐसी बात नहीं है। उस राज्य में कोई कानूनी राशनिंग नहीं है। वहां प्राइवेट बाजार कार्य कर रहे हैं। क्या कोई नियंत्रण नहीं है। मैं पुनः इस पर जोर देना चाहूंगा कि हम केरल राज्य को अधिकतम मात्रा दे रहे हैं। उनकी अपनी कठिनाइयां हैं लेकिन उन्हें हमारी कठिनाइयों को भी समस्या है। यह मांग कर रहे राज्य और इसकी मांग की पूर्ति कर रहे केन्द्र को प्रश्न नहीं है। यह तो उनके द्वारा वसूली के समावित प्रयासों का प्रश्न है और जो कुछ वसूल होता है उसमें

से न्यायसंगत वितरण किया जाता है हम अपनी सीमाओं में और अपनी समझदारी से विभिन्न राज्यों को यथासंभव रुपए अधिक महत्व देने की भरसक कोशिश कर रहे हैं ।

**श्री ए० के० बालन** : एक प्रश्न और । मैं, अपने मुख्य मन्त्री श्री करुणाकरन द्वारा लिखे गए पत्र पर माननीय मन्त्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं । अधिक मात्रा वाले किसी राज्य को, फालतू चावल केरल को देने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वह मंजूरी देने को तैयार है अथवा नहीं ।

**श्री भागवत झा आजाद** : मुझे पत्र आते हैं न केवल पत्र बल्कि जब श्री करुणाकरन ने मेरी अनुमति मांगी तो मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की थी । यदि मैं सहायता नहीं कर सकता, तो कम से कम चावल खरीदने के लिए अनुमति देने हेतु मुझे अन्य तरीके से सहायता करनी चाहिए मैंने अनुमति दी । मुझे विभिन्न मुख्य मन्त्रियों से पत्र आते हैं, टेलीफोन आते हैं, मैं उनसे मिलता हूं । आज भी मैं इस प्रयोजन के लिए दो मुख्य मन्त्रियों से मिल रहा हूं । लेकिन पत्र लिखने से चावल का उत्पादन नहीं बढ़ता । मैं क्या कर सकता हूं । (**व्यवधान**)

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री लारेंस ।

**श्री एम० एम० लारेंस** (इडुक्की) : महोदय, मानसून निकट हैं । सामान्यतया केरल में यह मानसून की अवधि भूखमरी की अवधि समझी जाती है पहले इस अवधि के दौरान हमारे राज्य में भूखमरी से मौतें भी हुयीं हैं । मलायलम में इसे **पंजामधाम** कहा जाता है । उस स्थिति में जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया है, अभावग्रस्तता होती और सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय सरकार की गैर-जिम्मेदारी के कारण असफल रही है—गैर जिम्मेदारी ।

अब मन्त्री ने स्वयं यह बताया है कि वह उन राज्यों से जहां फालतू चावल है, पर्याप्त मात्रा में चावल खरीदने को तैयार नहीं हैं । वह यह कह रहे हैं कि संबंधित राज्य की सहमति के बगैर वह खरीद करने में असमर्थ हैं ।

हम राष्ट्र के एकल जोन के विरुद्ध हैं । मैं एकल राज्य जोन का समर्थक हूं । सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि कमी वाले राज्यों को पर्याप्त मात्रा में चावल दिया जाए ताकि वे उस राज्य के लोगों को खिला सकें ।

केरल कमी वाला राज्य है । हम चावल की पर्याप्त खेती नहीं कर रहे हैं । हम जितनी खेती कर रहे हैं हमारी केवल पांच महीने की जरूरत ही पूरी करता है । लेकिन हम अधिक मूल्यवान नकद फसलों का उत्पादन कर रहे हैं जिनका विदेशों को निर्यात किया जा रहा है और देश को कितनी मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्राप्त होती । हमारे केरल के लाखों लोग विदेशों में गए हुए हैं और वे वहां परिश्रम कर रहे हैं ; लाखों डालर कमा कर देश में भेजते हैं । लेकिन सरकार इस कमाई को कोई महत्व नहीं दे रही है ।

केरल में बेरोजगारी अन्य राज्यों की तुलना में अत्यधिक है, संभवतया सभी राज्यों से अधिक है । हमारे परम्परागत उद्योग-नारियल जटा उद्योग ; काजू उद्योग और इन हथकरघा उद्योग आदि—लड़खड़ा रहे हैं और इन उद्योगों में नियोजित लाखों लोगों को वर्ष में बहुत थोड़े दिनों के लिए काम मिलता है अतः उनकी आय बहुत कम है अब केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

मन्त्री ने अपने वक्तव्य में बताया है :

> सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो वस्तुएं जारी की जाती हैं ? खुले बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का अनुपूरक हैं।

लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए । मेरा कहना यह है कि यह खुले बाजार में कीमतों को कम रखने के लिए होना चाहिए । आप खुले बाजार में कीमतों को तभी कम रख सकते हैं यदि आप राशन की दुकानों को पूरा राशन सप्लाई करें । लेकिन माननीय मन्त्री यह कह रहे हैं कि खुले बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का अनुपूरक है । हम खुले बाजार से पर्याप्त मात्रा में चावल मिल सकता है बशर्ते कि हमारे पास पर्याप्त पैसा हो ।

प्रश्न यह है कि केरल राज्य में अधिकांश लोगों के पास क्रय क्षमता नहीं है । न केवल केरल में बल्कि समूचे देश में दलित वर्ग और श्रमजीवी तथा मध्यम वर्ग के लोगों की भी क्रय क्षमता बढ़ती जा रही है और केरल में अत्यधिक बेरोजगारी के कारण क्रय क्षमता और भी कम होती जा रही है । यदि वे अपनी आजीविका के लिए खाद्यान्न खरीदना चाहते हैं तो उन्हें और अधिक खर्च करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए उनके पास पर्याप्त आय नहीं है । पिछले दो से तीन दशकों में इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केरल में बनाए रखा गया था । भारत में अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में यह प्रणाली अधिक मजबूत है ।

लेकिन केन्द्रीय सरकार की सहायता के बिना सांविधिक राशनिंग नहीं बनाई रखी जा सकती ।

इसके लिए सरकार फालतू अनाज वाले अन्य राज्यों से खरीद करने में आगे आने और केरल राज्य को निर्धारित आबंटन करने की इच्छुक नहीं है। माननीय मन्त्री अब कहते हैं कि आन्ध्र सरकार और अधिक खरीद नहीं करने दे रही है । मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है। यह गलत बयानी है । उन्होंने यह कभी नहीं कहा है कि वे वहां से खरीद किए जाने के विरुद्ध हैं । लेकिन सरकार वहां से खरीद करने की इच्छुक नहीं है जब देश में चावल का अभाव है तो देश में सत्तारूढ़ सरकार की यह जिम्मेदारी है कि यदि वे जन साधारण को जीवित रखने में इच्छुक हैं तो जहां कहीं भी चावल उपलब्ध हो, वह उसे खरीदे । लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

इसलिए सर्वप्रथम खाद्यान्न के थोक व्यापार को अपने अधिकार में लेना होगा । मेरा प्रश्न

यह है कि क्या सरकार चावल तथा गेहूं के थोक व्यापार को अपने अधिकार में लेने को तैयार है।

वक्तव्य में यह बताया गया है कि वे राज्य सरकारों को बाहर से खरीद करने की अनुमति देते हैं मैं यह जानना चाहता हूं ति वे कौन सी राज्य सरकारें हैं जिन्हें अपने राज्य के बाहर से खरीद करने की अनुमति दी गई, और उन्होंने 1982-83 में कितना अनाज खरीदा है? हमारे मंत्री, यहां तक कि प्रधान मन्त्री और सत्ताधारी दल के प्रमुख नेता यह दावा करते हैं कि उन्होंने हरित क्रान्ति और खेत क्रान्ति ला दी है। उन्होने कहा है कि इन दो क्रान्तियों के बाद वे दो-पहिया क्रा ति लाएंगे। मेरे विचार से वे जो एक मात्र क्रान्ति लाई है वह है बातें बनाने की क्रान्ति।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह तो हम में से प्रत्येक कर रहा है।

**श्री एम० एम० लारेंस** : भारत सरकार यह कह रही है ; उसके प्रतिनिधि यह कर रहे हैं। बातों की क्रान्ति के बजाय वे लोगों को भोजन देने के लिए कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं।

इसलिए, मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह मेरे प्रश्नों का उत्तर दें कि क्या वह विभिन्न राज्यों में उपलब्ध बाजारों से पर्याप्त मात्रा में चावल खरीदने और चावल तथ केरल राज्य को चावल का नियत पूर्ण कोटा देने को तैयार हैं ?

**श्री भागवत झा आजाद** : महोदय, मैंने पहले ही उनके प्रश्नों के लगभग सभी भागों का उत्तर विस्तार से दे दिया है लेकिन, वे विभिन्न रूप में पूछे गए हैं, अतः मुझे उनका उत्तर भिन्न भाषा में देना पड़ेगा। बस इतनी बात है। मैंने कहा है कि राज्यों की सहायता करने में केन्द्रीय सरकार अनिच्छुक नहीं है। होनी भी क्यों चाहिए ? इस राज्य तथा उस राज्य में कोई अन्तर नहीं किया जाता।

यदि कोई भेदभाव का पक्षपात बरता जाता है ; तो वह केरल राज्य के लिए किया जाता है क्योंकि हम उसे सबसे अधिक सुविधा दे रहे हैं। माननीय सदस्य का यह विचार है कि हमें और अधिक खरीद करनी चाहिए। हम लोग राज्य सरकारों की सहमति और सहायता से यथा संभव अधिक से अधिक खरीदने की चेष्टा कर रहे हैं। अन्ततोगत्वा यह कोई एक राज्य का तो मामला नहीं है। उनकी अपनी मांग है। उनकी अपनी आवश्यकतायें हैं उनसे अनुरोध करते हैं और यथा संभव अधिक से अधिक खरीद करते हैं।

यदि हम अपने प्रयत्न से अधिक से अधिक खरीद करने का प्रयत्न करते हैं और कठिनाई के समय में हम उसे न्याय संगत बांटने की चेष्टा करते हैं। मेरे विचार से परेशानियां तो हैं किन्तु प्रश्न यह है कि इस देश में कुछ राज्य केवल चावल खाने वाले राज्य हैं, उदाहरण के तौर पर (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनने की चेष्टा करें।

यहां किसी प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न करने से केन्द्रीय पूल के पास उपउब्ध चावल की मात्रा तो नहीं बढ़ जाएगी।

(व्यवधान)*

महोदय, मैं उस मुद्दे का उत्तर दे चुका हूं। मैं कह चुका हूं कि हम लोग केरल को अधिक से अधिक दे रहे हैं। 95,000 टन दे रहे हैं। मैं केरल को अधिक से अधिक दे चुका हूं और इसके अतिरिक्त (व्यवधान) यह एक राष्ट्रीय परियोजना है और हमें उसे पूरी कर रहे हैं। यदि सदस्यगण मेरी बात न सुनना चाहे तो न सुने मैं अपना कर्त्तव्य पूरा कर चुका हूं।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तांत कुछ भी शामिल नहीं किया जायगा।

अब हम दूसरे मुद्दे पर विचार करेंगे—

श्री बूटा सिंह।

---

## कार्य मंत्रणा समिति

### 41वां प्रतिवेदन

**संसदीय कार्य, खेल, तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह)** : महोदय, मैं निम्न प्रस्ताव रखता हूं :—

"कि यह सभा 15 मार्च, 1983 को सभा में प्रस्तुत किये गए कार्य मंत्रणा समिति के 41वें प्रतिवेद से सहमत है।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री पासवान। मैं अगली मद ले चुका हूं। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल न किया जाय। श्री बालन, यह कोई तरीका नहीं है। कृपया आप पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री पासवान जो कुछ कहते हैं, उसे छोड़कर कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल न किया जाय। मन्त्री जी उत्तर दे चुके हैं और चले गए हैं। यह मेरे लिए अपमान की बात नहीं है।

(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं श्री पासवान को आमंत्रित कर चुका हूं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : व्यवस्था बनाये रखिये । यदि कोई व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि वह सदन की कार्यवाही को ठप्प कर सकता है ; तो मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा ।

विरोध करने वाले सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इस बात की सराहना करें कि अध्यक्ष महोदय ने केरल की चावल की समस्या पर विचार-विमर्श करने की अनुमति दे दी है । इस पर चर्चा हुई थी । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया था । यह तरीका ठीक नहीं है ।

**(व्यवधान)**

**श्री समर मुखर्जी** (हावड़ा) : अध्यक्ष के परामर्श से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। किन्तु लोग वास्तव में भूख की पीड़ा महसूस कर रहे हैं । वे जन प्रतिनिधि है । वे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं । **(व्यवधान)** । वे हँसी उड़ा सकते हैं । मन्त्री जी को इस प्रकार कहना चाहिए था कि यदि स्थिति गंभीर है, तो सरकार पुनःविचार करेगी, आदि आदि । किन्तु मंत्री जी का उत्तर एकदम ही भिन्न है । उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं किया जा सकता ।

**वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० बी० पी० पट्टाभि रामाराव)** : उन्होंने कहा था कि और कुछ नहीं किया जा सकता ।

**श्री समर मुखर्जी** : जिस प्रकार वह सदन से चले गए·····

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अगला मुद्दा लेता हूं । मुझे खेद है ।

**श्री के० पी० उन्नी कृष्णन** (बदागरा) : आपसे पहले के उपाध्यक्षों तथा इस सदन अध्यक्षों ने अनेक बार यह निर्णय लिया था कि मंत्री द्वारा जो भी उत्तर दिया जाय, वह विस्तृत होना चाहिये ।

महोदय, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मन्त्री जी का उत्तर विस्तारपूर्ण था । मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । यदि आप यह कहते हैं कि यह विस्तारपूर्ण है, तो मैं स्वीकार कर लूंगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं उसका उत्तर नही दूंगा । मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा ।

मैं अगली मद पर आता हूं ।

मैं श्री पासवान को छोड़कर किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुद्दा यह है । आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें । ध्यानाकर्षण

प्रस्ताव के बारे में नियम बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोगों ने 12-29 बजे पर आरम्भ किया था। अब 1.30 बज रहे हैं। अर्थात एक घंटा हो गया। किन्तु समय केवल आधे घंटे का दिया गया था। जब कोई विशेष समस्या होती है तब हम दो घंटे का समय भी देते हैं।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है तो सभापति कुछ नहीं कर सकता। कोई भी कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री पासवान की बात छोड़ कर कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल न किया जाए। मैं नहीं चाहता कि यह सदन राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाये।

(व्यवधान)

**(इस पर कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से उठकर बाहर चले गए)**

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की मद संख्या 11 में निम्नलिखित संशोधन पेश करने की अनुमति चाहता हूं :—

1. गृह विभाग के अनुदान पर 16 घण्टे निर्धारित किए जाएं।

2. शिक्षा एवं संस्कृति मन्त्रालय के अनुदान की मांग पर चर्चा कृषि मन्त्रालय के तुरन्त बाद रखी जाय और उसके लिए 8 घण्टा समय निर्धारित किया जाय।

3. सिंचाई मन्त्रालय के अनुदानों की मांग पर चर्चा के लिए 6 घण्टे निर्धारित किये जायं।

4. अनुदानों की माँगों पर चर्चा एवं मतदान के लिए निर्धारित 90 घण्टे को बढ़ाकर 100 घण्टे किए जाएं।

**प्रो० अजित कुमार मेहता** (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की मद संख्या 11 में निम्नलिखित संशोधन पेश करने की अनुमति चाहता हूं :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. विदेश विभाग | — | 6 घंटे |
| 2. प्रतिरक्षा | — | 6 घंटे |
| 3. सिंचाई | — | 6 घंटे |
| 4. शिक्षा एवं संस्कृति | — | 5 घण्टे |

**श्री राम विलास पासवान :** उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले ही कहा है कि गृह विभाग का समय 16 घण्टे किया जाय। इसके पीछे मेरा तर्क यह है कि आज जो देश की हालत है, जिस तरीके से कानून और व्यवस्था पूरे देश में गिरती जा रही है, जिस तरीके से हरिजन, आदिवासी, पिछड़े लोगों की हत्यायें हो रही हैं, उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, नार्थ-ईस्ट जोन की समस्या, पूर्वांचल की समस्या, असम की समस्या, जिस तरह से मुंह बाये खड़ी है, पंजाब की समस्या है और जो देश की समस्याएं हैं, इन सब को सामने रखकर ही मैंने आपसे निवेदन किया है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट सरकार द्वारा पेश की गई। सदन में उस पर चर्चा हुई, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। मंडल कमीशन का मुद्दा भी रहेगा, दोनों पक्ष के लोग उस पर डिवेट करना चाहेंगे। इस परिस्थिति में होममिनिस्ट्री पर 12 घंटे का जो समय रखा गया है, मैं समझता हूं कि वह अपर्याप्त है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। बिजनेस एडवाईजरी कमेटी के सामने भी बन्धन है। कुल 90 घण्टे निर्धारित किए गए हैं। इनकी लाचारी को देखते हुए दस घण्टे अधिक करने का मैंने संशोधन दिया है। दूसरा मेरा शिक्षा का मामला है। शिक्षा में भी जाति के नाम पर पक्षपात होने लगा है। जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और दूसरी सैन्ट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। यहां पर प्रोफेसर्स के द्वारा शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़कों को तंग करना शुरू कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, बुनियादी शिक्षा का मेन आधार होता है।

सामान शिक्षा सबके लिए लागू की जाए। लेकिन इसके विपरीत आज आजादी के बाद भी पब्लिक स्कूल्स 20 टाइम्स बढ़े हैं। शिक्षा की आगे क्या नीति होनी चाहिए, इसके ऊपर भी पुनर्विचार करने का मौका आ गया है। आपने शिक्षा को चर्चा के विषय में 14वें नम्बर पर रखा है। इसका मतलब यह हैं कि इसका नम्बर कभी नहीं आएगा और यह सब गिलेटीन हो जाएगा। इसलिए मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के तमाम सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की 75 फीसदी जनता अनपढ़ है, क्या इसलिए इसको 75वां स्थान दे दिया गया है। आज के युग में शिक्षा का जो महत्व है—समान शिक्षा का जो, पब्लिक स्कूलों पर बैन लगाया जाय, कैपिटेशन फीस समाप्त की जाय, स्कूलों और कालिजों में आज जो भेदभाव हो रहा है, खास कर पिछड़े और हरिजन छात्रों के साथ, इसको दूर किया जाय। इसलिए इस पर डिस्कशन बहुत आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि इस पर डिस्कशन के लिए चार घण्टे का जो समय रखा गया है उसको बढ़ा कर 8 घण्टे निर्धारित किया जाय।

तीसरा सुझाव—सिंचाई (इरिगेशन) एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर चार घण्टे की बहस का समय बहुत कम है। इस हाउस में काल-एटेन्शन पर ही तीन घण्टे लग जाते हैं, इसलिए चार घण्टे में कुछ नहीं हो सकेगा। यदि आप किसी मिनिस्ट्री की डिमाण्ड चर्चा कराना चाहते हैं को ठीक से कराइये। इरिगेशन पर चार घण्टे का डिस्कशन कोई मीनिंग नहीं रखता है, इसको चार घण्टे से बढ़ाकर मिनिमम 6 घण्टे कर दिया जाय। इस तरह से कुल मिला कर 10 घण्टे समय बढ़ाना पड़ोगा। चूंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने निर्णय लिया है कि 90 घण्टों में बहस को समाप्त किया जाय, उसमें यदि ये 10 घंटे और जोड़ दिये जायं, तो कुल मिलाकर 100 घंटे होते हैं। ये तीनों अत्यन्त आवश्यक मुद्दे हैं जिन पर निश्चित रूप से इस सदन में इस सत्र में

विचार होना चाहि । इसलिए मैंने जो संशोधन रखा है, वह इस उम्मीद से रखा है कि सब इसको पास करेंगे ।

**प्रो० अजीत कुमार मेहता** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कार्यमंत्रणा समिति के प्रस्तावों पर कुछ प्रस्तावों पर कुछ सुझाव पेश किये हैं, यह ध्यान में रखकर कि कुल 90 घण्टों के अन्दर ही कार्य समाप्त हो। आप देखेंगे—प्रतिरक्षा तथा विदेश मंत्रालय पर बहस के लिए जो समय निर्धारित किया गया है, यदि उन दोनों को मिला दिया जाय तो 15 घण्टे होते हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे से सम्बन्धित हैं । आज के परिप्रेक्ष्य में सारे हिन्दुस्तान में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है । इसमें गृह विभाग पर 12 घंटे और इन दोनों पर 15 घंटे का समय रखते हैं तो यह कुछ अनुचित प्रतीत हो रहा है । मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विदेश मन्त्रालय और प्रतिरक्षा मन्त्रालय के समय में से 3 घंटे कम करके, दोनों के लिए 6-6 घंटे रख दिए जायं और ये तीन घंटे सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय की बहस में बढ़ा दिए जायं ।

शिक्षा के बारे में रामविलास जी ने कहा है । मुझे यही निवेदन करना है कि आजादी के 36 सालों के बाद, अरबों रुपया खर्च करने के बाद, हम अभी भी कृषि उत्पादन के लिए मानसून की कृपा पर निर्भर करते हैं । यह निश्चय ही हमारी सिंचाई व्यवस्था की खामियों का परिचायक है, इसलिए इस पर विस्तृत रूप से बहस होनी चाहिए, तथा इसके लिए जो समय प्रस्तावित है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाय ।

शिक्षा के बारे में मुझे यही कहना है कि शिक्षा इसलिए देते हैं कि राष्ट्र की अगली पौध शिक्षा की दृष्टि से योग्य और विद्वान बने । हमने कभी निर्णय लिया था कि हम सारे हिन्दुस्तान की जनता को शिक्षित बना देंगे, लेकिन उस लक्ष्य पर पहुंचने में हम आज भी उतना ही पीछे हैं जितना 1947 में थे । इसलिए शिक्षा पर भी बहस का समय बढ़ाया जाना चाहिए तथा शिक्षा का सूची में जो क्रमांक आप ने नीचे रखा है, इसको ऊपर उठाया जाय ।

**संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह)** : उपाध्यक्ष जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो सर्वश्री पासवान जी और मेहता जी के संशोधनों को एक ही साथ ले सकता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हां, ठीक है ।

**श्री बूटा सिंह** : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सदन का यह अभिसमय रहा है तथा यह निर्णय पहले भी लिया जा चुका है कि यह केवल कार्य मंत्रणा समिति के अधिकार हैं कि चर्चा के लिए जाने वाले विभिन्न मन्त्रालयों और और विभागों को प्राथमिकता प्रदान करे । महोदय, इसके बारे में अब तक लगभग तीन बैठक हो चुकी हैं । पहले हम लोग औपचारिक रूप से सभी विरोधी दलों के साथ दोपहर खाने पर बैठे थे जहां आमतौर पर इस बात की चर्चा की जाती थी कि किन-किन विभागों को लिया जाय और किन-किन विभागों

को छोड़ दिया जाए क्योंकि उन्हें पहले लिया गया था। उन विभागों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी जिसमें समिति ने सूची की पुनः जांच की थी और कार्य मंत्रणा समिति ने सोलह मंत्रालयों का अनुमोदन किया था। उस बैठक में प्राथमिकता भी स्वीकृत की गई थी। इसलिए, महोदय, यह अंतिम सूची है और इसे अन्तिम रूप से कार्य मंत्रणा समिति ने तैयार किया है। कल की बैठक में कार्य मंत्रणा समिति ने विभिन्न मन्त्रालयों को आवंटित किये गए समय की पुनः पुनरीक्षा की। मूलतः निर्धारित किए गए समय में रिपोर्ट में दिए गए समय से बहुत ही थोड़ा अन्तर था। उन्हें कुछ संशोधन करने का भी अधिकार है। उदाहरण के तौर पर, विदेश मन्त्रालय के लिए आठ घंटे नहीं थे बल्कि उससे कम थे। किन्तु कार्य मन्त्रणा समिति ने विचार किया कि उसे आठ घंटे आवंटित किये जायें। इसलिए इस मन्त्रालय को जो समय दिया गया था उसे बढ़ाकर आठ घंटे कर दिया गया। इसी प्रकार गृह मन्त्रालय के लिए मूल रूप से दस घंटे आवंटित किए गए थे किन्तु उसे बढ़ाकर बारह घंटे कर दिया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास के मामले में चार घंटे से बढ़ाकर छः घंटे कर दिए गये हैं, ऊर्जा मन्त्रालय के लिए समय पांच घंटे से बढ़ाकर सात घंटे कर दिया है।

महोदय, माननीय सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष विचारार्थ सुझाव रखे हैं किन्तु कार्यमंत्रणा समिति ने जो समय आवंटित किया है और जो इस रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह गत वर्ष और उससे पहले के वर्ष में लगे समय के अनुभव के आधार पर है? इसके अलावा कोई परिवर्तन करने का कोई कारण मुझे नजर नहीं आता जो भी परिवर्तन किया जाना है, उसे परिवर्तन करना कार्य मंत्रणा समिति की शक्ति के अधीन है। मैं समय और प्राथमिकता दिये जाने के बारे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। मुझे कार्य मंत्रणा समिति की अनुमति लेनी होगी। आज सुबह ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी और यह महसूस किया गया कि इन परिस्थितियों में यह प्रबंध सर्वोत्तम है और यदि किसी विशेष विभाग या मंत्रालय के संबंध में और अधिक समय की आवश्यकता हो तो उसके लिये सभापति को विशेष अधिकार है और वह अपने विशेष अधिकार का उपयोग कर समय बढ़ा सकते हैं?

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री पास वान और श्री मेहता, क्या आप आपने सुझाव वापिस ले रहे हैं।

**श्री राम विलास पासवान** : जी, नहीं।

**श्री अजित कुमार मेहता** : जी, नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं सदन की राय जानने के लिये श्री राम बिलास पासवान तथा श्री अजितकुमार मेहता के संशोधनों को मतदान के लिये रखता हूं।

**संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है ? कि यह सभा 15 मार्च, 1983 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के 41 वें० प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) जूनागढ़, गुजरात में एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की आवश्यकता

**श्री मोहन लाल पटेल**(जूनागढ़) : जूनागढ़ स्थित टेलीफोन एक्सचेंज देश में सब से बड़ा हस्तचालित एक्सचेंज है। उस एक्सचेंज में 3,000 से अधिक लाइनें हैं। टेलीफोन मशीनों और बोर्ड किराये की एक इमारत में तीन विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया गया है उस टेलीफोन एक्सचेंज पर भारी भीड़ रहती है। कभी-कभी आपरेटर से जवाब मिलने में काफी देर लग जाती है। कभी-कभी दो लाइनें आपस में जुड़ जाती हैं और जिससे गोपनीयता नहीं रखी जा सकती। जूनागढ़ में वर्ष 1982 तक एक नई इमारत बनाने और स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव था। अब, इमारत बन चुकी है तथा स्वचालित नये टेलीफोन एक्सचेंज की मशीनें अभी लगाई जानी हैं। मैं जूनागढ़ की जनता की असुविधा को दूर करने के लिये संचार मंत्री से जूनागढ़ में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की व्यवस्था तत्काल करने के लिये अनुरोध करता हूं।

### (दो) उड़ीसा में तालचेर में एक सुपर ताप बिजलीघर स्थापित करने की आवश्यकता

**श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर)*** : तालचेंर में एक सुपर ताप बिजलीघर स्थापित करने में बिलंब के कारण उड़ीसा में बिजली का संकट बना रहता है। पहले, उड़ीसा में आवश्यकता से अधिक बिजली पैदा की जाती थी। परन्तु, सरकार द्वारा आरम्भ किये गये द्रुत औद्योगीकरण कार्यक्रम के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर बड़े मध्यम स्तर के उद्योग लगाये जा रहे हैं जिससे आजकल बिजली की कमी हो गई है। इस अवधि में आरम्भ होने वाले सभी परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुये, उड़ीसा ग्रिड में कम से कम 12,000 मेगवाट की कमी रहेगी। इस कठिनाई को दूर करने के लिये केवल एक मात्र समाधान यह है कि तालचेर में एक सुपर ताप बिजलीघर स्थापित किया जाये जिसकी संभाव्यता रिपोर्ट राष्ट्रीय ताप बिजली निगम द्वारा

---

*मूल उड़ीसा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तैयार की जा चुकी है और स्थान भी चुन लिया गया है। परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि अब तक उस प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

धन की कमी कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि इस प्रकार की परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये विश्व बैंक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अनुदान देते हैं अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे धन के लिये आवश्यक व्यवस्था करें और तालचेर में एक सुपर ताप बिजलीघर शीघ्र स्थापित करें।

## (तीन) केरल के पालघाट जिले में सूखा

**श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट)* : केरल का अन्न भंडार, पालघाट जिला एक अभूतपूर्व सूखे की चपेट में है।

इस वर्ष अनियमित वर्षा के कारण इस जिले की अर्थ व्यवस्था विगड़ गई है। वर्ष 1982-83 के दौरान वर्षा सामान्य से 35-1 से 401 कम हुई। इसके फलस्वरूप मलामपुरजहां, मंगलां उर पोठुन्डी बांधों की संग्रहण क्षमता 70-1 तक कम हो गई और भी कारा, चुटिभार और वाला भार बांधों की बिल्कुल कम हो गई। राजस्व बोर्ड ने सूखे से प्रभावित 62 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। अलाथुर, मन्नारघाट, पालघाट तालुक के 19 गांवों को सूखाग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित करने की सिफारिश की गई है। ये गांव जिले के 60 प्रतिशत भाग हैं।

धान गन्ना, मूंगफली और कपास जैसी मुख्य फसलें इससे प्रभावित हुई हैं। सूखे से धान की फसल 500 हैक्टर भूमि में पूर्ण रूप से तथा 7.000 हैक्टर भूमि में आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं खरीफ ऋतु में कुल हानि लगभग 12,500, मीट्रिक टन है जिसका मूल्य 250 लाख रुपये होने का अनुमान प्रकार रवि है। इसी मौसम में फसलों की कुल हानि लगभग 25,300 मीट्रिक टन है जिसका लाख रुपये मूल्य 506 होने का अनुमान है।

पालघाट की स्थिति वास्तव में भयंकर है क्योंकि वहां मनुष्य तथा जानवर के लिये पीने के पानी की भारी कमी है। यदि यह स्थिति जारी रही तो महामारी फैल जायेगी और जानों की भारी हानि होगी।

उपयुक्त परिस्थिति में, समस्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार को स्थिति के मौके पर अध्ययन के लिये एक केन्द्रीय दल को पालघाट भेजना चाहिये। इसके अतिरिक्त, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अनुवर्ती कदम तुरन्त उठाये जायें किसानों को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिये। ऋण चुकाने के लिये पर्याप्त समय देना चाहिये। जल-कर थोड़ देना चाहिये और

*मलयालन में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कृषि श्रमिकों को मुफ्तराशन की सलाई करनी चाहिये। अंत, में बड़े पोषण कार्यक्रम का आयोजन बड़े पैमाने पर होना चाहिये।

### (चार) स्वतंन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना सम्बन्धी गैर-सरकारी सलाहकार समिति की सिफारिशों को लागू किया जाना

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना से संबंधित गैर सरकारी परामर्शदात्री समिति की एक बैठक 11 दिसंबर 1981 को आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष तत्कालीन गृह मंत्री ने की थी। समिति की पिछली बैठक का कार्यवृत्त स्वीकार करने के बाद केरल के पुनन्प्रा-वायलार, आंध्रप्रदेश के तेलंगान विद्रोह, कर्नाटक के अरण्य सत्याग्रह, पेप्सु के प्रजा मंडल आंदोलन, आई०एन०ए०के० भूतपूर्व सैनिकों, कुछ अन्य सशस्त्रविद्रोहों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता सैनान मानकर उन्हें स्वतंत्रता सैनिक पेंशन देने की सिफारिश सर्वसम्मति से की गई।

बैठक में उन लोगों को भी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देने की सिफारिश की गई जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण बैंत मारने की सजा दी गई थी। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि जिन बच्चे बच्चियों का जन्म जेलों में हुआ था और जो अपनी मां के साथ छः माह तक जेलों में रह चुके थे, उन्हें भी स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन लेने का अधिकार होगा।

बैठक की एक महत्वपूर्ण सर्वसम्मत सिफारिश यह भी थी कि जिन लोगों ने जेलों में पांच वर्ष या इससे अधिक यातना भुगती या जो बहुत वृद्ध हो चुके हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय है उन्हें तीन सौ रुपए माहवारी के बदले पांच सौ रुपए महामारी दिए जाएं।

परंतु दुख है कि करीब पंद्रह महीनों के बाद भी समिति के निर्णयों को लागू नहीं किया जा सका है। लगता है कि सरकार समिति के सर्वसम्मत निर्णय का भीतर घात करना चाहती है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह होगा कि वह समिति की सिफारिशों को पूरा का पूरा स्वीकार कर स्वतंत्रता सैनिकों की मदद करें।

### (पांच) बिहार के वैशाली जिले में राधोपुर का विकास

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : बिहार के वैशाली जिलां तर्गत राधोपुर एक प्रखंड है। यह मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत है। राधोपुर पूरा प्रखंड सालों भर गंगा की चपेट में ग्रसित रहता है। प्रतिवर्ष हजारों लोग बेघर-बार होते हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार की घोषणा बाद भी अभी तक कटाव पीड़ितों के लिए कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की है और न गृह अनुदान ही दिया गया है। आजादी के तीस वर्षों के बाद भी पूरे प्रखंड के एक गांव में भी विद्युतीकरण नहीं किया गया है जबकि उस प्रखंड में काफी संख्या में हरिजन एवं कमजोर वर्ग के लोग हैं। पूरे प्रखंड में एक इंच जमीन में भी पक्की सड़क नहीं है। पीने के पानी का भीषण अभाव है जो भी चापाकल हैं वे बेकार पड़े हैं। सिर्फ एक प्रखंड अस्पताल है। बीमार लोगों को

नदियां पार कर तीस मील बीमारी के इलाज के लिए जाना पड़ता है। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने का कार्यक्रम भी धीमी गति से चल रहा है। कुल मिलाकर पूरे प्रखंड की स्थिति दयनीय है। अतः केन्द्र सरकार से मांग है कि सरकार अविलंब कटाव पड़ितों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करे। प्रखंड में विद्युतीकरण की व्यवस्था की जाए व स्वास्थ्य योजना चलाई जाए। यातायात की व्यवस्था की जाए कम से कम प्रखंड मुख्यालय में अविलंब टेलीफोन की व्यवस्था की जाए और गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए व्यापक कार्यक्रम एवं योजना चलाई जाए।

### (छः) पीलीभीत उत्तर प्रदेश में तेल की खोज का कार्य शुरू करने हेतु नवीनतम उपकरणा की आवश्यकता

**श्री हरीश कुमार गंगवार** (पीलीभीत) : विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में खनिज तेल का सबसे बड़ा भण्डार है। यह भण्डार काफी गहराई में है। आयल एवं नेचुरल गैस कमीशन ने इस्तेल की खोज के लिए 5 वर्ष पूर्व तक लगभग 3200 मीटर गहराई तक खुदाई कराई तथा खोदने वाले उपकरणों द्वारा कड़ी चट्टान के आ जाने से काम न कर पाने के कारण खुदाई बंद कर दी गई तथा खुदाई के उपकरण व अन्य सभी सामान वहां से हटा लिया गया। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार रूस के पास अधिक सक्षम उपकरण हैं। पीलीभीत में तेल का अपरिमित भण्डार है जिसकी देश में अत्यंत आवश्यकता है।

मैं माननीय तेल मंत्री से आग्रह पूर्वक अनुरोध करता हूं कि सक्षम उपकरणों को उपलब्ध कर पीलीभीत में तेल की खोज का कार्यशीघ्र से शीघ्र पुनः आरंभ कराएं।

### (सात) मद्रास में जल की अत्यधिक कमी

**डा० ए० कलानिधि** (मद्रास मध्य) : मद्रास नगर में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। तमिलनाडु के प्राधिकारियों ने घोषित किया है कि पानी की सप्लाई केवल हर दूसरे दिन होगी। परन्तु तथ्य यह है कि नलकों में पानी हर दस दिन में केवल एक बार धीमे-धीमे आ रहा है। यहां तक कि एक बाल्टी पानी लेने के लिये लोगों को दूसरे महत्वपूर्ण घरेलू कार्य की उपेक्षा कर घंटों इन्तजार करनी पड़ती है। महिलाएं थोड़े से पानी के लिये सोये बिना रात के एक बजे से सुबह के सात बजे तक लम्बी पंक्ति में खड़ी रहती हैं। बाजार में पानी 25 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है।

वर्ष न होने के कारण तमिलनाडु पहले ही सूखे की चपेट में है। तमिलनाडु के प्राधिकारी इस समस्या के समाधान के लिये कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं। सरकार ने वीराणाम परियोजना को रोक दिया है। यदि इस परियोजना को कार्यान्वित किया गया होता, तो मद्रास शहर की पानी के भारी कमी की वर्तमान स्थिति को दूर किया जा सकता था। आन्ध्र प्रदेश से कृष्ण नदी के पानी के आने में और दस वर्ष लगेंगे। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने

के लिये अनुरोध करता हूं कि वीराणाम परियोजना को युद्ध स्तर पर पुन शुरू किया जाये ताकि जल संकट का दीर्घ काल के लिये समाधान हो सके । अब मैं केन्द्रीय सरकार से मद्रास शहर में पानी की कमी की विकटता का अध्ययन करने तथा जल संकट का तत्काल समाधान करने के लिये लिए तमिलनाडु सरकार को भारी अनुदान देने के लिये अनुरोध करता हूं ।

**(आठ) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस के सर सुन्दरलाल अस्पताल के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता**

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** (सैदपुर) : मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान से संबंधित सर सुन्दर लाल चिकित्सालय की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं । सर-सुन्दर लाल चिकित्सालय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहारी की घनी आबादी वाले क्षेत्र की करोड़ों जनता के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सालय है । दिन-रात इस क्षेत्र के हजारों रोगी यहां आते हैं, अपना इलाज करते हैं, किन्तु यहां उपयुक्त व्यवस्था नहीं है ।

इस चिकित्सालय से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आधुनिक औषधि के लिए 550 बैंड एवं "भारतीय औषधि" (पी० जी० आई०) के लिए 125 बैंड का ग्राट दिया गया है। उसी के अनुरूप इस अस्पताल में कर्मचारियों एवं चिकित्सकों की स्वीकृति है। इस समय चिकित्सालय में 950 बैंड चलते हैं । कर्मचारियों का नितांत अभाव है । मरीजों की ठीक से देखभाल नहीं हो रही है । इस अस्पताल में गन्दगी भी बहुत है ।

पिछले वर्ष कई लाख रुपया खर्च करके मरीजों के कपड़े धोने के लिए एक लान्ड्री मशीन यहां लगायी गयी । कर्मचारियों के अभाव में वह अभी तक बेकार पड़ी है । लाखों रुपया खर्च करके 6 लिफ्ट लगायी गई । आपरेटर के अभाव में वह बन्द है । दूर-दराज से मरीज आकर के इधर-उधर झटकते हैं । दलालों के मचंगुल में पड़ते हैं । उनके परिवारों के सदस्यों के साथ छेड़-छाड़ महिलाओं के साथ अनैतिकता की घटनायें बराबर होती हैं । खेद है कि इतने बड़े चिकित्सालय में कोई पूछताछ कार्यालय भी नहीं हैं।

इस चिकित्सा विज्ञान संस्थान में क्लीनिकल साइड से हमेशा निदेशक होता रहा । उसका पूरा नियंत्रण दवाओं, डाक्टरों एवं कर्मचारियों पर था लोग उससे डरते थे । रोगियों की अच्छी तरह देखभाल होती थी । क्लीनिकल साइड के ही एक निदेशक स्वयं मरीज देखते थे । आपरेशन करते थे । इस अस्पताल की लोकप्रियता मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तक थी । पर सीधे निदेशक की नियुक्ति अब प्रभावहीन हो गई है । इतना बड़ा चिकित्सा संस्थान इतने बड़े बजट के बावजूद भी बेकार हो गया है ।

आज लाखों मरीज परेशान व असहाय हैं । कर्मचारियों में असन्तोष है । प्रदेश के अन्य केन्द्रीय चिकित्सा संस्थानों के कर्मचारियों एवं यहां के कर्मचारियों के वेतन में भी असमानता है ।

अतः मैं आग्रह करूंगा कि शीघ्र स्वास्थ्य मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। यह बहुत ही गंभीर मामला है वरना केन्द्रीय सरकार का इस संस्थान के ऊपर प्रतिवर्ष खर्च होने वाला करोड़ों रुपया बेकार साबित होगा।

### (नौ) राजस्थान में गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य का भुगतान

**श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स राजस्थान के मैनेजमेंट को भारत सरकार ने अपने अधीन सन् 1978 से लिया हुआ है और इसके संचालन हेतु उस पर कस्टोडियन नियुक्त किया हुआ है। इस क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने से शक्कर की रिकवरी, राजस्थान में अन्य स्थानों की उपेक्षा अधिक है। परन्तु, उक्त शुगर मिल्स से गन्ना उत्पादक को केवल 16 रुपये 10 पैसे प्रति क्विंटल ही, गन्ने का मूल्य दिया जा रहा है, जबकि भारत के अन्य स्थानों पर 21 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, और उपरोक्त शुगर मिल्स पर भी गत वर्ष 21 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य उत्पादक को दिया गया गया था। इस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों ने इस कम मूल्य दिए जाने के विरोध में आन्दोलन भी किया था व मिल्स पर गन्ना न पहुंचने के कारण कई दिनों तक मिल्स चालू नहीं हो सकी थी। बाद में गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी अनुदान के रूप से प्रति क्विंटल देना स्वीकार किए जाने के बाद ही मिल चालू हो सकी थी। परन्तु अभी तक इस क्षेत्र के गन्ना उत्पादन को केवल 16 रुपये 10 पैसे प्रति क्विंटल से ही मूल्य मिल द्वारा दिया जा रहा है, जो उसके साथ अन्याय है। अतः मैं खाद्य मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में सरकार की स्थिति स्पष्ट करें।

---

## बजट (सामान्य) 1983-84—सामान्य चर्चा—जारी

**उपाध्यक्ष महोदय** : सदन अब वर्ष 1983-84 के लिए बजट (सामान्य) पर आगे चर्चा शुरू करेगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा

**श्री रवीन्द्र वर्मा** (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अपने सच्चे मित्र महोदय, वित्त मंत्री के प्रति बहुत ऊंचा आदर और अनुराग है। मैं कहना चाहता हूं कि उनके द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव के प्रति भी मेरे उसी प्रकार के विचार हैं।

**एक माननीय सदस्य** : बहुत अच्छा।

**श्री रवीन्द्र वर्मा** : मैं जानता हूं कि उन का काम टेढ़ा है और उन्हें एक अत्यंत कठिनाई के वर्ष में इसे तैयार करना पड़ा। उन्होंने एक कर्त्तव्य निष्ठ प्रयत्न किया है। पर मुझे डर है कि उन्हें उनकी ईमानदारी ने एक भारी कठिन स्थिति पर उतार दिया है।

जहां तक उनकी पार्टी के दर्शन की विशेषता का संबंध है, उन्होंने ईमानदार बनाने का प्रयत्न किया है। अतः वे अपनी पार्टी के दर्शन के बन्दी हैं। मैं अवश्य कहता हूं कि उनका बजट उन की पार्टी के दर्शन के लिये सत्य है अर्थात मुहर के संरक्षण तथा बुनियाद को नीचा देखने के लिए सत्य है। संक्षिप्त रूप से यही इस सरकार ने बजट की पवित्रता और उपयोगिता के लिए प्रयत्न किया है। इस सरकार के हाथों में बजट से यदि कोई आशा रखने की बाते है तो यह बजट वह नहीं है। यह पाखंडपूर्ण वार्षिक धार्मिक रीति के रूप में विकृत हो गया है। इस सरकार का बजट अब राजकोष की स्पष्ट, व्यापक और शृंखलात्मक कवि नहीं दिखाता और नहीं राजस्व उगाहने और व्यय करने के पीछे निहित सरकार के उद्देश्य को बताता है। लोकतंत्र का जन्म इस मांग से हुआ था कि स्वीकृति के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा।

इसका स्पष्ट अर्थ यह कि प्रतिनिधियों की मंजूरी के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा। परन्तु, उन्ह ने एक ऐसा अनोखा तरीका निकाला है जिससे वे हर साल सदन के सामने अतिरिक्त कराधान के लिए न्यूनतम मांग को लेकर आते हैं और सदन जब अवकाश में है तो वे सदन की अनुपस्थिति में जनता पर चुंगी के माध्यम से, वस्तुओं के प्रशासनिक मूल्यों में अतिरिक्त वृद्धि के माध्यम से जनता पर भारी बोझा लाद देते हैं। सदन की मंजूरी ऐसे ही मान ली जाती है। राजस्व का प्रमुख भाग चुंगी के रूप में आता है जिसे सदन की अनुपस्थिति में लगाया जाता है और प्रचलित रीति को पूरा करने के लिए एक प्रतीक तत्व को सदन के सामने वाद-विवाद के लिए रख दिया जाता है या क्या मुझे कहना चाहिए संवैधानिक उत्तरदायित्व यदि यह वाक्यांश ठीक चलता है तो यह बिल्कुल नया है।

तीन प्रकार के तरीके अपनाये जाते हैं। एक है चुंगी और रियायतें, दूसरा प्राक्कलन के आंकड़ों में बार-बार संशोधन और पुनः संशोधन और तीसरा बार-बार अनुपूरक मांग की शरण लेना।

मैं पहले चुंगी के बारे में कहता हूं वर्ष 1980-81 में 262 करोड़ रुपए की राशि तक का अतिरिक्त कर लगाया गया वर्ष 1981-82 में 320 करोड़ रुपए का। 1 वर्ष 1982-83 में कराधान की कुलराशि 587 करोड़ रुपए और इस वर्ष 716 करोड़ रुपए। देश को यह धारणा देते हुए कि सरकार कोमल है और जनता पर लादे गये बोझ के बारे में विचारशील है तथा चार वर्षों में इसने केवल 1885 करोड़ रुपये लिए हैं। परन्तु सच्चाई क्या है इसमें दो वास्तविकताएं हैं जिसे वे लोगों के सामने दिखायेंगे और दूसरी जिसका संशोधन समाप्त हो जाने के बाद आंकड़ों से पता चलेगा। वर्ष 1982-83 में बजट-पूर्व की चुंगी की राशि 2600 करोड़ रु० तक की थी और बजट पर की चुंगी की राशि 2500 करोड़ रु० तक की थी। इस वर्ष बजट के पहले मेरे मित्र महोदय और उनके प्रख्यात सहकर्मी बृन्द ने—मैं यह कहना पसन्द नहीं करूंगा कि अनेक-अनेक प्रख्यात सहकर्मी हैं क्योंकि बाकियों की तुलना में वे अधिक बराबर हैं, चुंगी के माध्यम से 2100 करोड़ रुपए वसूल किए। अतः यद्यपि मैं शेष चीजों के बारे में नहीं कहता हूं। मैं सीधे उन 67 करोड़ रुपयों का हवाला दे सकता हूं जिन्हें सदन की अनुपस्थिति में लगाया गया था।

इस सदन में दिनांक 25 फरवरी 1983 को तीन सदस्यों के एक प्रश्न के उत्तर के संबंध में जिसमें इन्होंने सरकार से पिछले तीन वर्षों की अधिसूचनाओं और चालू वर्ष में लगाए गए लेवी और मूल्यों के बारे पूछा तो सरकार ने उत्तर दिया इस जवाब को वर्ष 1980, 1981, 1982 और 15 फरवरी तब के नोटिस के बिना पारित नहीं किया जा सकता।

मूल्यों और राजस्व को बढ़ाने के लिए तथा चुंगी स्वलित के लिए सरकार द्वारा 35, 68, 53 और पांच अधिसूचनाएं जारी की गई थीं। तब, महोदय, एक वाक्य है। मैं नहीं जानता कि यह मेरे मित्र, उपयुक्त वित्त मन्त्री की तीखी नजरों से बच निकला है या नहीं, वाक्य इस प्रकार है :

> "इन अधिसूचनाओं में प्रकाशित राजस्व से संबंधित कोई भी प्राक्कलन, जैसा कि इसकी प्रकृति है, सही और पक्का नहीं हो सकता।"

मैं अधिसूचना में पाई गई व्याकरण की गलतियों को अलग रखता हूं। मेरे विचार में उन्होंने इसे नहीं देखा है, अन्यथा इसे ठीक कर लिया जाता। आमदनी का प्राक्कलन 'सही या पक्का' नहीं हो सकता। सरकार के पास चुंगी के रूप में वसूल की गई आय का सही प्राक्कलन नहीं है। सरकार जिस ढंग से अपने राजस्व का हिसाब करती है वह विस्मयकर है।

अधिसूचनाएं न केवल राजस्व वसूली के लिए जारी की जाती है अपितु रियायतें देने के लिए भी जारी की जाती हैं। इस बजट के उपलक्ष्य में मेरे मित्र महोदय ने सभापटल पर पांच अधिसूचनाएं रखीं जिनमें छोटी कारों और स्कूटरों के निर्माताओं को 216 करोड़ रुपये मूल्य की रियायतें दी गई थीं।

यह एक बड़ा महंगा अर्थदंड है जिसे सरकार छोटी कारों के क्षेत्र में एक अपराधी शिशु को गोद लेने के लिए दे रही है, क्या मैं इसका नाम मारूति रख सकता हूं।

**14.11 (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)**

फिर, महोदय, मैं संशोधन पर पुनरीक्षण आता हूं। बजट प्राक्कलनों का पुनरीक्षण और पुनः पुनरीक्षण किया जाता है और वास्तविक आंकड़े एक वर्ष के बाद ही मिलते हैं। क्या हम वास्तविक आंकड़ों के बारे में जानते हैं? वास्तविक आंकड़े बाद में आयेंगे। वे सांख्यिकीविदों परिषत्सदस्यों के लिए लाभाकारी हैं, सांसदों के लिए नहीं।

अनुपूरक मांग के संबंध में, मन्त्री महोदय प्रति वर्ष हैट-ट्रिक करने में विश्वास रखते हैं। औसतन, तीन अनुपूरक मांगे हैं। अनुपूरक मांगों की बारम्बारता और आयामों में वृद्धि हुई। इन अनुपूरक मांगों में करोड़ रुपयों का हिसाब लगाया जाता है। ये अप्रत्याशित मदें हमेशा अप्रत्याशित मदों के रूप में नहीं रहतीं। इसी प्रकार बजट तैयार किया जाता है।

बजट प्राक्कलनों में तदर्थता को स्थान देने से संसदीय मजूरी बिल्कुल निरर्थक हो गई है और इससे संसदीय जांच तथा नियन्त्रण कमजोर हो जाते हैं। लगता है यह बजट तैयार करने की पद्धति है जिसके मायने हैं हाथों से उठाकर मुंह में डालना—शायद लोगों के हाथों से उठाकर सरकार के मुंह में डालना। क्या इससे वित्त मन्त्री स्वयं विचलित नहीं हैं। बजट तैयार करने की प्रणाली को पूर्णरूप से तोड़ देना, बजट तैयार करने की पद्धति का न होना। मैं जानता हूं कि वे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं और मैं जानता हूं कि वे उनमें से नहीं हैं जो पाखंडपन और रूढ़ीवाद के बीच मौज उड़ाते हों। अतः मुझे आशा थी कि पिछले चार वर्षों में वे कम से कम हमारे बजट बनाने की पद्धति में सुधार करने तथा उसे कारगर बनाने के लिए कुछ कदम उठायेंगे, कुछ पहल करेंगे, परन्तु वे लोकवाद के एक बन्दी है।

अब, वर्ष 1982-83 के बजट को लिया जाए। अतिरिक्त राजस्व में त्रैमासिक या वर्ष दो बार वृद्धि के बावजूद प्रतिवर्ष प्राक्कलित घाटे में वृद्धि होती जाती है। सदन को बताया जाता है कि अनुमानतः इतने का घाटा होगा और तदनुसार अतिरिक्त कर लगाये जाते हैं। परन्तु, वर्ष के दौरान अतिरिक्त कराधान से सरकार को अधिक आय होता है और फिर भी वर्ष के अंत में घाटा बढ़ जाता है। यदि यह प्रति वर्ष के मध्य में नहीं किया जाता तो जहां तक घाटे के आंकड़ों का सम्बन्ध है, भयंकर मुद्रास्फीति हो जाती। वर्ष 1982-83 में घाटे का प्राक्कलन 1,365 करोड़ रुपए था, पर राज्यों को दिए गए 1,743 करोड़ रुपयों को छोड़कर वह 1,935 करोड़ रुपए तक बढ़ गया। इसके अतिरिक्त, संसद के सामने काले परदे डालने के प्रयत्न भी दीख पड़ते। इस वर्ष के आकड़ों को लीजिए। यदि आप बाजार ऋण को देखेंगे तो पहले वह 3,200 करोड़ रुपए था और बाद में उसे 3,800 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया। पृष्ठ 66 के व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुसार ज्ञापन पेश करने की तारीख तक कुल आवती 2,744 करोड़ रुपए थी। उसके बाद 385 करोड़ रुपए के दो बाण्ड जारी किए गए। इससे 3,800 करोड़ रुपए पूरे नहीं हुए जिसके लिए ऋण लिए गए।

इसका मतलब है कि वास्तविक आंकड़े पुनरीक्षित प्राक्कलन से भिन्न है, इसका मतलब है है कि 661 करोड़ रुपए के घाटे को छिपाया गया।

महोदय, आप लोक-लेखा समिति के सदस्व रह चुके हैं और आप भली भाति जानते हैं कि, आमतौर पर, संशोधित प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े कम नहीं जाते, वे अधिक होते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं आपको वर्ष 1980-81 का उदाहरण दिखा सकता हूं। सीमा शुल्क के आंकड़ों को लीजिए। यदि समय होता, तो मैं पूरी सूची पढ़ सकता था। बजट प्राक्कलन 3,000 करोड़ रुपयों का था पुनरीक्षित प्राक्कलन 3,500 करोड़ रुपयों का 137.55 तथा वास्तविक आंकड़े 3,409 करोड़ रुपए थे। अतः परिमाण कम होता जाता है। परन्तु, गत वर्ष, जैसा कि मेरे मित्र महोदय जानते हैं, पुनरीक्षित प्राक्कलन में निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क को कम कर दिया गया है। वास्तविक आंकड़े में क्या कमी हो सकती है, उन्हें देखना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के संबंध में मेरे मित्र महोदय कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में लाभों का प्राक्कलन 360 करोड़ हैं जो वर्ष 1981-82 में 134 करोड़ रुपए था।

सभी जानते हैं जैसा कि पूर्वोत्तर कलकत्ता के मेरे मित्र महोदय ने परसों कहा है कि मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशासनिक मूल्यों में की गई वृद्धि से लाभ हुआ, विशेषकर पैट्रोलियम ग्रुप ने लाभ दिखाया। हमारे पास वर्ष 1982-83 के आंकड़े नहीं है, परन्तु हिसाब से चलें तो, स्थिति क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुल 732.25 करोड़ रुपयों का लाभ हुआ, पैट्रोलियम ग्रुप का लाभ 594.70 करोड़ रुपये था और अवशिष्टों का लाभ करोड़ रुपये था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के हानि उठाने वाले ग्रुप द्वारा 261.94 करोड़ रुपये की हानि हुई। अतः यह रद्द हो जाता है और हिसाब से 124.39 करोड़ रुपये की हानि के होती है मेरे मित्र महोदय के पास वर्ष 1982-83 आंकड़े हैं जो मेरे पास नहीं है।

यदि वास्तविक में इस प्रकार की कमी आई, तो इसका मतलब है कि वास्तविक घाटे के आंकड़े बढ़ गये हैं। सांख्यिकी में बहुत जादूगरी है। मेरे मित्र महोदय पी० सी० सरकार के राज्य के रहनेवाले हैं। अतः जादूगरी की कलां में अनेक अधिकार पर मैं हैरान नहीं हूं।

आर्थिक सर्वेक्षण एक दिलचस्प दस्तावेज है। वस्तुतः यह प्रगति के बारे में धोखा देने के लिए समुचित दावे के साथ शुरू होता है और बढ़ती असफलता के संबंध में अनिवार्य स्वीकृति के साथ समाप्त होता है जो अर्थव्यवस्था को पंगु बना देता है और योजना का मजाक उड़ता है। यह, वास्तव में दिलचस्प अध्ययन है। प्रति अनुच्छेद में पहली लाइन अतीत की बात करती है, वर्ष 1981-82, जब वृद्धि हुई थी, और तीसरी लाइन भविष्य के संबंध में बताती है जिस समय इससे अधिक की वृद्धि होने की आशा है, और बीच की दूसरी लाइन जो दोनों के बीच की दूसरी लाइन जो दोनों के बीच सैण्डविच की तरह है पिछले वर्ष की असफलता के बारे में बताती है। इकनामिक रिव्यू में पिछले वर्ष की रिपोर्ट पर महत्व नहीं दिया गया।

**सभापति महोदय** : आप केवल दूसरी लाइन क्यों देखते हैं?

**श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्योंकि अध्यक्ष की नामावली में केवल अध्यक्ष को न देखकर दूसरी लाइन को देखना पड़ता है।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : लाइनों के बीच में।

**श्री रवीन्द्र वर्मा**: मैंने इन आंकड़ों को चुनने की कोशिश की है परन्तु वे दिलचस्प अध्ययन बनाते हैं। वर्ष 1981-82 में समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सर्वेक्षण वर्ष 1982-83 में 3 प्रतिशत के बारे में बताता है।

कृषि उत्पादन, 1981-82 में 133 लाख, 1982-83 में 1250 से 1280 लाख, उच्च आमदनी विविधता का लक्ष्य 51 हैक्टर है। उनका कहना है कि इसे प्राप्त करने की

संभावना नहीं है वर्ष 1981-82 में कोयले का उत्पादन 1294 लाख, वर्ष 1982-83 में उसमें 4.2 प्रतिशत की वृद्धि है पूर्व वर्ष ब्याज की दर 11.4 प्रतिशत थी। वर्ष 1981-82 में औद्योगिक उत्पादन 8.6 प्रतिशत था। वर्ष 1982-83 में इसके 4.5 प्रतिशत होने की संभावना है। चुने हुए उद्योगों के उत्पादन में भारी कमी है। 1981-82 में सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन में 19.7 प्रतिशत वृद्धि हुई, अप्रैल से अक्तूबर 1982-83 में यह 8.9 प्रयिशत था।

ये आंकड़े मेरे मित्र महोदय के 'इकनामिक सर्वे की दूसरी लाइन से लिए गए हैं।

इकनामिक सर्वे जैसा कि मैंने कहा, अंत में, टास्क्स एहैड सम्बन्धी चैप्टर में अत्यन्त वास्तविक बन गया है। इसके अनुसार।

"फिर भी, सिंचाई की क्षमता में 90 लाख हेक्टारों की और उर्वरक आदि में 20 लाख टनों की वृद्धि के बावजूद, खाद्यान्न के उत्पादन के स्तर में कोई महत्व वृद्धि नहीं हुई है। यह एक निर्मम सत्य है"

यह स्वीकारोक्तियों की सूची है। इसमें यह स्वीकार किया गया है कि :

"पिछले वर्ष के सर्वेक्षण में यह प्रकट किया गया था कि 1981-82 में औद्योगिक उत्पादन में अधिक वृद्धि होने का आंशिक कारण यह था कि पिछले दो वर्षों में उत्पादन का स्तर कम रहा···।"

"1982-83 के अनुभव ने एक बार फिर इस तथ्य को उजागर किया है कि औद्योगिक ढांचा अपनी पूर्व गति पर अभी तक नहीं पहुंचा है।"

"अधिकांश उद्योगों में क्षमता के उपयोग का स्तर अभी भी कम है।"

"औद्योगिक उत्पादों की कीमतें अपेक्षतया अधिक हैं जिसके कारण ये उत्पाद इने-गिने लोगों को छोड़कर बाकी लोगों की पहुंच के बाहर है।"

ये टिप्पणियां आर्थिक सर्वेक्षण से ली गई हैं। अपने भाषण के लगभग अन्त में उनकी ईमानदारी ने उन्हें फिर कचोटा है और इसलिए वह इस मूल्यांकन पर पहुंचे हैं।

मन्त्री जी ने दावा किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान औसतन विकास दर 5 प्रतिशत वार्षिक रही है। यह संगणना, जैसाकि वह स्वयं स्वीकार करेंगे, इस धारणा पर आधारित है कि 1982-83 की विकास दर लगभग 2 प्रतिशत होगी। लेकिन यह भी खरीफ के उत्पादन में अनुमानित कमी पर निर्भर करता है। अनुमान 6 मिलियन टन और 11 मिलियन टन के बीच है और यदि उत्पादन 11 मिलियन टन से अधिक हुआ तो विकास दर 2 प्रतिशत से भी कम हो सकती है, और जैसा कि कतिपय अनुसंधान ब्यूरो अथवा कुछ उपक्रमों ने घोषणा की है, यह दर शून्य से भी कम हो सकती है। यह ऋणात्मक भी हो सकती है।

अब मैं योजना को लेता हूं। मन्त्री जी ने कहा है कि उनकी एक प्राथमिकता यह है कि योजना की हिमायत की जाए। उनका दावा है कि केन्द्रीय योजनागत परिव्यय में 26 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 13870 करोड़ रुपये किया गया है। प्रावधान करना एक बात है। उसमें संशोधन करना दूसरी बात है। विस्तार करना तीसरी बात है और बुद्धिमानी से विस्तार करना चौथी बात है। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री ने योजना की रक्षा करने की अपनी इच्छा में इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की जांच की है अथवा नहीं। योजना एक पुनीत दस्तावेज है। आजकल सभा योजना पर कभी चर्चा नहीं करती। पुराने समय में, सभा योजना के प्रारूप पर, संशोधन से पूर्व, अन्तिम रूप देने के बाद तथा मध्यावधि मूल्यांकन के समय भी चर्चा किया करती थी। हमने योजना के तीन वर्ष व्यतीत कर दिए हैं। एक दिन मैंने मध्यावधि मूल्यांकन के बारे में एक प्रश्न पूछा था। आपको पता है कि मुझे क्या उत्तर दिया गया था ? मुझे बताया गया था कि मध्यावधि मूल्यांकन किया जा रहा है और यह अभी पूरा नहीं हुआ है। योजना अवधि समाप्त हो जाएगी।

भारत रत्न की तरह इसे भी मरणोपरान्त मान्यता दी जाएगी। जब योजना अवधि समाप्त हो जाएगी तो मध्यावधि मूल्यांकन संसद के सम्मुख रख दिया जाएगा। यह आश्चर्य की बात नहीं है। आप जानते हैं कि जबकि वित्तीय लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, लेकिन पैसे के मूल्य में ह्रास के कारण भौतिक लक्ष्यों में ह्रास हो जाता है और फिर योजना के महत्वपूर्ण भाग को बचाने की बात चलती है। अब योजना का महत्वपूर्ण अंग 20 सूत्री कार्यक्रम बताया गया है। यह योजना का महत्वपूर्ण अंग है। अन्य सभी चीजें दिखावा हैं। बाकी हर चीज ढांचा है, और इसलिए—

**वासांसि जीर्णानि यथा विहाय**

ठीक वैसे ही जैसे कि शरीर जब शिथिल, पुराना और रोगी हो जाता है तो उसे त्यागा जा सकता है और आत्मा को बचाए रखा जाना चाहिए। योजना के साथ भी वही बात है अब 20 सूत्री कार्यक्रम इसकी आत्मा बन गई है। आत्मा का रहस्य लागू किया गया है और आत्मा निश्चिय ही—

**अव्यक्तोयम् अचिन्त्योयम्**

यह अपने को, विचारण, विश्लेषण, परिमापन के लिए प्रस्तुत नहीं करती। अतः आत्मा की कोई मात्रा नहीं है। इसका विवरण नहीं किया जा सकता। यह लौकिक आत्मा का परिमाण बताने का प्रयास करना ईश्वर की निन्दा करना है। अतः 20 सूत्री कार्यक्रम का कोई परिमाणन नहीं है। यह निर्देश का वक्तव्य है। यह एक ऐसा वक्तव्य है जो वांछनीय दिशा को रेखांकित करता है। यह वांछनीयताओं की सूची है। यह कालातीत है। यह समय तथा लक्ष्यों की धारणा से परे है।

**सभापति महोदय** : आप अब दार्शनिक बन गए हैं।

**श्री रवीन्द्र वर्मा** : एक पंडित पीठासीन अधिकारी के सामने मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। मैं एक अन्य पंडित को संबोधित कर रहा हूं। अतः मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।

वास्तविक स्थिति क्या है ? हम उस प्रावधान के प्रश्न को लेते हैं जो योजना में किया गया है। उन्होंने कहा है कि 26 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष 27.1 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। मैं नहीं जानता कि किस गलती से वह इस वर्ष की वृद्धि 21,1 प्रतिशत से अधिक क्यों नहीं कर सके। माननीय मंत्री ने दावा किया है कि पिछले वर्ष जो प्रावधान किया गया था। उसमें 27.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। संशोधित अनुमानों की क्या स्थिति है ? आप मेरे साथ अवश्य सहमत होंगे कि ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी जानकारी सभा को होनी चाहिए, जिन्हें ढका नहीं जाना चाहिए :

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के लिए किए गए योजना प्रावधान को 122 करोड़ रुपये से घटाकर 119 करोड़ रुपये कर दिया गया, सहकारी उर्वरक कारखानों के 120 करोड़ रुपये से घटाकर 105 करोड़ रुपये और सामान्य आर्थिक सेवाओं के 268 करोड़ रुपये को घटाकर 261 करोड़ रुपये कर दिया गया।

ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम के लिए किए गए 430 के प्रावधान को घटाकर 405 कर दिया गया इसमें व्यावहारिकतः समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और डी० पी० ए० पी० सहित सभी सेवाएं शामिल हैं। इसके प्रावधान को 430 से घटाकर 405 कर दिया गया है। इसी तरह पशुपालन, 24 से घटाकर 16, मत्स्य-पालन 23 से घटाकर 18, खादी और ग्रामोद्योग 167 से घटाकर 159, मशीनरी और इंजीनियरी उद्योग, 128 से घटाकर 120, पैट्रोलियम, 242 से घटाकर 143, उर्वरक, 232 से घटाकर 209, कोयला और लिगनाइट, 85·7 से घटाकर 844, उपभोक्ता उद्योग 160 से घटाकर 142, पन-बिजली 107 से घटाकर 103, नौवहन, 103 से घटाकर 99 कर दिया गया है। उद्योगों तथा खनिज पदार्थों के लिए कुल प्रावधान 187 से घटाकर 177 कर दिया गया है।

प्रावधान में यह कमी की गई है। लेकिन वास्तव में कितना अनुमानित परिव्यय रखा गया है ? पिछले कल, अथवा उससे पिछले दिन, मेरे माननीय मित्र, श्री बारोट ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की ओर ध्यान दिलाया और बताया कि कैसे संशोधित अनुमान में किए गए प्रावधानों की धनराशि भी खर्च नहीं की गई है। भले ही चाहे वित्तीय लक्ष्य 79,000 करोड़ रुपये की सीमा तक पूरे हो जाएं और यदि सरकार ऐसा करने में सफल रहती है—मुझे उसकी खर्च करने की क्षमता में संदेह नहीं है और वह योजना अवधि की समाप्ति तक 97,000 करोड़ रुपये खर्च कर लेती है, तो भी योजना के परिव्यय में 40 प्रतिशत मूल्य ह्रास होगा। अतः वास्तविक लक्ष्य 40 प्रतिशत कम रहेंगे। यह है हमारी योजना का विनाश का कारण।

मैं जानता हूं कि मैं जो समय ले रहा हूं आप उसके बारे में चिन्तित होंगे, और इसलिए मैं आपको यह पढ़कर नहीं सुनाऊंगा कि 30 वर्षों के बाद स्थिति क्या है। मैं अपने माननीय मित्र को ही दोष नहीं दे रहा हूं। यह एक राष्ट्रीय विपत्ति है कि योजना के 30 वर्ष के बाद भी हमारे 50 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे हैं। इस्तात, रूई, निर्यात, यावहारिकतः आप किसी भी वस्तु को लें। यदि आप 30 वर्षों के कुल लक्ष्य को जोड़ें, तो आपको पता चलेगा कि इस्पात में 33 प्रतिशत रूई में 39,27 प्रतिशत और निर्यात में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस तरह से योजना के लक्ष्य पूरे किए जा रहे हैं।

उदाहरणार्थ कृषि को लें। इस वर्ष कुल उत्पादन 1981-82 की तुलना में 3 प्रतिशत कम होगा। हम मानते हैं कि सूखा पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद कि प्रतिवर्ष 2 मिलियन हैक्टेयर से भी अधिक भूमि में सिंचाई की सुविधा दी जाती है।

कृषि में भारी रकम खर्च की जा रही है, उर्वरकों की खपत बढ़ रही है, अधिक पैदावार देने वाली किस्में लागू की गई हैं फिर भी उत्पादन गिरावट आई है। इस सबका क्या परिणाम रहा? मेरे माननीय मित्र मेरे साथ सहमत होंगे कि अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटी है जिसके परिणाम स्वरूप कुपोषण हुआ है कुछ—मिनट पहले यह बात इस सभा में गूंजी थी—प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता में गिरावट, जिसके परिणाम स्वरूप कुपोषण बढ़ा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अधिक भार पड़ा, विदेशों से 4 मिलियन टन अनाज की खरीद की गई, मैं नहीं जानता कि कितने करोड़ रुपये इस पर खर्च हुए, आत्म निर्भरता की नीति का उत्क्रमण हुआ, विदेशी मुद्रा खर्च की गई, तथा विभेदीय मूल्यों के कारण असन्तोष पैदा किया गया मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं मूल्यों के उस अन्तर के बारे में बोल रहा हूं जो भारतीय कृषकों और विदेशी कृषकों को दिया जा रहा है, मेरे माननीय मित्र, प्रो० रंगा आ गए हैं।

महोदय, मैं अब सिंचाई को लेता हूं। बड़ी तथा छोटी सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से हमने 28.5 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा की है। लेकिन हम केवल 24.6 मिलियन हैक्टेयर की क्षमता का ही उपयोग कर रहे हैं। एक अतिरिक्त हैक्टेयर में सिंचाई क्षमता जुटाने की लागत 7,000 रुपये है। इसका अर्थ है कि 28,000 करोड़ के मूल्य की सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है और इतनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है।

**सभापति महोदय** : आपने लगभग 25 मिनट ले लिए हैं।

**श्री रवीन्द्र वर्मा** : मुझे 40 मिनट देने का वचन दिया गया है। मैं इस अवधि के भीतर समाप्त कर दूंगा।

**सभापति महोदय** : कुल समय केवल 32 मिनट का है।

**श्री रवीन्द्र वर्मा** : मैंने उपाध्यक्ष महोदय से बात की थी। मुझे वचन दिया गया है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : वह एक गणित सम्बन्धी गलती है।

**श्री रवीन्द्र वर्मा :** ऊर्जा क्षेत्र के लिए 36 प्रतिशत प्रावधान रखा गया है। 5014 करोड़ रुपये, जिस पर मेरे माननीय मित्र को गर्व है, में से 2815 करोड़ रुपये पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए चला जाएगा और 2200 करोड़ रुपये बिजली तथा कोयले के लिए दिया जाएगा। रेलवे के लिए किया गया नियतन— मेरे माननीय मित्र, मुझे खुशी है कि आप वहां नहीं थे बिल्कुल अपर्याप्त है। मालदा के माननीय सज्जन धमकी दे रहे हैं कि रेलों को बन्द होना पड़ेगा। उन्होंने दूसरे सदन में दिए गए अपने एक भाषण में ऐसा कहा है। मैं उनके भाषणों की ओर ध्यान नहीं दिला रहा हूं जिन्हें किसी अन्य स्थान पर टेप किया जाता है और जिन पर, अन्य स्थानों पर, लोग उठकर सभा से बाहर चले गए हैं।

तीन राज्यों को छोड़कर, अन्य प्रत्येक राज्य में बिजली की कमी है। कुछ राज्यों में यह कमी इतनी अधिक है कि किसी-किसी दिन बिजली की 100 प्रतिशत तक भी कटौती की जाती है।

अब मैं लघु क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाऊंगा जिसके बारे में मेरे माननीय मित्र ने कोई बात नहीं बताई हैं। संभवतया, विश्व बैंक के प्रभाव के कारण लघु क्षेत्र उल्लेख करने योग्य नहीं रह गया है। यह न केवल अस्पृष्य है बल्कि अनुल्लेखनीय भी है। निश्चय ही, मैं जानता हूं कि वित्त विधेयक इसका हवाला देता है लेकिन इस प्रश्न को मैं बाद में लूंगा।

मन्दी का प्रभाव बड़े एककों पर ही नहीं छोटे एककों पर भी पड़ता है जिनके संरक्षक नहीं होते। ऐसे समाचार हैं कि हजारों छोटे एकक बन्द हो गए हैं अथवा बन्द होने की स्थिति में हैं। अथवा बीमार हैं आल इण्डिया फेडरेशन आफ स्माल-स्केल इन्डस्ट्रीज ने इस सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है 800 वस्तुएं इस क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई थीं। परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि आरक्षण से उन लोगों का बहिष्कार कर दिया गया है जो इन वस्तुओं को पहले से बना रहे हैं। क्या मेरे मित्र इस बात को देख रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय तथा फेल कम्पनियां आरक्षण के बावजूद किस प्रकार से इन क्षेत्रों में काम कर रही हैं। उत्पाद शुल्क की नई दरों का लघु निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लघु क्षेत्र के लिये 68 के अन्तर्गत मदों के लिए अनर्हता की सीमा 40 लाख नियत की गई है परन्तु पात्रता की सीमा को 15 लाख से 25 लाख कर दिया गया है यदि लघु निर्माता 68 के अंतर्गत वस्तुएं का निर्माण 40 लाख रु० तक कर सकते हैं तो आपका यह निर्णय करने का आधार क्या है कि अन्य मामलों में सीमा 25 लाख होगी ? नया संशोधन यह कहता है कि 5 लाख से 7.5 लाख के बीच वालों को छूट नहीं मिलेगी इसका भी लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मेरा विचार है कि वित्त विधेयक पर चर्चा के उत्तर में वित्त मंत्री इन बातों को ठीक करेंगे।

मैं अब गैर योजना व्यय की बात करूंगा। कहा जाता है कि गैर-योजना व्यय कम हो रहा है, परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि "बजट प्रस्ताव एक नजर में पुस्तिका में कहा गया है।" कि वर्ष 1980-81 में आपके शासन में आने के समय विकास व्यय एक रुपये में से 59 पैसे था

परन्तु आज वह केवल 57 पैसे हैं मैं इसे झूठ नहीं समझता क्योंकि एक प्रतिशत अतिरिक्त रक्षा व्यय थी और चला गया है और शेष एक प्रतिशत ब्याज की ओर।

मेरे मित्र ने गैर सरकारी कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र में व्यर्थ के व्यय की बात कही है। परन्तु शायद यह सरकार पर असर नहीं होता यह बात के लाने की कोशिश की जा रही है। कि गैर-योजना व्यय कम हो गया है। उनका दावा है कि 1983-84 के लिए इसे कम करके 21,925 करोड़ रुपए के स्तर पर लगाया गया है। मैं अपने मित्र के लिए यह बताना नहीं चाहता परन्तु यह बहुत ही चलाकी की बात है। वास्तविकता क्या है। बजट अनुमानों में योजना व्यय जो 11,344 करोड़ था वह संशोधित अनुमानों में 11987 करोड़ रुपये हो गया। परंतु गैर-योजना व्यय जो बजट अनुमानों के अनुसार 17,875 करोड़ रुपए था बंद कर 22,253 हो गया जो गैर योजना व्यय में 24.5% वृद्धि है। इसे आप कहते हैं कि इसे कम किया गया है और 21.984 करोड़ रुपए के स्तर पर लाया गया है। पिछले वर्षों में भी संशोधन हुए। परन्तु संशोधन सीमान्तक थे।

जहां तक मूल्यों की बात है मेरे मित्र ने दावा किया है कि तुलनात्मक स्थिरता रही है और थोक मूल्य सूचकांक केवल 3 प्रतिशत अधिक है। परन्तु उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर उनका कोई निमन्त्रण नहीं हैं। जब आप तुलना की बात करते हैं तो मैं बिन्दु के चयन में मनमाने पन की बात नहीं करता परंतु स्पष्ट है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 8.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। प्रति सप्ताह इसमें निरन्तर वृद्धि होती रही है। यह तर्क कि थोड़ा मूल्य सूचकांक में गिरावट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में थोड़े समय बाद प्रतिलक्षित होगी व्यर्थ सिद्ध हुआ है। परंतु दूसरी ओर क्या आपने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अन्तर स्वयं आपके आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष दो गुना था और इस वर्ष तीन गुना हो गया है। सरकार ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि खाद्यान्न सब्जियों, अन्डे, मांस मछली दूध खाने के तेल आदि जैसी अधिकतर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है।

मेरे माननीय सदस्य ने काले धन में विरुद्ध बहुत बातें भी हैं। परन्तु वास्तव में वह ऐसे लोगों के साथ है जो सफेद धन को काले धन में बदलने में चतुर है। देश भर में उनके साथ ऐसे अनेक लोग हैं जो इस काम में चतुर हैं डा० रांगनेकर ने अपने हाल के एक लेख में कहा है कि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2/5 से 1/2 भाग काले धन की अर्थव्यवथा में पनप रहा है। राजनीतिज्ञों और काले धन के बीच सम्बन्ध आप को पता है। विभिन्न राज्यों में आपके दल के बड़े-बड़े पदाधिकारी अपने ही राज्य के मन्त्रियों पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके काला बाजार करने वालों और तस्करी करने वालों के साथ सम्बन्ध हैं। एक ने तो यहां तक कहा कि यदि आप सोने की खोज करना चाहते हैं तो अमुक मंत्री के घर पर छापा मारे। आर्थिक अपराधियों के बारे में जो समानान्तर अर्थ व्यवस्था के राजकुमार हैं बहुत कुछ कहा जा सकता है।

यदि मेरे पास समय होता तो मैं कहता है कि इस देश को समानान्तर अर्थव्यवस्था वालों के हाथो से बचाने के लिए तत्काल चुनाव सुधारों की आवश्यकता है।

मैं जानता हूं कि मेरे मित्र बहुत ईमानदार हैं। अतः उनकी अन्तरात्मा उनको कचोट रही होगी। अन्तरात्मा दो प्रकार से काम कर सकती है एक अनुशासन के पक्ष में और दूसरे उसके विरुद्ध। परंतु मैं नहीं जानता कि उनकी अन्तरात्मा किस मार्ग पर चलेगी।

पिछले वर्ष को उत्पादकता वर्ष का नाम दिया गया था। परंतु आज की स्थिति क्या है केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 7.9 प्रतिशत से कम होकर 3.5 प्रतिशत हो गई है। लाभ संबंधी पूंजी-उत्पादन अनुपात बढ़ कर 6.6 हो गया हैं। बिजली का उत्पादन 11.7 प्रतिशत से कम होकर 7.3 प्रतिशत हो गया है। राज्यों में लगातार अनेक दिन तक बिजली की शत प्रतिशत कटौती की जाती है। क्या उसका उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ता ? इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में कमी जबरन-छुट्टी छटनी तथा उत्पादन शुल्क, में कमी हो रही हैं।

जहां तक कराधान सम्बन्धी उपायों की बात है आपने रफूगर का काम किया है। बंगाल जैसे क्षेत्र से जो उम्दा मलमल के लिए प्रसिद्ध है सम्बद्ध होते हुए आपसे आशा थी कि आप किसी नई व्यवस्था की कुशलता का प्रदर्शन करेंगे। परंतु आप देश की अर्थव्यवस्था के लिए रफूगर बन कर ही सन्तुष्ट हो गए हैं। कम आय वर्ग के लोगों को कुछ दिखावे मात्र की सीमान्त राहत मिली है परंतु 716 करोड़ की अनुमानित आय में से लगभग सारी आप अप्रत्यक्ष करों से आय हैं। भारत के एक प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष कर अदा करते हैं अतः ये कर 99 प्रतिशत लोगों पर हैं, जो आयकर के जाल से बाहर हैं अतः उनका सारा भार आम जनता पर है।

जहां तक गैर सरकारी क्षेत्र निगमित क्षेत्र का संबंध है मैं कुछ कराधान प्रस्तावों का स्वागत करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अधिक लाभांश कोई कर न देने वाली कम्पनियों की बढ़ती संख्या की ओर ध्यान देने का जबरदस्त प्रयास किया है। यह बहुत ही अच्छा कदम है। नियमित क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ बहुत ही अच्छे प्रस्ताव है। परतु मैं यह नहीं कहूंगा कि आपने दोनों हाथों से बटोरा है वास्तव में आपने एक हाथ से बटोरा है और दूसरे से दिया है। दिए जाने प्रोत्साहनों से सरकारी राजस्वबाले कुछ में 270 करोड़ रुपए की कमी होगी।

मैं प्रधान मंत्री ग्रामीण बिकास निधि की बात करना चाहता हूं।...

**सभापति महोदय** : चालीस मिनट में से केवल तीन मिनट शेष है।

**श्री रवीन्द्र वर्मा** : ठीक है। वदि इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता तो मैं नहीं करूंगा। मुझे विश्वास है कि यह सफल नहीं होगा।

**सभापति महोदय** : कृपया समाप्त करें।

**श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्योंकि इसके साथ स्वयं सेवी संगठनों को पैसा मिलना बन्द हो जायेगा । वह वैसा प्रधान मंत्री विकास निधि को जाएगा जो कि एकाधिकार एजेन्सी होगी । जिसका अर्थ होगा सभी सेवी प्रयासों की हत्या जो लोकतन्त्र के लिए खतरनाक है ।

कोई भी आर्थिक नीति गरीबी, बेरोजगारी भूख निरक्षप्ता, बीमारी और बन्धुआ श्रमिकों की समस्याओं की उपेक्षा नहीं कर सकती । गरीबी की बेरोजगारी के साथ दूर नहीं किया जा सकता । इसे तो रोजगार केसाथ पर्याप्त क्रम शक्ति पैदा करके उत्पादन की व्यवस्था करके समाप्त किया जा सकता है जो पर्याप्त उत्पादन तथा उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो । आप आर्थिक बिकरता के माध्यम से रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पर पैदा नहीं कर सकते । आप महानगरों में गन्दी बस्तियों में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के आने को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण बेरोजगारों की समस्या को हल नहीं कर सकते आप स्वः नियोजन लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिए बिना, सहकारिताओं के बिना तथा बन्धुवों मजदूरों एवं भूमिहीन मजदूरों की समस्याओं की और ध्यान दिए बिना रोजगार के अबसर पैदा नहीं कर सकते । योजनाएं ऐसा करने में असफल रही है । जब हमारी पार्टी का शासन था हमने यह करने की कोशिश की थी । हमने रोजगार के अवसर पैदा करने और जनता के निर्धनतम एवं निम्नतम वर्गों की आवश्यक ताओं के अनुसार आयोजन को नया रूप देकर आपको यह सब करने का स्वर्ण अवसर प्रदान किया ।

आपने वह मौका खो दिया है क्योंकि आपको यह आशका थी कि कहीं यह न कहा जाए कि आप हमारे पदचिन्हों पर चल रहे हैं ।

स्वतः रोजगार यह लघु क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट में क्या व्यवस्था की गई ? मुझे अपने माननीय दोस्त और उनकी सरकार से यह बात अवश्य कहनी चाहिए । आपने नागरिकों की सुरक्षा का वायदा किया—बदले में आपने असुरक्षा पैदा की । आपने शान्ति व्यवस्था बनाए रखने का वायदा किया लेकिन आपने अराजकता को जन्म दिया । आपने अल्प संख्यकों और हरिजनों के संरक्षण का वायदा किया था—परन्तु आपके शासन में इस समय की सबसे अधिक जघन्य घटनाएं प्राप्ति हुई है । आपने आत्म निर्भरता का वायदा किया था—पर अब आपने आयात के लिए चौड़े कपाट खोल दिए हैं । आपने बिल्कुल भी विदेशी सहायता न लेने का वायदा किया था लेकिन आपने इतनी अधिक विदेशी सहायता प्राप्त की है कि इस देश के लोग विदेशी ऋण के भार से दिए जा रहे हैं । आपने समाजवाद की सभी प्रकार से रक्षा करने का वचन दिया था । कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना आपको शोभा नहीं देती । आप आर्थिक-अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों के समर्थन से किसी व किसी प्रकार शासन से चिपटे रहना चाहते हैं । आपने ऐसी सरकार का वायदा किया था, जो काम करे । लेकिन आपने देश को ऐसी सरकार दी, जो विध्वंसक है, जिसने अर्थ-व्यवस्था नष्ट कर दी है तथा जो हमारे संविधान पर आधारित देश की राज्य-व्यवस्था को नष्ट कर देगी ।

आजकल इस देश में लोग 'गांधी' पिक्चर देख रहे हैं। मुझे आशंका है कि शीघ्र ही सरकार गांधी, पिक्चर दिखाए जाने पर प्रतिवन्ध लगा देगी, क्योंकि आयात कर के दौरान उसने गांधी और टैगोर की उक्तियों को सेंशर कर दिया था, क्योंकि उस बूढ़े आदमी मोहनदास कर्मचन्द गांधी का उदाहरण वास्तव में एक खतरनाक उदाहरण है। उसने अंग्रेजी से देश को परमात्मा और अराजकता के भरोसे पर छोड़कर चले जाने को कहा था। मेरे मित्रों ने इस देश में काफी अराजकता पैदा कर दी है और अब समय आ गया है, जब देश कहेगा, "गद्दी से उतरो और देश का शासन परमात्मा तथा बेहतर लोगों के हाथों में सौंप दो···

**सभापति महोदय** : मेरा ख्याल है कि आपने अपना भाषण समाप्त कर लिया है।

**आचार्य भगवान देव**

**आचार्य भगवान देव** : सभापति जी···

**एक माननीय सदस्य** : अब भगवान बोलेंगे।

**आचार्य भगवान देव** (अजमेर) : माननीय सभापति जी, माननीय वित्तमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। बिगड़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिति को देखते हुए जो सुन्दर, श्रेष्ठ और संतुलित बजट पेश किया गया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा जी माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए स्वयं परंतु और लेकिन के चक्कर में पड़ गए।

उन्होंने एक बात कही कि आय और व्यय का चित्र अच्छी तरह पेश नहीं किया जबकि उन्होंने स्वयं ही आंकड़ों का उल्लेख करते हुए जो कहना था, कह दिया। यह तो ऐ-सी बात हुई कि हरियाली सामने हो, फिर भी किसी को नजर न आए। इसमें हरियाली का दोष नहीं है, देखने वालों को दोष है। ये विरोधी पार्टी के लोग निराश और हताश हो चुके हैं। इन्होंने अपने काल में क्या नहीं किया ? ये आईने में अपना चेहरा देख लेते।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : दोनों देखे हैं।

**आचार्य भगवान देव** : इन्होंने आक्षेप लगाया है कि महंगाई बढ़ गई है। क्या यह सच नहीं है कि जनता पार्टी के टाईम में जब यह मेढ़की टोला और एक ही विचार के लोग बनकर मंच पर खड़े हुए थे तो प्याज पांच रुपए किलो थी और बाद में चीनी 14 रुपए किलो इनके टाईम में हुई। चीनी का बेड़ा-गरक इन्होंने किया। यदि आप सुनना चाहते हैं तो आकड़े देकर हम दलील करने के लिए तैयार हैं। आपकी अर्थव्यवस्था को न समझने वाले बुद्धि के ब्रह्मचारियों ने चीनी का भाव गिराया और उसी की वजह से गन्ने का भाव मिट्टी में मिल गया और

किसान को पैसा नहीं दिया, उसके लिए दोषी आप लोग हैं। 14 रुपए किलो चीनी और पांच रुपए किलो प्याज आपने किया। पैट्रोल को पी गए। पैट्रोल और डीजल लोगों को नहीं मिलता था, लम्बी लाईने लगती थीं। आपकी अर्थव्यवस्था का दिवाला जनता देख चुकी है और इसीलिए आप अपने घर पर जाकर बैठ गए, जनता ने आपको घर पर पहुंचा दिया।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रास्फीति को देखते हुए संतुलित बजट रखा गया है। श्री रवीन्द्र वर्मा ने भी स्वीकार किया है कि बड़ी कुशलता से और बहुत अच्छा बजट रखा गया है। लघु उद्योग की उन्होंने बात कही। गत वर्षों से लघु उद्योगों का बहुत विकास हुआ है, बड़े-बड़े उद्योग पनप न जाएं इसका ध्यान रखा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्न किए गए हैं। ग्राम विकास बैंक योजनाएं बनायी गई और उनमें अधिक पैसे रखे गए हैं। नौजवाने शहर की ओर बढ़े इसका ध्यान रखा गया है वह गांव में रहकर वहां पर विकास कर सके। लघु उद्योग बंद करने की आपने बात कही। सभापति जी, वह लघु उद्योग बंद होता है जो बैंकों से पैसा लेकर शराब पीता है, जो मेहनत नहीं करता। जो नौजवान व्यक्ति मेहनत करता है वह उतना ही उत्पादन पाता है। जो बीज डालता है उसको कई गुना बीज मिलता है, यह प्रकृति का नियम है। उनको बहकाने वाले, गुमराह करने वाले और कार्य न कर सकें इसलिए झोंकने का प्रयास करते हैं इसके लिए जवाबदार विरोधी पार्टी के लोग हैं।··· **(व्यवधान)** जो गत वर्षों में स्मगलरों और चोरों की वकालत करते रहे हैं और आप चाहते हैं कि यहां की व्यवस्था ठीक हो जाए। क्या यह सही नहीं है कि मधु दंडवते जी और राम जेठमलानी जी दोस्त हैं आपस में, चुनाव लड़े हैं, एक दूसरे को इन्होंने सहयोग दिया है। एक तरफ स्मगलरों को बचाने के लिए वकालत करते हैं और दूसरी तरफ उनकी आलोचना करते हैं। आईने में थोड़ा अपना चेहरा देख लें कि आपकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है ?··· **(व्यवधान)**

दो प्रतिशत बिजली का विकास हुआ है। सीमेन्ट-10.2 और फर्टिलाइजर 9.6 प्रति-शत बढ़ा है। रेलवे, कच्चा तेल, लघु उद्योग के सम्बन्ध में कितना काम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की संख्या में सस्ते भाव पर दुकाने खुली हुई हैं।

हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो, और दूसरी तरफ कहते हैं टैक्स लगाये जा रहे। यदि कोई आमदनी का जरिया नहीं होगा तो देश के अन्दर जो हर मेम्बर चाहता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो वह कभी नहीं हो सकता है उसके लिये आवश्यक है करों को बढ़ाना चाहिये ताकि देश का विकास हो, पेय जल, सूखे की व्यवस्था ठीक की जाय यह सब बिना पैसे के कैसे हो सकता है ?

एक बात मैं धार्मिक ट्रस्टों के बारे में कहना चाहता हूं। काले धन की बात माननीय रवीन्द्र वर्मा ने की, में बताना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर काला धन कैसे लगाया जाता है अपने लाभ के लिये। जितने धार्मिक ट्रस्ट बना रखे हैं बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने वह उन कम्पनियों

में भी डायरेक्टर और पार्टनर हैं और इधर ट्रस्टों के अन्दर भी कुछ न कुछ देकर पद लिये हुए हैं, धर्म के नाम पर अधर्म का जो काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था और वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, बाहर की बात छोड़ दीजिये, इसी दिल्ली के अन्दर दिल्ली के भूतपूर्व मेयर।*

**सभापति महोदय** : नाम न लीजिये।

**आचार्य भगवान देव** : आज भी कई ट्रस्टों की सम्पत्ति पर अधिकार कर रखा है। जो लोग खाकी निकर पहन कर यहां आ गये हैं उन्होंने भारत गो सेवक समाज के लाखों रु० श्रद्धानन्द ट्रस्ट में लगा रखे हैं। आपको अगर काला धन निकालना है और धर्म के नाम पर जो चोर बाजारी हो रही उसको मिटाना है तो उस श्रद्धानन्द ट्रस्ट, जोरबाग, भारत गो सेवक समाज, सदर थाना रोड, दिल्ली (6) मुखर्जी ट्रस्ट पिछड़ा वर्ग सेवा संघ, जोरबाग, दीवान चन्द ट्रस्ट, नई दिल्ली, राधा मल आर्य ट्रस्ट की सम्पत्ति के इस व्यक्ति ने करोड़ों रु० अपनी कम्पनियों में रख रखे हैं। आप इसकी जांच कीजिये। बिना उन ट्रस्टों को पूछे उस व्यक्ति ने उन कम्पनियों में अधिकारी होते हुए दूसरी कम्पनियों में उस पैसे को भेज दिया जो मेरठ में शराब बना रही है। डूब मरना चाहिये, धर्म का पैसा, आर्य समाज के ट्रस्टों का पैसा गऊ का पैसा लेकर शराब बना रहे हैं। इसकी जांच कीजिये आपको करोड़ों रु० का काला धन मिल जायगा। इस पर आपको नियंत्रण करना चाहिये, यह मैं भारत सरकार के मांग करता हूं।...

**(व्यवधान)**

श्री चरण सिंह

यह अर्थव्यवस्था की क्या समझेंगे ..

**(व्यवधान)***

**सभापति (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही)** : इन बातों में से कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। मुझे अफसोस है श्री आचार्य भगवान देव। आप क्या कर रहे हैं? कृपया अध्यक्ष-पीठ की ओर देखें।

**आचार्य भगवान देव** : सभापति जी, जो बजट वहां पर पेश किया गया है, मैं समझता हूं वह बहुत ही सुन्दर है। कोई भी सरकार आती है वह अपने टाइम में देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कर लगाती है क्योंकि उसे देश का विकास करना होता है। उसी दृष्टि से उसे कर भी लगाना होता है।

माननीय सदस्य, रवीन्द्र वर्मा जी ने बीस सूत्री कार्यक्रम की बाबत कहा है कि वह एक अमर आत्मा है। यह एक हकीकत है। संसार भर में जितने भी वाद हैं वह वाद-विवाद में पड़

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सकते हैं लेकिन प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जो बीस-सूत्री कार्यक्रम हमारे सामने पेश किया है उससे मजदूरों, किसानों, पिछड़े हुए वर्ग के लोगों तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है जिससे कि वे सुखी जीवन की नींव ले सकते है। इसलिए मैं श्री रवीन्द्र वर्मा जी को बधायी देना चाहता हूं कि उन्होंने बीस सूत्री कार्यक्रम को अमर आत्मा की संज्ञा दी। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश की अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, यहां की गरीबी और पिछड़ेपन को देखते हुए बीस-सूत्री कार्यक्रम को पेश किया है और उसके माध्यम से ही इस देश का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को देखते हुए रक्षा के ऊपर जो बजट बढ़ाया गया है उसको भी मैं अत्यावश्यक समझता हूं तथा सरकार को इसके लिए बधायी देता हूं।

इसी प्रकार से इस बजट का अच्छा असर मध्यमवर्ग के लोगों तथा कर्मचारियों के जीवन पर भी पड़ेगा क्योंकि इस बजट के द्वारा उनको बहुत सी राहतें दी गई हैं। नशीली चीजों पर रोक लगाने के लिए हमने जीवन भर संघर्ष किया है अतः उन चीजों पर अधिक कर लगाकर जो अंकुश लगाने का काम किया गया है उसके लिए भी मैं सरकार को बधायी देता हूं।

इन शब्दों के साथ, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बहुत कुशलता, सुयोग्यता और सुन्दरता के साथ बजट पेश किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव** : सभापति महोदय, कल, परसों और आज सुबह अब तक सदन में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने बजट पर भाषण दिया ...

(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी (कलकत्ता दक्षिणी)** : आपने मेरी बात नहीं सुनी,।

**श्री पट्टाभिराम राव** : कैसे सुनता? आप देर से आये थे। वे मेरे अच्छे साथी हैं। मैं हमेशा उनका भाषण सुनकर प्रसन्न होता हूं, मेरे वरिष्ठ सहपाठी मंत्री उत्तर देंगे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मंत्री जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं।

**श्री पट्टाभिराम राव** : महोदय, उन्होंने अनेक मुद्दों पर बोला है मैं केवल उन विषयों पर ध्यान दूंगा और उनका उत्तर दूंगा जिनसे मैं संबंधित हूं, अर्थात कराधान उपाय। कुल मिलाकर सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के संबंध में प्रस्तावों का स्वागत किया गया है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा अप्रत्यक्ष करों के बारे में रियायत की घोषणा की आम लोगों ने प्रशंसा की है। कुछ विशिष्ट उपायों पर टीका टिप्पणियां भी हुई हैं। मैं उन टीका टिप्पणी और उनके द्वारा उठाए गए कतिपय मुद्दों पर बोलूंगा।

कलानिधि और श्री भक्त ने विस्कोस स्टैपल वस्त्र और पालिएस्टर स्टैपल वस्त्र पर आयात शुल्क में वृद्धि की ओर संकेत किया है। इन दो प्रकार के वस्त्रों पर आयात शुल्क देशीय उद्योग को संरक्षण देने हेतु बढ़ाया गया है क्योंकि इन वस्त्रों को सस्ते मूल्य पर आयात करने से देशीय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह उपाय हाथ से बने वस्त्रों ब्लन्डेड यार्न और फैब्रिक्स के लिए बजट में घोषित अनेक उपायों में सेजर कांटन फैब्रिक्स के वांछनीय मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए पालिएस्टर कांटन ब्लन्डेड यार्न और फैब्रिक्स को कुछ रियायतें दी गई हैं।

ऐसा लगता है कि डा० कलानिधि को भय है कि सामान पर रियायत करने से तस्कर बढ़ेगी। ये रियायतें इसलिए दी गई हैं कि वास्तविक यात्रियों को सीमाशुल्क के माध्यम से निकासी की शीघ्र अनुपात मिलने में सहायता मिल सके। व्यापार के आधार पर माल को व्यक्तिगत के रूप में आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है, इसलिये सामान पर रियायत देने से तस्करी नहीं बढ़ेगी। विभाग की सतर्कता मशीनरी हर हालत में सतर्क रहेगी।

श्री मगनभाई बरोट ने दो पहियों वाले वाहनों और ट्रैक्टरों के लिए टायरों पर शुल्क की दरों में संशोधन करने की ओर संकेत किया है और कहा कि सांविधिक शुल्क पर कटौती को 60 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करना वास्तविक रियायत नहीं है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने इस संबंध में अपने भाषण में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि टायरों की इन किस्मों के लिए 60 प्रतिशत की टैरिफ दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है जो कि बजट से पूर्व विद्यमान प्रभावी शुल्क के स्तर का है। दूसरे शब्दों में, टैरिफ दर को प्रभावी दर के समान करने का प्रस्ताव है। यह एक टालमटोल विरोधी राष्ट्री आवायडेंस उपाय है और वस्तुतः इससे 12 करोड़ रुपए की केंद्रीय उत्पादन शुल्क प्राप्त होगा जिसे अन्य किसी प्रकार से वसूल नहीं किया जा सकता था। वित्त मंत्री ने यह दावा नहीं किया कि इसके परिणामस्वरूप मोटरों के टायरों के मूल्य कम होंगे।

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी ने आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में अफीम की खेती की अनुमति दी जानी चाहिए जहां इसकी पहले खेती होती थी, हिमाचल प्रदेश में अफीम की खेती पर 19.4 में रोक लगाई गई थी। वहां से अफीम के कच्चे माल की इस समय अत्यधिक सप्लाई की जाती है और हमारे पास वहां अफीम का विशाल रक्षित भण्डार होने से उसकी कीमतों में तेजी से कमी आई है। इन परिस्थितियों में पोस्त की खेती के अंतर्गत, वहां तक कि मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पारम्परिक पोस्त उत्पादक क्षेत्रों में, 1977-78 की फसल में 63685 हेक्टेयर से 1981-82 की फसल में लगभग 31958 हेक्टेयर खेती कम करने हेतु सरकार ने दबाव डाला है इसलिए, हिमाचल प्रदेश राज्य में अफीम की खेती को पुनर्जीवित करने की अनुमति देना व्यवहार्य नहीं समझा गया।

श्री मूलचन्द डागा ने कहा है कि उत्पादन शुल्क में शुल्क अपवंचन के मामलों में वृद्धि हो रही है। महोदय विभाग उत्पादन शुल्क के अपवंचन के विरुद्ध कड़े कदम उठा रहा है। इस संबंध

में इन उपायों की सफलता होना इसके परिणाम की ही उपलब्धि है । वर्ष 1982 में लगभग 59 करोड़ रुपए की राशि के शुल्क अपवंचन के 7108 मामले पकड़े गए थे। 1981 में, 50 करोड़ रुपए धन की धनराशि के शुल्क अपवंचन के 5257 मामले पकड़े गए थे ।

प्रत्यक्ष करो के बारे में मुझे खुशी हुई है कि कुल मिलकर बजट के प्रस्तावों की प्रशंसा हुई हैं कुछ सदस्यों ने सुझाव रखे हैं, कुछ ने स्पष्टीकरण मांगे हैं और कुछ अन्यों ने बजट प्रस्तावों की आलोचना की है, मैं इनमें से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बोलूंगा

श्री सुनील मैत्रा सरकार द्वार एकाधिकार प्राप्त घरानों को आयकर से स्थायी छूट देने के बारे में भावपूर्ण ढंग से बोले । वे अपने अर्थपूर्ण ढंग से यह कहते हुए बोलते रहे कि सरकार ने एकाधिकार प्राप्त घरानों से संबंधित 300 ट्रस्टों को स्थायी रूप से आयकर की छूट दी है । यह सच है कि 300 से कुछ अधिक ट्रस्टों को अधिसूचना के द्वारा स्थायी रूप में आयकर की छूट दी है किन्तु इन 300 ट्रस्टों में से कुछेक ट्रस्ट बड़े घरानों से संबंधित हो सकते हैं । मैं अधिसूचित ट्रस्टों के उदाहरण दे रहा हूं और इस बात की पुष्टि सदन पर छोड़ता हूं कि क्या ये एकाधिकार घरानों से संबंधित हैं ।

1. कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट इन्दौर ।

2. महात्मा गांधी स्मारक निधि, पुणे ।

3. कैन्सर···सोसाइटी, नागपुर ।

4. नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइन्ड ।

मुझे सदन को सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि स्थायी रूप से स्वीकृत छूट की पहले ही संमीक्षा की जा चुकी है और इन सभी ट्रस्टों को वर्ष 1984-85 तक के मूल्यांकन वर्ष अधिसूचना की वैधता निर्धारित करने के नोटिस भेजे गए हैं । अब जो ट्रस्ट अधिसूचित किए जा रहे हैं, वे केवल एक सीमित अवधि के लिए हैं ताकि सरकार नवीकरण के लिए उनके अनुरोधों पर ट्रस्टों के कार्यकरण की पुनरीक्षा कर सके ।

15.08

**(श्री आर० एस० स्पेरो पीठासीन हुए)**

श्री मगनभाई बरोट ने आयकर अधिनियम की धारा 80 (अ) के उपबन्धों के सम्बन्ध में वाद का संदर्भ दिया है आयकर नियमों का नियम 19 का जो धारा 80 (अ) के प्रायोजन हेतु पूंजी की संगणना पारिभाषिक करना है को कुछ निर्धारितियों द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति से बाहर है । कुछ उच्च न्यायालयों ने इसका अनुमोदन किया विपरीत न्यायिक निर्णय दूर करने के लिए वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1980 द्वारा धारा 80

(अ) को भूतलक्षी प्रभाव से 1-4-1972 से संशोधित किया गया था और नियम में पहले के उपबंधों को उस धारा में समविष्ट किया।

फरवरी अप्रैल 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने नियम 19 क की वैधता की सुनवाई की और अपना फैसला रोके रखा था। ऐसे मामले जहां धारा 80 (अ) में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई हो, उनकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई नहीं की गई है। यदि सर्वोच्च न्यायालय नियम 19 क की वैधता स्वीकार करता है तो धारा 80 (अ) भूतलसी प्रभाव से लागू करने की चुनौती की याचिकाओं के निष्प्रभावी होने की संभावना है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : धारा 800 (अ) 1 किस अधिनियम में इतनी अधिक धाराएं हैं ?

**श्री पट्टाभि राम राव** : महोदय क्षमा करें यह अनुच्छेद 80अ है न कि अनुच्छेद 800।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा मामलों को शीघ्र निपटने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जिन मामलों में सामान्य कानून लागू होता है उन्हें इकट्ठा किया गया है न्यायालयों से अनुरोध किया गया है कि उन मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाए जिनमें बड़ी संख्या में निर्धारितों को प्रभावित करने वाले मामले शामिल हैं। जहां कानून के किसी विशेष मुद्दे पर न्यायालयों के मतभेद हैं वहां अपीलीय न्यायाधिकरण मामलो के विवरण तैयार करके सीधे उच्चतम न्यायालय को भेजे जा सकते हैं इससे विवादास्पद मामलों को जल्दी निपटाने में सहायता मिलेगी।

आयकर विभाग की पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कार्यकुशलता अच्छी रही है।

आयकर निर्धारण को निपटने के मामलों में वृद्धि हुई है।

जनवरी 1983 तक कुल 31.32 लाख रुपए का निर्माण किया गया जबकि पूर्ववर्ती वर्ष की तत्संबंधी अवधि में 30.71 लाख रुपए था कर निर्धारण किया गया था। एक लाख रुपए से अधिक की आप के जनवरी 1983 तक 36000 मामले निपटाए गए जबकि पिछले वर्ष का इस अवधि में 29000 मामले निपटाए गए थे। कर की बकाया धनराशि को वसूल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरणतया: 9 वर्ष 1975-76 की कर की बकाया धनराशि 31 मार्च 1969 को 388.19 करोड़ रुपए थी। 31 मार्च 1981 को यह धनराशि केवल 38.83 करोड़ रुपए रह गई थी। 30 जनवरी 1982 को 47 मामलों में जिनकी और 29.97 करोड़ रुपए बकाया थे, न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए थे।

नए निर्धारितों का पता लगाने वर्तमान निर्धारितों के मामलों में संशोधन का पता लगाने के लिए सूचना एकत्रित करने मिलान करने सूचना भेजने के तेज को कारगार बनाया गया है सर्वेक्षण कार्य में वृद्धि की गई है और इसके परिणाम स्वरूप 31 मार्च 1983 तक नए निर्धारितों को 71208 आय कर के तथा 3239 सम्पतिकर के नोटिस जारी किए गए हैं। इस अवधि में नए निर्धारितियों ने आयकर की 208775 और सम्पतिकर की 6918 विवरणियां स्वैच्छा से भेजी है। इसके अतिरिक्त 4289 निर्धारितियों का स्थल पर सर्वेक्षण किया गया जिससे 67 मामलों एक लाख रुपए से भी अधिक की छुपाई गई राशि का पता लगाया गया। सर्वेक्षण के स्वरूप जिन मामलों में छुपाने का संदेश उनकी संख्या 16वा है और लगभग 2.67 करोड़ रुपए छुपाए जाने का संदेह है।

12 मार्च, 1983 तक कुल 3937 तलाशियां ली गई जबकि पूरे पूर्ववती वर्ष में 4282 और इससे पहले के वर्ष में 3746 तलाशियां ली गई थीं। 12 मार्च 1983 तक 26 करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियां पकड़ी गई जबकी पिछले पूरे वर्ष 30 करोड़ रुपए की तथा इससे पहले के वर्ष में 19 करोड़ रुपए की पकड़ी गई थी। 12 मार्च 1983 तक मुकदमों के लिए जितने मामले शुरू किए गए थे उनमें से 346 को अनुमति मिल गई है जबकि पूरे पूर्ववर्ती वर्ष में 390 मामलों में और इससे पहले के वर्ष में 200 मामलों में अनुमति मिली थी।

महोदय इस नोट को पढ़ने के बाद मैं अपने उन कुछ मित्रों के बारे में बातें बताना चाहता हूं जिन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया है—जिन्हें मैंने स्वयं नोट किया है।

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही ने बताया है कि उड़ीसा के एक उद्योगपति ने कर का लाभ उठाने के लिए न्यायालय की स्वीकृति से कलिंगा ट्यूब को इंडियन मेटल और फैरो-अलायस लिमिटेड के साथ मिलाकर आय-कर विभाग सहित विभिन्न प्राधिकारियों की आंखों में धूल झोंकी है। आप सभी जानते हैं कि वह उस समय मन्त्री थे और शायद उन्होने यह कार्य उसी समय किया है।

मैं उन्हें आश्वासन देता हूं—उन्हें मेरा आशय श्री चिन्तामणि पाणिग्रही से है- कि आयकर विभाग के ध्यान में यह मामला आने के बाद सम्बन्धित आयकर आयुक्त ने न्यायालय में न्यायालय के आदेश में संशोधन करने के लिए पुनर्विचार करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए हैं।

कल श्री संतोष मोहनदेव ने असम में उनके सामने आई कठिनाइयों के बारे में काफी कुछ कहा था विशेष र पिछड़े क्षेत्रों के बारे में। उन्होंने स्थापित किए जा रहे दूरदर्शन और रेडियों के बारे में विशेष रूप से कहा था ताकि लोगों को अद्यतन समाचार मिल सके और पाकिस्तान या ढाका की बजाए उन्हें भारतीय समाचार प्राप्त हो सके। हम इस बात की सिफारिश करने जा रहे

हैं और सम्बन्धित विभाग को सिफारिश करने वाले विचार को मैं निर्देश दे रहा हूं कि इसकी जांच करें और यथाशीघ्र जो सम्भव हो वह किया जाए ।

उन्होंने कछार जिले में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय शुरू करने का भी सुझाव दिया है, परंतु मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र श्री संतोष मोहन देव कछार जिले में एक विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखते हैं अर्थात कछार एक छोटा सा स्थान है । मुझे डर है कि छोटे से क्षेत्र में विश्वविद्यालय शुरू करना आसान नहीं है । वहां विश्वविद्यालय की बजाए यदि उपयुक्त शैक्षिक स्थान शुरू किए जाएं और किसी अन्य स्थान से किसी विश्वविद्यालय का केन्द्र स्थापित किया जाए तो शायद उससे लोगों की आवश्यकता पूर्ति हो सकती है परन्तु मैं वहां तकनीकी शिक्षा पर बल दूंगा और आज के समय की मांग है कि उपयुक्त तकनीकी शिक्षा दी जाए है । हम इसके शिक्षा विभाग की सिफारिश करेंगे ।

श्री एस० पी० सिंह ने शिकायत की है कि उनके क्षेत्र में कुछ व्यापारियों ने दोहरे लेखे रखे हुए हैं और दोहरे लेखे रखकर वे लाभ कमा रहे हैं । मुझे विश्वास है कि विभाग इसकी जांच करेगा और यह देखेगा कि उपयुक्त उपचारात्मक उपाए किए जा रहे हैं ।

**प्रो एन० जी० रंगा** (गंटूर) : यह शिकायत पुरानी है ।

**एक माननीय सदस्य** : यह हर जगह हो रहा है ।

**श्री पट्टाभिराम राव** : मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने एक क्षेत्र विशेष का उल्लेख किया है । ये उपाय सब जगह किए जाएंगे । जहां भी इस बात का पता लगेगा वहीं ऐसा किया जाएगा । यह आयकर विभाग का कार्य हैं । मुझे विश्वास है कि विभाग निश्चिन्त रूप से इसकी जांच करेगा ।

उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि मध्यवर्ग पर करों का भारी बोझ न डाला जाए । आपने वर्तमान बजट में देखा होगा कि ऐसा नहीं किया गया है । वास्तव में यह शिकायत नियमित क्षेत्र से है । परन्तु मुझे विश्वास है कि नियमित क्षेत्र से ठीक ढंग से निबटा जा रहा है क्योंकि जैसाकि वित्त भाषण में कहा गया है, यद्यपि नियमित क्षेत्र बहुत अधिक लाभांश और बोनस शेयर दे रहा है परन्तु वे सरकारी राजस्व में अंशदान नहीं करते । अब बजट में वर्तमान व्यवस्था से निगमित क्षेत्र को निश्चिन्त रूप से सरकारी राजस्व में कुछ देना पड़ेगा और हम उनसे कुछ प्राप्त करेंगे ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (बसीरहाट) : कुछ से क्या मतलब है ?

**श्री पट्टाभि रामा राव** : लाभ का 30 प्रतिशत ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : लेखाओं में हेराफेरी करने के बाद ?

**श्री पट्टाभि रामा राव** : यह कैसे कहा जा सकता है ? आखिरकार इसकी जांच के लिए विभाग हैं। मुझे विश्वास है कि विभाग निश्चित रुप से इसकी जांच करेगा और यदि कोई बात, श्री सोमनाथ चटर्जी की सूचना पर, हमारे ध्यान में आई तो इसकी जांच की जाएगी (**व्यवधान**) वह आरोप लगा रहे हैं कि हम उनको बचा रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यहां मेरे कुछ मित्रों की अविज्ञता के कारण व्यवधान हो रहा था। प्रश्न यह है कि कितनी बकाया धनराशि इकट्ठी हो गई और कैसे आयकर विभाग हमेशा से रहा है। कानून हमेशा से रहा हैं। उन्होंने बकाया धनराशि कैसे इकट्ठी कर ली।

**श्री पट्टाभि राम राव** : आप स्वयं वकील है आप उनके बचाव के लिए न्यायालय में जाकर स्थगन आदेश ले सकते हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैंने ऐसा कभी नहीं किया कृपया पता लगाएं। मुझे इस मामले में न घसीटा जाए। मैंने जो कुछ किया है आप कभी नहीं कर सकते।

**श्री पट्टाभिराम राव** : आपका मतलब बकीलों से हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आप से मेरा मतलब सब मंत्रियों से है। उनमें से कुछ को सभी आप जानते हैं।

**श्री पट्टाभि राम राव** : मैं कह सकता हूं कि सारे मामले की हम जांच करेंगे जब मामले न्यायालय में लंवित्त पड़े हैं और स्थगन आदेश दिए जा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं ? हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि स्थगन आदेश समाप्त किए जाएं ताकि हम अपनी धनराशि एकत्रित कर सकें। हम यह भरसक प्रयास कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ सदन से मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्री द्वारा रखे गए बजट को प्रदान करें।

**श्री मधु दण्डवते** (राजापुर) : आप कर अपवंच की बात कर रहे हैं। क्या आप इस बात को स्पष्ट करेंगे कि गोल्डन तम्बाकू कम्पनी के कर अपवंचन के मामले में की जा रही जांच को रोकने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप किया है।

**श्री पट्टाभि रामा राव** : मेरा विचार है कि इस, प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे चुका हूं।

**प्रो० मधु दंडवते** : यही कारण है कि उन्होंने विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा है। आपने गलत उत्तर दिया था।

**श्री पट्टाभि राम राव** : विपक्ष स्वतंत्र है, वे जो चाहें करें। यह कोई मुद्दा नहीं है। जैसा कि मैं वह चुका हूं कि मैंने जो कुछ कहा था वह नितांत सही था। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (बसीरहाट) : सभापति महोदय, मुझे जितना सही समय मिला है उसमें मैं बजट के सभी पहलुओं पर चर्चा करने की चेष्टा नहीं करूंगा, ऐसा करना संभव भी नहीं है। मैं कुछ पहलुओं की ओर ध्वनि आकर्षित करूंगा, मेरी राय में जिनकी ओर अब तक वाद-विवाद में पर्याप्त ध्यान नही दिया गया है। अभी हम लोग नयी दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए सातवें गुट निर्पेक्ष सम्मेलन के लिए स्वयं को बधाई दे रहे थे जिसमें प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में हमारे देश तथा भारतीय शिष्टमंडल ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और प्रधान मन्त्रीजी इस सम्मेलन की सभापति थीं। वस्तुतः (**व्यवधान**) मैं केवल तथ्यों पर प्रकाश डाल रहा हूं इसमें हर्षित होने की कोई बात नहीं है। वह इस सम्मेलन की सभापति थी। सम्मेलन की सभापति होने के लिए आप उन्हें बधाई दे सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख अपनाये गए थे और विशेष रूप कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणायें की गई थीं। मैं उस आर्थिक संघर्ष के बारे में उल्लेख करूंगा जो विकासशील और विकसित देशों के बीच जारी है और इस सम्मेलन में जिन देशों ने भाग लिया था उनमें से अधिकांश विकासशील देश थे और वे सभी न्यूनाधिक रूप से आजकल मुट्ठीभर सम्पन्न और विकसित राष्ट्रों की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुरक्षित अनुचित और शोषणपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से पीड़ित हैं।

अब, मैं इसे इस प्रकार लेता हूं कि इन घोषणाओं में भाग लेने वाले हमारे देश ने केवल कुछ सार्वजनिक मनोभावना के कारण इस घोषणा का समर्थन नहीं किया। मेरा अनुमान है कि इन बातों पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। बजट एक ऐसा महत्वपूर्ण संकेतक है जिससे सरकार के विचारों का पता चलता है और इस बात का पता चलता है कि सरकार का प्रस्ताव किस प्रकार की अर्थ व्यवस्था और आर्थिक नीति अपनाने का है जिससे कि गुट निर्पेक्ष आन्दोलन के संदर्भ में उल्लिखित संघर्ष को बल मिलेगा क्योंकि मेरे विचार से कोई भी इस भ्रम में नहीं है कि उनके अनुनय विनय, विनम्र निवेदन और अनुरोध करने मात्र से विकसित देश उनकी बातों की ओर ध्यान देंगे। वे ऐसा नहीं करते हैं और न वे ऐसा करेंगें ही। वे पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के स्तम्भ हैं और इसीलिए विकासशील देशों को एकत्रित होने तथा एक संयुक्त मोर्चा गठित करने के लिए विवश होना पड़ा है जो विश्व परिषदों पर कुछ दबाव डालेगा और इस अन्याय से छुटकारा पाने की चेष्टा करेगा।

अब, व्यवहारिक रूप से सरकार सभी कुछ स्वीकार कर चुकी है, उदाहरण के तौर पर, आर्थिक सर्वेक्षण में कोई भी नयी बात नहीं है। मैं कह सकता हूं कि वही पुरानी कहानी है जिसे हम वर्षों से जानते हैं ; जिसका उल्लेख गुट निर्पेक्ष देश के शिखर सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'नयी दिल्ली समाचार' के पांचवें पैराग्राफ में किया गया है। मैं उसका एक वाक्य उद्धृत करता हूं जो निम्न प्रकार से है :—

"यह तथ्य कि ऐसे विकासशील देशों में, जिनकी अर्थव्यवस्था विशेष रूप से प्रभावित हो सकती है, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु-मूल्यों में भारी गिरावट और

उनके द्वारा आयात होने वाले औद्योगिक उत्पादों के मूल्य में भारी वृद्धि होने से अदायगी-घाटो की भारी राशि जमा हो गई है, ऋण-भार बढ़ता जा रहा है और व्यापार सम्बन्धी शर्तें बिगड़ती जा रही हैं..."

ये सब जाने-पहचाने लक्षण हैं। मेरे विचार से आप इन सभी अभिशापों से परिचित है जिनके कारण हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इनके कारण बहुत से देशों की स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई है।

मेरा यह विचार था कि सम्मेलन के तुरन्त बाद सरकार हमारे समक्ष कुछ और अधिक साहसिक प्रस्ताव रखेगी।

भारत एक विशाल देश है। भारत उन देशों के समान छोटा देश नहीं जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। मेरा मतलब उन्हें इस बात से छोटा कहने से नहीं है कि वे आकार में छोटे हैं। किन्तु भारत विकासशील देशों में सबसे बड़ा देश है। यदि सबसे बड़ा न भी हो तो शायद विकास-शीलता के स्तर के अनुरूप भारत कुछ कम विकसित देश है जिसके पीछे अनेक ऐतिहासिक कारण हैं।

**श्री पट्टाभि रामाराव** : बजट गुट निर्पेक्ष सम्मेलन की बैठक से पहले प्रस्तुत किया गया था।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : किन्तु उस पर वाद-विवाद अब भी हो रहा है और बदलती हुई स्थिति तो ध्यान में रखती ही होगी।

**श्री पट्टाभि राम राव** : अगले वर्ष।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : अगले वर्ष ? अगला बजट ?

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : अगले वर्ष ? बजट भाषण उस समय कौन तैयार करेगा ?

**श्री पट्टाभि राम राव** : वित्त मन्त्री।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : एक बात निश्चित है। आप सुनने के लिए अवश्य होंगे।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : सभी जानते हैं कि हम लोग विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साम्राज्य में रह रहे हैं। सभी विकासशील देश इस बात को जानते हैं। मैं नहीं जानता कि जब यह बात कही जाती है तो विरोधी दल के हमारे कुछ मित्र बहुत अधिक भावुक क्यों हो जाते

हैं। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक जीवन का यह एक कठोर सत्य है। गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों में यदि कोई बहुत ही बड़ा और रूढ़िवादी विचारों का व्यक्ति हो सकता है और जिसे किसी भी मानदंड से बहुत ही रूढ़िवादी और श्रेष्ठ विचारों वाला व्यक्ति कहा जा सकता है तो वह राष्ट्रपति जयवर्धन है और उन्होंने सम्मेलन में अपने भाषण में क्या कहा था? उन्होंने प्रतिनिधियों के समक्ष यह स्पष्ट किया था कि एक बार जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सम्बन्धित शर्तों को श्री लंका सरकार ने मानने का निर्णय लिया था तब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उन्हें उन सभी सामानों जिन्हें वहां की जनता खरीदती है का मूल्य व्यवहारिक रूप से किस प्रकार बढ़ाने के लिए विवश किया था। यह बात रिकार्ड में है। मेरे पास उनके भाषण का जो भी अंश उपलब्ध है, उससे कहीं अधिक पाठ्य आपके पास अवश्य होगा। मेरे पास केवल समाचार पत्र की रिपोर्ट है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में वक्तव्य देते हुए उन्होंने विभिन्न देशों से कहा था कि इसके प्रवेश द्वारों तथा मुख्य द्वार पर यह अंकित कर दें—'इसमें प्रवेश करने वाले आशा त्याग दें।' यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह राष्ट्रपति जयवर्धन ने कहा था।

अतः वस्तुत हम लोग गत वर्ष ही इन मुख्य द्वारों में प्रवेश कर गये थे। हम सभी आशा का परित्याग कर रहे हैं अथवा पूर्णतः आशावान है, मुझे ज्ञात नहीं।

अब प्रश्न उठता है : क्या बजट से आशा की कोई किरण प्राप्त होती है कि कोई ऐसी नीति बनाई जा रही है जिससे आर्थिक शोषण को रोकने के लिए धीरे-धीरे मैं रातों रात किसी चमत्कारिक परिणाम की आशा नहीं करता—इस देश में स्वस्थ संसाधनों को जुटाया जाएगा व लोकतंत्रीय शक्तियों को इकट्ठा किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां द्वारा हमारे ऊपर जिन्हें थोपने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके विषय में मैक्सिको के राष्ट्रपति पोर्तिलो सहित कई देशों ने कहा है जो कि एक वर्ष पूर्व हमारे माननीय अतिथि के रूप में यहां आए थे और जिन्होंने अन्त में निराश होकर मैक्सिको में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने कहा था कि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जानबूझकर वसूल की जा रही ब्याज की ऊंची दरें ही छोटे और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए जिम्मेवार हैं। लेकिन मैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाता हूं। जो मैंने पाया है वह यह है कि ऐसे समय जब विकासशील देश अपने द्वार बंद कर रहे हैं, जब वे अधिक से अधिक सुरक्षात्मक उपाय अपना रहे हैं, जब वे हमारे देशों से अपने बाजारों की सुरक्षा कर रहे हैं, ऐसे समय में हमने क्या किया है? हमने आयात में ढील की घोषणा करके अपने द्वार खोल दिए हैं। हमने आयात ढील देने का रास्ता अपनाया है। यदि एक बार आप आयात में ढील का रास्ता अपनाते हैं जिसका अर्थ आप उन देशों को अपने बाजार में अपना माल यहां इकट्ठा करने की अनुमति देना है तो आप अपने इन निर्गुट देशों के साथियों के साथ ऐसी स्थिति से कैसे निपटेंगे और आय समस्त विश्व से, इन शक्तिशाली एजेंसियों की विश्वव्यापी आक्रामक नीतियों से कैसे निपटेंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। हम कैसी हास्यास्पद स्थिति में हो गए हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। यह टिन कन्टेनर्स, मैटल, कन्टेनर्स, जो कि संसाधित खाद्य उद्योग द्वारा विभिन्न संसाधित खाद्य पदार्थों को डिब्बा बंद करने के उपयोग में लाए जाते हैं—हम उसका अधिकतर भाग विदेशी मुद्रा अर्जित करने

के लिए विदेशों को निर्यात करते हैं—एक कंपनी जो कि इन कन्टेनर्स का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है अर्थात मैसर्स पोयशा—यह फर्म कपाड़िया बन्धुओं की है, वे छोटे लोग नहीं हैं, वे काफी बड़े लोग हैं—वह दिल्ली के निकट गाजियाबाद में लगभग एक वर्ष से बंद पड़ी है। वह बन्द है, तालाबन्दी है या शायद उसे बंद घोषित कर दिया गया है मुझे पता नहीं है और इसी के साथ, उसी प्रकार की धातु के डिब्बों का ताइवान और दक्षिण कोरिया से करोड़ों की संख्या में आयात किया जा रहा है। हालांकि ताइवान, एक ऐसा देश है जिसे हमने मान्यता नहीं दी है, हमारे उससे राजनयिक सम्बन्ध भी नहीं है। ताइवान और दक्षिण कोरिया हमारे देश को बहुत बड़ी मात्रा में मैटल कन्टेनर्स बेच रहे हैं, जो कि पहले यहां गाजियाबाद में इस पोयशा कम्पनी द्वारा बनाए जाते थे। देशी उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कहने का क्या लाभ है ? मैं कपाड़िया बन्धुओं का दोस्त नहीं हूं। परन्तु वास्तव में कामगारों के बारे में अत्यधिक चिंतित हूं, जो कि पिछले एक वर्ष से बेरोजगार पड़े हैं। अनेक बार अभ्यावेदन दिए गए हैं। मैंने स्वयं कई बार इस मामले पर उद्योग मंत्री को अभ्यावेदन दिए, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मुझे बताया गया कि इसमें कुछ उत्पाद शुल्क का मामला है जिससे निर्यातकों के लिए इन मैटल कन्टेनर्स को संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए भारत में बने कन्टेनर्स को खरीदने और इस पर लगाये गए शुल्क को अदा करने की बजाय ताइवान और दक्षिण कोरिया से मंगाना सस्ता पड़ता है। मैंने बजट प्रस्तावों में ऐसी धातुओं पर कहीं भी उल्लेख नहीं पाया, जिससे देशी क्षमता और बर्बाद हो रही है और कुछ लोगों जो कि ताइवान और दक्षिण कोरिया से आयात कर रहे हैं, को लाभ हो रहा है। यह एक उदाहरण है। मैं और भी उदाहरण दे सकता था लेकिन मेरे पास अब समय नहीं है।

वास्तव में, जिस दिन बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, मैंने इसे कर समाहर्त्ता की 'सक्रेप बुक' कहा था। मैंने कहा था यह बजट नहीं है ; यह कर समाहर्त्ता की 'सक्रैप बुक' है, कुछ कतरनों को रजिस्टर में चिपकाकर, यह देखने का प्रयत्न किया गया है कि कहां-कहां से कर एक त्रित किया जा सकता है। जैसा कि मेरे सम्मानीय मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा ने थोड़े समय पहले-संकेत दिया था कि इस देश में 1 प्रतिशत लोग ही प्रत्यक्ष कर देते हैं और शेष राजस्व अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों का अनुपात हमेशा बढ़ता रहा है। यह अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों का भी भाग है कि प्रत्यक्ष कर कम किए जाए और आनुपातिक रूप में अप्रत्यक्ष करो को बाढ़या जाए। दुर्भाग्य से, 1 प्रतिशत लोग जो प्रत्यक्ष कर—अदा करने की हालत में हैं, उनमें से भी बड़े लोग, इस स्थिति में हैं कि बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पश्चात और वित्त विधेयक पारित होने तक नई दिल्ली के राजनीतिक क्षेत्र में लगातार लाबी तैयार करने में सक्षम हैं। मैं जानता हूं कि वे लोग इस समय यहां श्री जे० आर० डी० टाटा यही पर है और श्री रूसी मोदी यहां हैं। मुझे पता है कि बंगाल वाणिज्य मंडल के प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं। वे लोग कलकत्ता से आए हैं। परन्तु वे 99 प्रतिशत लोग जिन पर अप्रत्यक्ष करों का सारा बोझ है और जिन पर करों का भार पड़ता है दुर्भाग्यशाली हैं और मंत्रियों के पास आकर लाबी तैयार करने की स्थिति में नहीं हैं।

**श्री मेरावदन के० गधावी** (बनारस कांठा) : हम भी यहां हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : अतः, स्थिति यह है । इन बजट प्रस्तावों को यह सुनिश्चित नहीं होता है कि अर्थव्यवस्था के विकास को कोई नई दिशा मिलेगी । मैंने ऐसा क्यों कहा है ? क्योंकि कोई व्यक्ति यह कहेगा कि योजना गत व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है ? यह सत्य है । योजनागत व्यय वित्तीय परिव्यय के रूप में बढ़ा है लेकिन अनुभव हमें यह दर्शाता है कि प्रत्येक कार्य और एक पंच-वर्षीय योजना से अगली पंचवषीय योजना तक योजनागत व्यय में काफी वृद्धि के बावजूद, योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति 50 प्रतिशत से भी कम हुई है । लक्ष्यों की पूर्ति की दर 50 प्रतिशत से कम है । क्यों ? यह मुख्यतया तीन कारणों से है । एक है उन परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में विलम्ब और अन्य कारण 1 हमें बताऐं कि वह इस संबंध में क्या करने जा रहे हैं । यह हमारी प्रणाली में ही अन्तर स्पष्ट होना चाहिए ? क्या कोई निगरानी पद्धति है ? क्या भविष्य की कोई गारन्टी है ? आपका आम ऐसे ही दिखा देते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हम योजना-गत व्यय के लिए 2,000 करोड़ या 6,000 करोड़ रुपये आवंटित कर रहे हैं । परन्तु यदि लक्ष्यों की प्राप्ति 50 प्रतिशत से कम हो तो इसका क्या उपयोग है जो कि अंशतः विलम्ब के कारण होता है और कुछ सभी स्तरों पर भयंकर भ्रष्टाचार के कारण और विश्व में व्याप्त समूची प्रणाली के अन्तर्गत कुछ अधिक लागत के कारण, आयातित मशीनरी की बढ़ी हुई लागत के कारण है । इस प्रकार केवल कुछ आंकड़े दर्शाकर हीं हम विकास की ओर किसी कदम के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते हैं । यह बजट उपभोक्ता के हित में नहीं हैं । यह बजट नहीं, मैं ऐसा कहकर गलती कर रहा हूं क्योंकि यह अब नई प्रकार की नीतियां हैं । यह दर्शाने का प्रयत्न करके कि मूल बजट मर्यादित है, बजट प्रस्तुत करने और संसद सत्र की पूर्व संहता पर आप अपना मुख्य भार अन्य शीर्षों के अन्तर्गत लोगों पर डाल देते हैं । बजट-पूर्व के प्रस्तावों को भी बजट के साथ रखकर ही देखा जाना चाहिए अन्यथा यह बेईमानी है । यह देश को धोखा देने का प्रयत्न है । उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं । जो कुछ भी हुआ है प्रत्येक व्यक्ति जानता है । राजस्व वसूल करने के प्रस्तावों का मुख्य भार बजट के बहुत पहले आ चुका है और उसके पश्चात भी जब मुख्य बजट आ गया है, वह घाटे का बजट बना रहे हैं । 1983-84 के अन्त में, 1,555 करोड़ रुपये का घाटा होगा । मै आपका ध्यान केवल एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह जाने-पहचाने कर प्रस्ताव जो बजट से पूर्व डाक दरों, रेल किरायों और भाड़ों और पैट्रोलियम मूल्यों और अन्य सभी के रूप में आए हैं, प्रत्येक व्यक्ति उन्हें समझता है क्योंकि उनकी खुले रूप में घोषणा की गई थी । लेकिन दो छोटे मुद्दों से मुझे बहुत परेशानी होती है क्योंकि उन्हें अब भी छुपाया गया है । एक यह है कि कोयले की विभिन्न किस्मों पर अत्यधिक रूप से बढ़ाया गया उत्पाद शुल्क ।

एक दिन पुनरीक्षित कार्य सूची में मैंने देखा कि उसके बारे में कुछ पत्र सभापटल पर रखे जा रहे हैं । मैंने इस विश्वास के साथ उसका विरोध किया कि कुछ स्पष्टीकरण मिलेगा । मंत्री महोदय ने क्या कि कोकिंग और गैर कोकिंग कोयले पर उत्पाद शुल्क इस कारण बढ़ाये जा रहे हैं कि धनवार कोयला क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है, उनके सुधार के लिये कुछ धन की जरूरत है । इस कारण इन में वृद्धि की जा रही है । यह ठीक हैं । परन्तु इन संशोधित उत्पाद शुल्कों से आपको कितनी राशि मिलेगी ? इसका उनके पास उत्तर नहीं । उन्होंने कहा "इसके लिए सूचना

चाहिए" अथवा हम बाद में बतागे । आज तक हमें बताया नहीं गया । यह देश पर कोयले के अधिक कीमत थोपने का गलत तरीका है ।

एक अन्य मामला भी है । शायद आप कार प्रयोग करते हैं । मुझे नहीं पता कि वह डीजल चालित हैं अथवा पेट्रोल चालित । डीजल तथा मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ाई गई और आपने कहा था कि पेट्रोल की कीमत को नहीं हुआ जा रहा । परन्तु दिल्ली तथा उत्तर भारत में पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है शायद उसका कारण मथुरा तेल शोधक कारखाने द्वारा काम आरम्भ कर दिया जाना हैं । अन्य स्थानों पर भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं । मैंने ऊर्जा मन्त्री से पूछा कि यह क्या है ? ऐसा किस प्रकार किया जा रहा है ? उनका उत्तर था "मैं नहीं जानता, मैं पता करूंगा ।" कोई भी कुछ नहीं जानता । अतः उन्होंने कहा मैं पता करूंगा तब उन्होंने मुझे सूचित किया कि पेट्रोल के परिवहन की लागत जो पहले कम्पनी द्वारा, अर्थात इंडियन आयल कार-पोरेशन द्वारा वहन की जाती थी, अब यह निर्णय किया गया है कि परिवहन लागत भी उपभोक्ता से वसूल की जाये । जिसका अर्थ है उसका पेट्रोल की कीमत में जोड़ा जाना । इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि यह वृद्धि 5 अथवा 7 पैसे प्रति लिटर है, जो कुछ भी तथ्य यह है कि यह वृद्धि है । मैं नहीं जानता कि क्या सरकार द्वारा उसकी मन्जूरी दी गई, क्या परिवहन लागत उपभोक्ता से वसूल करने से पूर्व सरकार की अनुमति प्राप्त की गई थी । उसके लिए भी बताया गया कि वे नहीं जानते । वे पता करेंगे और मुझे सूचित करेंगे । तब मन्त्री महोदय ने मुझे सूचित किया कि परिवहन लागत से इस प्रकार 114 करोड़ रु० वार्षिक की बचत होगी । क्या यह कराधान का अप्रत्यक्ष ढंग नहीं है ? क्या बजट पत्रों में इसे किसी प्रकार दिखाया गया है ? आप इसे कहीं नहीं पायेंगे ।

मैं लघु उद्योगों के बारे में कुछ नहीं कह रहा । बहुत से मित्र कह रहे हैं और कहेंगे । मैं उनका समर्थन करता हूं । अधिकतम सीमा को 7.5 लाख रु० से घटा कर 5 लाख करने से अनेक लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस पर पुनर्विचार करेंगे ।

अब अर्थव्यवस्था में अनुसंधान की बात की जा रही है और राज्य सरकारों को भाषण दिए जाते हैं परन्तु वास्तव में केन्द्र सरकार स्वयं में सबसे अधिक अनुसासनहीन है । मैं मन्त्री महोदय से पूछता हूं कि क्या यह है सच हैं अथवा नहीं कि वित्तीय संस्थाएं, केन्द्रीय सरकार की वित्तीय संस्थाएं, जिनकी स्थापना निश्चित रूप से संवर्धन उद्देश्य से की गई थी और जिनसे कुछ सामाजिक उत्तरदायित्वों की भी अपेक्षा की जाती है, क्या यह सच नहीं है कि यह देखा जा रहा है कि ये वित्तीय संस्थाएं बड़े, शक्तिशाली व्यापारी समूह की मिली भगत में काम कर रही हैं । वे अपने पूरे के पूरे शेयर उनको बेच रही हैं, यह काम चोरी छिपे बिना जनता को सूचित किए हुए बिना शेयर धारियों को सूचित किए हुए और लाभ पर किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि कुछ पैसा ले कर किया जा रहा है जिससे कि बड़े समूह अन्य कम्पनियों पर भी कब्जा कर सकें । हमें अब बताया गया है कि मंत्रालय ने वित्तीय संस्थाओं को आदेश दिये हैं कि भविष्य में उन शेयरों को मन्त्रालय की स्वीकृति के बिना बेचा नहीं जाना है।

मुझे हरिदास भूंदडा के प्रसिद्ध जीवन बीमा निगम सौदे की याद आ रही है, जिसके लिये उनको सदन के सामने लाना पड़ा था और उस समय उस सब के लिये प्रशंसा श्री फिरोज गांधी को दी जाती है। मैं उस हरिदास भूंदडा को उद्योगपति नहीं कह सकता। वह शेयरों के सट्टेबाज थे। जीवन बीमा निगम के पैसों का उपयोग उनके लिए किया गया। उसकी कुछ लोगों को कीमत चुकानी पड़ी थी। अब हम देख रहे हैं कि वित्तीय संस्थाएं कम्पनियों के शेयर सार्वजनिक घोषनाओं के बिल बेच रही है, शेयर धारियों अथवा किसी अन्य को बताया नहीं जा रहा है। वे उन शेयरों को अन्य बड़े समूहों को बेच रही हैं जो उन कम्पनियों पर नियन्त्रण करना चाहते हैं। यह बहुत ही बड़ा कदाचार है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति को यह कार्य करते पाया जाता तो उसे भारी सजा मिलती। परन्तु ये वित्तीय संस्थाएं तथा इनको चलाने वाले महानुभाव साफ साफ बचे हुए हैं। आप अर्थ-व्यवस्था में अनुशासन के बारे में भाषण कर रहे हैं अथवा अर्थव्यवस्था में अनुशासहीनता पर भाषण कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक सौदा किया गया है अथवा किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि उस के बारे में कुछ बताया जायेगा यह महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा तथा इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी के बीच में है। इंडियन एल्मूनियम कम्पनी निश्चित रूप से एक बहु राष्ट्रीय कनेडियन कम्पनी की उप-कम्पनी अथवा शाखा है। हम महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के बारे में बनाते हैं। यह सौदा क्या है ? इसकी मंजूरी किसने दी है ? शेयरों का मूल्य क्या है ? क्या आपने इसकी अनुमति दी है ? शेयरधारियों के भाग्य का क्या होगा ? हम किस स्थिति को आ रहे हैं ? हम एक खतरनाक स्थिति की ओर आ रहे हैं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कम्पनियों ने जिनका वित्त मन्त्री द्वारा उल्लेख किया गया था। भारी लाभ एवं लाभांश के बावजूद अपनी कर दायित्व को शून्य की स्थिति में कर लिया है। वे कोई भी कर अदा नहीं कर रहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि 250 भीमकाय कम्पनियों में से जिनके नाम पत्रिकाओं में आते हैं, लगभग 60 ऐसी कम्पनियां हैं जो शून्य कर दायित्व दिखा रही हैं। अन्य ऐसी कम्पनी हैं जो शून्य कर दायित्व तो नहीं दिख रही परन्तु सांविधिक न्यूनतम से बहुत कम कर दायित्व दिखा रही है। इसने बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया है इस कारण इसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। आप कैसे यह सोचते हैं कि देश के लोग इस स्थिति को स्वीकार कर लेंगे ? बिडला तथा टाटा जैसी कम्पनियां कर के रूप में एक वैसी भी अदा नहीं कर रहीं और जनता को प्रतिवर्ष हर वस्तु पर तथा हर बात के लिए कर अदा करना पड़ता है। सरकार के पास इतनी हिम्मत नहीं कि हमें बता सके कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है, किसने उनको पिछले वर्षों में इतनी रियायतें दी। तथा सुविधाएं दीं कि आज वे एक भी पैसा कर के रूप में अदा नहीं कर रहे हैं ? इसके लिए और उत्तरदायी है ? इस कारण आपके राजस्व को कितना घाटा हुआ है। अब आप यह नया प्रस्ताव ला रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं, हांलाकि यह पूरी तरह से अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। कुछ आर्थिक पत्रिकाओं के अनुमान हैं कि वे 60 भीमकाय कम्पनियां जो कोई, कर अदा नहीं कर रहीं थी अब उनको 334 करोड़ रु० का कर अदा करना पड़ेगा। मैं हैरान था कि वे इसके बारे अधिक क्यों नहीं बोल रहे। परन्तु ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत

होता है कि इस राशि के लिए उसकी क्षमता है । वे किस बारे में शोर कर रहे हैं ? वे चिल्ला कर कह रहे हैं कि उनके यात्रा व्यय, गेस्ट हाउसों के व्यय तथा विज्ञापनों पर व्यय को कर के अधीन लाया जा रहा है । इससे वे बेचैन हैं । उनको इस बात की चिंता नहीं है कि उनको अपने लाभ के 30 प्रतिशत पर कर अदा करना पड़ेगा ।

आज तेल निर्यातक देशों के संगठन के सामने यह समस्या है कि गैर तेल निर्यातक देशों के संगठन के देशों—ग्रेट-ब्रिटेन जो इस समय उत्तरी समुद्री तेल का उत्पादन कर रहा है, नाइजीरिया, मैक्सिको सभी ने अपने तेल मूल्यों में पर्याप्त कटौती की हैं; उसके खाद्य तेले निर्यातक देशों के संगठन ने तेल के मूल्य को प्रति बेरल 29 डालर तक कम कर दिया है और सोवियत रूस जो विश्व में एकमात्र सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, ने भी इसके मूल्यों में कटौती की घोषणा की है, आपके आयात बिल और भुगतान की बकाया धनराशिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या आप इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहेंगे ।

**श्री पट्टाभि राम राव** : यह मामला तो कल ही सामने आया है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आप इस बारे में कुछ कहें । आप लोगों पर कर लगा रहे हैं क्योंकि आपने कमी को पूरा करना है, आप कहते हैं "हमें भुगतान की बकाया धनराशि को पूरा करने के लिए विश्व मुद्रा कोष के सामने हाथ फैलाना पड़ता है" लेकिन इन तथ्यों के कारण जो इन कार्य-कलापों में सामने आई है, तेल के सम्बन्ध में गड़बड़ी हुई है । लेकिन विडकेने से किए जाने वाले पर्याप्त आयात से अब तेल काफी सस्ता आयेगा, आपको लगभग 7.50 करोड़ रुपये की बचत होगी यदि आपकी आयात की मात्रा वही रहेगी जो पिछले वर्ष की अथवा यदि उस से कम भी आयात किया जाता है, लेकिन इस बारे में एक भी शब्द आपने नहीं कहा हैं । तेल निर्यातक देशों के संगठन को भुगतान की जाने वाली बकाया धनराशि के सम्बन्ध में : वर्ष 1980-81 में भुगतान की बकाया धनराशि 60 अरब डालर अतिरिक्त की और वर्ष 1982 में तेल निर्यातक देशों के संगठन को 18 अरब डालर का घाटा हुआ था । 60 अरब डालर की अतिरिक्त धनराशि से उनको 18 अरब डालर की धारा हुआ है । क्या विश्व की अर्थ व्यवस्था और विकासशील देशों की अर्थ व्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए आपने तुरन्त अवमूल्यन भत्ते में पर्याप्त वृद्धि करके उन्हें मुआवजा दे दिया है जिससे कम्पनियों को प्रति वर्ष 155 करोड़ रुपयों की बचत होगी ।

आपने बैंक की दर को 19.5 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती है ऐसे समय पर जबकि आप मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने में असमर्थ हों और जब आप अर्थ संकट में डूबे हो और मुद्रा स्फीति आपको इसमें डुबा रही हो आप इन दिनों ऋण में कटौती करने और ठोस वित्त नीति के बारे में इतनी अधिक चर्चा कर रहे हैं । ताकि मुद्रा स्फीति पर रोक लगाई जा सके, अब बड़े-बड़े व्यवसायों के उद्योगपतियों के दबाव के अन्तर्गत आपने बैंक की दरें घटा दी हैं । ताकि उन्हें और अधिक धन उपलब्ध हो सके क्योंकि उनका दावा है कि उनके पास पर्याप्त स्रोत नहीं है जो एक बहुत बड़ा धोखा है । और हर एक को इसकी जानकारी है ।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य को दिया गया समय पूरा हो गया है।

**श्री इन्द्रजीत महोदय** : केवल पांच मिनट और। मैं एक बात और कहूंगा। जब तेल संसार में संकट आया था आपको याद होगा उस समय जब तेल निर्यातकों देशों का संगठन बना और खाड़ी के देश तथा अरब देश करीब आए तथा तेल के दामों में लगातार वृद्धि होती चली गयी। अनेक देशों की अर्थ व्यवस्था पर इसका बहुत अधिक प्रतिकूल असर पड़ा। यह वास्तव में एक अभूतपूर्व घटना थी इससे हमें भी धक्का पहुंचा है और हर वर्ष हमें बताया जाता है कि भुगतान की इस अतुलनीय बकाया धनराशि का कारण तेल आयात के बिल हैं आज इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा जाता है कि तेल के दामों में गिरावट आ रहीं है जब तेल के दाम बढ़ाए जा रहे थे तो क्या ऐसा तेल उपभोक्ता देश कर रहे थे। मंत्री अपने भाषण में ऐसे छोटे मामले का उल्लेख करना जरूरी नहीं समझते हैं। दरअसल में तेल के मूल्यों में भारी कमी के कारण अब हमारी सुरक्षित विदेशी मुद्रा के कोस में आने वाली कमी में भी अब काफी कमी आ जायेगी इस साल के बजट में इस बारे में एक संकेत भी नहीं किया गया है।

**श्री पट्टाभिराम राव** : कल ही तो तेल के मूल्यों में कमी आयी है।

**श्री इन्द्र जीत गुप्त** : ठीक है, यह गिरावट कल एकाएक शुरू हुई है ? आपकी सरकार के पास कोई खुफिया सेवा नहीं है आपको मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है।

**(व्यवधान)**

**श्री पट्टाभिराम राव** : जब तक इस बारे में वहां पर अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता, हमें इसकी खबर कैसे हो सकती है ?

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : ठीक है। चर्चा पर अब आप उत्तर देगें, हमें इस बारे में कुछ सुनने को मिलेगा, तात्पर्य यह है कि आप किसी भी उपभोक्ता को, चाहे वह डीजल अथवा मिट्टी का तेल या पेट्रोल अथवा किसी भी चीज का उपभोक्ता हो, किसी भी प्रकार की, राहत देने के लिए तैयार नहीं है। भले ही विश्व में तेल के दामों में भारी गिरावट आ जाए आप उपभोक्ता को पाई भर भी राहत देने के लिए तैयार नहीं हैं। न तो मिट्टी तेल के जन साधारण उपभोक्ता को और न डीजल उपभोक्ता किसान को जिसकी आप रात-दिन शपथ खाते हैं।

**श्री पट्टाभि राम राव** : विकास कार्यों पर किए जा रहे खर्च का क्या होगा ?

**श्री इन्द्र जीत गुप्त** : हां विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है।

**एक माननीय सदस्य** : फिर आप-काला बाजारी शुरू कर देते हैं।

**श्री पट्टाभिराम राव** : नहीं।

**श्री इन्द्र जीत गुप्त :** अन्त में एक अन्य मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। मैंने ऐसे अनेक मुद्दों का उल्लेख नहीं किया है जिनको मेरे मित्र ने 'डील' किया है। मूल्यों सम्बन्धी यह सभी प्रश्न थोक मूल्यों और फुटकर मूल्यों के सम्बन्ध में। हम हर वर्ष इसके बारे में चर्चा करते हैं एक बेकार पुस्तक से कुछ हासिल नहीं होता। बेकार पुस्तक से इन मूल बातों पर कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। ये नहीं बदलेंगे।

मैं इस सरकार पर जान बूझकर रुपये का अवमूल्यन करने का आरोप लगा रहा हूं। ऐसा जान बूझ किया जा रहा है केवल दो वर्ष पूर्व एक डालर का मूल्य 8 रुपए के बराबर था। अब इसका मूल्य 10 रुपए के बराबर हो गया है इसका मतलब प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की गिरावट आ रही है पिछले तीन वर्षों में यह गिरावट 30 प्रतिशत रही है अब हमसे हमेशा यही कहा जाता है कि सबसे पहले रुपए को स्टार्लिंग से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि 'स्टार्लिंग' व्यवधान की मुद्रा है और रुपया डालर मार्क, चेन आदि अनेक मुद्राओं की तुलना में हुगमगाता रहता है। यदि आप इस मामले का अध्ययन करें आपको मालूम जो जाएगा कि पिछले वर्षों में वास्तव में स्टार्लिंग के साथ रुपए की विनिमय दर, यह लगातार बदलती रही लेकिन ऐसा हमेशा इस प्रकार हुआ है कि डालर की तुलना में हमेशा रुपए का मूल्य 7.50 से 8 रुपया प्रति डालर रहा है। चूंकि आप स्टार्लिंग से जुड़े हुए हैं और डालर की तुलना में स्टार्लिंग का मूल्य घट रहा है इसका मतलब यह नहीं होता है कि रुपए का मूल्य भी स्टार्लिंग के साथ घटता जाए और वह मिट्टी में मिल जाय। यह एक ऐसा प्रश्न है हमारे लोग हमारे देश की मुद्रा की अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं और हमारी अर्थ व्यवस्था के वास्तविक हितों की प्रशंसा करते हैं। पहले हमारे पास मुआवजे के लिए कुछ आधार था कहने का तात्पर्य यह है कि यदि 'स्टार्लिंग' और रुपए के अनुपात में बेहिसाब परिवर्तन किए जाते रहे तो हम जिन अनेक अन्य मुद्राओं का प्रयोग करते हैं हमें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। अब वास्तविक मुद्रा विनिमय दर के नाम पर यह सारी स्थिति बदल गई है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह दूसरा सुझाव है कि हमारे पास यथार्थवादी विनिमय दरें होनी चाहिए। यह यथार्थवादी दरें किसके लिए हैं। जिन लोगों की मुद्रा डालर अथवा मार्क चेन हैं उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए यथार्थवादी होनी चाहिए जो हमारे लिए यथार्थवादी नहीं हैं। और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मन्दी के समय में जब इस शोषण का हमें और-छोर नहीं मिल रहा है, और जब हमारे देश के निर्यात को धनी देशों में बाजार उपलब्ध नहीं हो रहा है और जब वे अपने माल को हमारे बाजारों में जमा कर रहे हैं और जब हमारे अनेक स्वदेशी उद्योगों के सामने गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं अनेक लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया है, देश के अनेक उद्योगपतियों ने जोर शोर से यह कहना शुरू कर दिया है। क्योंकि उन्हें तकलीफ होने लगी है। आप कहें, जा रहे हैं आप कहां तक जा रहे हैं" इस बारे में विचार करें आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सारी किस्तों को लेने के लिए बाध्य नहीं हैं, उस समझौते में ऐसा कुछ नहीं है जिसको करने के लिए आप बाध्य हैं समझौता करते समय श्री वेंकटरमन ने यहां पर कहा था कि कुछ समय बाद यदि हमें ऐसा पता लगेगा कि इसमें हमारे हितों की रक्षा नहीं हो रही है तो जब हम आगे किस्तें लेंगे उस समय इस पर विचार करेंगे कि आगे और किस्तें हम लें या न लें।

मैं अपने वक्तव्य को यह कहते हुए समाप्त करना चाहता हूं कि इस संकट पूर्ण स्थिति में जब तेल के दामों में भारी गिरावट आ रही है तो जहां तक तेल आयात के बिल का सम्बन्ध है। क्या आप हमें कुछ राहत देने वाले हैं। और जब आपने सातवें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में एक महत्व-पूर्ण समझौते पर यह कहते हुए हस्ताक्षर किए है कि हमें एक होकर लड़ना है हमें प्रतिरोध करना है और हमें अपने पर थोपी गई इन शर्तों का विरोध करना है कम से कम कुछ साहस जुटाना है और कहिए कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के शिकंजे से बाहर निकलना है। हमने कुछ धन लिया है हम और अधिक धन नहीं लेना चाहते हैं। हमें अन्य स्रोतों पर विश्वास करना चाहिए।

मुझे कई सुझाव देने हैं। यदि आप मुझे एक ओर घण्टे बोलने की अनुमति देंगे, तो मैं आपको कई बातें बताऊंगा, इन बातों पर चर्चा करने हेतु हमें कुछ सेमिनार करने चाहिए, कृपया इस सम्बन्ध में कुछ करें।

बजट को समर्थन नहीं दिया जा मकता है। यह बजट केवल रजिस्टर का कतरन है, जो इस व्यक्ति की जेब से और उस व्यक्ति की जेब से धन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और एक तरफ पूंजीवादी लोगों से धन प्राप्त करने के लिए है और दूसरी तरफ उन्हें फिर अत्यधिक रियायत देने के लिए है। इसी प्रकार कीमतें बढ़ने से स्थिति खराब से खराब होती जा रही है, सामान्य लोग इसका शिकार हो रहे हैं और केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को वेतन आयोग का लालच दिया गया है जो अपना कार्य पूरा करने में हमेशा तीन से चार वर्ष का समय लगता है।

वेतन आयोग का मतलब है कि रेलवे में काम कर रहे 17 लाख कर्मचारी, डाक व तार विभाग के कर्मचारी और रक्षा स्थापनाओं में काम करने वाले सिविलिय कर्मचारियों जिनका आप हित चाहते हैं, को औद्योगिक श्रमिकों के रूप में न समझा जाए। वेतन आयोग का मतलब है। उनकी भी एक श्रेणी है और उन्हें औद्योगिक श्रमिक नहीं समझा जाता उन्हें सरकार की विभिन्न शाखाओं के विभागीय कर्मचारी माना जाना चाहिए। और वे कर्मचारी यह कहते आ रहे हैं कि वे वेतन आयोग नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के समरूप लाया जाए। क्या रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र नहीं हैं? लेकिन उन्होंने उन्हें इसके बाहर रखने की कोशिश की है। इस तथ्य से बाहर कि उन्होंने उन्हें अभी देय मंहगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया है, वे कर्मचारियों पर वेतन आयोग को जबर्दस्ती थोप रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कर्मचारी शांत हो जाएंगे।

**एक माननीय सदस्य** : कर्मचारी इसे अस्वीकार कर रहे हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : वे इसे अस्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने इसका विरोध करने का वचन दिया है और सरकार इस बात को जानती है यह घोषणा करने से पूर्व सरकार को पता था कि केन्द्रीय सरकार के सभी संगठनों ने कहा है कि वे वेतन आयोग नहीं चाहते हैं किन्तु उनकी बात पर ध्यान दिए बिना उनके साथ विचार विमर्श किए बिना उन्होंने वेतन आयोग की यहां घोषणा की है उन्होंने एक बड़ा काम किया है।

जो भी हो, मुझे यही कहना था। लेकिन इस बजट में मैं क्या कह सकता हूं ? संभवत: हमारे पास इसे अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है। देश की जनता को इसे अस्वीकार करना है। किसी भी तरह, यह पतनोन्मुखी बजट है जोकि न तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन की महान घोषणाओं में सही उतरता है। और न ही उनके आत्म निर्भर और स्वतन्त्र न होने के कार्यों में सही उतरता है।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, यहां केवल दो राज्य मंत्री हैं। इस समय सदन में हैं और एक भी केबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है जबकि इतनी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। आपको सरकार को निर्देश देना चाहिए कि सदन में बारी-बारी से कम से कम दो केबिनेट स्तर के मंत्री अवश्य हों।

**कुछ माननीय सदस्य** : कम से कम एक।

**सभापति महोदय** : आपने अपनी बात बता दी है।

**श्री पट्टाभिराम राव** : वित्त मन्त्री राज्य सभा में हैं। यही चर्चा वहां भी चल रही है।

**(व्यवधान)**

**एक माननीय सदस्य** : रक्षा मन्त्री आ रहे हैं।

**रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन)** : मैं उनका भाषण कमरे में सुन रहा था।

**सभापति महोदय** : श्रीमती जयन्ती पटनायक।

**श्रीमती जयन्ती पटनायक** (कटक) : वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय सरकार के बजट का आमतौर पर सदन में और बाहर मिश्रित रूप से स्वागत किया गया है चूंकि ऐसे मामलों में राजनीति और अर्थव्यवस्था की विचारधारा में अन्तर करना कठिन है, तथापि, बजट के विशुद्ध लक्ष्य के विश्लेषण से इसकी विलक्षणता, संतुलित प्रयास, और कठिन परिस्थितियों में सही उपलब्धि की निष्पत्ति स्पष्ट होगी।

वर्ष 1982-83 का वर्ष संभवत: एक बहुत कठिन वर्ष है। इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में भयंकर सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदायें घटित हुई। सूखे की स्थिति से न केवल किसानों की क्रय शक्ति कम हुई है बल्कि इससे विद्युत उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा है और बाह्य अदायगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बजट में राहत खर्च में वृद्धि की गई है और संसाधन का आधार कम किया गया है। लेकिन देश उत्पादकारी ढांचे में बहुत अधिक क्षति न करते हुए आगे बढ़ा है और कीमतों में मुद्रास्फीति को स्थिर रखने में असाधारण सफलता प्राप्त की है। सरकार निवेश को स्थिर रखने में समर्थ हुई। आर्थिक नीति संयम की आवश्यकता पर थी जबकि इससे ऋण के लिए उत्पादनकारी आवश्यकता को पूरा किया है।

(श्री एच० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)

भण्डार बनाने और समय पर आयात करके खाद्यान्नों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए कार्यवाही की गई थी ।

वर्ष 1981-82 के दौरान कृषि उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि के बजाय यह 1982-83 में खरीफ फसल को नुकसान पहुंचाने के कारण इसके 3 प्रतिशत गिरने की संभावना है, रबी की फसल की संभावना पर भी प्रभाव पड़ सकता है सरकार को वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता के रूप में रिकार्ड धनराशि प्रदान करनी पड़ी थी और सरकार को सिंचित क्षेत्र का विस्तार, उर्वरक और उच्च पैदावार की किस्मों के प्रयोग को बढ़ावा देने, ऋण व्यवस्था को बढ़ाना और बड़ी फसलों, जो इस वर्ष तैयार की जा रही है, के लिए उचित, लाभप्रद तथा उत्पादनकारी मूल्य सुनिश्चित करने की कृषि नीति की बुनियादी समर्थता को देखना है ।

वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरे के कारण भू-राजनीति और देश पर बढ़ने हुए भार को ध्यान में रखा है और उन्होंने कहा है कि देश विकास के कदमों को तोड़ना सहन नहीं करेगा क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा राष्ट्र की आर्थिक मजबूती पर निर्भर करती है ।

वर्ष 1982-83 के लिए संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार केन्द्रीय योजना को अर्थ व्यवस्था पर दबाव से दीर्घ कालीन विकास के संरक्षण के लिए 603 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी गई है । वित्त मत्री को आशा है कि चालू वर्ष में प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों को दी गई अतिरिक्त सहायता सहित, विभिन्न कारणों से गैर योजना व्यय भी अधिक होंगे ।

वर्ष 1983-84 के लिए केन्द्रों राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों का कुल योजनागत परिव्यय 25,495 करोड़ रुपए होगा जो कि वर्ष 1982-83 में अन्तिम रूप से स्वीकृत धनराशि 20,989 करोड रुपए से 21.5 प्रतिशत अधिक है । बजट में 20 सूत्री कार्यक्रम रखा गया है जो बिशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए बनाया गया है ।

आगामी वर्ष के कार्यक्रम में 608 करोड़ रुपए के केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय के साथ कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है दो बड़े कार्यक्रम अर्थात् तिलहन विकास कार्यक्रम और शुष्क भूमि खेती कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिए जाएंगे । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ऐसे अन्य कार्यक्रमों के लिए लगभग 3500 लाख श्रम दिवस पैदा करने और 30 लाख ग्रामीण परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर करने हेतु 480 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।

ऊर्जा के लिए परिव्यय में पर्याप्त् वृद्धि हुई है । पेट्रोलियम, बिजली और कोयला के लिए

5014 करोड़ रु० का आवंटन होगा जो कि कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय के 36 प्रतिशत से भी अधिक है। रेलवे के लिए योजनागत परिव्यय 1342 करोड़ रुपए रखा गया है और रेलवे द्वारा 1983-84 में राजस्व प्राप्त करने वाला यातायात 241 मिलीयन टन रखा गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के लिए 72 करोड़ रुपये नियत किए गए हैं इसमें 75,000 बायो-गैस यूनिटों तथा 100 सामुदायिक बायोगैस यूनिटों की स्थापना भी शामिल है।

देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए, रक्षा के लिए 5,971 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खाद्य और उर्वरक राज सहायता के लिए क्रमशः 900 करोड़ तथा 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। निर्यात के लिए नकद प्रतिपूर्ति समर्थन तथा बाजार विकास सहायता हेतु भी 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

चालू वर्ष में इस समय 1935 करोड़ रुपये के बजट घाटे का अनुमान लगाया गया है। चालू वर्ष में अर्थ व्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में कम मांग की पृष्टभूमि में घाटा बजट अनुमान से कहीं अधिक होगा। इससे अर्थ व्यवस्था से अस्थिरता नहीं आई है जोकि हाल ही के महीनों में मूल्य प्रकृति ने दर्शाई है।

1983-84 में कुल प्राप्तियां 32,586 करोड़ रुपये और कुल व्यय 34,836 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार कर की वर्तमान दरों पर कुल बजट अन्तर 2250 करोड़ रुपये का होगा। वित्त मंत्री ने कर लगाने के प्रस्तावित उपाय करके एक सराहनीय कार्य किया है। इन करों से 615 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है तथा नए बांडों से 80 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, इस प्रकार बजट अन्तर घटकर 1555 करोड़ रुपए रह जाएगा। संसाधन जुटाने में यह लम्बा चौड़ा हिसाब है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को यह मानना होगा कि यह बहुत चालाकी से इस ढंग से किया गया है जिससे मुद्रास्फीति न हो तथा अनेक वांछनीय लक्ष्य प्राप्त हो सकें।

ये लक्ष्य इस प्रकार हैं।

(एक) उत्पादन को मजबूत बनाना ;

(दो) मुद्रास्फीति को रोकना ;

(तीन) बचत को बढ़ावा देना ;

(चार) निवेश का संवर्धन करना ;

(पांच) बचाव के रास्तों को बन्द करना और निर्यात, आयात तथा पूंजी उपलब्धता पर लाभकारी प्रभाव पैदा करना।

वित्त मन्त्री ने इन लक्ष्यों को निगमित तथा व्यक्तिगत कराधान में समुचित परिवर्तन करके तथा सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में परिवर्तन करके प्राप्त करना चाहा है। उन्होंने ढांचे में भी व्यापक परिवर्तन किए हैं। मैं उन्हें एक उद्देश्यपूर्ण बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देती हूं।

इस वर्ष की उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि व्यापक सूखे तथा औद्योगिक उत्पादन को कुछ धक्का पहुंचने के बावजूद मूल्य स्थिति निरन्तर स्थिर रही। मुद्रा स्फीति की दर जनवरी, 1983 के केवल 2.8 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 6.4 प्रतिशत थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी वार्षिक वृद्धि दर 8 प्रतिशत थी जबकि दिसम्बर 1981 में यह 12.7 प्रतिशत थी। खाद्यानों का समय पर आयात करके खाद्य भण्डार में वृद्धि करके के कारण आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सम्बन्धी स्थिति भी अच्छी रही। लेकिन देश के कुछ भागों में, जैसे मेरे राज्य उड़ीसा में, चावल की कीमतें, भारी सूखे और तदनन्तर विनाशकारी चक्रवात तथा अभूतपूर्व बाढ़ के कारण लगातार बढ़ रही हैं। राज्य सरकार केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त नियतन हेतु अनुरोध करती आ रही है लेकिन वास्तविक नियतन मांग की तुलना में बहुत कम है। चूंकि कमी के महीनों में सूखे की स्थिति और अधिक खराब होती जाएगी, अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु ढंग से चलाने हेतु नियतन को बढ़ाए और सूखा पीड़ित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे आम प्रधान कार्यक्रम के लिए उन्हीं के अनुरूप खाद्य भण्डार प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार की सहायता करे।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है, वर्ष 1982-83 अत्यन्त कठिन वर्ष रहा है। जबकि 1982-83 के दौरान इसमें केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है औद्योगिक उत्पादन, जो वर्ष 1981-82 में 8.6 प्रतिशत बढ़ा, 1982-83 में केवल 4.5 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है।

महोदय, वैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रगति उत्साहवर्धक है। सरकार के गहन प्रयत्नों के कारण कच्चे तेल, सीमेंट, उर्वरक और बिजली का उत्पादन उत्साहवर्धक रहा है। बाहरी कठिनाईयों के बावजूद, निर्यात का विकास उत्साहवर्धक रहा है लेकिन भुगतान संतुलन की स्थिति अभी भी नाजुक है इसके बाबजूद सरकार ने कच्ची सामग्री और पूंजीगत माल का प्राथमिकता क्षेत्र के लिए आयात बनाए रखना चाहा है, लेकिन सरकार यह नहीं चाहेगी कि इसकी उदार आयात नीति का विदेशों में निर्यातक बाजार सम्बन्धी कठिन स्थिति में बेहद सस्ते में अपना माल भारतीय बाजार में बेचकर अनुचित लाभ उठाएं जो कि भारतीय उद्योग के हितों के प्रतिकूल हो।

वित्त मंत्री ने जो प्रस्ताव रखे हैं वे न केवल राजस्व वसूली में सहायक हैं बल्कि हमारे भुगतान संतुलन तथा औद्योगिक विस्तार का भी समर्थन करते हैं। इन प्रस्तावों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में पूरे वर्ष में 409 करोड़ रुपये प्राप्त होगा। तथा सीमा शुल्क में 297.96 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में 83.58 करोड़ रुपये और सीमा शुल्क के

संबंध में 493 करोड़ रुपये की रियायतें तथा राहत दी गई है शुद्ध प्राप्ति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से 325.42 करोड़ रुपये और सीमा शुल्क से 393 करोड़ रुपये है। महोदय, ऐसी परिस्थितियों में देश के लिए एक तर्क संगत बजट अत्यन्त महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री ने निश्चिय ही इन विपरीत परिस्थितियों में एक सराहनीय कार्य किया है।

महोदय, योजनागत व्यय में 26 प्रतिशत जबकि योजनेत्तर व्यय में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। यह एक अच्छा कार्य निष्पादन है जो कि प्रधान मन्त्री की अनुत्पादक खर्च में किफायत करने सम्बन्धी दिलचस्पी के अनुरूप है। यह अत्यधिक चिन्ता की बात है कि सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित लगभग 8,000 मामले अनेक न्यायालयों में लम्बित हैं और इन मामलों में 1900 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। यह वास्तव में विस्मयकारक आंकड़े हैं और मेरा वित्त मंत्री से आग्रह है कि वह इस सरकारी धन की शीघ्रता से वसूली करने का कोई रास्ता निकालें। एक लोकतान्त्रिक समाज में, कर की चोटी करने वालों की कानूनी स्वतन्त्रता पर लोक-हित में भारी रोक लगाए जाने की जरूरत है।

महोदय, बजट प्रस्तावों के कतिपय पहलू ऐसे हैं, जो उद्देश्य पूर्ण प्रगति तथा अभिनवकर्ता के लिए प्रशंसा के योग्य हैं। बजट, जिसके लिए गैर-निगमित निवेशकों तथा गैर अधिवासी भारतीयों, दोनों के लिए नई रियायतों की घोषणा की गई है, को बढ़ाने के प्रयत्नों से निश्चिय ही विदेशी मुद्रा जुटाने तथा भारत में निवेश में सहायता मिलेगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की डिपाजिटर्स स्कीम दोशिया की निशानी है।

उत्पादन से जुड़ी उत्पाद शुल्क रियायत से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। बढ़ी हुई बिक्री पर कर रियायतें निर्यात के विस्तार के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन है। चुनिन्दा विकासोन्मुखी सेक्टरों को वाणिज्यिक ऋणों पर बैंकों द्वारा वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर पर लगाई गई अधिकतम सीमा में कमी करना एक स्वागत योग कदम है। आय के निम्न स्तरों पर कर-दाताओं की दी गई राहत से अनेक कर दाताओं को राहत मिलेगी। कम्पनियों द्वारा विज्ञापनों तथा व्यापार सम्बन्धी यात्रा पर किए गए खर्च के 20 प्रतिशत खर्च को कर से अब छूट न देने का निर्णय फिजूल खर्च को रोकने की दिशा में एक कदम होगा। भूमि तथा मशीनरी की बिक्री से जितने पूंजीगत लाभ का फिर से निशेश किया जाए उस पर कर से छूट दिया जाना एक विशेष स्वागत योग्य पहलू है। इससे उद्योगों को शहरी केन्द्रों से अपेक्षतया खुले क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने में सहायता मिलेगी। यह देखते हुए कि राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट का 1943 करोड़ रुपए का वित्त भार है, लगभग 700 करोड़ रुपए की राहत सहायता दी गई है तथा छठी योजना के अन्तिम दो वर्षों में 1650 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का वचन दिया गया है, कराधान के व्यापक उपाय अपरिहार्य हैं। मैं वित्त मंत्री से सहमत हूं कि कर के प्रभाव के लिए जो क्षेत्र चुने गए हैं उन्हें देखते हुए इसका प्रभाव अधिकाशतः गैर-स्फीति होगा।

महोदय, नए बजट में अभ्यान्तर क्षेत्रों का विकास, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत आवश्यकतायें जुटाने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर अधिक बल दिया गया है।

कार्य निष्पादन के आधार पर राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में 300 करोड़ रुपए का परिव्यय एक नवीन उपाय है। यह भारत के आर्थिक इतिहास में एक नया अध्याय है ताकि राज्य अपने कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को कुशलता से लागू करें।

यहां मैं यह ध्यान दिला दूं कि यह संतोष की बात है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए बजट नियतन में 26.8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास, समस्या प्रधान गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने और समेकित बाल विकास कार्यक्रम पर अधिक बल दिया गया है।

पैट्रोलियम और बिजली के उत्पादन पर यथोचित बल दिया गया है। दुर्भाग्य से, इस्पात क्षेत्र के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है। उड़ीसा में नीलाचल इस्पात निगम जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए धन नहीं जुटाया गया है।

मुझे आशा है कि इस परियोजना को वर्ष के दौरान पर्याप्त मात्रा में संसाधन आबंटित किए जाएंगे।

अन्त में यह अविवादा स्पष्ट तथ्य है कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बिना देश प्रगति नहीं कर सकता राज्य आक्षरता प्राप्त करने स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने औसत आय स्तर के मामलों में राष्ट्रीय स्तर से पीछे हैं। प्राकृतिकदाताओं के समय लोगों की कठिनाइयों में काफी वृद्धि हुई हैं। ऐसे राज्यों को सभी विकास कार्यों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मैं वित्त मंत्री के चतुर्थ वेतन आयोग बढ़ाने और आय कानून में कमियों को दूर करने और कर अपवंचन और कर से बचने को रोकने के लिए कठोर प्रशासनिक और कानूनी उपाय करने के वित्त मंत्री के निश्चय की प्रशसा करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तावों का पूरी तरह समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

**श्री ब्रजमोहन महन्ती** (पुरी) : सभापति महोदय सबसे पहले मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

मैं सरकार और वित्त मंत्री को उत्कृष्ट संतुलन बनाने और उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई देता हूं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यह कार्य कितना कठिन है।

हमें अन्तरराष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहां क्या स्थिति है? यहां तक कि समृद्ध देशों के सामने भी बेरोजगारी की समस्या है। अमेरिका में 10 प्रतिशत से अधिक बेरोजगारी है। पश्चिम के देश तथा समृद्ध देश की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि, मन्दी आर्थिक संकट और आर्थिक कठिनाइयों का सामना

कर रहे हैं के ऋण की शर्तों के बारे में सभी जानते है। मैं निर्गुट सम्मेलन में प्रधान मंत्री के भाषण की और ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह "टाइम आफ इन्डिया" में प्रकाशित हुआ है। इसमें लिखा है कि प्रधान मंत्री जी हमेशा सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करती हैं ने कहा है कि जो देश सहारा देते हैं वे उसका अनुचित लाभ उठाना चाहते है।" अतः इससे भारत सरकार के विचारों का पता चलता है इससे सारे भारत के विचारों का पता चलता है। परन्तु समस्या भिन्न है। विवषता की स्थिति है।

आपको पता है चीन में क्या हो रहा है? अभी हाल ही में हुई 12वीं कांग्रेस में श्री डेंग ने टिप्पणी की है कि बिल्ली सफेद है या काली है इसका कोई मतलब नहीं है अगर वह चूहे पकड़ती है तो सब ठीक है। वे ऋण क्यों ले रहे हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी क्यों ले रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी को क्यों मांग रहे हैं? आप सभी जानते हैं कि वहां जो विचारधराएं थी अब वे संकट में हैं। माओं की विचारधारा अब वहां नहीं है आज यह वहां नहीं है और और अन्तर्राष्ट्रीय दबाव तथा अन्तराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के कारण यह चल नहीं सकी, वे आधुनिकीकरण के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाना चाहते हैं परन्तु उन्हें प्रौद्योगिकी कहां से मिलेगी तक प्रौद्योगिकी का संबंध है इस पर पश्चिम जर्मनी का एकाधिकार है। वे कहते हैं कि प्रौद्योगिक हमारा साधन है परन्तु वे कहते हैं कि हम इसे अलग नहीं कर सकते वे इसे एक शर्त पर छोड़ सकते हैं। यह एक समस्या है। लोग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण क्यों लेते हैं? कई बार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण पर बहस हुई है और भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि जितनी जल्दी हम इससे छुटकारा पाएंगे जितनी जल्दी हम इसे वापस करेंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा और हम आगे बढ़ सकेंगे इससे कोई भी प्रसन्न नहीं है। आप जानते हैं कि साम्यवादी देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के चक्कर लगा रहे हैं। पोलेड में हमारा अनुभव क्या रहा है ब्राजील और सैक्सिको में हमारा अनुभव क्या रहा है? हम उसे भूल नहीं सकते। हमें पाबन्दियों को स्वीकार करना पड़ेगा और वे इसे चीन में व्यावहारिता कहते हैं मैं इसलिए वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बजट प्रस्तुत किया। जिस विचारधारा से हम बंधे हुए हैं वह हमारे कार्य में शत प्रतिशत नहीं दिखाई देती। हमारी विचारधारा है कि इस देश में समाजवादी समाज एक समतावादी समाज की स्थापना की जाए। कुछ दूर-दराज के क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी के बारे में सभी जानते हैं देश में एक तिहाही जनसंख्या को बिना पौष्टिक आधार के रहना पड़ता है। देश अच्छी शैक्षिक सुविधाओं के बावजूद 36 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। हमारे हमारे देश में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएं चीन से आठ गुणा अधिक हैं। इस देश के पास परमाणु प्रौद्योगिक है यहां आधुनिक तकनीक जानकारी है परन्तु वास्तविकता यह है कि केवल 36 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित हैं आज सोच सकते हैं कि केन्द्र सरकार तथा सारे देश में राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा के लिए बजट में जो व्यवस्था की जाती है उसे शेष जनसंख्या के लिए कुछ नहीं होता। 64 प्रतिशत लोग इससे अप्रभावित रह जाते हैं। यहां ऐसी स्थिति है। आदिवासी और अनुसूचित जातियों में महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता अधिक है। सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद वे आगे नहीं बढ़े हैं। वास्तव इन समुदायों के कुछ लोग आगे बढ़े हैं परन्तु वे पिछड़े ही रहे।

मेरा कहना यह है कि बजट एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज है जिसमें देश की वर्ष की आय और खर्च का ब्यौरा दिया हुआ होता है। परन्तु यह ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसमें देश की सभी समस्याओं का उत्तर दिया गया हो हमें मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को पूर्ण रूप से बदलने की जरूरत है और ऐसा की राजनैतिक संकल्प शक्ति से हो सकता है। राजनैतिक संकल्प शक्ति बनाने की जरूरत हैं। हम राजनैतिक संकल्प शक्ति बनाने में समर्थ नहीं हैं।

महोदय, सारी धन सम्पत्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में है। देश की लगभग 33 प्रतिशत धन सम्पत्ति 5 प्रतिशत परिवारों के हाथों में हैं। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों की धनसम्पत्ति जमा है और कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। क्षेत्रीय असमानताएं हैं। आय में असमानता है। इससे लोगों में असंतोष फैलता है। क्षेत्रीय आसमानताओं के कारण फैल रहे असंतोष का कारण यह है कि जिन लोगों को अवसर प्रदान नहीं किया गया है वे देश के विकास कार्यों से होने वाले लाभ में उचित हिस्सा चाहते हैं। वास्तविकता यह है। महोदय मैं यह जानता हूं कि इतनी बड़ी समस्याओं का उत्तर बजट में नहीं हो सकता। इसका उत्तर उसी हालत में दिया जा सकता है जबकि मूलभूत सामाजिक परिवर्तन करने के लिए एक राजनैतिक संकल्प शक्ति बनाई जाए जिसका वर्तमान स्वामित्व प्रणाली पर प्रभाव पड़ सके महोदय ऐसे परिवर्तन का समय आ गया है एक दिन श्री सुनील मैत्रा ने बताया था कि सिंचाई वाली भूमि 4 से 5 प्रतिशत लोगों के स्वमित्व में है और शेष भूमिहीन हैं। उन्होंने परामर्श दिया है कि सारी भूमि को लेकर उसका पुन विचार किया जाए। परन्तु महोदय वास्तविकता क्या है? आप जानते हैं कि संविधान की 9 वीं अनुसूची के अन्तर्गत कुछ भूमि सुधार उपायों को उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय द्वारा वापस ले लिया गया है अब उनकी न्यायिक जांच कीजानी चाहिए। महोदय, मैं इसका उत्तर चाहता हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : आप पश्चिम बंगाल भूमि सुधार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। यह एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़ा है। और अब आप क्या बात कर रहे हैं? अब यह 18 महीने से लंबित पड़ा है।

**श्री ब्रज मोहन महन्ती** : मैं सरकार की ओर से उत्तर नहीं दे सकता।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह अच्छा है कि आप इससे अलग हो गए हैं।

**श्री ब्रज मोहन महन्ती** : अलग होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं अलग हूं या नहीं मेरे निश्चिन्त हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आप स्वीकृति देने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और इस प्रकार आप राज्य सरकारों को भूमि सुधार विधान लागू करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप उसकी वकालत करें। आप ऐसा करने के लिए सरकार से अनुरोध करें।

**श्री ब्रज मोहन महन्ती** : आप सरकार से प्रश्न पूछिये और उत्तर लीजिए।

अब मैं दूसरी समस्या पर आता हूं। मेरे मित्र और सभी लोग यह जानते हैं कि क्षेत्रीय असमानता बढ़ रही है। यहां तक कि पिछड़े क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों को वित्त स्थानान्तरित किया जा रहा है और यदि आप औद्योगिक लाइसेंसों की जांच करें जिन्हें आपने जारी किया है तो आप यही रवैया पाएंगे। अतः, आपसे मेरा निवेदन यही है कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और स्थिति को ठीक करना चाहिए।

महोदय, आठवां वित्त आयोग स्थापित किया गया है। सातवां वित्त आयोग थोड़ा बहुत पिछड़े क्षेत्रों का पक्षपाती था। हरेक जानता है सातवें आयोग में असहमति की एक टिप्पणी है। यह ऐसा प्रलेख है जो अविकसित अथवा पिछड़े क्षेत्रों की थोड़ी बहुत सहायता करता है। अब मेरा निवेदन यह है कि आठवें वित्त आयोग को क्षेत्रीय असन्तुलन पर विचार करना चाहिए और जितनी जल्दी यह असन्तुलन को ठीक करेगा उतना ही देश और पूरे राष्ट्र के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। अतः, माननीय वित्त मंत्री से मेरा निवेदन है कि उन्हें इस पर विचार करना चाहिए।

महोदय, सातवें वित्त आयोग ने राज्यों को कुछ ऋण माफ करने का सुझाव दिया था। छठे वित्त आयोग ने भी यही सिफारिश की थी। परन्तु, महोदय, मेरा निवेदन यह है कि भारत के राज्यों को प्राकृतिक विपदाओं के संबंध में दिए गए सभी ऋणों को माफ किया जाना चाहिए और केन्द्र सरकार को इसकी पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। निःसन्देह, विकास प्रयोजनों के लिए दिए गए ऋण को माफ करने का प्रश्न भिन्न है और आप इस पर अलग से विचार कर सकते हैं, परन्तु प्राकृतिक विपदाओं के लिए केन्द्र द्वारा दी गई सहायता थी, जहां तक पिछड़े राज्यों का संबंध है, माफ किया जाना चाहिए।

महोदय, निगमित क्षेत्र में विलासिता पूर्ण व्यय पर कुछ पाबन्दियां लगाने के लिए मैं वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं परन्तु, महोदय 'निबल लाभ' की बनाम 'सकल लाभ' पर 'कर' लगाने क्या हानि है ? यदि वे 'सकल लाभ' पर कर लगाते हैं, तो मेरा विचार है कि अधिकांश बुराइयां समाप्त हो जाएंगी।

फिर, महोदय, मेरा निवेदन नारी शिक्षा के विषय में है। महोदय, शिक्षा का राष्ट्रीय औसत 36 प्रतिशत है और महिलाएं इसमें काफी पीछे हैं। महिलाओं के विकास के लिए कुछ विशेष संरक्षणात्मक उपायों पर विचार किया जाना चाहिए।

एक और पहलू जिस पर वित्त मन्त्री द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है विशेषकर महिलाओं के लिए नौकरी से सम्बध है। इस संबंध में, मैं इकानामिक रिव्यू के अन्तिम पैरा पृष्ठ 30 का हवाला दूंगा, जिसमें यह कहा गया है कि नौकरियों का मासिक स्थान पूर्ति कम हो गया है। इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस समस्या को काबू करने के लिए हमारी नीति क्या है ? बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए, जो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, हमें

प्रतिवर्ष सत्तर लाख नौकरियों की आवश्यकता है। संगठित क्षेत्र में स्थानपूर्ति को कम क्यों किया गया ? इस बात पर विचार किया जाना चाहिए। देश में विभिन्न तरह से रोजगार की संभावनाएं जुटाने के गम्भीर प्रयास किए जाने चाहिए। मुझे इस बात की जानकारी है कि पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं पैदा करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यक्रम है परन्तु मुझे भय है कि यह समस्या का समाधान नहीं है।

नौकरियों के आरक्षण के विषय में एक और पहलू है। कल समाचारपत्रों में हमने देखा कि केरल में नायर लोग अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, कहीं पर मुस्लिम आरक्षण की मांग कर रहे हैं और हिन्दू पंजाब में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। परन्तु जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों हो ? आर्थिक पिछड़ेपर के आधार पर क्यों न हो ? इसके लिए राष्ट्र की राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यह इस समस्या का एक भाग तर्कसंगत और युक्तिपरक समाधान है। मैं प्रत्येक से अपील करता हूं, इस पर एक राष्ट्रीय वाद-विवाद होने दीजिए। आरक्षण जाते अथवा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, यह आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

**सभापति महोदय** : आपके दल के लिए केवल 11 मिनट उपलब्ध है।

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : सभापति महोदय, मेरे पास सीमित समय होने से मेरे लिए स्वाभाविक रूप से यह संभव न होगा कि मैं चर्चाधीन बजट प्रस्तावों के सभी पहलुओं को ले सकूं। अतः, मैं केवल कतिपय पहलुओं को ही लूंगा जिन्हें, जहां तक मुझे याद है, अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नहीं लिया गया है।

यदि हम बजट प्रस्तावों पर एक सामान्य नजर डालें तो कतिपय निष्कर्ष निकलते हैं और वे हैं, यह बजट जन विरोधी है, यह हमारे देश के आम लोगों पर कड़ा प्रहार करता है, यह बजट राज्यों की वास्तविक आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है, यह बजट पिछले वर्षों की तुलना में आम लोगों पर अधिक भार लादता है, इस बजट से हमारे देश में मुद्रास्फीति और बढ़ेगी और यह बजट और कुछ नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़े औद्योगिक घरानों को नई छूट देता है। संक्षेप में यही लोगों की आम प्रतिक्रिया है।

**श्री पट्टाभि रामा राव** : आप किन लोगों की बात कर रहे हैं ? आप स्वयं अपनी बात कर रहे हैं किसी और की नहीं है।

**श्री चित्त बसु** : क्या यह वास्तव में लोगों की सहायता करता है ? जैसा कि मैंने कहा यह लोगों के हितों के विरुद्ध है। आप इस बात को केवल तब ही समझ सकते हैं जब आप बजट प्रस्तावों के निराशाजनक आंकड़े देखें। आप पाएंगे कि प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों

का अनुपात बढ़ गया है अर्थात अप्रत्यक्ष करों का अनुपात कई गुना बढ़ गया है । मैं एक उदाहरण दूंगा । कुल राजस्व प्रस्तावों के 489 करोड़ रुपये अथवा 82 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों से आता है । क्या इससे लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता है ? क्या यह आम लोगों को प्रभावित नहीं करता है ? यह आपके बजट की विशेषताओं में से एक है ।

वस्तुतः, आप पाएंगे कि वर्तमान प्रस्तावों से प्रत्यक्ष करों में 2.42 करोड़ रुपये की कमी का संकेत मिलता है, जबकि अप्रत्यक्ष करों में 85 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो गई है । यह आपका बजट प्रस्ताव है ।

मेरा विचार है आपको याद होगा कि 1950-51 के बजट प्रस्तावों में एकत्र किए गए कुल करों 37 प्रतिशत प्रत्यक्ष कर थे । आज हम कहां आ गए हैं ? वर्तमान बजट प्रस्तावों में प्रत्यक्ष करों का अनुपात केवल 16 प्रतिशत कम हुआ है । यह किसका समर्थन करता है ? यह किसकी सहायता करता है ? क्या यह आम लोगों की सहायता करता है ? अतः, मेरा पहला मुद्दा यह है कि यह बजट आम आदमी पर सीधा प्रहार करता है ।

मैंने यह भी कहा था कि इस बजट ने राज्यों की आवश्यकताओं की उपेक्षा की है । यह एक महत्वपूर्ण पहलू है । उस पक्ष के अनेक सदस्यों ने भी अपने राज्यों की आवश्यकताओं के विषय में खासतौर से उल्लेख किया था । हम यह देखें कि केन्द्र से धन के आवंटन के सम्बन्ध में इस बजट की नीति क्या है ।

स्वभावतः यह मान्य बात है । मैं आपको केवल एक या दो उदाहरण दूंगा । इस बजट में आय-कर पर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.51 अधिभार करने की व्यवस्था है, यह स्पष्ट है । हमें पता है कि आय कर पर अधिकार में वृद्धि की गई राशि राज्य सरकारों को नहीं जाती । इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य सरकारों को एक विशेष अंग से वंचित रखा जाये जिसका वे हकदार हैं और जो उन्हें आयकर से प्राप्त होता है । अतः राज्य सरकारों को अपने अधिकार से वंचित करने के लिए ही अधिकार में वृद्धि की गई है । मैं केवल पश्चिम बंगाल सरकार के संबंध में नहीं कहता हूं । ऐसा विचार मत रखिये । इस बजट में राज्य सरकारों की आवश्यकताओं की उपेक्षा की गई है ।

राजस्व-आय में सर्वाधिक वृद्धि सीमा-शुल्क के क्षेत्र में हुई, जिसमें से राज्य-सरकारों को अंश नहीं दिया जाता ।

अन्ततोगत्वा आपको पता चलेगा कि केन्द्र से राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को अंतरित की गई कुल धनराशि वस्तुतः वर्ष 1982-83 में 12,822 करोड़ रुपये से घट कर 12,392 करोड़ रुपए हो गए अर्थात 400 करोड़ रुपए से अधिक की कमी हुई । औसतन, स्थिति यह है । मैं इसका हिसाब नहीं लगा रहा हूं । अतः जब राज्य सरकारों की आवश्यकताएं बढ़ रही है, जब उनकी आय के स्रोतों में कोई परिवर्तन नहीं है और आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, तो जैसा कि

बजट में दिखाया गया है, राज्य सरकारों की आवश्यकताओं की उपेक्षा करना सरकार की नीति रही है। मैं जानता हूं कि आप इसका सामना करेंगे। फिर इससे भारी बोझ है। मैंने पिछले कुछ वर्षों से संबंधित कुछ आंकड़ों की तुलना की है। वित्त मन्त्री ने वर्ष 1983-84 में जो शुद्ध कर राजस्व का संग्रह करने का प्रस्ताव किया है, वह एक बड़ी राशि है—अर्थात 716 करोड़ रुपए।

मैं अन्य मामलों के बारे में बाद में उल्लेख करूंगा। यह भी पूर्व वर्ष की तुलना में 183 करोड़ रुपए से अधिक है। यह वर्ष 1980-81 की राशि से अधिक है। अतः पिछले वर्षों की तुलना में जनता पर बोझ में नियमित वृद्धि हो रही है। अतः पूर्व वर्षों की तुलना में इस बजट में अधिक बोझ परिलक्षित होता है। इसके साथ, जैसा कि अधिकांश सदस्यों ने उल्लेख किया है। यह विचार करना है कि बजट-पूर्व के कर और बजट-बाद की कर राशि 2,500 करोड़ रुपए होती है। इसके अतिरिक्त, यह एक अतिरिक्त बोझ है। मैं सत्ताधारी दल के दर्शन के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं, उनके दर्शन के बारे में सभी जानते हैं। मैं जानता हूं कि वे अपना दर्शन नहीं बदलेंगे क्योंकि उन्हें अपने मालिकों को सन्तुष्ट करना है। मुझे ऐसी आशा नहीं है कि वे अपनी मूल नीति को बदलेंगे। परन्तु, मुझे केवल इतना कहना है कि उनके उसी विशेष दर्शन के होते हुए भी, यह बजट पूर्व वर्षों की तुलना में जनता पर अधिक भारी बोझ डालता है।

उसके बाद घाटे का प्रश्न आता है। सरकारी तौर पर यह बताया गया है कि 1,555 करोड़ रुपयों का घाटा रहेगा, परन्तु वास्तविक घाटा क्या होगा? यदि हम पिछले आकड़ों पर ध्यान दें तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी कि उक्त घाटा इतना नहीं रहेगा, उसमें गहुत वृद्धि होगी। हमारा पिछला अनुभव क्या है? वर्ष 1980-81 में घाटे का आकलन 1,477 करोड़ रुपए था, परन्तु वास्तविक 1,904 करोड़ रुपए था। वर्ष 1982-83 में घाटे का आकलन 1,539 करोड़ रुपए था। परन्तु वास्तविक 1,666 करोड़ रुपये था, वर्ष 1982-83 में घाटे का आकलन 1,356 करोड़ रुपए था परन्तु पुनरीक्षित प्राक्कलन 1,935 करोड़ रुपये था।

यदि आप इन आंकड़ों का हिसाब लगायेंगे तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि चार वर्षों के भीतर 7000 करोड़ रुपयों का नोट बाजार में परिचारित किए गये और यह धन एक ऐसे समय में परिचालित किया गया जब कृषि और उद्योग, दोनों क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट रही है। उत्पादन की ऐसी गिरावट की स्थिति में यदि अधिक नोट परिचालित किए जाएं तो मुद्रास्फीति में और अधिक वृद्धि होगी, और मूल्य अधिक बढ़ेंगे। अतः, यह बजट न केवल मूल्य में अस्थिरता लाता है अपितु यह मुद्रास्फीति को नहीं रोक पाएगा, मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा, यह मूल्यों को बढ़ायेगा या बढ़ावा देगा।

मेरे विचार से वित्त मन्त्री महोदय ने यह कहते हुए गौरव का अनुभव किया है कि उन्होंने बडे औद्योगिक घरानों के समग्र लाभों पर 20 प्रतिशत कर की व्यवस्था करके कुछ कदम उठाये हैं, जो भारी मुनाफा कमाते हुए भी उनके द्वारा सरकार को नहीं दिया जाता। यह एक अच्छा

उपाय है, एक स्वागतयोग्य उपाय है। इसमें कोई सन्देह नहीं है, परन्तु समग्र लाभ पर कराधान न करने के क्या कारण हैं। केवल 30 प्रतिशत ही क्यों? क्या यह एक रियायत नहीं है। उन्होंने राजकोष को राजस्व के वैध अंश से बंचित किया है और आपमें समग्र देय संग्रह करने का साहस नहीं है जिसके कारण केवल उसके 30 प्रतिशत मांगकर आप सन्तुष्ट हो जाते हैं—ऐसा क्यों?

**श्री पट्टाभिराम राव :** इस वर्ष एक शुरूआत की गई है।

**सभापति महोदय :** आपने अपना समय पूरा कर लिया है।

**श्री चित्त बसु :** मेरी आखिरी बात है, यदि आप अनुमति दें, तो महोदय, यह एक नया चार्टर है। यह बहु-राष्ट्रीय औद्योगिक घरानों के लिए नयी रियायतों का चार्टर है। मैं उनमें से कुछ एक का उल्लेख करूंगा। अवमूल्यन की सामान्य दर को 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। ब्याज पर लगाये जा रहे कर को कम कर दिया गया है। उत्पादन को बढ़ावा देने के नाम पर उत्पादन शुल्क में राहत देना को जारी रखने और समूचे उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन शुरू करने आदि के वचन दिए गए हैं।

**एक माननीय सदस्य :** सही अर्थ में सरकारी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था है।

**श्री चित्त बसु :** अतः अनेक रियायतें हैं और इस बजट के बड़े उद्योगपतियों की नयी रियायत तालिका कहा जा सकता है।

मैं केवल एक और बात के बारे में कहूंगा और समाप्त करूंगा। मुझसे ठीक पूर्व के माननीय सदस्य श्री मोहन्ती हमारे देश के प्रधान मन्त्री द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में व्यक्त की गई टिप्पणी का उल्लेख कर रहे थे। यह अच्छा है जो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें राजनीति-प्रेरित होती हैं जो जिन्हें हमारे मित्रगण पहले स्वीकार नही करना चाहते थे। फिर उन्होंने और भी स्पष्ट कर दिया जब उन्होंने कहा कि वे हमारा अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। अब, यदि सरकार की यही स्थिति है तो यह बजट प्रस्तावों में कहां पर परिलक्षित हुई है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** पहले उन्होंने इन्कार किया।

**श्री चित्त बसु :** पहले उन्होंने इन्कार कर दिया। चलो, हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। प्रधान मन्त्री प्रेस सम्मेलन में, न कि घर में, एक वक्तव्य देती हैं। जो हो, यह प्रधान मन्त्री का भाषण है। चाहे वह उसे घर में दें या बाहर दें, हम इसे स्वीकार करते हैं। क्या बजट प्रस्तावों में उसका आभास मिलता है, बिल्कुल नहीं। उसके विपरीत, यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं प्रमाणित कर दूंगा कि बजट दस्तावेजों

में विपरीत स्थिति है, और यदि उनमें साहस है, तो वे कह सकते हैं कि सरकार अब और किश्तें स्वीकार नहीं करेगी और कहें "भविष्य में हम अपने आप निर्भर रहेंगे" और आत्म-निर्भरता के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ।

अतः प्रधान मन्त्री की कुछ टिप्पणी जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया है, के बावजूद इस बजट में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को स्वीकार किया गया है । यदि उनमें साहस है तो उन्हें इसकी घोषणा अभी करनी चाहिए । उन्हें इसके बारे में कहना चाहिए और नीति को बजट-प्रस्तावों में परिलक्षित किया जाना चाहिए ।

**सभापति महोदय :** कृपया, अब समाप्त कीजिए ।

**श्री चित्त बसु :** आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**श्री आर० आर० भोले** (बम्बई दक्षिण-मध्य) : मैं माननीय वित्त मन्त्री के बजट प्रस्तावों का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं । हमारे लिए विपक्ष से सहमत होना अत्यधिक कठिन है । जब वह यह कहते हैं—यदि यह उचित है तो हम सहमत हैं, यदि यह अनुचित है तो हम कैसे सहमत हो सकते हैं—कि यह बजट केवल एकाधिकारवादी पूंजीवादियों को रियायतें देने के लिए है ।

क्या वह जानते हैं कि एकाधिकारवादी बड़े घरानों की आय पर 30 प्रतिशत कर लगाया गया है, जिसका अर्थ है कि कुल लाभ के 30 प्रतिशत पर कर लगाया गया है, अब तक तो वह कोई लाभ नहीं दर्शाते थे । क्या यह छोटे आदमियों, लघु उद्योगों के लिए है या कि यह बड़े उद्योगपतियों के लिए है, जो अब तक अपनी आय छुपाते रहे थे । केवल एक इस उदाहरण से मालूम हो जाएगा कि इस बजट की क्या प्रवृत्ति है । मेरे मतानुसार, यह बजट, गरीब आदमी के लिए है, काश्तकार और मजदूर के लिए है । यदि हम बजट प्रस्तावों पर ध्यान दें, तो बजट में सिंचाई क्षमता में 2.35 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि की गई है । और कृषि कार्यक्रम परिव्यय में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

जहां तक औद्योगिक उत्पादन का संबंध है उसमें भी हमने अच्छी प्रगति की है और कुछ हद तक कृषि उत्पादन में भी । औद्योगिक उत्पादन में 1981-82 में 8.6 प्रतिशत से 1982-83 में 4.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और हमारा विचार है कि इस बजट में सभी प्रोत्साहनों के हम 1983-84 में और अच्छा उत्पादन कर सकेंगे विद्युत उत्पादन में भी 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । हमने उर्वरकों सहित पैट्रोलियम उत्पादों में भी काभी वृद्धि की है बजट की आदतें भी बढ़ी है । राज्य और केन्द्रीय योजना परिव्यय में भी वृद्धि हुई है एकीकृत ग्रामीण रोजगार योजना के साथ-साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को 1983-84 में 480 करोड़ रुपए दिए गए हैं । बजट में ग्रामीण जल आपूर्ति का भी ध्यान रखा गया है । हम जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी संख्या में गांवों में स्वच्छ जल अथवा पेयजल की नितांत कमी है । बजट में ग्रामीण

जल आपूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और इसे उस 319 करोड़ रुपए में जोड़ा जाना है जो राज्यों का अंशदान है। इससे, प्रस्ताव के अनुसार, 48,000 और गांवों को जल आपूर्ति की जा सकेगी। जहां तक शहरी नागरिकों का संबंध है, आयकर के निम्नतम स्तर को कुछ राहत दी गई है, उदाहणार्थ 15,000 रुपए से 20,000 रुपए तक की आय पर चीनी पर शुल्क कम कर दिया गया है। घरेलू महिलाओं द्वारा रसोईघर में काम में लाई जाने वाली एक आवश्यक वस्तु पर छूट दी गई है।

इस प्रकार, मेरे माननीय मित्र, वित्त मंत्री ने बजट को जहां तक संभव हो सका, संतुलित बनाने का प्रयत्न किया है और जिन लोगों को सबसे अधिक सहायता चाहिए उन्हें उसे दिया है उन्होंने अप्रत्यक्ष करों के साथ साथ अप्रत्यक्ष करों में भी वृद्धि की है और जहां तक केन्द्र के भाग का सम्बन्ध है उसमें 615.31 करोड़ रुपए और राज्यों के संबंध में 174 करोड़ रुपए के कुल राजस्व की प्राप्ति का प्रावधान है।

बजट में 1,555 करोड़ रुपए की धारा है। हालांकि मेरे मतानुसार बजट का बड़ा भाग, मध्यम आय वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए है, लेकिन अभी भी हमारा अनुभव दर्शाता है कि उपलब्धियां और लाभ हमारे द्वारा किए जाने वाले धन के अनुपात में नहीं हैं। मेरे अनुसार, इसका कारण यह है कि क्रियान्वयन मशीनरी पिछले तीस वर्षों से पालन की जा रही पद्धति अभी भी औपनिवेशक प्रकार की है। वे नौकाशाह जो इन कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित के लिए जिम्मेवार हैं मेरे अनुसार उतनी रुचि नहीं लेते हैं जितनी हम उनसे चाहते हैं। कार्यान्वयन पद्धतियों अनिश्चितताओं और अक्षमताओं से प्रभावित हैं क्योंकि यह कई स्तरों से कार्यान्वित होती हैं।

जहां तक राज्यों का संबंध है, मैं समझता हूं कि जिले में लिपिकों को अधिक शक्तियां दी गई हैं। वह एक टिप्पणी लिखता है, वही उसका सार लिखता है और फिर वह अन्य कई स्तरों से होकर गुजरता है। इस प्रकार हर स्तर पर कागज रुक जाते हैं। यदि कोई शरारत करनी हो तो अधिकारियों के लिए उसके कई अवसर होते हैं। अतः यह तंत्र और पद्धतियां पूरी तरह से बदली जानी चाहिए। मैं कई ऐसे सुधारों और प्रतिवेदनों से अवगत हूं जिनमें पद्धति को बदलने को कहा गया है। यह इस उद्देश्य के लिए है कि जो धन व्यय किया जाता है वह लाभार्थियों को मिले लेकिन उन सुधारों को कार्यान्वित नहीं किया जाता है और हम देखते हैं कि तंत्र अभी भी वही है जो पहले था। इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इन नौकाशाही पद्धतियों को बदला जाए और यह ध्यान रखने का प्रयत्न किया जाए कि जो धन हम कृषकों, ग्रामीण लोगों, शहरी लोगों के लिए व्यय कर रहे हैं उन्हीं को मिले और उन्हें उसका पूरा लाभ मिले।

एक और बात मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगा। हमारी एक सदन को यह बताने की एक पुरानी आदत है कि हमने इस परियोजना के लिए हजार करोड़ रुपए, उस परि-

योजना के लिए 400 करोड़ रुपए, इतने करोड़ अनुसूचित जाति और जनजाति और आदिवासी विकास योजना पर व्यय किए हैं। महोदय, मैं समझता हूं कि ऐसा कहना रोक दिया जाना चाहिए। हमें धनराशि में उत्तर देने कि यह व्यय हुआ है की बजाए इन परियोजनाओं और कार्यक्रमों से गांवों की संख्या परिवारों की संख्या को लाभ हुआ है बताना चाहिए।

सारे देश और सभी परियोजनाओं और कार्यक्रमों जो सरकार केन्द्र और राज्य दोनों चला रहीं हैं की जांच करने पर मैंने पाया है कि वह ठीक से काम नहीं कर रही हैं इसका कारण यह है कि सारी व्यवस्था में ही कमी है। कार्यान्वयन तंत्र और जो पद्धतियां अपनाई जाती अभी भी पुरानी औपनिवेशिक प्रकार की हैं। हम सभी अंग्रेजी हटाने की बात करते हैं लेकिन पद्धतियां अभी भी अंग्रेजी के जमाने की जो कि पुरानी पड़ गयी हैं अपनाई जा रही हैं। इसी कारण हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं और जो धन परियोजनाओं पर व्यय किया जाता है उनको नहीं मिलता है जिनके लिए उसे व्यय किया जाता है। अतः यदि सरकार इतने करोड़ रुपए व्यय हुए कहके सतुष्ट होने की बजाए जिसने परिवारों को अथवा लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है उनके आंकड़े प्राप्त करे तो अच्छा है। मैंने सोचा कि मैं इसे विशेष रूप से सरकार के ध्यान में लाऊं।

रोजगार के सीधे अवसर उत्पन्न करने पर बहुत कम जोर दिया जाता है। सभी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के बावजूद कृषि के क्षेत्र में कृषिरोजगार के अवसर न्यूनाधिक उतने ही हैं जी० डी० पी० में 1950-51 से 1981 में 40.4 प्रतिशत की कमी आई है। निसन्देह हम परिवार कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं कर पाए हैं। हमें इन सभी दिशाओं में प्रयत्न करने हैं।

अब मैं महाराष्ट्र की कुछ मांगों की बात करता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा 87 जिलों को "बिना उद्योग वाले जिले" घोषित किया गया है दुर्भाग्य से महाराष्ट्र के एक भी जिले को "बिना उद्योग वाले जिलों" में सम्मलित नहीं किया गया है उसका कारण यह है कि उन जिलों को इकाई माना जाता है जहां पर माध्यम और बड़े उद्योग हैं हम चाहते हैं कि केन्द्र हमारा इस प्रस्ताव पर विचार करे कि तहसील को इकाई माना जाये और जिले को नहीं।

तापीय बिजली की कुछ परियोजनाओं के प्रस्ताव केन्द्र के पास स्वीकृति के लिए पड़े हैं उन पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। विशेष रूप से उस गैस टर्बाइन विस्तार तथा 2 वर्ष केन्द्र विस्तार परियोजनाओं के प्रस्ताव। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाये ताकि अपने राज्यों में हम इन ऊर्जा क्षेत्रों की स्थापना कर सकें। मैं बजट का समर्थन करता हूं।

**श्री राम प्यारे पनिका** (रावर्टसगंज) : सभापति जी, मैं बड़ा अभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया है।

मान्यवर, मैं दो-तीन रोज से इस बहस को सुन रहा हूं और मैं तो यहां पर अपने वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सामयिक और संतुलित बजट

प्रस्तुत किया है खासकर इस पृष्ठभूमि में जबकि आपको मालूम है कि लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि सूखे से प्रभावित है और इस कारण 31 करोड़ 2 लाख आदमी प्रभावित हुए हैं। इस तरह से आप देखें कि 68 करोड़ की आबादी में से 31 करोड़ 2 लाख आदमियों पर असर पड़ा है। तूफान से, ओलों से, फोग से भी हमारे देश में कृषि को नुकसान हुआ है। ऐसे समय में जबकि संकट की घड़ी है, ऐसा संतुलित बजट पेश करना एक महत्व की बात रखता है।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों से मैं लगातार यह सुनता आ रहा कि जब भी वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्ताव किया है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, चाहे जन संघ वाले हों या सी० पी० एम० वाले हो, सभी लोगों ने एक स्वर से यह कहा है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा लेकिन इन पिछले तीन वर्षों में कोई खास इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। बिन्दु को आधार मान कर आप चलें, तो पिछले साल का ही आप देख लें। उस समय जबकि एबरज थोक मूल्य 5.7 पर सेन्ट बढ़े थे, इस साल वे केवल 3 परसेन्ट ही बढ़े हैं और फुटकर मूल्यों को अगर आप देखे तो इस साल जहां वे 8 परसेन्ट बढ़े हैं, पिछले साल 12 परसेन्ट बढ़े थे। इसलिए सर्वदा यह कहना कि बजट इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, यह बिल्कुल निराधार है और सत्य से परे है।

आप यह भी देखें कि जो वस्तु स्थिति है, उसको बताने की वित्त मंत्री जी ने कोशिश की है और कोई बात इसमें बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कही गई है। अभी कई लोगों ने कहा कि हमारा जो कृषि उत्पादन है, उसका ह्रास होने जा रहा है। इसको मंत्री जी ने छिपाया नहीं है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी गिरावट होने जा रही है लेकिन इनके पीछे कारण क्या हैं, इनको आप देखिए। इतना बड़ा सूखा पड़ा है, ओलों और तूफान से काफी क्षेत्र प्रभावित हुआ है, तो स्वभाविक रूप से कृषि के उत्पादन में गिरावट हो सकती है लेकिन रबी की फसल में बढ़ोतरी होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। तो ऐसा कहना कि इस बजट से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है और ईमानदारी की बात नहीं है।''' (व्यवधान)''' चटर्जी साहब, आप तो ईमानदारी की बात बोलते हैं लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी करने लगते हैं। ईमानदारी से आपको इस चीज को देखना चाहिए।

मान्यवर, एक ही सेक्टर की बात नहीं है, हमारे जो की-सेक्टर हैं, चाहे वह बिजली हो, चाहे पैट्रोलियम हो, चाहे ट्रान्सपोर्ट की बात हो, हम इन सब में काफी आगे बढ़े हैं। इन सब क्षेत्रों में हमारा उत्पादन बढ़ा है लेकिन इन्डस्ट्रियल उत्पादन में थोड़ा फर्क जरूर आया है। उसमें थोड़ी गिरावट आई है और उसके दो मुख्य कारण हैं लेकिन आप लोग तमाम इस बात को तूल दिये जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन में थोड़ी गिरावट आई है लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय लक्ष्य था 5 प्रतिशत उत्पादन बढ़ाने का, उसमें थोड़ी कमी जरूर है लेकिन हो सकता है कि हम उसको पूरा लें क्योंकि रबी प्रोस्पेक्ट्स हमें अच्छी दिखाई दे रही हैं। बावजूद तमाम कठिनाइयों के हम करीब-करीब उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर चल रहे

हैं। आलोचना तो होनी चाहिए लेकिन सही आलोचना करना ठीक होता है। निराधार आलोचना करना, सत्य से परे आलोचना करना और हवा में आलोचना करना, मैं चाहता हूं गलत बात है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और आप यह देखें कि हमारे वित्त मंत्री जी की दृष्टि क्या है। विरोधी दल के लोग हमेशा यह आवाज उठाते हैं कि यह गवर्नमेंट मल्टी-नेशनल्स की और कारपोरेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा देती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि पहली बार इन्होंने उनके प्री-कन्सेशन प्रोफिट पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया है और इसकी आलोचना भी अभी बसु साहब कर रहे थे। अगर कोई अच्छा काम शुरू करते हैं, तो उसकी भी आलोचना हो जाती है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बार जो टैक्सेशन की नीति हमारे वित्त मंत्री जी ने अपनाई है, उससे निश्चित तौर पर कामन लोगों को और गरीब लोगों को फायदा हुआ है।

अब जहां तक विकास कार्यों की बात है: हर क्षेत्र में चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो और चाहे दूसरा क्षेत्र हो, सरकार ने पूंजी को बढ़ाया है। क्या यह सही बात नहीं है कि 26 परसेन्ट डेवलपमेंट के कामों में पूंजी को बढ़ाया है। जहां एग्रीकल्चर में हमने 19 परसेन्ट बढ़ाया है, वहां उद्योगों में 26 परसेन्ट बढ़ाया है और जहां तक पब्लिक सेक्टर का सवाल है, उसमें उत्तरोतर सुधार हो रहा है। बावजूद इन सब कठिनाइयों के हमने 21 परसेन्ट से भी ज्यादा पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है।

मान्यवर, इन्टरनेशनल सिचुएशन को अगर आप देखें, तो जहां बहुत से डेवलप्ड कन्ट्रीज इन्वेस्टमेंट को कर कर रहे हैं, वहां केवल भारत वर्ष में कुशल नेतृत्व के कारण हमारी एकोनामी आगे बढ़ रही है। आपने यह भी देखा है कि हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है बावजूद तमाम कठिनाइयों के और इस बात को भुलाया नहीं जा सकता।

मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक फारेन ट्रेड की बात है, बावजूद तमाम कठिनाइयों के और इन्टरनेशनल मार्केट खराब होने के हमारा निर्यात बढ़ा है।

जहां पहले वर्ष हमने 17 परसेंट निर्यात किया था, वहां इस वर्ष हमने 18 परसेंट निर्यात किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बजट की जो मोटी-मोटी बातें हैं, वे सामने आनी चाहिए।

बजट के बारे में कहा जाता है कि इसमें डेफिसिट है। अगर आप पूरे बजट को देखें तो पायेंगे केवल 1,555 करोड़ रुपये का डेफिसिट है। हमने बजट में जो टैक्स लगायें वे गरीब और कामन आदमियों पर नहीं लगाये हैं बल्कि कुछ चुने हुए तत्वों पर लगाए हैं जिसको बहुत से लोगों ने पसन्द किया है और कई लोगों ने इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। वर्मा जी ने भी उसकी तारीफ की है।

वर्मा जी ने यह कहा कि बीस सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस का अपना कार्यक्रम है। ठीक है, यह हमारा कार्यक्रम है क्योंकि हम दरिद्रों और पुअर सैक्शन आफ सोसायटी को ऊपर उठाना चाहते हैं। इसके लिए मंत्री जी ने दस हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जिसके लिए उनको बड़ी बड़ी बधाई इसमें और भी राशि बढ़ायी जानी चाहिए। इसके अन्तर्गत कई प्रोग्राम हैं। जैसे कि आई० आर० डी० प्रोग्राम है, स्पेशल एन कम्पोनेंट्स सब ट्राइबल प्लान है। इनको पूरा करने की तरफ हमें बराबर जागरूक रहना चाहिए। इन कार्यक्रमों को सारा स्टेट गवर्नमेंट पूरा नहीं कर रही हैं। खासकर कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो कि हमारे काबू से बाहर हैं। वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स इनके इम्प्लीमेंटेशन का काम नहीं कर रही है। इसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिए कोई हमें ऐसी मशीनरी बनानी चाहिए जो कि इस काम को देखे। इसके लिए हमें पूरी तौर से जागरुक होना चाहिए।

मैं आपको एक उदाहरण दूं। सारे देश में हमने 23 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई हैं जबकि वेस्ट बंगाल में 5 परसेंट पर ही सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। केरल में तो यह नेगलीजेबिल है। इनकी हालत यह है। (व्यवधान)।

मैं यह कह रहा था कि आज इनकी हालत यह है। इसलिए मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि देश की जो योजनायें हैं कुछ उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होना चाहिए प्रधान मंत्री ने सत्ता में आने के बाद एक ऐसा कार्यक्रम देश को दिया है जिससे कि इस देश के दरिद्र वर्ग का बहुत भला होगा और इससे इन्हें घबराहट हो रही है। इस कार्यक्रम का आप सख्ती से पालन करें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन कार्यक्रमों के लिए जो पैसा दें, वह पैसा ठीक से खर्च होना चाहिए। उसको सेक्टर को देखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर दृष्टि से वह पैसा उन्हीं कार्यक्रमों पर खर्च हो रहा है या नहीं।

आपने पिछड़ेपन के लिए, कुछ आधार निश्चित किए हैं। प्लानिंग कमीशन ने इसके लिए 6 आधार रखे हैं। एक दिल्ली एरियाज, दूसरे डेजर्ट एरिया, तीसरे ट्राइबल एरिया, चौथे फ्लड-वाला एरिया, पांचवे सूखा वाला एरिया, छठे कोस्टल सेलाइन वाला एरिया। मान्यवर इनमें से चार आधार हमारे उत्तर प्रदेश में, मौजूद हैं। इसको देखते हुए और उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ की आबादी को देखते हुए उत्तर प्रदेश आपसे विशेष सहायता की अपेक्षा रखता है।

नतीजा यह है कि प्लानिंग शुरू होने से पहले जो प्रदेश अन्य प्रदेशों से आगे था वह आज पिछड़ गया है। उत्तरप्रदेश में पिछले वर्ष सूखे का व्यापक प्रकोप था। स्टेट गवर्नमेंट ने 164 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन वहां एक पैसा भी नहीं दिया गया है। मुझे खुशी है कि सूखे से बचने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मेरा अनुरोध है कि उत्तरप्रदेश को पैसा मिलना चाहिए। वहां पर राशन की दुकानें चलाई जा रही हैं। भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होती जा रही हैं। खासकर मिर्जापुर में स्थिति बहुत खराब है। वहां पर विकास के लिए राज्य

ने बहुत से सुझाव यहां दिए हैं ; बिजली उत्पादन के बारे में भी कई सुझाव दिए हैं और बिजली के लिए आपने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। यह बहुत अच्छा है। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में विद्युत मण्डलों की हालत बहुत खराब है। इसके तीन कारण हैं। पहला तो यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पास धनराशि नहीं है दूसरा सुंदर प्रबन्ध नहीं है अनुशासन हीनता से ग्रसित हैं और केन्द्र सरकार ने रुरल इलेक्ट्रफिकेशन के लिए दबाब डाला है जिससे बोर्ड को विभिन्न कन्सेशन देने पड़ते हैं। उसकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार उनको पैसे नहीं देती है 50 करोड़ रुपए की स्पेशल व्यवस्था की गई है। उत्तरप्रदेश विद्युत मण्डल की हालत बहुत खराब है। सारे देश में विद्युत लोड 49 प्रतिशत है जबकि उत्तरप्रदेश में 38.2 अर्थात 39 प्रतिशत के आसपास है । इसलिए मेरा निवेदन है कि उत्तरप्रदेश विद्युत मण्डल की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए ।

केन्द्र सरकार ने कुछ योजनाएं मन्जूर की हैं। मिर्जापुर में जनता राज में कन्हर पुल का शिलान्यास कर दिया गया था। उस वक्त एडनिस्ट्रेटिव सेंग्सन नहीं ली गई थी इसलिए उस पर काम नहीं हो सका । यह पुल बनना बहुत आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि कन्हर पुल बनना चाहिए। मिर्जापुर में 10 हजार मेगावाट का कांप्लेक्स बन रहा है। लेकिन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रएट नहीं हुआ है। श्री गनी खान चौधरी जब कोयला मंत्री थी उस वक्त तीनों मुख्यमंत्रियों ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए अनपरा परसोई सड़क बनाई जाए । उत्तरप्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। घोरवाल परसोई मार्ग इलाहबाद को लखनऊ से मिला देगा और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। वहां की उन्नति के लिए यह कार्य बहुत जरूरी है। इसके अलावा मोहनपुर में जहां कि निशुल्क भूमि है वहां पर साढ़े 6 हजार मेगावाट का पावर स्टेशन भी बनना चाहिए।

रीजनल इंवेलेसेस के बारे में अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे। इसको दूर करने के लिए जो चार सिद्धांत माने गए है इनको मानकर पैसा देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की इस वक्त यह हालत है कि कर्मचारियों को भत्ता देने तक के लिए पैसा नहीं है। मैं मानता हूं कि आपकी भी कुछ लिमिटेशन्स हैं। कुछ लोग स्टेट्स को अधिक पावर देने की बात करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। मेरा कहना यह है कि संविधान के अनुसार निर्माण करने की जिम्मेदारी केन्द्र की है उसको पूरा किया जाना चाहिए ।

हरिजन आदिवासियों के लिए बजट में धनराशि बढाई गई है इसका मैं स्वागत करता हूं । 1976 में हरिजन आदिवासियों की लिस्ट रेशनलाइज करने के लिए एक बिल पेश हुआ था लेकिन किसी कारण वश वह वापिस हो गया। वह बिल सदन में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जातियों को रिकमण्ड किया है लेकिन एक जाति बियार छूट गई है। एक जाति है जिसको आंध्रप्रदेश में गंगापुत्र कलकत्ता में केवट और मांझी मल्लाह आदि नामों से उसको पुकारते हैं।

यह जाति भी छूट गई हैं। इनकी संख्या करोड़ों में हैं। ये जातियां आर्थिक दृष्टि से पीछे रह गई हैं। इनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला है।

शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स अमेंडमेंट बिल जो वापिस हो गया था, उसको पुनः लाया जाए। मुझे पता चला है कि बहुत सी राज्य सरकारें जिसमें त्रिपुरा और बेस्टबंगाल की सरकार भी शामिल है सहयोग नहीं दे रही है। शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट जो सेन्ट्रल गवर्मेन्ट ने राज्यों के पास भेजी हैं, वह कम से कम अमेंडमेंड करके वापिस भेजनी चाहिए इतना सहयोग तो इनकी तरफ से होना ही चाहिए।...(व्यवधान)

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारी जो फाइनेंशियल हैन्ड बुक है, यह बहुत पुरानी है इसलिए इसमें परिवर्तन होना जरूरी है। एक जमाना था जब जी० एम० को अधिकार था कि वह स्टेशनरी खरीदेगा। तीस वर्ष के बाद भी वही हैं, इसलिए इसमें परिवर्तन होना चाहिए हमें नए सिरे से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी श्री इन्द्रजीत गुप्त बोल रहे थे। मैं उनका आदर करता हूं। उन्होंने काफी कुछ कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट हमारे लक्ष्यों की ओर संकेत करता हूं। मैं मन्त्री जी को पुनः धन्यदाद देना चाहता हूं चूंकि इस बार उन्होंने वैयक्तिक और निगमित दोनों क्षेत्रों में बचत करने का प्रयास किया है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए जो राशि उपलब्ध की है, यह आज कि कठिन परिस्थिति में बहुत ही अच्छा है। मंत्री जी की पैनी दृष्टि ने किसी सेक्टर को नहीं छोड़ा हैं, चाहे वह हरिजन हो या देहात का रहने वाला हो, चाहे शिल्पकार हो इसलिए पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। कि इन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है।

(व्यवधान)

मुझे मालूम है ये लोग टाटा और बिरला के खिलाफ बोलते हैं परन्तु यह लोग मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ बहुत प्रसन्न थे। मैं नहीं जानता कि उसका कारण क्या था।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के लोग थोड़ा सा पढ़कर बोलें, निराधार नहीं।

**श्री छोटू भाई गामित** (मांडवी) : सभापति जी, हमारे वित्त मन्त्री जी ने 1983-84 का जो बजट पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। मैंने इस बजट का अध्ययन किया है। हमारी छठी पंचवर्षीय योजना में जो गरीबी और बेकारी को दूर करने का ध्येय है, उसको पूर्ण करने वाला यह बजट है। इसमें ग्रामीण विकास की ओर भी ध्यान दिया गया है। हमारे देश में 70 प्रतिशत लोग देहात में रहते हैं। जब तब देहात का विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। हमारे वित्त मन्त्री जी ने ग्रामीण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बजट में पूरा प्रावधान रखा है। हमारी प्रधान मन्त्री जी ने आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए जो नया 20

सूत्री कार्यक्रम दिया है, इनके लिए इन्होंने इस कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए 10 हजार का प्रावधान किया है । ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि विकास के लिए 800 करोड़ रुपया रखा है । इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और सिंचाई की व्यवस्था होगी । देहातों में जो किसान रहते हैं उनमें से 7'' प्रतिशत छोटे सीमान्त किसान हैं उनके विकास के लिये वित्त मन्त्री जी ने 125 करोड़ रु० का प्रावधान किया है, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और विकास होगा ।

देहातों में जो लोग बेकार हैं उनकी बेकारी दूर करने के लिए एन० आर० ई० पी० कार्यक्रम में 480 करोड़ रु० का प्रोवीजन किया है जिससे 35 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा । जो मेहनत कश लोग हैं और काम नहीं मिलता है उनको इस प्रोग्राम से काम मिलेगा और देहात का विकास होगा । इससे रोजगार भी बढ़ेगा । हमारे देश में 6 लाख के करीब गांव है । उनमें जहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है वहां इस सुविधा को पहुंचाने के लिए 200 करोड़ रु० का प्रोवीजन किया है जिससे लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा । इसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं । खादी और ग्रामोद्योग के लिए भी 549 करोड़ रु० का प्रोवीजन किया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी प्रोवीजन हैं । इन बातों से स्पष्ट है कि इस वर्ष का बजट ग्रामीण विकास की ओर झुका हुआ है, इसके ग्रामीण विकास की गति बढ़ेगी और इसके लिए मैं वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं ।

हमारे देश में आदिवासियों और हरिजनों की 21 प्रतिशत आबादी है । प्रधान मन्त्री के हाथ में उनका हित और भविष्य सुरक्षित है । फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद आदिवासियों के लिए बहुत योजनायें बनी हैं, और बन रही है फिर भी हम देखते है आदिवासी जो जंगलों में रहत हैं वे अर्धनग्न और आधे भूखे रहते हैं । इसलिये उनके विकास के लिए बजट में जो 176 करोड़ रु० रखा है इस राशि की ओर बढाया जाय ताकि आदिवासियों को लाभ मिले और उनका जीवन विकसित हो ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से आदिवासियों और हरिजनों को जो ऋण सरलता से मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप राष्ट्रीयकृत बैंक्स को ऐसे आदेश दें जिससे देहात में रहने वाले आदिवासी, हरिजन और छोटे तथा सीमान्त किसानों को आसानी से ऋण मिल सके ।

इसी तरह से हम देखते हैं कि वित्त मन्त्रालय के अधीन जो कार्यालय है जैसे एल० आई० सी०, बैंक्स इत्यादि इनमें अभी तक भी आदिवासियों और हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है । हमने एस सी एस टी कमेटी में, विभिन्न बैंकों ने जो हमारा कोटा भरा है, उसके सम्बन्ध में स्टडी की है और हमने यह देखा है कि बहुत सारे स्थान अभी तक नहीं भरे गए हैं । हमारी प्रार्थना है कि वित्त मन्त्रालय के अन्तर्गत जितनी भी संस्थायें और विभाग हैं जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं या एल आई० सी है, वहां पर हरिजन आदिवासियों का पूरा कोटा तुरन्त भरने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि हरिजन आदिवासियों का भला हो सके ।

इसके अतिरिक्त मैं गुजरात के कुछ प्रश्नों की ओर भी मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप जानते हैं गुजरात एक ऐसा राज्य है जहांपर दो-तीन साल में कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आतारहती है जिससे कि वहां पर बड़ा नुकसान होता है। इस साल वहां पर कम तथा अनियिम वर्षा होने से जो अकाल पड़ा उसका 12 हजार से अधिक गांवों पर असर पड़ा है। इससे खेती में बहुत नुकसान हुआ है। इसके लिए गुजरात सरकार ने भारत सरकार से दो सौ करोड़ की सहाययता मांगी है। इसके अलावा नवम्बर, 1982 में वहां पर जो समुद्री तूफान आया था, सौराष्ट्र के एरिया में और दूसरी जगहों पर, उससे बड़ा भारी नुकसान पहुंचा था। 13 हजार गांवों पर उसका असर पड़ा था और 1200 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस सम्बन्ध में भी गुजरात सरकार ने भारत सरकार से सहायता मांगी है। मैंने इसी सम्बन्ध में यहां पर एक क्वैश्चन किया था जिसके उत्तर से पता चला कि इस साल गुजरात में जो प्राकृतिक आपदा आई है उसके लिए भारत सरकार की ओर से केवल 41 करोड़ की सहायता दी गई है। इस साल वहां पर जो करीब 1500 करोड़ नुकसान हुआ है उसको देखते हुए यह सहायता बहुत ही कम है। इस कुदरती आपदा के आने से गुजरात का विकास रुक गया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भारत सरकार गुजरात को जहां तक अधिक से अधिक सम्भव हो सके, उतनी इसी प्रकार से गुजरात में जो नर्मदा सिचाई योजना है उससे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हमारी नेशनल एकोनामी पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन दुःख की बात है कि उसका काम बहुत धीमे चल रहा है। इस बजट में तो नर्मदा सिचाई योजना के लिए कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। पता नहीं कितने सालों के बाद यह योजना पूरी हो सकेगी।

मेरी प्रार्थना है कि भारत सरकार की ओर से नर्मदा बांध सिचाई योजना के लिए ज्यादा से ज्यादा धन दिया जाना चाहिए ताकि उसका कार्य निश्चित समय में पूरा हो सके और इस प्रकार से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान प्रदेशों माननीय वित्त मन्त्री जी को इसके बारे में अवश्य विचार करना चाहिए।

इसी प्रकार की एक और योजना है जिसका कि राष्ट्रीय एकोनामी पर असर पड़ने वाला है। हजीरा जहाज-बाड़ा के सम्बन्ध में टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है लेकिन मेरे क्वैश्चन के उत्तर में यह बतलाया गया कि धन का प्रावधान न होने की बजह से काम शुरू नहीं हो सकता है। इस प्रौजेक्ट का भी राष्ट्रीय एकोनामी पर असर पड़ेगा। उनकी राष्ट्रीय इकानामि पर पड़ने वाला है, रोजगार पर पड़ने वाला है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको इस ओर भी अधिक ध्यान देना चाहिए।

अंत में, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो आदिवासी लोग है, छोटे किसान लोग हैं, इन लोगों को लोन नहीं मिलता है। ग्रामीणों को छोटे-छोटे धन्धे करने के लिए धन नहीं मिलता है। इसलिए मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि व्यारा, आहवाडांगा, धर्मपुरा और छोटा उदयपुर आदि क्षेत्रों में ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने पर विचार करें। वैसे वित्त मन्त्री महोदय ने पहले बहुत ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोली हैं। वित्त मन्त्री महोदय ने ग्रामीण लोगों के

विकास के लिए, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह बजट बनाया है और इसके साथ बचत को बढ़ावा देने के लिए यह बजट बनाया है ।

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हू कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

**श्रीमती केशरबाई क्षीरसागर** (बीड़) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा 1983-84 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट का समर्थन करती हूं । मैं दक्षतापूर्वक बजट तैयार करने के लिए उनको बधाई देती हूं । उन्होंने बहुत ही सन्तुलित बजट पेश किया है ।

हमारी जनसंख्या को 70 प्रतिशत भाग किसान हैं जिनमें से 50 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत किसान हैं । उनके उत्थान की योजनाएं तैयार करना बहुत जरूरी है । विभिन्न कृषि योजनाओं के लिए पिछले वर्ष के आवंटनों की तुलना में इस वर्ष 19 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । मेरे विचार से उसे 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि छोटे एवं सीमान्त किसानों के कल्याण की और अधिक योजटाएं तैयार की जा सकें । आयोजना आवंटन का 36 प्रतिशत भाग ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए निर्धारित है । इससे हम ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति प्राप्त कर सकेंगे । सिंचाई योजनाओं और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की राहत के लिए 2400 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है । परंतु सूखे की व्यापकता को देखते हुए यह राशि बहुत कम है । मेरा अनुरोध है कि इसमें बृद्धि की जानी चाहिए ।

देश में कुछ राज्यों में भीषण सूखा पड़ा जबकि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण फसलों की क्षति हुई । इससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । किसानों को राहत देने की दृष्टि से और अधिक विकास योजनाएं विशेषरूप से सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित की जानी चाहिये । उत्पादन में गिरावट का मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । तथापि औद्योगिक क्षेत्र के विकास में 4.5 प्रतिशत वृद्धि हुई ।

इस समय उद्योग शहरी क्षेत्रों में केन्द्रित हैं । छोटे उद्योगों की ग्रामीण क्षेत्रों में स्थान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उद्योग नहीं है जिसके कारण गांवों में बेरोजगारी में निरन्तर वृद्धि हो रही है ।

बैंक दरें कम की गई हैं । परन्तु बैंकों को किसानों, शिक्षित बेरोजगार युवकों तथा समाज के कमजोर वर्गों को ऋण देने चाहिए । शिक्षित बेरोजगार नौकरियों की खोज में शहरों की ओर भाग रहे हैं । बैंकों को उनको नए काम आरम्भ करने के छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए 100 प्रतिशत ऋण देने चाहिए ।

---

*मूल मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा आरम्भ किए गए नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग आरम्भ करने और काफी हद तक बेरोजगारी हटाने में सहायता मिलेगी। निर्धन व्यक्ति जीवन की मौलिक जरूरतों की पूर्ति अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान की आकांक्षा करते हैं। अतः उनकी इन मौलिक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए।

प्रेशर कूकरों के उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। इससे महिलाओं को राहत मिलेगी क्योंकि इससे प्रेशर कूकर सस्ता हो जायेगा। मैं इस रियायत के लिए देश की महिलाओं की ओर से वित्त मन्त्री को बधाई देती हूं। इसी प्रकार, ट्रैक्टरों, टायरों और मोटर साइकिलों पर उत्पाद शुल्क में रियायत दी गई है। इससे किसानों को राहत मिलेगी।

सरकार ने वेतन आयोग की नियुक्ति की है। इस कदम से केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनको प्रभावी ढंग से अपना काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

सीमेंट पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई है। इससे सीमेंट की कीमत में वृद्धि होगी। किसान बढ़ी हुई कीमत पर सीमेंट खरीद नहीं सकेंगे जिसकी उनको अपने घरों एवं कुओं के निर्माण के लिए आवश्यकता है। मेरा वित्त मन्त्री से नुरोध है कि सीमेंट को उत्पाद शुल्क से छूट दी जाए।

सरकार ने मिट्टी के तेल की दोहरी मूल्य नीति अपनाई है जिसके कारण मिट्टी का तेल महंगा हो गया है। मिट्टी के तेल का उपयोग अधिकतर निर्धन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अतः दोहरी मूल्य नीति को त्याग दिया जाना चाहिए और मिट्टी का तेल पहले की कीमत पर उपलब्ध किया जाना चाहिए।

राशन कार्डों पर मिलने वाले खाद्यान्नों का छोटा ग्रामीण एवं नागरिक क्षेत्रों के लिए एक होना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राशन का कोटा प्राप्त करने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। किसानों को उनके उत्पादन के लिए लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि निम्नलिखित कीमतें नियत की जानी चाहिये :

| | |
|---|---|
| ज्वार | 175 रु० प्रति क्विंटल |
| गेहूं | 250 रु० प्रति क्विंटल |
| कपास | 600 रु० प्रति क्विंटल |
| गन्ना | 250 रु० प्रति क्विंटल |

बड़ी मशीनों, ट्रकों और कारों के लिए बीमा योजनाएं हैं परन्तु सूखे अथवा अधिक वर्षा के कारण किसानों को कृषि उत्पादन में होने वाले घाटे की पूर्ति के लिये कोई बीमा योजना किसानों

के लिए नहीं हैं। यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हानि उठानी पड़ती है तो वह भूखों मरते हैं। इस निर्धन किसानों के लिए फसल बीमा योजना तत्काल लागू की जानी चाहिये।

महाराष्ट्र सरकार को इस वर्ष विकट सूखे का सामना करना पड़ा था। मराठवाड़ा और बीड जिलों में सूखा अत्यधिक पड़ा। इसके कारण राज्य में गंभीर संकट उत्पन्न हुआ। मेरा अनुरोध है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों को राहत देने के लिए स्थायी योजनाएं तैयार करने के लिए अधिक धन राशियां आवंटित की जानी चाहिए।

पेय जल की समस्या मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत गंभीर है। महिलाओं को 4-5 किलो मीटर दूरी से पेय जल भर कर लाना पड़ता है। राज्य में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए स्थायी योजना तैयार की जानी चाहिए। समस्या के स्थायी समाधान के लिए महाराष्ट्र राज्य को अधिक राशियां आवंटित की जानी चाहियें।

बीड़ जिला महाराष्ट्र का औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला है क्योंकि इसमें संचार एवं परिवहन साधनों की कमी है। लोगों को निकटतम रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए 1.50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। रेलवे बजट पर बोलते हुए मैंने इस बात पर बल दिया था कि अहमदनगर—बीड़—परली लाइन का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और उसे छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

मराठवाड़ा की जनसंख्या 85 लाख है। परन्तु पिछले 35 वर्षों में एक भी रेल लाइन वहां पर बिछाई गई और न किसी रेल पटरी को बदला गया है। मेरा अनुरोध है कि मनमाड, औरंगाबाद—परली आदिलाबाद सैक्शन को बदलने के लिए 20 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की जानी चाहिए।

दिल्ली में सातवां गुट-निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ था जिससे इस देश की प्रतिष्ठा में हुई वृद्धि है। श्रीमती इंदिरा गांधी की, जो कि इस सम्मेलन की अध्यक्ष थीं। वहां पर आए सभी राज्याध्यक्षों द्वारा प्रशंसा की गई। मैं समझती हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी एक दैवी शक्ति हैं और सबसे अधिक प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाली हैं। मैं उनके नेतृत्व का वर्णन अपनी मातृभाषा मराठी के पद से करना चाहती हूं।

> "इन्दिरा देश की बागडोर संभालने वाली एक दैवी शक्ति है, जो गरीबों, दलितों तथा किसानों के उत्थान के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहीं हैं।"

इन शब्दों के साथ मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व का समर्थन करती हूं और वित्त मन्त्री द्वारा पेश किए गए बजट का समर्थन करती हूं। मैं बजट पर बोलने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूं।

*श्री उत्तम भाई एच० पटेल (बलसार) : सभापति जी, वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आजादी के 36 वर्ष के बाद भी हम समाज के सबसे गरीब व्यक्ति तक विकास का लाभ नहीं पहुंचा सके हैं। उसके लिए हमें कठिन मेहनत करनी होगी। मुझे कहते हुए खेद होता है कि हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद आज भारत की जनता को 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जा रही है। हम गरीब जनता को उसकी अत्यावश्यक चीजें जैसे कि पीने का पानी, रहने के लिए मकान, पहनने के कपड़े तथा खाने को अन्न भी हम नहीं दे सके हैं। मान्यवर, यह स्थिति हमारे लिए सबसे बड़ा कलंक है। हमें उसे मिटाना होगा। इसके लिए समाजवादी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें क्रांतिकारी व प्रभावशाली कदम उठाने होंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर सकेंगे तो भविष्य हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। गरीबों के लिए प्रत्येक बजट में करोड़ों रु० की रकम का प्रावधान किया जाता है। फिर भी गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। हमें उसके कारण खोजने होंगे। इस दिशा में अच्छे परिणाम हमें मिल सकें इसलिए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश देकर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। गरीब-निर्धन व्यक्ति को उन्नति करना ही हमारा लक्ष्य रहा है। इस दृष्टि को नजर के सामने रखकर हमारी प्रधान मन्त्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है जो गरीब जनता के लिए वरदान स्वरूप है। फिर भी उसको ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है जिसके कारण कहीं-कहीं हमें जनता में असंतोष दिखाई देता है इस कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए राज्यों को भी आवश्यक निर्देश देने चाहिए। हमारे देश में 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जा रही है, उसको देखते हुए केन्द्रीय सरकार को कुछ हिम्मत व दृढ़ता से काम लेना चाहिए। एक क्रांतिकारी कदम के रूप में इस बजट का एक चौथाई भाग इन लोगों की उन्नति के लिए ही खर्च किया जाना चाहिए क्योंकि अभी भी हम विकास योजनाओं का लाभ देश के आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सके हैं। ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों से कुछ नहीं होगा।

मेरे विचार से इस समस्या को गम्भीरता से देखकर कुछ प्रभावशाली कार्यक्रम द्वारा ही हल कर सकेंगे। हम देखते हैं कि देश को गरीब तथा आदिवासी जनता में गरीबी के कारण असंतोष की आग जल उठी है। इस आग को अगर हम समय पर नहीं बुझाएंगे, इन लोगों की समस्याओं को हम जल्दी से हल नहीं कर सकेंगे, तो मैं मानता हूं कि आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी।

मान्यवर, मैं यहां पर इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में जहां कहीं भी छोटी या बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को बनाया गया है, वहां सामान्य रूप से आदिवासी लोगों को अपनी भूमि गंवानी पड़ी है। उनके पुनर्वास के लिए, जो सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए, वे राज्यों की ओर से पूरी सुविधायें नहीं दी जाती। इस पर मेरा एक सुझाव है कि जिन लोगों की भूमि इन सिंचाई योजनाओं में ले ली गयी है, उन लोगों को जमीन, के बदले में जमीन मकान

*मूल गुजराती में दिए गए भाषण का हिन्दी रूपान्तर।

के बदले में मकान और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे उसके असंतोष को दूर किया जा सके। तथा देश के विकास में जो लोग कुछ त्याग कर रहे हैं उनको इसका पर्याप्त मुकाबला दिया जा सके।

मान्यवर, एक बात मैं और कहूंगा। हमारे देश के गरीब तथा आदिवासी लोगों में से कुछ लोग उद्योगों से संबंधित तकनीकी ज्ञान रखते हैं। इसी ज्ञान के बल पर वे लोग विदेशों में जैसे कि ईराक, ईरान, अबूधाबी आदि देशों में अपने रोजगार के लिए जाते हैं। वहां जाने के लिए वे कई कम्पनियों तथा एजेंटों को जो उन्हें रोजगार दिलाते हैं, सहायता लेते हैं। लेकिन ये कम्पनियां और एजेंट इन गरीब लोगों का बहुत शोषण करते हैं। वहां जाने के बाद भी उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। इस पर मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के लोगों को विदेशों में रोजगार तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्व सरकारों को जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए।

मैंने इस सम्बन्ध में विदेश मन्त्री को पत्र लिखा था। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बात सही है, सरकार ने इस सम्बन्ध में एक विधेयक तैयार किया है, तथा श्रम मंत्रालय उसका अध्ययन कर रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस प्रकार का विधेयक जल्दी ही संसद के सामने लाया जाए, जिससे कि इन गरीबों का शोषण बन्द हो सके। मेरी दृष्टि से यह सब से बड़ा काम है।

हमारी सेना में गुजरात का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। गुजरात के आदिवासी तथा अन्य लोग सेना के लिए बहुत योग्य हैं, इन लोगों का लाभ सेना को मिल सके इस दृष्टि से सेना में भर्ती का एक कार्यालय गुजरात में खोला जाए। गुजरात के लोगों को सेना में लेने का एक कारण यह भी है कि गुजरात की काफी सीमा विदेश से लगी हुई है।

मान्यवर, हमने देश के विकास के लिए 36 वर्षों तक बहुत मेहनत की फिर भी आज बहुत से लोगों में असंतोष व्याप्त है। यह हमारे लिए खेद की बात होनी चाहिए। आज हमारी प्रधान मन्त्री गरीब लोगों को उन्नति के लिए जो-तोड़ मेहनत करती हैं, उनका उदाहरण लेकर हमें भी देश को इस गरीब जनता के विकास के लिए जुट जाना चाहिए। केन्द्रीय मंत्रीगण, राज्यों के मंत्री, संसद सदस्य तथा विधायक अगर अपनी-अपनी शक्ति और उत्तरदायित्व को देखकर देश के विकास के काम लग जाएंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। में हमारा इससे रामराज्य का स्वप्न साकार होगा।

मान्यवर, मैं एक और बात कहूंगा। हमारी अर्थव्यवस्था पर तस्करी बहुत बुरी तरह से हावी है। गुजरात समेत पूरे देश के समुद्र तट पर इस प्रकार की तस्करी फूली फली है। आश्चर्य तो यह है कि इस तस्करी में सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार को इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिए तथा दोषी व्यक्तियों के ऊपर कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे

देश को इस बुराई स बचा सकें। आज कद्र से लेकर नीचे तक इस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

**सभापति महोदय** : आपको एक दो मिनट में समाप्त करना है।

**श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : मान्यवर, आज हमारे पास असंख्य कर्मचारी हैं, फिर भी हमारे काम में जितनी सफलता मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। जो कर्मचारी अपना कर्त्तव्य ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के मन्त्री अपने उत्तरदायित्व को देखते हुए सख्त कदम उठायेंगे। धन्यवाद।

**(तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 17 मार्च, 1983/26 फाल्गुन, 1904 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई)।**

———

मुद्रक : इण्डियन प्रेस सकूरबस्ती दिल्ली।